रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED NO. D-(D)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 21, 1978 (आश्विन 29, 1900)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1978 (ASVINA 29, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 19 सितम्बर 1978

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गयी निम्नलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है:—

श्री जी० सुब्रमणियन को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 6 सितम्बर, 1978 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री पी० एस० लवाटे को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 11 सितम्बर, 1978 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री एस० बी० राममूर्ति को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 15 सितम्बर, 1978 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री वी० वी० जोशी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 16 सितम्बर, 1978 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

वी० एस० नटराजन, प्रबन्ध निदेशक

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

सूचना

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर 1978

सं० 25-159/78 एल० आई०—6871013-हव०/एस० के० टी०—बलबीर सिंह की क्रमांक एल-16791 दिनांक 6-8-77 को 5,000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक-जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25-160/78-एल०आई०—7109236 सी० एफ० एन० एस० पी० सिंह की क्रमांक एल-39805 दिनांक 1-4-1976 को 10,000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक-जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की

दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25-161/78-एल०आई०—14209525 ह्व० रामाकृष्णन राधाकृष्णन नायर की क्रमांक एल०-17688 दिनांक 20-10-75 को 5,000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक-जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए ह। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25-162/78-एल० आई०—14518549 सिप०/क्लर्क अशोक कुमार प्रधान की क्रमांक एल-15501 दिनांक 16-7-75 को 5,000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25-163/78-एल० आई०—6906968 सिप०/क्लर्क जोगेन्द्र कुमार चनयल की क्रमांक एल०-17257 दिनांक 1-10-75 को 8,000/-रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक-जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करें।

दिनांक 4 अक्तूबर 1978

सं० 25-164/78-एल० आई०—2458200 सिप० जोगेन्द्र सिंह की क्रमांक एल०-52748 दिनांक 28-2-76 को 10,000/- रुपए की डाक जीवन-बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है। कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करें।

दिनांक 3 अक्तूबर 1978

सं० 25-165/78-एल० आई०—3961819 सिप० जोगी राम की क्रमांक एल०-11965 दिनांक 10-6-75 को 5,000/- रुपए की डाक जीवन-बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन-बीमा कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25-167/78-एल० आई०—13937659 सिप० एन० ए० राम गोपाल वर्मा की क्रमांक एल०-37091 दिनांक 14-3-76 की 10,000/- रु० की डाक जीवन-बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। उपनिदेशक, डाक जीवन-बीमा, कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के संबंध में कोई लेन-देन न करें।

सं० 25-168/78-एल० आई०—14517406 सिप०/क्लर्क आर० डी० हवलदार की क्रमांक एल०-65513 दिनांक 6-9-75 को 3,000/- रुपए की डाक जीवन बीमा पालिसी विभाग के संरक्षण से गुम हो गई है। यह सूचित किया जाता है कि उक्त पालिसी का भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन-बीमा कलकत्ता को बीमेदार के नाम पालिसी की दूसरी प्रति जारी करने के अधिकार दे दिए गए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि मूल पालिसी के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करें।

ह० अपठनीय
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 सितम्बर 1978

सूचना

सं० 5/78:—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बुधवार, 29 नवम्बर, 1978 को सांय 4.00 बजे (मानक समय) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10(1)(ग) में उल्लिखित शेयरधारियों, अर्थात्, अनुसूचित बैंकों) शेयरधारियों की विशेष महासभा, निगम के प्रधान कार्यालय, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग (आठवीं मंजिल), 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :—

श्री बी० के० वोरा के निधन से हुई आकस्मिक रिक्ति के भरने के लिये औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित शेयरधारियों, अर्थात्, अनुसूचित बैंकों, का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक संचालक का चुनाव। इस प्रकार चुना गया संचालक उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) की शर्तों के अधीन उसके पूर्वाधिकारी की

शेष अवधि, अर्थात्, 24 सितम्बर, 1979 (कार्य समापन) तक पदासीन रहेगा।

बलदेव पसरीचा,
अध्यक्ष

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 सितम्बर 1978

सं० 4/78—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अधिसूचना सं० 3/78 दिनांक 12 सितम्बर, 1978 (भारत के राजपत्र भाग 3 खण्ड 4 दिनांक 16 सितम्बर, 1978/भाद्र 25, 1900 के पृष्ठ 1500 और 1502 पर प्रकाशित) के अनुक्रम में और निगम के सामान्य विनियमों के विनियम 60 और 34 के साथ पठित विनियम 58 के अनुरूप मै० रे एण्ड रे, सनदी लेखापाल, 6 चर्च लेन, कलकत्ता-700001 को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में उल्लिखित पार्टियों द्वारा अन्य प्रत्याक्षी, अर्थात्, मै० हरिभक्ति एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, बाम्बे मैन्यूल चैम्बर्स, 19/20, अम्बालाल डोशी मार्ग, फोर्ट, बम्बई-400023, द्वारा नामांकन वापिस ले लेने के फलस्वरूप निगम के शेयरधारियों की, सोमवार, 25 सितम्बर 1978 को हुई महासभा में निर्वाचित घोषित किया गया।

डी० एन० डावर, संयुक्त महाप्रबन्धक

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1978

सा० का० नि० —केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारिवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 की तीसरी अनुसूची में, पैरा 2 के नीचे की सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम सं०	पद	नियुक्ति का रीति
"2.	(i) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में चपरासी	(क) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ख) ऐसे झाड़ूकशों, फर्राशों, चौकीदारों आदि में से स्थानान्तरण द्वारा 25 प्रतिशत जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो प्रारम्भिक साक्षरता प्राप्त हों और जो हिन्दी या प्रादेशिक भाषा में लिख सकने का प्रमाण दे सकें जो कि इस प्रयोजनार्थ लिये जाने वाले साधारण लिखित परीक्षण के आधार पर निर्धारित किया जायेगा: परन्तु जहां झाड़कशों, फर्राशों, चौकीदारों की पर्याप्त संख्या के उपलब्ध न होने के कारण खण्ड (ख) के अधीन भरी जाने वाली सभी या कोई रिक्ति बिना भरी रह गई हों तो वे सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।
	(ii) मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में माली और चौकीदार	सीधी भर्ती द्वारा 8"।

के० एस० नायक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और सचिव,
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

बम्बई, दिनांक 29 सितम्बर 1978

सं० जी० एस० आर०:—कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 32(2) के अनुसरण में 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट और 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एक दृष्टि में

लाख रुपये

साधन	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			उपयोग	30 जून को समाप्त हुए वर्ष को		
	1976	1977	1978		1976	1977	1978
चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	2940	4211	5888	निम्नलिखित को प्रदान किया गया पुनर्वित्त (बकाया) :			
भारत सरकार से लिए गये उधार	25009	34001	42761	राज्य भूमि विकास बैंक	42582	52544	58932
उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता का अंश	17045	26045	35972	(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं के अधीन)	(24829)	(33208)	(38374)
भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार				अनुसूचित वाणिज्य बैंक	11200	18568	27311
दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि	13840	17260	21680	(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक परियोजनाओं के अधीन)	(5353)	(10217)	(13465)
अल्पावधि	170	—	—	राज्य सहकारी बैंक	1157	1108	1110
खुले बाजार से लिये गये उधार	13771	18171	20234	(उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाओं के अधीन)	(7)	(18)	(174)

विकास का इतिहास

लाख रुपये

विवरण	जून के अंत को विद्यमान स्थिति									
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां	500	509	523	1044	1082	1650	2272	2940	4211	5888
विशेष जमा राशियां	61	74	87	99	117	141	179	230	292	387
विशेष ऋण लेखा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462
सहायता ऋण	14	14	14	14	14	—	—	—	—	—
उधार :										
भारत सरकार से	2575	4475	6675	7713	12485	16350	19662	25009	34001	42761
भारतीय रिजर्व बैंक से	—	—	752	839	3820	6560	9270	14010	17260	21680
अल्पावधि	—	—	752	339	370	1160	450	170	—	—
दीर्घावधि	—	—	—	500	3450	5400	8820	13840	17260	21680
खुले बाजार से	—	1094	1946	2771	3871	6621	9921	13771	18171	20234
दिया गया पुनर्वित्त (शुद्ध)	3040	5889	8893	12341	21614	30974	40686	54939	72220	87359
डिबेंचर	2785	5460	8124	10964	19560	27151	34382	42582	52544	58938
ऋण	255	429	769	1377	2054	3823	6304	12357	19676	28421
अन्य आस्तियां	122	159	258	360	632	929	1417	2017	3040	3702
निवेश और प्रारक्षित नकदी निधियां	52	250	1003	2	4	8	26	37	24	2279
सकल आय	110	273	427	606	924	1553	2214	2991	4095	5469
कर पूर्व लाभ	48	67	69	109	171	309	442	585	785	1192
देय कर	26	37	34	58	89	160	231	309	340	517
करोत्तर लाभ	22	30	35	51	81	149	211	276	445	675
अदा किया गया लाभांश	21	21	21	31	44	66	89	109	173	248

सारणी 1

पुनर्वित्त का विवरण—प्रयोजनावार

लाख रुपये

प्रयोजन	30 जून 1969 तक£	निम्नलिखित वर्षों में 1969-72£	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	30 जून 1978 तक
लघु सिंचाई	1281 (42.1)	7213 (76.5)	8418 (89.4)	8530 (87.1)	8378 (78.7)	10818 (63.2)	14210 (64.4)	14327 (61.1)	73158 (69.7)
भूमि विकास*	1388 (45.5)	1006 (10.7)	230 (2.4)	178 (1.8)	201 (1.9)	492 (2.8)	587 (2.6)	408 (1.8)	4472 (4.3)
कृषि मशीनीकरण*	14 (0.5)	63 (0.7)	218 (2.3)	375 (3.9)	1223 (11.5)	4575 (26.7)	5177 (23.4)	2875 (12.3)	14538 (13.8)
बागान/बागबानी	207 (6.7)	554 (5.9)	149 (1.6)	219 (2.3)	200 (1.9)	307 (1.8)	516 (2.3)	787 (3.4)	2952 (2.8)
मुर्गी पालन/भेड़ पालन/सुअर पालन	1 (0.1)	6 (0.1)	15 (0.2)	9 (0.1)	65 (0.6)	68 (0.4)	66 (0.3)	212 (0.9)	444 (0.4)
मत्स्य पालन	56 (1.8)	132 (1.4)	12 (0.1)	86 (0.9)	178 (1.7)	243 (1.4)	196 (0.9)	540 (2.3)	1442 (1.4)
डेरी विकास	—	39 (0.4)	26 (0.3)	82 (0.8)	158 (1.5)	288 (1.7)	354 (1.6)	395 (1.7)	1348 (1.3)
भंडार और बाजार	100 (3.3)	407 (4.3)	346 (3.7)	293 (3.0)	237 (2.2)	319 (1.9)	953 (4.3)	3777 (16.1)	6429 (6.1)
अन्य :	—	—	—	—	—	—	18	50	68
वन उद्योग							(0.1)	(0.2)	(0.1)
कृषि विमानन	—	—	—	12 (0.1)	—	5 (0.1)	—	—	17 (—)
समन्वित रुई विकास परियोजना	—	—	—	—	—	—	5 (0.1)	58 (0.2)	63 (0.1)
गोबर गैस संयंत्र	—	—	—	—	—	—	—	1 (—)	1 (—)
जोड़	3047 (100.0)	9420 (100.0)	9414 (100.0)	9784 (100.0)	10640 (100.0)	17115 (100.0)	22082 (100.0)	23430 (100.0)	104932 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत है। £वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं।

*भूमि विकास में भूमि उद्धार/भूमि संरक्षण/सघन क्षेत्र विकास शामिल है। कृषि मशीनीकरण में ट्रक्टर, अन्य कृषि उपकरण और कृषि सेवा केन्द्र शामिल है।

सारणी 2

पुनर्वित्त का वितरण—एजेंसीवार

लाख रुपये

एजेंसी	30 जून 1969 तक£	निम्नलिखित वर्षों में 1969–72£	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	30 जून 1978 तक
राज्य भूमि विकास बैंक	2785	8179	8614	7776	7706	9909	12670	11194	68827
उसमें से	(91.4)	(86.8)	(91.5)	(79.5)	(72.4)	(57.9)	(57.4)	(47.8)	(65.6)
अंवि संघ की परियोजनाओं के अधीन	—	537	6358	5292	5198	9069	10053	8580	45087
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	106	660	449	1736	2787	7075	9298	12026	34143
उसमें से	(3.5)	(7.0)	(4.8)	(17.7)	(26.2)	(41.3)	(42.1)	(51.3)	(32.5)
अंपुवि बक की परियोजनाओं के अधीन	—	119	4	1	10	31	30	67	262
अवि संघ की परियोजनाओं के अधीन	—	—	—	342	979	4133	5526	4485	15465
राज्य सहकारी बक	15.16	581	351	272	147	131	114	210	1962
उसम से	(5.1)	(6.2)	(3.7)	(2.8)	(1.4)	(0.8)	(0.5)	(0.9)	(1.9)
अंविसंघ की परियोजनाओं के अधीन	—	—	—	—	—	7	11	176	194
जोड़	3047	9420	9414	9784	10640	17115	22082	23430	104932
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

कोष्ठकों में दिये गय आंकड़ जोड़ का प्रतिशत है।

£वर्षवार आँकड़ इसके पहले के पकाशनों में दिये गए हैं।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम

पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट-1977-78

प्रमुख उपलब्धियां

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिये 30 जून 1978 को समाप्त हुआ वर्ष एक और अच्छा वर्ष रहा। आलोच्य वर्ष के दौरान वितरित राशि और उच्चतर स्तर पर पहुंच गयी तथा निगम के प्रारंभ से लेकर पुनर्वित्त का सकल वितरण 1000 करोड़ रुपयों से भी अधिक हो गया। इस वर्ष की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार थीं—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त 2 परियोजनाओं की समाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 6 और विविध परियोजनाओं के संबंध में विचार विमर्श और मध्य प्रदेश में सघन क्षेत्र परियोजना के लिये पश्चिमी जर्मनी के क्रेडिटंसटल्ट फॉर वाईडरॉफबाउ (केएफ डब्ल्यू) द्वारा ऋण की मंजूरी। योजनाओं की संख्याओं एवं उनके लिये किये गये वायदों की दृष्टि से मंजूरियां भी सीमान्त रूप से अधिक थीं। साथ ही, इस वर्ष के दौरान निगम ने एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की ताकि उसे 1979-81 के दो वर्षों की अवधि के लिये तीसरे सामान्य ऋण की मंजूरी हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक को भेजा जाए।

कार्यकलाप

1.2 इस वर्ष कुल वितरित राशि 234 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष के 221 करोड़ रुपयों की अपेक्षा अधिक है। 1974 में परिकल्पित 216 करोड़ रुपयों की राशि से उक्त राशि काफी अधिक है। फिर भी, वह इस वर्ष के लिए परिशोधित भावी कार्यक्रम के 260 करोड़ रुपयों की राशि से कम है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त तीन डेरी विकास परियोजनाओं के अधीन जो राशि वितरित की जानी थी वह वितरित नहीं की जा सकी क्योंकि परियोजना अधिकारियों को अधिक लाभदायक शर्तों पर वैकल्पिक स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त होने की संभावना प्रतीत हुई।

1.3 कुल 234 करोड़ रुपयों की वितरित राशि में से लगभग 133 करोड़ रुपयों की राशि या कुल वितरित राशि में से 57 प्रतिशत राशि विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गयी। निगम की स्थापना से लेकर जून 1978 के अन्त तक की अवधि में उसके द्वारा प्राप्त प्रदत्त पुनर्वित्त की सकल राशि 1049 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक समूह की परियोजनाओं के अधीन वितरित 610 करोड़ रुपयों की राशि भी शामिल है।

1.4 इस वर्ष विभिन्न राज्यों में कार्यरत सदस्य बैंकों के कार्य का स्वरूप थोड़ा सा भिन्न था। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक तमिलनाडु और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में पुनर्वित्त प्राप्त किया। इस वर्ष वितरित किये गये पुनर्वित्त की कुल राशि में विकसित राज्यों का अंश बिना परिवर्तन के 121 करोड़ रुपये था जबकि कम विकसित राज्यों ने अपेक्षाकृत अधिक पुनर्वित्त प्राप्त किया अर्थात् उनका अंश 101 करोड़ रुपयों से बढ़कर 113 करोड़ रुपय हो गया। विकसित राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत कम पुनर्वित्त लिये जाने का कारण कुछ कमियां थीं जैसे कि अतिदेय राशियों के कारण राज्य भूमि विकास बैंक अधिक सहायता लेने में असमर्थ रहे, वे अपने ऋण कार्यों में अधिक विविधता न ला सके और विगत वर्षों में संभाव्य भू-गर्भ जल का उपयोग तेजी से कर लिये जाने के कारण कई क्षेत्रों में लघु सिंचाई के कार्यों में निवेश की संभावना कम होती गयी। कम विकसित राज्यों में मीयादी स्वरूप के निवेशों के लिए संस्थागत ऋण का उपयोग करने के प्रति जो जागरूकता बढ़ती गयी वह स्वागत योग्य है।

1.5 लगातार पांचवें वर्ष में भी उत्तर प्रदेश में कार्यरत बैंकों ने पुनर्वित्त सहायता की अधिकतम राशि अर्थात् 43 करोड़ रुपये प्राप्त की और अपने राज्य को इस संदर्भ में अग्रणी बनाये रखा। आन्ध्र प्रदेश ने 39 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की और वह दूसरे क्रम पर आया। वर्ष 1977-78 में निगम द्वारा वितरित पुनर्वित्त सहायता का एक तिहाई अंश इन दो राज्यों में वितरित हुआ। महाराष्ट्र (20 करोड़ रुपये), बिहार (19 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश (17 करोड़ रुपये) राज्यों ने 15 करोड़ रुपयों से अधिक की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की। राजस्थान (13 करोड़ रुपये) पश्चिम बंगाल (10 करोड़ रुपये) और उड़ीसा (8 करोड़ रुपये) राज्यों में कार्यरत बैंकों द्वारा अधिकतर पुनर्वित्त सहायता प्राप्त किया जाना इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के असम, मणिपुर, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों ने वर्ष 1977-78 में कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त प्राप्त किया जो पिछले वर्ष इन राज्यों द्वारा प्राप्त किये गये 1 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त से काफी अधिक था (सारणी 4)।

1.6 निगम के प्रारंभ से लेकर इस वर्ष तक उसके द्वारा वितरित कुछ राशि के 10 प्रतिशत से अधिक की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने वाले राज्य इस प्रकार हैं : उत्तर प्रदेश (164) करोड़ रुपये, आन्ध्र प्रदेश (115 करोड़ रुपये), और महाराष्ट्र (107 करोड़ रुपये)। कर्नाटक (90 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (88 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (87 करोड़ रुपये), और हरियाणा (86 करोड़ रुपये) राज्यों में से प्रत्येक द्वारा कुल पुनर्वित्त सहायता के 8 और 10 प्रतिशत के बीच सहायता प्राप्त की गयी।

1.7 सारणी 3 में पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों को उनके द्वारा ली गयी राशि के अनुसार क्रमवार दर्शाया गया है।

सारणी 3

निगम द्वारा प्राप्त की गयी पुनर्वित्त राशि के अनुसार राज्यों का क्रम

राज्य	1975-76	1976-77	1977-78
उत्त प्रदेश	1	1	1
आन्ध्र प्रदेश	8	4	2
महाराष्ट्र	2	5	3
बिहार	6	8	4
मध्य प्रदेश	4	2	5

राज्य	1975-76	1976-77	1977-78
कर्नाटक	3	3	6
गुजरात	12	13	7
राजस्थान	10	10	8
पंजाब	7	7	9
हरियाणा	5	6	10
पश्चिम बंगाल	14	11	11
तमिलनाडु	9	9	12
उड़ीसा	11	12	13
केरल	13	14	14

आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और राजस्थान राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अपनी स्थिति में सुधार किया जबकि पश्चिम बंगाल ने अपना ग्यारहवाँ स्थान बनाये रखा। उड़ीसा द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पुनर्वित्त सहायता प्राप्त किये जाने के बावजूद उसका स्थान बारहवें से हट कर तेरहवें पर आ गया।

1.8 प्रयोजनवार, पिछले वर्षों की तरह कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा लघु सिंचाई के लिए अधिकतम पुनर्वित्त सहायता अर्थात् 143 करोड़ रुपये या कुल वितरित राशि में से 61 प्रतिशत राशि प्रदान की गयी (सारणी 1) फिर भी, इस प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष वितरित 142 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष की राशि थोड़ी सी अधिक है ? राज्य भूमि विकास बैंकों ने लघु सिंचाई के लिए 106 करोड़ रुपयों की तुलना में 99 करोड़ रुपये प्राप्त किये जबकि वाणिज्य बैंकों ने पिछले वर्ष के 35 करोड़ रुपयों की तुलना में 43 करोड़ रुपये प्राप्त किये। विकसित राज्यों में राज्य भूमि विकास बैंकों का अंश 54 करोड़ रुपयों के आसपास प्रायः अपरिवर्तित बना रहा जबकि वाणिज्य बैंकों का अंश पिछले वर्ष के केवल 10 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष 19 करोड़ रुपये था। कम विकसित राज्यों के मामले में राज्य भूमि विकास बैंकों का अंश 52 करोड़ रुपयों से तेजी से कम होकर 45 करोड़ रुपये हो गया परन्तु वाणिज्य बैंकों का अंश 24 करोड़ रुपयों पर प्रायः अपरिवर्तित ही रहा। लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए वितरित राशि में सदस्य बैंकों द्वारा पंप सेटों को बिजली-चालित करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को दिये गये ऋणों के पुनर्वित्त हेतु वितरित 18 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है जबकि 1976-77 में यह राशि 11 करोड़ रुपये थी।

1.9 भूमि विकास के लिए वितरित राशि पिछले वर्ष के 5.9 करोड़ रुपयों की तुलना में इस वर्ष कम अर्थात् 4.1 करोड़ रुपये थी क्योंकि सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय कानूनी, क्रियाविधिक एवं नीतिगत मामलों का निर्धारण कर उन्हें अंतिम रूप देना था। निगम ने भी राज्य सरकारों एवं बैंकों के साथ गहन परामर्श करके अपनी संबंधित क्रियाविधियों एवं नीतियों का पुनरीक्षण किया। खेत के विकास के लिए संस्थागत ऋण प्राप्त करने के संबंध में सहमति बांडों को प्राप्त करने, भूमि को प्रभारित करने और कृषकों को योग्य और अयोग्य श्रेणियों में वर्गीकृत करने जैसी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और सदस्य बैंकों द्वारा निर्धारित विभिन्न शर्तों के पीछे जो तर्क था उसे स्वीकार करने में राज्य सरकारों ने भी कुछ समय लिया। पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किये गये अनुसार 1975-76 और 1976-77 के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए वितरित राशियां मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा पंजाब, हरियाणा कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्वीकृत कतिपय कृषि ऋण परियोजनाओं के लिये परिकल्पित उन कार्यक्रमों से संबंधित थीं जो गत वर्षों में पूरे नहीं किये जा सके थे। इस बीच उक्त परियोजनाएं समाप्त हो गयी हैं। अब जो राशियां वितरित की गयी हैं वे ऐसे केन्द्रों में ट्रैक्टर और बिजली चालित हल जैसी कृषि मशीनीकरण से संबंधित उपकरणों की सामान्य मांग की द्योतक है जहां कृषक साधारणतया विभिन्न गहन फसल का लाभ उठाना चाहता है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये इस वर्ष 29 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गयी। यह राशि इस वर्ष 18 राज्यों में वितरित की गयी है जबकि पिछले वर्ष वह केवल 17 राज्यों में वितरित की गयी थी। इस राशि में सघन क्षेत्र में भूमि विकास कार्य के लिए उपयोगी कुछ मशीनें भी शामिल हैं।

1.10 इस वर्ष के दौरान निगम के कारोबार में अधिक वैविध्य आया। लघु सिंचाई के अलावा अन्य विविध प्रयोजनों के लिये प्रदत्त ऋण की राशि 91 करोड़ रुपये या कुल ऋण का 39 प्रतिशत थी जबकि 1976-77 के दौरान यह राशि 79 करोड़ रुपये या लगभग 36 प्रतिशत थी।

1.11 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भूमि विकास और कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत वितरित राशि कम थी परन्तु भण्डार और बाजार केन्द्रों के अन्तर्गत वितरित राशि में तेजी से वृद्धि हुई और वह 9.5 करोड़ रुपयों से बढ़कर 37.8 करोड़ रुपये हो गयी। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त दो परियोजनाओं सहित राज्यों में बाजार केन्द्रों के लिए वितरित राशि 5 करोड़ रुपये थी जबकि 32.8 करोड़ रुपये की राशि भारतीय खाद्य निगम की भण्डार गोदाम निर्माण की योजना के अन्तर्गत निजी पार्टियों द्वारा निर्मित गोदामों के लिए थी। ऐसे गोदाम पूर्ण होने पर प्रत्येक गोदाम की क्षमता लगभग 40 लाख टन होनी चाहिए।

1.12 इस वर्ष के दौरान बागान-बागबानी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के विकास के कार्यक्रमों के लिये वितरित राशि भी उल्लेखनीय थी। डेरी विकास योजनाओं के अन्तर्गत हुए कार्य में प्रायः कोई परिवर्तन नहीं हुआ और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त तीन समन्वित डेरी विकास परियोजनाओं के लिए अपेक्षित राशि वितरित की जाती है तो यह राशि और भी अधिक हो जाती। उसी प्रकार अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों उद्देश्यों के लिए समन्वित रुई विकास परियोजना के अन्तर्गत अपेक्षित राशि वितरित नहीं हो पायी है।

सारणी—4

पुर्नवित्त का वितरण—राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक £	निम्नलिखित वर्षों में 1969–72£	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	30 जून 1978 तक
I. उत्तरी क्षेत्र									
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	3 (—)	3 (—)
दिल्ली	—	6 (0.1)	—	7 (0.1)	12 (0.1)	28 (0.1)	10 (0.1)	19 (0.1)	83 (0.1)
हरियाणा	303 (9.9)	951 (10.1)	1020 (10.8)	803 (8.2)	1075 (10.1)	1569 (9.2)	1770 (8.0)	1111 (4.7)	8602 (8.2)
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	4 (0.1)	4 (0.1)	16 (0.1)	2 (—)	23 (0.1)	51 (—)
जम्मू और काश्मीर	32 (1.0)	38 (0.4)	—	—	—	17 (0.1)	6 (—)	15 (0.1)	109 (0.1)
पंजाब	653 (21.4)	1596 (16.9)	607 (6.5)	489 (5.0)	407 (3.8)	1306 (7.6)	1731 (7.8)	1177 (5.0)	7964 (7.6)
राजस्थान	6 (0.2)	237 (2.5)	136 (1.4)	283 (2.9)	350 (3.3)	536 (3.1)	787 (3.6)	1312 (5.6)	3653 (3.5)
	994 (32.5)	2828 (30.0)	1763 (18.7)	1586 (16.3)	1848 (17.4)	3472 (2[illegible].3)	4306 (19.5)	3660 (15 6)	20465 (19.5)
I. उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	70 (2 4)	36 (0.4)	—	29 (0.3)	—	5 (—)	70 (0.3)	273 (1.2)	483 (0.5)
मणिपुर	—	—	—	—	—	5 (—)	8 (0.1)	23 (0.1)	36 (—)
मेघालय	—	—	—	—	—	(—)	—	—	—

सारणी–4 (जारी)

पुनर्वित का वितरण—राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	30 जून 1969 तक £	निम्नलिखित वर्षों में							30 जून 1978 तक
		1969–72£	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	
नागालैण्ड	—	—	—	4	4	2	3	5	18
				(0.1)	(0.1)	(—)	(—)	(—)	(—)
त्रिपुरा	—	—		—	—	1	2	8	11
						(—)	(—)	(—)	(—)
	70	36	—	33	4	13	83	309	548
	(2.4)	(0.4)		(0.4)	(0.1)	(0.1)	(0.4)	(1.3)	(0.5)
पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	18	241	154	585	932	1318	1696	1864	6802
	(0.6)	(2.6)	(1.6)	(5.9)	(8.8)	(7.6)	(7.7)	(8.0)	(6.5)
उड़ीसा	4	32	11	8	72	338	565	816	1852
	(0.1)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(2.0)	(2.6)	(3.5)	(1.7)
पश्चिम बंगाल	2	16	4	22	69	159	590	996	1855
	(0.1)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	(0.6)	(1.0)	(2.7)	(4.3)	(1.8)
	24	289	169	615	1083	1815	2851	3676	10509
	(0.8)	(3.1)	(1.8)	(6.2)	(10.2)	(10.6)	(13.0)	(15.8)	(10.0)
मध्यवर्ती क्षेत्र									
IV मध्य प्रदेश	29	327	319	645	1234	1932	2610	1670	8775
	(1.0)	(3.5)	(3.4)	(6.6)	(11.6)	(11.8)	(11.3)	(7.1)	(8.4)
उत्तर प्रदेश	122	1153	1143	1498	1849	2598	3720	4317	16398
	(4.0)	(12.2)	(12.1)	(15.3)	(17.3)	(15.2)	(16.9)	(18.4)	(15.6)
	151	1480	1462	2143	3083	4530	6330	5987	25173
	(5.0)	(15.7)	(15.5)	(21.9)	(28.9)	(26.5)	(28.7)	(25.5)	(24.0)

V पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	—	—	—	3 (0.1)	5 (0.1)	23 (0.1)	24 (0.1)	68 (0.3)	123 (0.1)
गुजरात	207 (6.8)	583 (6.2)	2794 (29.7)	788 (8.0)	427 (4.0)	333 (1.9)	402 (1.8)	1319 (5.6)	6853 (6.5
महाराष्ट्र	189 (6.2)	1038 (11.0)	732 (7.8)	1271 (13.0)	1358 (12.7)	2248 (13.2)	1928 (8.7)	1974 (8.4)	10742 (10.3)
	396 (13.0)	1621 (17.2)	3526 (37.5)	2062 (21.1)	1790 (16.8)	2604 (15.2)	2354 (10.6)	3361 (14.3)	17718 (16.9)
VI दक्षिणी क्षेत्र									
आन्ध्र प्रदेश	809 (26.5)	1234 (13.1)	847 (9.0	423 (4.3)	892 (8.4)	1295 (7.6)	2122 (9.6)	3853 (16.4)	11473 (10.9)
कर्नाटक	261 (8.6)	765 (8.1)	405 (4.3)	1099 (11.2)	1008 (9.5)	1946 (11.4)	2190 (9.9)	1320 (5.6)	8995 (8.6)
केरल	17 (0.5)	214 (2.3)	28 (0.3)	103 (1.0)	100 (0.9)	208 (1.2)	247 (1.1)	370 (1.6)	1287 (1.3)
पांडिचेरी	—	—	—	8 (0.1)	15 (0.1)	4 (0.1)	—	—	27 (—)
तमिलनाडु	325 (10.7)	952 (10.1)	1213 (12.9)	1712 (17.5)	817 (7.7)	1228 (7.2)	1599 (7.2)	894 (3.9)	8737 (8.3)
	1412 (46.3)	3165 (33.6)	2493 (26.5)	3345 (34.1)	2832 (26.6)	4681 (27.5)	6158 (27.8)	6437 (27.5)	30519 (29.1)
जोड़ (I से VI)	3047 (100.0)	9420 (100.0)	9414 (100.0)	9784 (100.0)	10640 (100.0)	17115 (100.0)	22082 (100.0)	23430 (100.0)	104932 (100.0)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं ।

£वर्षवार आंकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं ।

1.13 पिछले वर्ष के अंत तक और 30 जून 1978 को बायदों में वितरित राशि के प्रतिशत को सारणी 5 में दर्शाया गया है। इस वर्ष कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 387 करोड़ रुपयों के कुल बायदों में से लगभग 60.5 प्रतिशत राशि निकाली गयी है जबकि पिछले वर्ष वह बायदों का 58 प्रतिशत थी (विवरण 1)

1.14 बहत्तर सदस्य बैंकों ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की। इन बैंकों में 16 राज्य भूमि विकास बैंक, 39 अनुसूचित वाणिज्य बैंक और 17 राज्य सहकारी बैंक हैं। इस वर्ष के दौरान मणिपुर राज्य सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने पहली बार पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की।

1.15 वर्ष 1977–78 के दौरान, वाणिज्य बैंकों ने 120 करोड़ रुपयों और राज्य भूमि विकास बैंकों ने 112 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की (सारणी 2) जबकि पिछले वर्ष उन बैंकों ने क्रमशः 93 करोड़ रुपयों और 127 करोड़ रुपयों की सहायता प्राप्त की थी। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कार्यक्रमों में राज्य सहकारी बैंकों का हिस्सा नगण्य ही बना रहा और उनके द्वारा इस वर्ष प्राप्त की गयी राशि (2.1 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की राशि (1.1 करोड़ रुपये) से केवल सीमान्त रूप से ही अधिक थी। बहुत से राज्य सहकारी बैंकों को कृषि विकास कार्यों में मीयादी निवेशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अपेक्षित विशेषज्ञता अभी विकसित करनी है। केवल उड़ीसा में राज्य सरकार के सक्रिय प्रोत्साहन के कारण राज्य सहकारी बैंक मत्स्य पालन और डेरी विकास योजनाओं की सहायता करने के अलावा लघु सिंचाई कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रहा है।

सारणी 5

वायदों में वितरित राशि का प्रतिशत

करोड़ रुपए

प्रयोजन	1967–77 तक कृपुवि निगम के वायदे	30 जून 1977 तक निकाली गयी राशि	2 में 3 का प्रतिशत	1977–78 कृपुवि निगम के वायदे	30 जून 1978 तक निकाली गयी राशि	5 में 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. लघु सिंचाई	754.7	588.3	78.0	1033.7	731.6	70.7
2. भूमि विकास	70.3	40.6	58.8	80.9	44.7	55.3
3. कृषि मशीनीकरण	146.0	116.7	79.9	169.5	145.4	85.8
4. बागान और बागबानी	34.3	21.7	63.3	48.4	29.5	60.9
5. मुर्गीपालन और भेड़ पालन	4.8	2.3	47.9	8.0	4.4	55.0
6. मत्स्य पालन	14.5	9.0	62.1	23.7	14.4	60.8
7. डेरी विकास	18.7	9.5	50.8	33.1	13.5	40.8
8. भण्डार सुविधाएँ और बाजार केंद्र	44.9	26.5	59.0	78.6	63.3	81.8
	1088.2	814.6	74.7	1475.9	1047.8	71 0

1.16 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर जून 1978 के अंत तक कुल 1049 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गयी। उससे 1200 करोड़ रुपयों के स्तर का मूलभूत निवेश संपन्न हो सका जिसमें ऋणदाताओं, सदस्य बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा किये गये अंशदान शामिल हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अधीन प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :

नल कूप	2,54,300
खोदे हुए कुएँ	3,90,000
बिजलीचालित पंपसेट/आयल इंजिन	5,76,200

	हैक्टेयर		हैक्टेयर
काफी	8,900	नारियल	34,200
चाय	4,400	सुपारी	1,300
रबड़	2,200	अन्य	19,900
इलायची	1,400		

1.17 अपनी गतिविधियों के पिछले 15 वर्षों के दौरान निगम ने लगभग 28.5 लाख हैक्टेयर भूमि में अनेक फसलें उगाने के लिये सहायता प्रदान की। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के सधन क्षेत्रों में विकसित भूमि और भूमि संरक्षण योजनाओं के अधीन सुधारे गये क्षेत्र दोनों मिलाकर कुल भूमि 8.9 लाख हैक्टेयर होती है। बागान और बाग-

बानी की विभिन्न योजनाओं के अधीन कुल 72,300 हैक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ ।

1.18 निगम से जिन अन्य कार्यों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त की गयी वे निम्नप्रकार हैं :

भण्डार	50 लाख टन
बाजार केन्द्र	121 इकाइयां
ट्रैक्टर	34,600 इकाइयां
कंबाइन/कटाई की मशीनें/ बुलडोजर/	
बिजलीचालित हल	1,675 इकाइयां
ट्राऊलर्स/यांत्रिक नौकाएं	2,041 इकाइयां
दुधारू पशु	66,700 पशु
मुर्गियां	10,81,500 चूजे
भेड़	1,19,940 पशु
कृषि विमान	2 इकाइयां

स्वीकृतियां

इस वर्ष के दौरान निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या और उसके द्वारा वायदा की गयी राशि दोनों ही में वृद्धि हुई है । परंतु स्वीकृत योजनाओं की संख्या के आंकड़ों का अनुशीलन बदलते हुए संदर्भ में किया जाना चाहिए । योजनाओं का बेहतर मूल्यांकन और गुणात्मक कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हो सके इस उद्देश्य से निगम विभिन्न विशेषताओं से युक्त बड़े क्षेत्रों की अपेक्षा एक समान विशेषताओं से युक्त छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता पर बल देता आ रहा है और यह बात विविध प्रयोजनाओं के लिए बनायी जानेवाली योजनाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है । साथ , लघु सिंचाई में निवेश की योजनाओं के लिए भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण है । संप्रति जो औसत रूप से अपेक्षाकृत छोटी योजनाओं को स्वीकार किया गया है उससे यही बात प्रभावी रूप से परिलक्षित होती है । इसके परिणामस्वरूप कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वायदों की राशि का अधिक अच्छा उपयोग किया जा सका है ।

2.2 1977–78 के दौरान 1836 योजनाएं स्वीकार की गयी जिनके संदर्भ में निगम के वायदों की राशि 330 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष स्वीकृत 1653 योजनाओं के संबंध में निगम के वायदों की राशि 307 करोड़ रुपये थी (विवरण 2 और 3) । स्वीकृत योजनाओं की संख्या तथा उनके लिए किये गये वायदों की राशि दोनों ही संदर्भों में वाणिज्य बैंक अग्रणी रहे हैं (विवरण 4) । इस वर्ष इन बैंकों की 1465 योजनाएं स्वीकार की गयीं जिनके संबंध में निगम के वायदों की राशि 192 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष इन बैंकों की 1105 योजनाएं स्वीकार की गयीं थीं जिनके संबंध में निगम के वायदे की राशि 156 करोड़ रुपये थी । भूमि विकास बैंकों के मामले में इस वर्ष के दौरान मंजूर की गयी 330 योजनाएं पिछले वर्ष की 528 योजनाओं के मुकाबले कम थीं; वायदा की गयी 129 करोड़ रुपयों की राशि भी पिछले वर्ष के 141 करोड़ रुपयों के मुकाबले न्यून थी । इस वर्ष वितरित राशि की तरह, राज्य सहकारी बैंकों के लिए स्वीकार की गयी योजनाओं की संख्या और वायदे की राशि भी न्यूनतम थीं अर्थात् 41 योजनाओं के संबंध में वितरित राशि केवल 9 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष के वायदे की राशि भी पिछले वर्ष की 20 योजनाओं के संबंध में 10 करोड़ रुपये के वायदे की राशि से कम थी । जून 1978 के अंत तक इन बैंकों की केवल 103 योजनाएं स्वीकृत की गयीं थीं जिनके संबंध में कृषि पुनर्वित और विकास निगम के वायदे की कुल राशि 38 करोड़ रुपये थी । राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में विकास की सक्षम योजनाएं बनाने के लिए कोई तन्त्र विद्यमान नहीं है । रिजर्व बैंक से उपलब्ध मध्यावधि ऋण सीमाओं का लाभ भी बैंक उठाते हैं हालांकि ऐसी सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है ।

2.3 पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रवृत्ति पायी गयी है उसके अनुरूप सदस्य बैंक अपने कार्यकलापों में विविधता ला रहे हैं; इसके परिणामस्वरूप कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा स्वीकार की गयी योजनाओं की संख्या तथा ऐसे विविध प्रयोजनों के निमित्त निवेश करने के लिए उसके द्वारा किये गये वायदे की राशि दोनों ही में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गयी है । भूमि विकास और सधन क्षेत्र विकास, प्रमुख रूप से ट्रैक्टरों से इतर उपकरणों से खेती के मशीनीकरण को छोड़कर अन्य बागान और बागबानी जैसे कार्यक्रमों के अलावा, मत्स्य पालन, डेरी विकास, मुर्गी पालन/भेड़ पालन जैसे अन्य प्रयोजनों को भी अधिक मात्रा में स्वीकार किया गया । वर्ष 1977–78 में लघु सिंचाई से इतर प्रयोजनों के लिए 1314 योजनाएं स्वीकार की गयीं जिनके संबंध में निगम के वायदे की राशि 153 करोड़ रुपये थी । यद्यपि लघु सिंचाई वर्ग के अंतर्गत स्वीकार की गयी योजनाओं की संख्या (522) पिछले वर्ष की योजनाओं (657) के मुकाबले अपेक्षाकृत कम थी, फिर भी उनके संबंध में निगम के वायदे की 177 करोड़ रुपये की कुल राशि पिछले वर्ष के वायदे की राशि (178 करोड़ रुपये) के प्रायः बराबर ही थी ।

2.4 जून 1978 के अंत में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 6221 योजनाएं स्वीकार की गयी थीं और उनके संबंध में उसके द्वारा किये गये वायदे की राशि 1770 करोड़ रुपये थी (विवरण 5) इनमें से निगम के 1054 करोड़ रुपयों के वायदे से युक्त 1862 योजनाएं भूमि विकास बैंकों के लिए स्वीकार की गयीं, 678 करोड़ रुपयों के वायदे से युक्त 4256 योजनाएं वाणिज्य बैंकों के लिए और 38 करोड़ रुपयों के वायदे से युक्त शेष 103 योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों के लिए स्वीकार की गयीं (विवरण 7) । इनमें से 2680 योजनाएं लघु सिंचाई के प्रयोजनों के लिए थीं जिनके संबंध में कृषि पुनर्वित्त और विकास

निगम के वायदे की राशि 1179 करोड़ रुपये या कुल वायदे का 67 प्रतिशत थी और 3541 योजनाएं विभिन्न प्रयोजनों के लिए थीं जिनके संबंध में निगम ने 591 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सहायता **क्षेत्रीय असंतुलनों में कमी** प्रदान की थी (विवरण 5)।

2.5 ऐसा प्रतीत होता है कि विकास के क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने की दिशा में निगम के प्रयासों के अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। इस वर्ष के दौरान देश के कम विकसित राज्यों/क्षेत्रों में वितरित पुनर्वित्त की राशि और स्वीकार की गयी योजनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उपर्युक्त समूह के अंतर्गत वर्गीकृत तेरह राज्यों में वितरित कुल राशि इस वर्ष 113 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष वह 101 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष वितरित कुल राशि में इसका अंश 48 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों अर्थात् बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कार्य इस वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और उन्होंने कुल 80 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की है जबकि पिछले वर्ष उन्होंने 66 करोड़ रुपये प्राप्त किये थे। इस उत्साहजनक गतिविधि से भावी प्रगति के लिए विश्वास पैदा होता है क्योंकि इन राज्यों में भारी मात्रा में विकास की अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध है। इन राज्यों में प्रवर्तित तथा स्वीकृत योजनाओं की संख्या में होनेवाली वृद्धि इस बात को प्रमाणित करती है कि सदस्य बैंक विकास योजनाओं का प्रवर्तन करने में अधिकाधिक रुचि ले रहे हैं। पिछले वर्ष जहां कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 128 करोड़ रुपयों के वायदे से युक्त 725 योजनाएं स्वीकार की गयी थीं वहां इस वर्ष के दौरान समस्त कम विकसित राज्यों में 917 योजनाएं स्वीकार की गयी हैं जिनके संबंध में निगम के वायदे की राशि 141 करोड़ रूपये है (विवरण 8)।

2.6 निगम इन राज्यों में कृषि विकास को सघन बनाने में पूर्ववत् विशेष ध्यान देता रहा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त कतिपय विस्तार योजनाओं को स्वीकार कर अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा रहा है ताकि कृषक नयी टेक्नोलाजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों और उससे खेती में निवेश करने की मांग उत्पन्न हो सके। इस वर्ष के दौरान निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने इन राज्यों का दौरा किया और इस दिशा में विद्यमान विभिन्न बाधाओं का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों एवं बैंकों के साथ विचार विमर्श किया। निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने अपने क्षेत्र के राज्यों से निकटतम संपर्क बनाये रखा है। परन्तु इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए गठित वाणिज्य बैंकों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियों की आवधिक बैठकों में भी निगम भाग लेता रहा है। इन बैठकों में बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण भी किया जाता है। इस वर्ष के दौरान असम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को एक निदेशक के अधीन रखा गया।

लघु कृषक

2.7 इस वर्ष के दौरान निगम ने लघु कृषक विकास एजेंसी के तत्वावधान में 104 योजनाएं स्वीकृत कीं। जून, 1978 के अंत में ऐसी योजनाओं की कुल संख्या 357 थी जिसके संबंध में निगम के वायदे की राशि 72 करोड़ रूपये है (विवरण 10)। इन 357 योजनाओं में से राज्य भूमि विकास बैंकों के लिए 122 योजनाऐं स्वीकार की गयी हैं जबकि वाणिज्य बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 225 और 10 योजनाऐं स्वीकार की गयीं हैं। स्वीकृत योजनाओं में से अधिकांश अर्थात् 163 योजनाएं लघु सिंचाई में निवेशों से संबंधित हैं। शेष 194 योजनाएं अन्य प्रयोजनों जैसे डेरी विकास (147), मुर्गीपालन (8), भेड़ पालन (17), भूमि विकास (9), बागान/बागबानी (10), मत्स्य पालन (2) और हल तथा बैल और बैल-गाड़ी (1) से संबंधित हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वितरित कुल राशि जून 1978 के अंत में 33 करोड़ रुपये थी।

2.8 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकृत पहली कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना के अंतर्गत निगम लघु कृषकों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत निधियों की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध था। परियोजना समाप्ति रिपोर्ट के लिए जुटाए गये आंकड़ों से यह संकेत मिला है कि कुल सहायता का 54 प्रतिशत अर्थात् कुल 123 करोड़ रुपयों की वितरित पुनर्वित्त सहायता में से लगभग 66 करोड़ रुपये लघु कृषकों को प्रदान किये गये। लघु सिंचाई में निवेश करने के लिए लघु कृषकों को वितरित सहायता 55 प्रतिशत थी जबकि विविध प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋण का प्रतिशत 38 था। विविध प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में वितरित राशि को लघु कृषकों की श्रेणी में पूरी तरह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि उन राशियों में से कुछ राशि कंपनियों के वित्तपोषण के लिए दी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, सदस्य कि अपने निजी वित्तीय साधनों में से या कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कार्यक्रमों के बाहर लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम का वित्तपोषण कर रहे थे।

2.9 अब तक किये गये प्रयासों के बाजूद, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले बैंकों और उनकी शाखाओं की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले लघु कृषकों के संदर्भ में प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत वितरित कुल राशि में 47 प्रतिशत अंश लघु कृषकों के लिए था। कृषि के मशीनीकरण, भंडारण और बाजार केंद्रों की योजनाओं से लघु कृषक प्रत्यक्षतः

लाभान्वित नहीं होते; परंतु इन योजनाओं से इतर विविध प्रयोजनों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत वितरित कुल राशि में लघु कृषकों का अंश 57 प्रतिशत है (सारणी 6)।

सारणी 6

लघु कृषकों की वित्तीय सहायता**

करोड़ रुपये

प्रयोजन	वर्ग	कुल वितरित राशि	उसमें लघु कृषकों का अंश		
			राशि	खातों की संख्या	प्रतिशत
लघु सिंचाई	(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाएं	315.9	102.7	136960	33
	(ख) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजना I	112.5	62.4	83387	55
	(ग) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजना II	58.0	31.9	42520	55
	(घ) लघु कृषक विकास एजेन्सी/ सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजनाएं	28.7	28.7	71575	100
	(ङ) अन्य योजनाएं	164.4	93.0	232475	57
	जोड़	679.5	318.7	566917	47
विविध प्रयोजन	(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनाए*	10.4	4.6	30450	44
	(ख) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजना I	10.5	4.0	5293	38
	(ग) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजना II	9.0	3.4	4547	38
	(घ) लघु कृषक विकास एजेंसी/ सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजनाएं	2.9	2.9	6300	100
	(ङ) अन्य योजनाएं@	66.7	41.4	138167	62
	जोड़	99.5	56.3	184757	57
	सकल जोड़	779.0	375.0	751674	48

*केवल भूमि विकास से संबंधित

**31 मार्च 1978 को अनंतिम

@इनमें कृषि मशीनीकरण और भंडार शामिल नहीं हैं।

2.10 निगम द्वारा स्वीकार की गयी योजनाओं का विश्लेषण करने पर यह विदित होता है कि 387 जिलों में से 28 जिलों को छोड़कर प्रत्येक जिले में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की किसी न किसी प्रकार की योजना स्वीकार की गयी है। निम्नलिखित राज्यों के जिन जिलों में जून, 1978 के अंत तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की कोई योजना लागू नहीं थी उनकी संख्या इस प्रकार है :—

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	लक्षद्वीप	1
अरुणाचल प्रदेश	5	मेघालय	3
असम	1	मिजोरम	1
दादरा और नागर हवेली	1	नागालैंड	3
गुजरात	1	त्रिपुरा	1
हिमाचल प्रदेश	2	सिक्किम	4
जम्मू और काश्मीर	1	उत्तर प्रदेश	3

विचाराधीन योजनाएं

2.11. जून 1978 के अंत तक 883 योजनाएं निगम के विचाराधीन थीं । इनमें से 174 योजनाएं अधिकांश संदर्भों में पूर्ण थी और शेष 709 योजनाएं या तो अपूर्ण थीं या अतिरिक्त आंकड़ों की अपेक्षा के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी । इन अनिर्णीत योजनाओं में से 346 योजनाएं कम विकसित/कम बैंक सुविधायुक्त क्षेत्रों के राज्यों से संबंधित थीं । विवरण 14 में विचाराधीन योजनाओं का ब्योरा दिया गया है । अनिर्णीत योजनाओं की संख्या इस बात की द्योतक नहीं है कि योजनाएं स्वीकृत करने में विलंब हो रहा है । इसके विपरीत, पिछले कई वर्षों में योजनाओं को स्वीकृत करने में तेजी लायी गयी है । स्वीकृतियों की बढ़ती हुई संख्या इस बात का प्रमाण है । वर्ष 1977–78 के दौरान अनिर्णीत योजनाओं की जो संख्या थी उसकी दुगुनी से अधिक योजनाएं, इस वर्ष के दौरान मंजूर की गयीं । इस संबंध में निगम के वायदे की राशि 330 करोड़ रुपये थी । कुछ योजनाओं को स्वीकृत करने में कुछ विलंब अनिवार्यतः हो जाता है क्योंकि उनमें तकनीकी और वित्तीय दोनों ही पहलुओं पर पर्याप्त आंकड़े नहीं होते । निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को यह अनुदेश दिया गया है कि वे संबंधित बैंकों के साथ ऐसे मामलों पर कार्रवाई करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्यक्षेत्र में कार्यरत सदस्य बैंक निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार योजनाएं बनाते हैं और पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृतियां शीघ्र दी जा सकें ।

वर्ष के दौरान नीति संबंधी निर्णय

(i) भंडार योजनाएं

खाद्यान्न, उर्वरक, जूट जैसी वस्तुओं के स्थान और तकनीकी विशिष्टयों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनके भंडार की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है । जैसा पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, निगम निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किये जाने वाले ऐसे गोदामों के निर्माण के संबंध में पुनर्वित्त सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गया है जो भारतीय खाद्य निगम को पट्टे पर दिये जायेंगे । योजना का परिणाम उत्साह-वर्धक था परन्तु कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य पूरा करने में विलम्ब हुआ । अतः निगम ने निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा प्रारंभ में 31 मार्च 1978 तक और बाद में 30 सितम्बर, 1978 तक इस शर्त पर बढ़ा दी कि उक्त आशय के प्रस्ताव वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों के पास 31 जुलाई 1977 से पहले पहुंच गये हों ।

3.2 भारत सरकार के इस निश्चय के अनुसरण में कि न्यूनतम 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का समीकरण भंडार बनाया जाए, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने भारतीय खाद्य निगम के अनुरोध पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में निजी पार्टियों द्वारा 20 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भंडार क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किये जाने के लिए गोदाम निर्माण के दूसरे चरण में पुनर्वित्त सुविधाएं देने का भी निणय किया है ।

3.3 निगम ने भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों के साथ उर्वरक और खाद्यान्न जैसे पण्यों के भंडार और राज्य गोदाम निगम के कार्यकलापों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने के बारें में चर्चा की । निकट भविष्य में ऐसी कई योजाओं के स्वीकार किये जाने की आशा है ।

3.4 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने भारतीय जूट निगम के ,इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है कि जूट और मेस्ता पैदा करने वाले असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्यों में भंडार की तकनीकी सुविधाओं में वृद्धि की जाए । भारतीय जूट निगम को पट्टे पर दिए जाने वाले गोदामों के निर्माण के लिए सदस्य बैंकों द्वारा जो ऋण चुनी हुई निजी पार्टियों को दिया जाएगा उसके संबंध में सदस्य बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

(ii) पंपसेटों को बिजलीचालित करने के लिए वित्तीय सहायता

3.5 भारतीय रिजर्व बैंक ने डा० बी० वेंकटप्पया की अध्यक्षता में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वाणिज्य बैंकों के नियोजित सहयोग पर एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी जिसमें कृषि पुनर्वित और विकास निगम भी सम्मिलित था । इस दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों की अवधि में 20 लाख पंपसेटों को बिजलीचालित करने के कार्यक्रम की सिफारिश की है । इसमें से 6 लाख पंपसेटों को बिजलीचालित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और वाणिज्य बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से कुल 360 करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत का वित्तपोषण किया जाएगा । उक्त राशि में सहभागी संस्थाओं का अंश बराबर बराबर होगा । इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की 50 प्रतिशत तक की राशि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम पुनर्वित्त के रूप में प्रदान करे । ऋण की चुकौती अवधि दो प्रकार की हो सकती है । 8 वर्ष तक की जिसके लिए वित्तीय सहायता वाणिज्य बैंकों द्वारा या तो स्वयं अकेले या किसी सहायता संघ के माध्यम से या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सहयोग से दी जाएगी । दीर्घतर चुकौती अवधि वाले ऋणों के मामले में अपेक्षाकृत कम चुकौती अवधि वाले ऋण वाणिज्य बैंकों द्वारा और उससे दीर्घ अवधि वाले 14 वर्ष तक के ऋण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिये जाएंगे । इन ऋणों की ब्याज

दर वार्षिक 10½ प्रतिशत होगी । 2 वर्ष तक के अधिस्थगन काल तक मूल धन को वापस नहीं किया जा सकेगा । सिंचाई पंपसेटों को बिजलीचालित करने के कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया है ।

(iii) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत लघु कृषकों को पूंजीगत उपदान ।

3.6 इस वर्ष भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो लघु और सीमांत कृषक लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सघन क्षेत्र विकास जैसे केंद्रीय सहायता प्राप्त विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं आते उन्हें सभी क्षेत्रों में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत लघु सिंचाई कार्यों के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत उसी प्रकार 25 और 33⅓ प्रतिशत के बीच पूंजीगत उपदान भी दिया जाए जिस प्रकार लघु कृषक विकास एजेंसी और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत दिया जाता है । नये क्षेत्रों में इस उपदान योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र भी लघु और सीमांत कृषकों की उसी परिभाषा को स्वीकार करेंगे जो कि लघु कृषक विकास एजेंसी के अंतर्गत स्वीकार की गयी है अर्थात् 5 एकड़ असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ पहली श्रेणी की सिंचित भूमि । सीमांत कृषकों के लिए उच्चतम सीमा इस प्रकार है : असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ या यदि वह पहली श्रेणी की सिंचित भूमि हो तो 1.25 एकड़ । जहां सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम और मरूभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा भिन्न मापदंड अपनाया गया है वहां वह मापदंड संबंधित परियोजना क्षेत्रों के लिए लागू होता रहेगा । यह निर्णय काफी हद तक उन लघु और सीमांत कृषकों की सहायता करेगा जो विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत उपदान का लाभ नहीं उठा सकते हैं । इसके परिणामस्वरूप उन्हें संस्थागत ऋण की सहायता से लघु सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश करने की प्रेरणा मिल सकती है । भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उक्त पूंजीगत उपदान ऋण संस्थाओं के माध्यम से दिया जाए ताकि वे संस्थाएं ऋण के सही अंतिम उपयोग को सुनिश्चित कर सकें । इस निर्णय से कृषि पुनर्वित और विकास निगम की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले कृषकों की संख्या में भी वृद्धि होगी ।

(iv) कृषि कार्य में काम आने वाले बैल और पशुचालित गाड़ियां ।

3.7 ग्रामीण विकास को बढ़ाने और कम साधनों वाले व्यक्तियों को रोजगार दिलाने पर जोर देने की दृष्टि से निगम ने यह निर्णय किया है कि कृषि के कार्य में काम आने वाले बैलों को खरीदने के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने की जो लघु सुविधा कृषक विकास एजेंसी क्षेत्र के लघु कृषकों को दी जाती है उसे अब सभी क्षेत्र के कृषकों को भी दिया जाए ।

3.8 जिन क्षेत्रों में बैलों के बाड़े की या बैलों को किराये पर प्राप्त करने की संतोषजनक व्यवस्था है वहां उपयुक्त मामले में एक बैल खरीदने के लिए भी पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि गरीब कृषक अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए दूसरा बैल बाड़े में से या किराये पर ले सकें ।

3.9 ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के मितव्ययी साधनों के रूप में पशुचालित गाड़ियों के महत्व को देखते हुए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने सदस्य बैंकों को उनके द्वारा लघु कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए पशुओं/इस्पात की पट्टियोंवाली परंपरागत या हवादार टायरोंवाली आधुनिक पशुचालित गाड़ियों को खरीदने के निमित दिये जाने वाले ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने का निश्चय किया है; परन्तु इसके लिए अन्य शर्तों के साथ साथ यह शर्त भी है कि ऋणदाताओं की चुकौती क्षमता तथा ऋणों की वसूली की व्यवस्था संतोषजनक हो । ऋण की अवधि ऋणदाता की चुकौती क्षमता और संबंधित आस्ति की उपयोग क्षमता की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी परन्तु वह किसी भी स्थिति में आठ वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

(v) कसाईखानों का आधुनिकीकरण

3.10 यह सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया है कि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम विभिन्न राज्यों में स्थापित/स्थापित किये जाने वाले कसाईखानों के लिए निगमों/कंपनियों को दिये जानेवाले बैंक ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त की सुविधाएं कुछ शर्तों पर प्रदान करेगा। परियोजना को अपने कार्यक्षेत्र में पशु विकास को बढ़ावा देना चाहिए तथा सेवा सुविधाओं के अतिरिक्त उसमें यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि निगमों /कंपनियों द्वारा सीधे खरीदे गये पशुओं को काटने के लिए कसाईखानों की स्थापित क्षमता का संतोष जनक उपयोग हो ताकि बिचौलियों की संख्या कम/समाप्त हो जाए और वह लाभ कृषकों को मिले ।

(vi) अतिदेय स्तर की सीमा में छूट

3.11 भूमि विकास बैंकों द्वारा साधारण और विशेष विकास डिबेंचर जारी करने के संबंध में समान मानदंड का निर्धारण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 1975 में डिबेंचर मानदण्ड पर एक स्थायी समिति नियुक्त की थी । उक्त समति की इस वर्ष में चार बैठकें हुई । इस वर्ष समिति ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए वे इस प्रकार हैं ।

(क) डिबेंचर मानदण्ड समिति ने सिफारिश की है कि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखाओं द्वारा किये जाने वाले वसूली कार्य का 31

दिसम्बर को अर्धवार्षिक पुनरीक्षण किया जाए; परन्तु वह कई बैंकों के लिए तभी लाभप्रद सिद्ध होगा जब जुलाई और दिसम्बर के बीच में बकाया रहने वाली राशि की मांग को हिसाब में लिए बिना बैंक जून के अंत में स्थित का पुनरीक्षण करें । यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ मिलकर किया जाए । परन्तु अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इस सुझाव से सहमत नहीं था । समिति ने पुनः इस विषय पर विचार किया और समिति की आम राय यह थी कि इस विषय पर पुनः अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से विचार विमर्श किया जाए ।

(ख) ऋण की चुकौती के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के बजाए ऋण की चुकौती अवधियों को बढ़ाने के लिए भूमि विकास बैंकों ने अभिवेदन किया था । उसके परिप्रेक्ष्य में समिति ने यह निर्णय किया है कि ऋण की चुकौती अवधियों को बढ़ाने के प्रस्तावों पर अकालग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में ही विचार किया जाएगा; परन्तु उसमें निम्नलिखित सावधानियां अपेक्षित होंगी ।

(i) राज्य भूमि विकास बैंकों को पर्याप्त स्थिरीकरण निधियां उन व्यवस्थाओं के अनुसार जुटानी चाहिए जो भारत सरकार द्वारा 1972 में सुझायी गयी थीं । साथ ही, उक्त व्यवस्थाओं में उल्लिखित प्रकार से उक्त निधियों में अंशदान देने के लिए राज्य सरकारों को भी सहमत होना चाहिए ।

(ii) स्थिरीकरण निधियों को हिसाब में लेने के बाद भी जहां ऋण की अवधि बढ़ाएं जाने के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय देयता को चुकाने के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों की स्वाधिकृत निधियां पर्याप्त न हों और वे नियत तारीख को डिबेंचरों के शोधन की स्थित में न हों वहां संबंधित राज्य सरकार को अपने नाम धारित डिबेंचरों के शोधन को स्थगित करना चाहिए ।

(iii) जहां विशेष विकास डिबेंचरों का वार्षिक शोधन करना है जहां जब तक बैंक अपने वायदों को पूरा करने की स्थिति में न हों तब तक राज्य सरकार को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा निर्धारित तारीखों को अपने डिबेंचरों के पुनः क्रम पर जोर नहीं देना चाहिए ।

अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों के अभिमत मांगे गये हैं ।

(ग) यह भी निर्णय किया गया कि मांग के 25 प्रतिशत के स्तर तक अतिदेयों की स्थिति में सुधार हो जाने के बाद भी कम से कम एक वर्ष तक बकाया राशि के स्तर को सिद्धांत रूप से कम करने के लिए अपने शेयर पूंजी अंशदान को वापस न लेने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए । फिर भी उक्त अंशदान को किसी ऐसे दूसरे प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की ऐसी दूसरी शाखा को आबंटित किये जाने में कोई आपति नहीं होगी जिसकी अतिदेयो की स्थिति उसे ऋण प्रदान कार्यक्रम के लिए निर्बाध रूप से पात्र नहीं बनाती ।

(घ) 1969 से पहले दिये गये ऋणों के मामले में 5 वर्ष और उससे अधिक अवधि के अतिदेयो को अवरुद्ध खाते में अलग रखने की सुविधा दी गयी है । उस सुविधा को 1971–72 तक दिये गये ऋण के लिए भी अब लागू कर दिया गया है । यह छूट एक बार ही मिलेगी और उक्त अवधि को और बढ़ाने के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ङ) डिबेंचर मानदंड समिति ने सूखा, बाढ़ जैसे प्राकृतिक संकटों से प्रभावित क्षेत्रों में ऋण की चुकौती के कार्यक्रम में परिवर्तन करने से संबंधित मामलों पर भी विचार किया और यह निर्णय किया कि :—

(i) जो ऋणदाता आयकर अदा करते हैं उन्हें ऋण की चुकौती के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सुविधा देना आवश्यक नहीं है ।

(ii) ट्रैक्टर के लिए ऋण लेने वालों के मामले में ऋण की चुकौती के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं बशर्ते कि वे आयकर देने के पात्र न हों और दो या उससे अधिक वर्षों तक लगातार सूखे आदि संकटों से प्रभावित हुए हों; और

(iii) जिन ऋणदाताओं के पास सिंचाई के अविरत स्रोत हों उनके मामले में ऋण की चुकौती के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की समान्यतः कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु जहां नहर से पानी की पूर्ति नहीं होती या अन्य अविरत स्रोतो से पानी उपलब्ध नहीं होता वहां चुकौती कार्यक्रम में परिवर्तन करने की अनुमति दी जा सकती है । उपर्युक्त सुविधाएं तभी दी जाएगी जब राज्य सरकार ने छः आना या खससे कम आनावारी की घोषणा की हो ।

(च) जिस प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक की शाखा की ऋण लेने की पात्रता सीमिति है वह बैंक प्रत्येक ऋण प्रकरण पर विचार करने के बाद दूसरी और उसके बाद की किस्तो से संबंधित वायदो को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान कर सकता है । दूसरी और उसके बाद की किस्तों सहित ऋण की सभी किस्तों की राशि वितरित करने के लिए कुल अनुमत अवधि पहली किस्त की तारीख से 18 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(छ) जिन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंको की शाखाओं का वसूली कार्य पिछले दो वर्षों में मांग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक के मुकाबले मांग के 40 प्रतिशत या उससे कम हो गया हो उनकी शेयर पूंजी में मांग के 20 प्रतिशत तक अंशदान करने की अनुमति संबंधित राज्य सरकार को दी जाए ताकि सिद्धान्त रूप से उन बैंकों के अतिदेय कम होकर वे पिछले वर्ष में प्रदत्त ऋणों के 50 प्रतिशत की न्यूनतम पात्रता प्राप्त कर सकें । बैंकों को इस पात्रता का उपयोग केवल उन निवेशो को पूरा करने लिए करना चाहिए जिनके लिए स्वीकृत ऋणों की पहली और दूसरी किश्त वितरित की गयी हो ।

3.12 सघन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत खेत विकास कार्यक्रम को तेजी से कार्यन्वित करने में अवरोधक समस्याओं का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण करने के बाद कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने लाभान्वित होने वालों से सहमति बांड प्राप्त करने से संबंधित क्रियाविधि को और सरल बनाया है। साथ ही, बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कृषकों को योग्य और अयोग्य श्रेणी में वर्गीकृत करने के मानदण्डों को भी शिथिल कर दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि उस अवधि के दौरान जिसमें कृषको से सहमति बांड प्राप्त किये जाते हैं और अयोग्य कृषको का पता लगाया जाता है कार्यकारी प्राधिकारी को सरकारी गारंटी पर उचित किस्मों में अपेक्षित निधि अंतरिम वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाए। इस प्रकार की राशियो के लिए कृषक पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया जाए। अंतरिम सहायता की राशि को 12 माह में समायोजित करना होगा ऐसा करने में चूक होने पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देनेवाले बैंकों को उक्त राशि चुकानी होगी। इस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। यह भी निर्णय किया गया कि जहां योग्य और अयोग्य श्रेणियों में कृषक के वर्गीकरण का कार्य पूरा न हुआ हो वहां वित्तीय सहायता देनेवाले बैंक कुछ शर्तों पर कार्यान्वियन प्राधिकारी को खेत विकास के पूर्ण किये गये कार्यों के संबंध में सरकारी गारंटी पर तथ्यर्थ ऋण दे सकते हैं।

अन्य विकास कार्य

(क) मूल्यांकन

भारी मात्रा में ऋण प्रदान करने के परिणाम स्वरूप निगम के बढ़ते हुए दायित्वों को देखते हुए यह वांछनीय समझा गया है कि क्रियान्वित की जा रही कुछ परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन कक्ष का विस्तार किया जाए ताकि क्षेत्र के आधार पर ऐसी योजनाओं का अंतिम मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त करना संभव हो सके। यह भी वांछनीय समझा गया है कि क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी से संबंधित व्यवस्था को और सुव्यवस्थित किया जाए। इस उद्देश्य से की पूर्ति सदस्य बैंको के सहयोग से की जा सकते है और इस दिशा में कार्रवाई भी की गयी है।

4.2 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में चार मूल्यांकन अध्ययनों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख संक्षिप्त रूप से किया गया था। इस वर्ष निगम ने और पांच महत्वपूर्ण अध्ययन किये। इस बार उक्त उद्देश्य के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के निवेशों वाली योजनाओं का चयन किया गया इनमें से डेरी विकास सम्बन्धी दो योजनाएं एक पंजाब में और दूसरी हरियाणा में हैं। तीसरी योजना आंध्र प्रदेश में खट्टे फलों के बगीचों के विकास से सम्बन्धित है, चौथी योजना महाराष्ट्र में उठाऊ सिचाई और पांचवीं योजना कर्नाटक में समुद्री मत्स्यपालन की योजना से सम्बन्धित है। पहली तीन योजनाओं की अध्ययन रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया। शेष दो परियोजनाओं के संबंध में क्षेत्र अन्वेषण, संवीक्षा और आंकड़ों को सारणीबद्ध करने का कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

4.3 हरियाणा की डेरी विकास योजना केवल लघु और सीमांत कृषकों और भूमिहीन मजदूरों के हित के लिए है। मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि दूध का औसत दैनिक उत्पादन लगभग 6 लीटर था। इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति इसमें से एक चौथाई दूध का उपयोग अपनी घरेलू खपत के लिए करते थे। दुग्ध प्रदान अवधि में शुद्ध अधिशेष प्रति भैंस 920 रुपए रहा जबकि मूल्यांकन के समय इसके 1050 रूपये होने का अनुमान लगाया गया था। ऋण चुकाने का काम संतोषजनक था और कोई भी चूककर्ता नहीं था। इस निवेश के परिणामस्वरूप प्रतिपरिवार लगभग 230 श्रम दिनों के रोजगार अवसर भी उपलब्ध हुए। निवेश पर आय की आंतरिक दर 50 प्रतिशत से भी अधिक थी। इस योजना की सफलता का श्रेय लघु कृषक विकास एजेंसी और हरियाणा डेरी विकास निगम को है। उन्होंने दूध इकट्ठा करने और उसे बेचने में सक्रिय सहयोग दिया।

4.4 पंजाब की डेरी योजना का उद्देश्य निजी समिति कंपनी द्वारा मोगा में स्थापित डेरी संयंत्र के लिए दूध की पूर्ति बढ़ाना था। खरीदी गयी भैंसें अच्छी नस्ल की थीं और दूध का लगभग आधा हिस्सा कृषकों ने अपने घरेलू उपयोग के लिए रख लिया था। यह विदित हुआ कि प्रति भैंस लगभग 100 श्रम दिनों के रोजगार अवसर उपलब्ध हुए। शुद्ध अधिशेष लगभग 1120 रुपए था जबकि मूल्यांकन के समय उसके 960 रूपये होने का अनुमान लगाया गया था। उसका मुख्य कारण यह था कि ऋणादाताओं को दूध का ऊंचा भाव मिला। उपर्युक्त डेरी संयंत्र द्वारा पशु खरीदने उसकी चिकित्सा करने, चारे, दाना आदि की पूर्ति करने में विभिन्न प्रकार की सहायता दी गयी। अतः यह योजना सफल हुई। कुछ ऋण 3 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थे। इसका कारण यह बताया गया कि बाजार भाव की तुलना में कंपनी ने कम भाव दिया। इसके परिणामस्वरूप कुछ दूध की नकद बिक्री की गयी। निवेश पर आय की आंतरिक दर 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

4.5 आंध्र प्रदेश की बागबानी योजना के अंतर्गत खट्टे फलों के बगीचे लगाए जाएंगे और पंपसेट वाले सिंचाई कुओं का निर्माण किया जाएगा। यह पाया गया कि लघु सिंचाई कार्यों के लिए दिये गये ऋण की राशि अपेक्षित मात्रा में नहीं थी। प्रति पेड़ उत्पादन संतोषजनक था और यह मूल्यांकन के समय लगाये गये अनुमान के अनुरूप था। नये कुओं और पंपसेट वाले नवीकृत कुओं से ऋणदाता की आय में प्रति एकड़ लगभग 2300 रुपयों की वृद्धि हुई। निवेश पर आय की आंतरिक दर लगभग 20 प्रतिशत थी।

यह पाया गया कि ऋणदाताओं द्वारा रोपण के समय और उसके बाद अपेक्षित सावधानी न बरतने और कुओं में पर्याप्त पानी न होने तथा तकनीकी मार्गदर्शन न मिलने के कारण कुछ बगीचे असफल रहे ।

(ख) निगरानी

4.6 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अपने सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया था कि वे अपने द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं की प्रभावी निगरानी करने के उद्देश्य से अपने यहां परियोजना निगरानी कक्ष स्थापित करें । उस परामर्श के अनुसरण में निगम ने कलकत्ता, पुणे, और मद्रास में उन कक्षों के मार्गदर्शन हेतु अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाय । इसके अतिरिक्त कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के अधिकारियों ने सिंडीकेट बैंक के अनुरोध पर उस बैंक के परियोजना निगरानी कक्ष के अधिकारियों को भी निगरानी सम्बन्धी अध्ययन करने के विषच में प्रशिक्षण दिया । निगम द्वारा पहल करने के परिणामस्वरूप अब सात वाणिज्य बैंकों और तीन भूमि विकास बैंकों में अलग अलग निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना की गयी है और शीघ्र ही तीन और वाणिज्य बैंकों द्वारा ऐसे कक्ष स्थापित किये जाने की की आशा है । इस प्रकार के कक्ष स्थापित करने के लिए दूसरे बैंक की प्रतिक्रिया भी उत्साहवर्धक है ।

4.7 इस वर्ष के दौरान निगम ने लघु सिचाई निवेशों के मामले में निगरानी और समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन करने के लिये विस्तृत मागदर्शी सिद्धान्त बनाये और क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिये ताकि वे कार्यालय उन पर अमल करें। उक्त मागदर्शी सिद्धान्तों में निम्न बातें निर्दिष्ट की गई हैं नमूना क्रियाविधि जिसका अनुसरण किया जाय, प्रश्नावली, का स्वरूप जिसे प्रचारित किया जाये और इन अध्ययनों के लिये तैयार किये जाने वाले रिपोर्ट का प्रारूप। दूसरे प्रकार के निवेशों के लिये भी ऐसे ही मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जा रहे हैं ।

(i) योजनान्त रिपोर्ट

4.8 इस वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने योजनान्त रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य आरम्भ किया। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव को समेकित करना और नई योजनाओं की व्याप्ति, स्वरूप और विषयवस्तु में सुधार लाने के लिये उसका उपयोग करना और साथ ही, यदि आवश्यक प्रतीत हुआ तो पर्यवेक्षण नियंत्रण को कड़ा करना। ऐसी रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ साथ निम्न बातें भी होंगी—योजनाओं के प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन और स्वीकृति के बीच की अन्तराल अवधि का विश्लेषण, मूल्यांकन अनुमानों से अन्तर होने के कारणों पर चर्चा, वित्तपोषण करने वाले बैंकों की पर्यवेक्षण पद्धति और नियंत्रण का पुनरीक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति में बाधा डालने वाली यदि कोई समस्या हो तो उसका निर्धारण, सहायक सेवाओं की पर्याप्तता या अपर्याप्तया पर टिप्पणी और उस प्रकार की योजनाओं की व्याप्ति, स्वरूप और विषय वस्तु में भविष्य में सुधार लाने के लिये सिफारिशें। विभिन्न प्रयोजनों की पांच योजनाओं के लिये ऐसी रिपोर्टें इस वर्ष के दौरान पूरी की जा चुकी है और दूसरी आठ योजनाओं की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अब तक पूरी की गई रिपोर्ट के आधार पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के उपयोग के लिये मागदर्शी सिद्धान्त तैयार किये जा रहे हैं।

(ii) परियोजना समाप्ति रिपोर्ट

4.9 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पहली ऋण परियोजना पर परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार करने के लिये निगम वचनबद्ध है। इस वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कार्यान्वित की गई कृषि ऋण परियोजनाओं और निगम की अपनी पहली ऋण परियोजना की परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार करने में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सक्रिय सहायता की।

4.10 महाराष्ट्र परियोजना समाप्ति रिपोर्ट को तैयार करने के एक भाग के रूप में परियोजना के अन्तर्गत खेत सम्बन्धी लाभों के मूल्यांकन के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने उक्त परियोजना क्षेत्र में एक शीघ्र क्षेत्र अध्ययन किया तथा वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण के लिये आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये ।

4.11 तमिलनाडु परियोजना समाप्ति रिपोर्ट में भूमिगत जल के उपयोग पर जोर दिया गया था । इसी के एक भाग के रूप में तमिलनाडु राज्य भूमि विकास बैंक ने खेत सम्बन्धी लाभ का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण की आयोजना और संचालन में तथा आंकड़ों के संसाधन तथा सारणीकरण में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने विश्व बैंक की सहायता की ।

4.12 तमिलनाडु राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा एकत्रित किये आंकड़ों से यह विदित हुआ है कि राज्य में बहुत बड़ी संख्या में कुओं के निर्माण के लिये निजी स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। चूंकि इसमें नीति सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न जुड़े हुए थे, अतः निगम ने इस सम्बन्ध में सही स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये शीघ्र क्षेत्र सर्वेक्षण किया । इस सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की वित्तीय सहायता से नवनिर्मित कुओं का अनुपात आधिकारिक आंकड़ों में उल्लिखित अनुपात से कहीं अधिक था।

4.13 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भविष्य में परियोजना समाप्ति रिपोर्टें तैयार करने का कार्य निगम को सौंप दिया है। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा में कृषि ऋण परियोजनाओं से सम्बन्धित संयुक्त परियोजना समाप्ति रिपोर्ट निगम द्वारा तैयार की गई और उसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को भेज दिया गया ।

4.14 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कृषि ऋण परियोजनाओं की परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में क्षेत्रगत जांच पड़ताल पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा आंकड़ों के संसाधन और सारणीकरण का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना समाप्ति रिपोर्टों से संबंधित क्षेत्रगत कार्य निगम द्वारा किया गया परन्तु कर्नाटक परियोजना समाप्ति रिपोर्ट से संबंधित क्षेत्रगत कार्य कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलूर द्वारा किया गया। उक्त तीनों परियोजना रिपोर्टें निगम द्वारा तैयार की जा रही हैं।

(ग) प्रशिक्षण

(i) वरिष्ठ और मध्यवर्ती कर्मचारी

4.15 विभिन्न स्तरों पर परियोजना कार्य में लगे व्यावसायिक कर्मचारियों की कार्यगत क्षमता को सुधारने की दृष्टि से वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले बैंकों, मुख्यतः भूमि विकास बैंकों के वरिष्ठ मध्यवर्ती स्तर के अधिकारियों और भूमि विकास बैंक के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था को इस वर्ष के दौरान काफी मजबूत बनाया गया। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पहली ऋण परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये कार्यक्रमों के अनुसरण में किये जाने वाले दूसरे कार्यक्रमों की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ करता है। इस प्रयोजन के लिये संघ ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की दूसरी परियोजना के अन्तर्गत 10 लाख डालर का ऋण आबंटित किया था।

4.16 आलोच्य वर्ष में चार सप्ताह के 15 और कृषि परियोजना पाठ्यक्रम कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में चलाये गये। ऋण पाठ्यक्रमों में 405 वरिष्ठ/मध्यवर्ती स्तर के (भूमि विकास बैंकों के 246 अधिकारी सहित) अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हीं पाठ्यक्रमों में नेपाल, नाइजीरिया और दूसरे अफ्रीकी देशों के विदेशी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

4.17 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के वरिष्ठ और मध्यवर्ती स्तर के अधिकारियों के लिये क्रमशः गौहाटी, मद्रास और अहमदाबाद में तीन (दस दिवसीय) क्षेत्रीय कृषि परियोजना पाठ्यक्रम भी आयोजित किये गये। उनमें क्षेत्रीय समस्याओं और विशिष्टताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इन क्षेत्रीय कृषि परियोजना पाठ्यक्रमों में कुल 88 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उनमें 19 अधिकारी भूमि विकास बैंक के थे।

4.18 परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने में तकनीकी पहलुओं के मूलभूत महत्व को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंकों, वाणिज्य बैंकों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बद्ध सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के वरिष्ठ और मध्यवर्ती स्तर के तकनीकी अधिकारियों के लिये जल भौमिकी (हाइड्रोजियालाजी) में दो तकनीकी पाठ्यक्रम भी, एक हैदराबाद और दूसरा अहमदाबाद में, चलाये गये। इन पाठ्यक्रमों से 54 अधिकारी लाभान्वित हुए जिनमें से 29 अधिकारी भूमि विकास बैंकों के थे।

4.19 अब तक 1401 वरिष्ठ और मध्यवर्ती स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। उनमें 702 अधिकारी भूमि विकास बैंकों के थे, 481 वाणिज्य बैंकों के और शेष 218 भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, राज्य सरकारों आदि के थे।

(ii) भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारी

4.20 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित भूमि विकास बैंकों द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की गति में इस वर्ष के दौरान तेजी आई; इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन का यह दूसरा वर्ष था। जहां 1976-77 के दौरान 13 भूमि विकास बैंकों द्वारा आयोजित 111 पाठ्यक्रमों में इस श्रेणी के कुल 3,034 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये थे, वहां आलोच्य वर्ष के दौरान 14 राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा आयोजित 178 पाठ्यक्रमों में 4,525 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इस प्रकार इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह इसलिये संभव हो सका कि कुछ राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा अतिरिक्त माध्यम शुरू किये गये तथा अधिकांश बैंकों द्वारा पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक संख्या में पाठ्यक्रम आयोजित किये गये।

4.21 प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का उल्लेख 1975-76 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। उसके अन्तर्गत प्रशिक्षकों के लिये दूसरी कार्यशाला का आयोजन कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में फरवरी/मार्च 1978 में किया गया। पहली कार्यशाला का आयोजन रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास में अगस्त 1976 में किया गया था। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने पाठ्य-सामग्री का एक खंड प्रशिक्षण केन्द्रों में परिचालित किया ताकि पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार करने में उन्हें उससे सहायता मिले। साथ ही, उसकी प्रतियों को केन्द्रों के बीच इस उद्देश्य से वितरित किया गया कि वे, जहां तक संभव हो, उसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर लें। प्रशिक्षकों की कार्यशालाओं में भाग लेने वालों के उपयोग के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा पाठ्य-सामग्री के दूसरे खण्ड का संकलन भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रभावी निगरानी करने के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम समय-समय पर अपने अधिकारियों को केन्द्रों का निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्त करता रहता है। आलोच्य वर्ष के दौरान 12 राज्य भूमि विकास बैंकों के 21 प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया।

(iii) प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्थायें

4.22 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी अधिकारियों, राज्य सरकारों के सहकारिता और कृषि से सम्बद्ध अधिकारियों तथा भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों को अध्ययन सुविधायें बराबर

देता रहा। इस वर्ष के दौरान ये सुविधायें अफ्रीकी-एशियाई देशों के 26 अधिकारियों और विद्वानों को प्रदान की गईं।

(घ) स्टाफ में वृद्धि

4.23 निगम के कार्य की मात्रा में वृद्धि होने के कारण इस वर्ष के दौरान दो उप प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किये गये। इनमें से एक उप प्रबन्ध निदेशक प्रधान कार्यालय में सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं/परियोजनाओं से संबंधित कार्य करने वाले परियोजना प्रभागों के कार्यों में समन्वय लाते हैं, जबकि दूसरे उप प्रबन्ध निदेशक निगम के योजना और विकास तथा प्रशासन और लेखा और निधि प्रभागों का काम देख रहे हैं।

4.24 उप प्रबन्ध निदेशकों ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रतिनिधियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हरियाणा सिंचाई परियोजना और राष्ट्रीय बीज परियोजना (द्वितीय चरण) पर बातचीत में भाग लिया।

4.25 निगम के दो निदेशकों और एक उप निदेशक को हरियाणा सिंचाई परियोजना, आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना तथा जम्मू व काश्मीर बागवानी परियोजना से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के मूल्यांकन शिष्टमण्डलों के साथ ऋण विशेषज्ञों के रूप में भी सम्बद्ध किया गया। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना का पता लगाने के लिये नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ अन्तर्देशीय मत्स्यपालन उप-क्षेत्रीय शिष्ट मण्डल के सदस्य थे।

4.26 इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रधान कार्यालय के कनिष्ठ विश्लेषकों के लिये एक दस-दिवसीय अन्तर्सेवाकालीन कार्याभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4.27 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने देश की विभिन्न प्रबन्ध संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विचार-गोष्ठियों में भाग लेने के लिये छः वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त भी किया।

(ङ) क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों का सम्मेलन

4.28 निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशकों और प्रभारी अधिकारियों का चौथा सम्मेलन मार्च 1978 में हुआ। उसका प्रमुख उद्देश्य कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की दूसरी ऋण परियोजना के कार्यान्वियन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को प्रस्तुत करने हेतु कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की तीसरी ऋण परियोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण का पुनरीक्षण करना था। सम्मेलन में वर्तमान क्रियाविधियों और परिचालन सम्बन्धी अन्य मामलों की भी समीक्षा इस उद्देश्य से की गई कि उन्हें इस प्रकार सरल बनाया जाये कि मंजूरियां देने और राशियां वितरित करने के कार्य में शीघ्रता आ सके।

(च) वाणिज्य बैंकों के अतिदेयों सम्बन्धी कार्यशालायें

4.29 कृषि के लिये दिये जाने वाले मीयादी ऋणों के सम्बन्ध में मांग वसूली के आंकड़ों का ठीक से संकलन करने और तत्सम्बन्धी अतिदेयों की सही स्थिति पर पहुंचने में वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों को मार्गदर्शन देने हेतु कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 13 राज्यों में राज्यवार कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसमें रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा ऋण आयोजना और बैंकिंग विकास कक्ष ने सहयोग दिया। कार्यशालाओं के निष्कर्षों के आधार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपयुक्त मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी किये जाने का प्रस्ताव है ताकि वाणिज्य बैंकों द्वारा अतिदेयों के निर्धारण और मांग के परिकलन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों में और भूमि विकास बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों में एकरूपता लायी जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

I. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान और छः परियोजनाओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक समूह के साथ बातचीत की गई। इन परियोजनाओं के लिये ऋण कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिया जायेगा। उक्त परियोजनायें इस प्रकार हैं: उड़ीसा सिंचाई परियोजना, कर्नाटक सिंचाई परियोजना, आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना, जम्मू और काश्मीर बागवानी परियोजना, राष्ट्रीय बीज परियोजना दूसरा चरण और हरियाणा सिंचाई परियोजना।

5.2 जून 1978 के अन्त तक 35 परियोजनाओं को स्वीकार किया गया है जिनके लिये विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है। उक्त परियोजनाओं में 12 कृषि ऋण परियोजनायें, 7 सघन क्षेत्र विकास परियोजनायें, 3 डेरी विकास परियोजनायें, 3 बीज परियोजनायें, 2 बाजार केन्द्र परियोजनायें, 2 बागवानी और विपणन परियोजनायें, 2 मत्स्यपालन परियोजनायें, एक समन्वित रूई विकास परियोजना, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को प्रदान किये जाने वाले दो सामान्य ऋण और एक सिंचाई परियोजना शामिल है। चार परियोजनाओं अर्थात् तराई बीज परियोजना, आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना, चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान), राष्ट्रीय बीज परियोजना I और गुजरात मत्स्यपालन परियोजना के एक भाग का कार्यान्वियन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा था जबकि शेष परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता दी जा रही थी।

5.3 प्रयोजनवार ऋण कार्यक्रम, अब तक वितरित राशि और जून 1978 के अन्त तक प्रतिपूर्ति की गई या प्रतिपूर्ति के पात्र राशियों की स्थिति का सारांश सारणी 7 में दिया गया है। प्रत्येक परियोजना की प्रमुख विशेषतायें विवरण 11 में दी गई हैं और प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत कुल ऋण कार्यक्रम, वितरित राशि आदि से संबंधित आंकड़े विवरण 12 में दर्शाये गये हैं।

5.4 जून 1978 के अन्त में विश्व बैंक समूह की चालू विभिन्न परियोजनाओं के अधीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा वितरित कुल राशि 610 करोड़ रुपये है। यह राशि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा अब तक वितरित कुल राशि का 58 प्रतिशत है। चूंकि विभिन्न परियोजनाओं के अधीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम/वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा वितरित राशि की प्रतिपूर्ति निर्धारित प्रतिशत के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय की तत्कालीन दरों पर भारत सरकार को जाती है, अतः उपर्युक्त वितरणों के फलस्वरूप लगभग 4,700 लाख डालर की विदेशी मुद्रा सरकार को प्राप्त हुई है।

क. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की ऋण परियोजनायें

5.5 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पहली ऋण परियोजना जून 1977 के अन्त तक, अर्थात् निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही पूरी हो गई थी। उक्त परियोजना के अधीन निगम द्वारा 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल 123 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गई। साथ ही, निगम ने उक्त निधियों की कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत अंश लघु कृषकों की परियोजना के अधीन वितरित करने का अपना वचन भी पूरा किया और इस सन्दर्भ में 66 करोड़ रूपयों अर्थात् कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कुल वितरण के लगभग 54 प्रतिशत अंश का वितरण किया।

सारणी 7

प्रयोजन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की परियोजनाएं

करोड़ रुपए

प्रयोजन	ऋण का उपयोग करने के लिए आवश्यक वितरण	कृपुवि निगम के कार्यक्रम के लिए अंवि संघ अंपुवि बैंक की सहायता की राशि	30 जून 1978 तक कृपुवि निगम द्वारा दिया गया पुनर्वित्त	30 जून 1978 तक अंवि संघ/अंपुवि बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से वितरित राशि
1. लघु सिंचाई	802.6	470.2	498.4	341.8
2. भूमि विकास	14.2	11.0	5.7	
3. कृषि मशीनीकरण	93.3	57.3	64.6	
4. बाजार केंद्र विकास	23.8	17.2	10.5	5.1
5. खराब होने वाली बागबानी उपज का अभिसंस्करण और विपणन	30.3	13.3	0.1	—
6. डेरी विकास	60.6	47.6	—	—
7. सघन क्षेत्र विकास	68.6	46.5	3.2	1.7
8. बीज उत्पादन	51.0	35.9	2.1	1.9
9. विविध प्रयोजन* (जैसे वृक्ष की फसलें, मुर्गी पालन आदि)	99.8	50.1	24.9	8.9
10. मत्स्यपालन विकास	22.3	7.7	—	—
11. रुई का विकास और** अभिसंस्करण	16.1	10.3	0.6	0.3
जोड़	1282.6	767.1	610.1	359.7

* इसमें केरल में रोपण फसलों का विकास शामिल है

** इसमें समन्वित रुई विकास परियोजना के अधीन उन्नत किस्म की रुई पैदा करने के लिए निर्धारित 75 लाख डालरों का ऋण शामिल है।

5.6 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की दूसरी ऋण परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 2000 लाख डालर के ऋण की मंजूरी जून 1977 में दी थी। उक्त परियोजना अगस्त 1977 से अमल में आई। इस परियोजना का कार्यक्रम दो वर्षों का है तथा यह सामान्यतः पहले ऋण के अधीन शुरू किये गये कार्यक्रमों को जारी रखने के लिये है। उक्त 2000 लाख डालर की राशि में से 1750 लाख डालर लघु सिंचाई और खेतों के विकास कार्य के लिये निर्धारित हैं, 240 लाख डालर विविध (पम्प सेटों को बिजली चालित करने, भंडार और विपणन तथा कृषि मशीनीकरण से इतर) ऋण प्रयोजनों के लिये और शेष राशि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध है। इस परियोजना की शर्तें लगभग वैसी ही हैं जो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पहली ऋण परियोजना के लिये थीं। जून 1978 के अन्त में उक्त परियोजना के अधीन वितरित कुल राशि 105 करोड़ रुपये थी जिससे भारत सरकार 680 लाख डालर का ऋण प्राप्त कर सकेगी। परियोजना के अधीन वितरित राशि 600 लाख डालर के मूल्यांकन अनुमान से भी अधिक है। इस परियोजना के अधीन 21 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की है। लघु सिंचाई निवेशों के लिये निगम द्वारा कुल 90 करोड़ रुपये वितरित किये गये जबकि विविध प्रयोजनों के लिये वितरित राशि 15 करोड़ रुपये थी। परियोजना के भाग के रूप में दो समितियां गठित की गई हैं जिनके कार्य इस प्रकार है:

(1) भारत के कृषि ऋण क्षेत्र में ब्याज दरों में विद्यमान अन्तर का अध्ययन, विशेष रूप से भूमि विकास बैंकों की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में; और (2) अगले पांच वर्षों में भारत में बदले जाने योग्य पम्पसेटों की अनुमानित संख्या का अध्ययन। देश के कतिपय क्षेत्रों में उपलब्ध भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग किये जाने की संभावनाओं से संबंधित समस्या का नमूने के तौर पर अध्ययन करने के लिये भी एक समिति का गठन किया गया है ताकि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम इन क्षेत्रों में लघु सिंचाई के भावी निवेशों का वित्तपोषण करने के लिये अपनी नीतियां बना सके।

ख. कृषि ऋण परियोजनायें

5.7 1970 से लेकर अब तक स्वीकृत बारह कृषि ऋण परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों के किसी भाग तक या पूरे राज्य तक सीमित कर दिया गया था। सामान्यतः कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिंचाई के अन्तर्गत खेतों के विकास से संबंधित निवेशों की परिकल्पना की जाती है, जैसे कुंओं का निर्माण, पम्प सेटों और नलकूपों आदि का लगाया जाना। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कुछ कृषि ऋण परियोजनाओं में भी भूमि विकास कार्यक्रम की परिकल्पना सीमित मात्रा में की गई है। पंजाब कृषि ऋण परियोजना केवल कृषि मशीनीकरण उपकरणों के वित्तपोषण के निमित्त तैयार की गई थी। कुछ अन्य कृषि ऋण परियोजनाओं, अर्थात् गुजरात, आंन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा की परियोजनाओं में भी ट्रैक्टरों का वित्तपोषण सीमित मात्रा में करने का प्रस्ताव था। पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना एक ऐसी समन्वित परियोजना है जिसमें लघु सिंचाई के साधनों के विकास के अतिरिक्त, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, बाजारों के विकास की ओर नदियों की उठाऊ सिंचाई करने वाली इकाइयों के कार्य की समाप्ति की परिकल्पना की गई है। केरल कृषि विकास परियोजना में काली मिर्च, नारियल, काजू जैसी बागानी फसलों के विकास और रबड़ का चूरा तैयार करने वाली फैक्टरियों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है।

5.8 लघु सिंचाई के निवेशों की मांग अन्य प्रकार के निवेशों की मांग से अधिक हो गई है। इसके निम्नलिखित कारण हैं: कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए भूमिगत जल के तेजी से विकास पर और फसलों की अधिक उपजवाली किस्मों के तथा आधुनिक मूलभूत वस्तुओं के प्रयोग पर राष्ट्रीय आयोजना में बल दिया गया है। परन्तु इसके लिए पहले पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। चूंकि ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में बैंकों को पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है, अतः विभिन्न कृषि ऋण परियोजनाओं के अधीन लघु सिंचाई निदेशों के लिए राशि तेजी से वितरित की गई। क्रियाविधि और नीतिगत मामलों के कारण पहले कार्यान्वयन में विलम्ब होता था। जैसे ही यह मामले तय हो जाते हैं, कृषि मशीनीकरण घटक सम्बन्धी कार्य भी पूरा किया जा सकता है। भूमि विकास के घटक के सम्बन्ध में भी आशा के अनुरूप प्रगति नहीं की जा सकी क्योंकि अपेक्षित क्षमता के विकास में समय लग गया। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण के केवल एक अंश का उपयोग ही भूमि विकासकार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया गया था, अतः शेष राशि को लघु सिंचाई निवेशों को अन्तरित करना पड़ा क्योंकि उनके लिए काफी मांग थी।

5.9 जून 1978 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम नौ कृषि ऋण परियोजनायें समाप्त कर सका है। ये परियोजनायें इस प्रकार हैं—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इस वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना समाप्त की गई। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 2780 लाख डालर के ऋण का उपयोग करने हेतु कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के स्तर पर इन परियोजनाओं में कुल 328 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गई।

5.10 संप्रति बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल की कृषि ऋण/विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बिहार कृषि ऋण परियोजना के अधीन वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं द्वारा जून 1978 के अन्त तक कुल 31 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गई। इस

परियोजना को जून 1978 के अन्त तक समाप्त किया जाना था किन्तु अब उनकी अवधि मार्च 1980 के अन्त तक बढ़ा दी गई है। मूल्यांकन के समय निवेश लागतों के बारे में जो धारणा की गई थी वस्तुतः उससे कम लागत आई है। इसका अर्थ यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा आबंटित ऋण का उपयोग किये जाने के लिये और अधिक राशि वितरित की जानी चाहिये। वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं के स्तर पर वसूली के कार्य में अच्छी प्रगति का अभाव और कर्मचारियों की कमी जैसी कुछ परिचालन सम्बन्धी समस्याओं के कारण इसके पहले इस परियोजना की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के अधीन बैंकों द्वारा जून 1978 के अन्त तक कुल 11 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गई। जहां उथले नलकूपों से संबंधित कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक थी वहां गहरे नलकूपों का कार्यक्रम सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर सका। राज्य जल बोर्ड के भूमिगत जल के लिये स्वीकृति प्रमाणपत्र मिलने में होने वाला विलम्ब भी एक अन्य कारण था जिसके कारण योजनाओं की मंजूरियां प्रदान करने में बाधा आई। तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्तियों से अपेक्षित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी पिछड़ गया। एक बाजार केन्द्र के निर्माण का कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। केरल कृषि विकास परियोजना में विशेष कृषि विकास यूनिट द्वारा 105 पैकेज इकाइयों का पता लगाया गया है इनमें से 22 इकाइयों का विकास कार्य पहले वर्ष के दौरान प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके सन्दर्भ में निगम ने 3 इकाइयों की योजनाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है जिनमें तीन प्रकार के निवेश किये जायेंगे। अन्य 43 इकाइयों की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है जिनमें नारियल के पुनः रोपण, नये रोपण और काली मिर्च के पुनर्स्थापन जैसे निवेश शामिल हैं।

ग. सघन क्षेत्र विकास परियोजना

5.11 सघन क्षेत्र विकास की 7 परियोजनाओं में से राजस्थान में 2 और आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में एक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है/की जानी है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कर्नाटक सिंचाई परियोजना को हाल ही में स्वीकार किया है तथा वाशिंगटन में मई 1978 में सम्बन्धित करार निष्पादित किये गये। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण का अधिकांश भाग पक्की सतह वाली नहरों, नालियों, सड़कों के निर्माण जैसी मूल भूत सुविधाओं के निमित्त है तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का कार्य खतों के विकास और खेतों में पानी पहुंचाने वाली नालियों के निर्माण के लिये वित्तपोषण करना है।

5.12 राजस्थान नहर सघन क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 970 चकों से सम्बन्धित लागत अनुमानों का अनुमोदन कर दिया है तथा राजस्थान भूमि विकास निगम ने 690 चकों के सम्बन्ध में वित्तीय मंजूरी भी प्रदान कर दी है। 580 चकों के सम्बन्ध में कार्य शुरू हो चुका है और 146 चकों के सम्बन्ध में वह समाप्त हो चुका है। इस परियोजना के अधीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कुल 2.7 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। इससे पहले योग्य कृषकों को भूमि के बड़े टुकड़ों के आबंटन में विलम्ब होने और भूमि के अन्तरण में कानूनी कठिनाइयां आने से परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गई थी। चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान) में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 18 जल ग्रहण क्षेत्रों की अनुमानित लागत का अनुमोदन कर दिया है तथा 12 जल ग्रहण क्षेत्रों में कार्य आरम्भ हो चुका है और भाग लेने वाले दो बैंकों द्वारा 16 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। योग्य कृषकों को भूमि आबंटित किये जाने में हुए विलम्ब से इस कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा।

5.13 महाराष्ट्र सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना और साथ ही, उड़ीसा सिंचाई परियोजना के अधीन भारत सरकार के साथ गौण पत्र (साईड लेटर)/वित्तीय करार के निष्पादन जैसी क्रियाविधि सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं और उक्त परियोजनायें क्रमशः 13 और 16 जनवरी 1978 से अमल में आ गई है। महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना की प्रगति का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया। अन्य बातों के साथ साथ, भूमि विकास का कार्य जो किया जाना है उसके लिये अन्तरिम वित्तीय सहायता प्रदान करने और चूककर्ताओं की सीमित मात्रा तक नियमित ऋण प्रदान करने के लिये योग्य बनाने के लिये निर्णय जैसे क्रियाविधि को सरल बनाने के उपायों से परियोजना की प्रगति में तेजी आने की आशा है।

5.14 आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना के अधीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 4.3 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता वाले कार्यक्रम स्वीकार किये हैं। उनके अन्तर्गत 47,000 एकड़ भूमि आती है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अधीन जून 1978 के अन्त में 45 लाख रुपयों की राशि वितरित की है। राज्य सरकार में अनिवार्य आधार पर किये गये भूमि विकास कार्य के लिये प्रभारों की वसूली करने हेतु एक अध्यादेश तैयार किया है जिसके शीघ्र जारी किये जाने की आशा है। मध्य प्रदेश चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन ऐसी 28 योजनाओं की अनुमानित लागत का अनुमोदन कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत 2575 हैक्टेयर क्षेत्र आता है। ऐसी 18 योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है जिनके अन्तर्गत 1000 हैक्टेयर भूमि आती है। इनके लिये 3 बैंकों को 12.3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और 9·3 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई है।

5.15 विभिन्न सघन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अधीन सघन क्षेत्र विकास कार्य में तेजी लाने के प्रश्न पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा हाल ही में पुनरीक्षण

किया गया। खेत विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कृषकों को अब 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है; (i) कृषक जिनके पास भूमि के सम्बन्ध में वैध स्वत्वधिकार है और जो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा निर्धारित सहमति बांड निष्पादित करने के लिये राजी हैं; (ii) कृषक जो सहमति बांड निष्पादित करने के लिये राजी तो है किन्तु भूमि पर जिनके स्वत्वधिकार स्पष्ट नहीं है और जो चूककर्ता हैं, और (iii) कृषक जो सहमति बांड निष्पादित करने के लिये राजी नहीं है। जहां श्रेणी (i) के अन्तर्गत आने वाले कृषकों को सरकार की गारन्टी पर जोर दिये बिना ऋण प्रदान किये जायेंगे वहां श्रेणी (ii) के अन्तर्गत आने वाले कृषकों के मामले में संबंधित राज्य सरकारों की गारन्टी के अधीन ही ऋण दिये जायेंगे। श्रेणी (iii) के अन्तर्गत आने वाले कृषकों को "विशेष ऋण लेखा" में से ऋण दिये जायेंगे। उक्त "लेखा" में भारत सरकार कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50 : 25 : 25 के अनुपात में अंशदान किये जा रहे हैं। जून 1978 के अन्त तक सात राज्यों ने "विशेष ऋण लेखा" में भारत सरकार की राशि के बराबर की राशि का अंशदान किया है और उक्त लेखा में 4.6 करोड़ रुपये की राशि जमा है। कषकों के पुनवर्गीकरण और भूमि विकास निगमों को तदर्थ ऋण उपलब्ध कराने के निर्णय से विभिन्न राज्यों में सघन क्षेत्र विकास की प्रगति में तेजी आने की आशा है।

5.16 सघन क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अधीन खेत विकास कार्यों के लिये अन्तरिम वित्त के वितरण और समायोजन हेतु निगम ने हाल ही में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं। ये सिद्धांत विकास की गति में तेजी लाने के लिये कार्यकारी प्राधिकारियों को भेजे जाएंगे।

घ. डेरी विकास परियोजनायें

5.17 डेरी विकास की तीन समन्वित परियोजनायें राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत 254 डेरी सहकारी संस्थाओं और 3 डेरी संघों की स्थापना की गई है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 3 डेरी संघों में तकनीकी सेवाओं के घटक के लिये अपना अनुमोदन प्रदान किया है। कर्नाटक डेरी विकास परियोजना के अन्तर्गत 4 डेरी संघों का पंजीकरण किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित तकनीकी प्रस्तावों के तैयार किये जाने में कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि भारत सरकार ने द्रव वीर्य के स्थान पर जमे हुए वीर्य की तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय किया। राजस्थान में 656 डेरी सहकारी संस्थाओं और 4 डेरी संघों की स्थापना की गई है। सांडों की नस्ल तैयार करने के एक फार्म से संबंधित प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है।

5.18 परियोजनाओं के अधीन प्रलेखन की प्रियाविधि को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा काफी सरल बना दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत जून 1978 के अन्त तक कोई राशि वितरित नहीं की गई है। इस परियोजना के अधीन ऋण के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय डेरी निगम को शामिल किये जाने का भी प्रस्ताव है। चूंकि भारतीय डेरी निगम डेरी विकास निगमों को कम ब्याज दरों पर तथा अपेक्षाकृत अधिक लम्बी अवधि के लिये ऋण प्रदान करने के लिये राजी हो सकता है अतः यह संभव नहीं प्रतीत होता कि ये नियम अभिसंस्करण सम्बन्धी घटकों के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से पुनर्वित्त प्राप्त करें।

ङ. बाजार केन्द्र परियोजनाएं

5.19 दो परियोजनाओं में से बिहार कृषि बाजार परियोजना की प्रगति सन्तोषजनक है। बिहार बाजार केन्द्र परियोजना के अधीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 47 बाजारों के लिये 14.8 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त की मंजूरी दी है और उसमें सहभागिता करने वाले बैंक ने अब तक 9.1 करोड़ रुपये निकाले हैं। बाजार स्थानों के लिये भूमि प्राप्त करने में हुए विलम्ब और कुछ मामलों में भूमि के मालिकों द्वारा पैदा की गई कानूनी रुकावटें इस परियोजना की धीमी प्रगति के मुख्य कारण है। यह ज्ञात हुआ है कि सिंहा इंस्टीट्यूट में एक मूल्यांकन अध्ययन दल ने तीन बाजारों पर रिपोर्टें तैयार की हैं। बाजारों के निर्माण के लिये आवश्यक तकनीकी स्टाफ पहले अपर्याप्त था, परन्तु अब उसमें वृद्धि कर दी गई है। कुछ बाजारों में व्यापारियों को इस बात के लिये राजी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि वे नये बाजार केन्द्रों में आ जायें, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो इससे बाजार केन्द्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5.20 कर्नाटक थोक कृषि बाजार परियोजना के अधीन चयन किये गये 39 बाजारों में से 26 प्रस्तावों के लिये बैंक ऋण का अनुमोदन किया गया। वित्त प्रदान करने की पद्धति में भी कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। संशोधन के अनुसार बाजार के बिचौलिये पट्टे पर/किराया-खरीद आधार पर या किराये पर दुकान-व-गोदाम प्राप्त कर सकते हैं। बाजार से संबंधित विचाराधीन प्रस्तावों का भी बाजार परामर्शदाता द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि वे परियोजना की अपेक्षाओं के अनुरूप हों। बाजार केन्द्रों के लिये भूमि प्राप्त करने में कठिनाई, सीमेंट की कमी, राज्य विपणन विभाग के इंजीनियरी कक्ष में इंजीनियरी कर्मचारियों की अत्यधिक कमी आदि विकास की दिशा में मुख्य बाधायें थीं।

च. सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना

5.21 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त सूखा ग्रस्त क्षेत्र परियोजना के अधीन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के 6 जिले आते हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिये कोई विशेष ऋण आबंटित नहीं किया गया है और सामान्य ऋण में से खेत विकास के लिये ऋण दिया जाता है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई तथा विविध उद्देश्यों के

लिये 24 योजनायें स्वीकृत की गई हैं जिनके लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वायदों की राशि 2.6 करोड़ रुपये है और कुल 71 लाख रुपये की राशि पुनर्वित्त के रूप में वितरित की गई है।

छ. बीज परियोजनाएं

5.22 सबसे पहली परियोजना अर्थात् तराई बीज परियोजना समाप्त कर दी गई है।

राष्ट्रीय बीज परियोजना के प्रथम चरण के अधीन आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्य आते हैं। उक्त परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत पंजाब में पंजाब राज्य खेत निगम के लिये एक योजना स्वीकार की गई है। आन्ध्र प्रदेश में 2 केन्द्रों में बीज अभिसंस्करण संयंत्रों के लिये बैंकिंग योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उसकी सूचना बैंकों को दे दी गई है।

5.23 राष्ट्रीय बीज परियोजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य आते हैं। इसके सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हाल ही में अप्रैल 1978 में बातचीत की गई थी और उसे जून 1978 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उक्त संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता 160 लाख डालर की है जिसमें से 145 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिये जायेंगे। उक्त परियोजना में अनाजों, मूंगफली और वनस्पतियों के उच्च कोटि के बीजों के उत्पादन पर बल दिया गया है। परियोजना के पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने पर बीज उत्पादन में लगभग 125 लाख टन की वृद्धि होगी। इस परियोजना के अधीन पांच राज्यों में परिकल्पित निवेशों के वित्तपोषण के लिये बैंकिंग योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ज. समन्वित रूई विकास परियोजना

5.24 समन्वित रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों में रूई की अनुमोदित किस्मों के उत्पादन के लिये मौसमी अल्पावधि ऋण तथा रूई की ओटाई करने वाली और बीज अभिसंस्करण इकाइयों के लिये मीयादी ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1977-78 में खरीफ मौसम के लिये कुल 4.4 करोड़ रुपये की मौसमी ऋण सीमायें स्वीकृत की हैं। यद्यपि रूई की अनुमोदित किस्मों के उत्पादन में हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है फिर भी मौसमी ऋण वितरण और पुनर्वित्त सहायता का उपयोग सन्तोषजनक नहीं रहा है। बैंकों द्वारा वितरित कुल राशि 1.8 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 76 लाख रुपये थी। इसमें पुनर्वित्त सहायता की राशि केवल 58 लाख रुपये थी। इस परियोजना के अधीन कम पुनर्वित्त सहायता लिये जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—दो राज्य सहकारी बैंकों द्वारा पुनर्वित्त न लिया जाना, बजट के साधनों में से पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा कीटनाशक वायवीय छिड़काव कराया जाना, कृषकों द्वारा आवश्यकता से कम उर्वरकों का उपयोग किया जाना और चूककर्ताओं का बने रहना। वर्ष 1978-79 के लिये पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा दो बैंकों को 30 जून 1978 तक 2.4 करोड़ रुपयों की ऋण सीमायें स्वीकार की गई हैं तथा अन्य सहभागी बैंकों के आवेदन पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है।

5.25 रूई की ओटाई करने वाले तथा अभिसंस्करण करने-वाले घटकों के सन्दर्भ में हरियाणा से रूई की ओटाई करने वाली तथा बिनौला अभिसंस्करण इकाइयों के लिये प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्टें हरियाणा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके पहले हरियाणा सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वित्तीय सहायता लेने का विचार कर रहा था और इससे कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कार्य के सम्बन्ध में कुछ अनिश्चितता उपन्न हो गई थी। अब यह निश्चय किया गया है कि हरियाणा सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से सहायता प्राप्त करेगा। रूई की ओटाई करने वाली तथा बिनौला अभिसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संप्रति पर्याप्त क्षमता होने के कारण पंजाब में रूई की ओटाई और अभि-संस्करण सुविधाओं तथा महाराष्ट्र में रूई की ओटाई की सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिये कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋण के अधिक उपयोग करने के कई प्रस्ताव भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास नियम के विचाराधीन हैं।

झ. मत्स्य पालन परियोजनाएं

5.26 विश्व बाजारों में झींगा मछली की बिक्री के लिये अच्छे अवसर हैं और भारत के सारे समुद्र तट पर यह मछली विपुल मात्रा में उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार समुद्री मत्स्य पालन के विकास को सबसे अधिक महत्व देती है। अतः सरकार ने इसकी संभाव्यताओं का पूरा उपयोग करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता की अपेक्षा की है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दो परियोजनायें स्वीकार कर ली गई हैं—एक गुजरात में और दूसरी आंध्र प्रदेश में। गुजरात मत्स्य-पालन परियोजना जुलाई 1977 में अमल में आई और इस परियोजना के अन्तर्गत बैंकिंग योजना को इस वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया। गुजरात राज्य सरकार ने यंत्र-चालित मछलीमार नावों के लिये कृषकों को सीधे उपदान देना बन्द कर दिया है और परियोजना पर विचार विमर्श के दौरान हुए समझौते के अनुसार नाव जोखिम निधि में अंशदान देने का निश्चय किया है।

5.27 आन्ध्र प्रदेश मत्स्य पालन परियोजना के संबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अधिकारियों के साथ हाल ही में अप्रैल 1978 में बातचीत की गई। उक्त परियोजना मुख्य उद्देश्य आन्ध्र प्रदेश में समुद्री मत्स्यपालन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस कार्य के लिये राज्य के तीन महत्वपूर्ण बन्दरगाहों अर्थात् विशाखापट्टनम, काकीनाड़ा और निजामपट्टनम में सुधार लाया जायेगा। इस सन्दर्भ में यंत्रचालित और यंत्ररहित दोनों प्रकार की मछलीमार नावों को प्राप्त करने के लिये ऋण दिया जायेगा। ये नवें निजी कम्पनियों और सहकारी समितियों के स्वामित्व की होगी और उनके द्वारा चलाई जायेंगी। इस परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 175 लाख डालर का ऋण प्रदान किया जायेगा जिसमें से 39 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे। उक्त परियोजना में 3 समुद्री मत्स्यपालन वाले जिलों के तट पर बड़ी संख्या में बसे मछुओं के गांवों तक प्रवेश मार्ग बनाकर छोटे मछुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना जून 1978 में अन्तराष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकार की गई है। और 19 जून 1978 को तत्सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं।

ञ. बागबानी परियोजनाएं

5.28 हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने सेबों की पैकिंग तथा श्रेणी निश्चित करने वाले 10 केन्द्रों और एक वाहनान्तरण केन्द्र के लिये पुनर्वित्त सहायता मंजूर की है। हिमाचल प्रदेश बागबानी उपज विपणन और अभिसंस्करण निगम ने 2 श्रेणी निश्चित करने वाले केन्द्रों और पैकिंग केन्द्रों के लिये मशीनों का आयात भी किया है। एक वाहनान्तरण केन्द्र में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि दूसरे केन्द्र में शीतगृह संयंत्र की स्थापना का कार्य फरवरी 1979 के अन्त तक पूरा होने की आशा की जाती है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने हाल ही में एक रस अभिसंस्करण संयंत्र लगाने की योजना स्वीकार की है। कृषि-पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अन्तर्गत 14 लाख रुपयों की राशि वितरित की है।

5.29 मई 1978 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा जम्मू व काश्मीर बागबानी परियोजना स्वीकार की गई है। उक्त परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 140 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है जिसमें से 120 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्पादन किये जाने वाले सेबों की विपणन व्यवस्था में सुधार लाना है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम निम्नलिखित के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा : सेबों को श्रेणीबद्ध करने और उनका विपणन करने वाले लगभग 25 केन्द्रों और शीतगृहों का निर्माण, एक सेब रस अभिसंस्करण कारखाने* और अखरोटों को छीलने/सुखाने तथा पैकिंग करने की विभिन्न क्षमतावाले केन्द्रों तथा एक अखरोट निर्यात अभिसंस्करण केन्द्र का निर्माण। साथ ही वह सेब अखरोट और कुक्कुरमुत्ता उगाने वालों के लिये लगभग दो करोड़ रुपयों के मौसमी ऋण भी प्रदान करेगा।

*आलोच्य वर्ष की समाप्ति के बाद यह निर्णय किया गया है कि परियोजना के इस घटक के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

ट. सिंचाई परियोजना

5.30 हरियाणा सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में जून 1978 में बातचीत की गई। उक्त परियोजना में नहरों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण, आवर्धक नलकूपों का निर्माण, जलमार्गों की मेड़ें बनाना तथा उनका निर्माण आदि शामिल हैं। उक्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2220 लाख डालर है जिसमें से 1110 लाख डालर की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी जायेगी। इसमें से 4140 लाख डालर जलमार्गों के आधुनिकीकरण, बाजारों तथा आवर्धक गहरे नलकूपों के निर्माण और भूमि को समतल बनाने के कार्यों के वित्तपोषण हेतु कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिये जायेंगे।

ठ. निर्माणाधीन परियोजनायें

5.31 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की दूसरी ऋण परियोजना जून 1979 तक समाप्त होने की आशा है। पहले दो सामान्य ऋणों के अनुक्रम में, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने तीसरे ऋण के सम्बन्ध में एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और उसे भारत सरकार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को प्रस्तुत कर दिया र। संभवतः इस परियोजना का मूल्यांकन सितम्बर अक्तूबर 1978 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के एक मिशन द्वारा किया जायेगा। हरियाणा सिंचाई परियोजना के समान ही पंजाब में भी एक सिंचाई परियोजना का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उक्त परियोजना की कुल लागत 263 करोड़ रुपये है और उसमें प्रमुख रूप से नहर व्यवस्था तथा जलमार्गों पर मेड़ें बनाने की परिकल्पना की गई है।

II. दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सहायता प्राप्त/उन द्वारा सहायता की जाने वाली परियोजनायें

क. क्रेडिटनस्टल्ट फर बादरोफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) की सहायता प्राप्त परियोजनायें

5.32 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में पश्चिम जर्मनी के क्रेडिटनस्टल्ट फर बादरोफबाऊ (के० एफ० डब्ल्यू०) के द्वारा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सघन क्षेत्र विकास परियोजना के मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। इस बीच के० एफ० डब्ल्यू० ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से सघन क्षेत्र में खेत विकास के वित्तपोषण के लिये 450 लाख इयूश मार्क का ऋण मंजूर किया है। खेत विकास के लिये 1980-81 तक दी जाने वाली कुल

वित्तीय सहायता 9 करोड़ रुपये है। निगम द्वारा परियोजना के अन्तर्गत बैंकिंग योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और खेत विकास का कार्यक्रम 4 बैंकों अर्थात् राज्य भूमि विकास बैंक, दो वाणिज्य बैंकों और होशंगाबाद में कार्यरत एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आबंटित किया गया है। मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम खेत विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। उसने तकनीकी मंजूरी के लिये 46 योजनायें भेज दी हैं और उन सबको कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने मंजूरी दे दी है। के० एफ० डब्ल्यू० के साथ किये गये करार की शर्तों की अपेक्षाओं के अनुसार इन योजनाओं का ब्यौरा उनको अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 2.40 लाख एकड़ क्षेत्र में 43 योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया गया है। उक्त योजनाओं की कुल लागत 2.5 करोड़ रुपये है और उनमें 1.9 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान की जायेगी। मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम ने इस परियोजना के अधीन मशीनों तथा उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये नामित वाणिज्य बैंक से अनुरोध किया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।

ख. अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा कैनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता प्राप्त परियोजनायें

5.33 विश्व बैंक समूह से प्राप्त सहायता से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने विविध कृषि विकास कार्यक्रमों में जो सफलता प्राप्त की है उससे अमेरिकी सहायता एजेंसी, कैनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निधि जैसी अन्य सहायता एजेन्सियों में भी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है। इस वर्ष के दौरान अमेरिका और कैनेडा के दो देशों के मिशनों ने कई अवसरों पर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से भेंट की। कृषि विकास कार्यक्रमों, विशेष करजो छोटे और सीमान्त कृषकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाते हैं, के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में अमेरिकी सहायता एजेंसी विशेष रुचि ले रही है। उनके मिशन पहले ही कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की नीतियों और ऋण प्रणालियों का अध्ययन कर चुके हैं और निगम के चालू कार्यक्रमों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने को सहमत हो गये हैं।

5.34 कैनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के मिशन ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के साथ 1978-79 में और उसके बाद अतिरिक्त विदेशी वित्तीय सहायता के लिये निगम की आवश्यकताओं और निगम को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा द्विपक्षी रूप से या वर्तमान और भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों के साथ संयुक्त रूप से सरल शर्तों पर सम्भाव्य कैनेडियम ऋण प्रदान करने के संबंध में भी चर्चा की। कैनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भेजे गये एक-सदस्यीय मिशन ने निगम के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-कलाप की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों से भी भेंट की।

भावी सम्भावनाए

मार्च 1979 में समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के संशोधित भावी ऋण कार्यक्रम में कुल 1025 करोड़ रुपये के ऋण वितरण की परिकल्पना की गयी है। इसका संकेत पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था। 1977-78 में समाप्त हुई चार वर्षों की अवधि के लिए 740 करोड़ रूपयों के अपेक्षित ऋण कार्यक्रम के मुकाबले 31 मार्च 1978 और 30 जून 1978 को समाप्त हुई अवधि में कुल वितरित पुनर्वित्त की राशि क्रमशः 693 करोड़ रुपये और 732 करोड़ रुपये (सारणी 8) थी। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भावी कार्यक्रम प्रायः वास्तविक ही था। निगम इस वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता परन्तु इस रिपोर्ट में अन्यत्र जिन पहलुओं की चर्चा की गयी है उनके कारण यह लक्ष्य प्राप्त कर लेना संभव न हो सका।

6.2 अगली योजना (1978–1983) का लक्ष्य कृषि ऋण के वितरण में तीव्र वृद्धि लाना है। उसके संदर्भ में अर्थात् लगभग तीन वर्षों में वर्तमान स्तरों को दुगुना करने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अपने मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में इस बात को स्वीकार किया है कि उपर्युक्त 5 वर्षों की अवधि के दौरान उसके वितरण स्तर में वार्षिक 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इसका अर्थ यह होगा कि नीचे दर्शाये अनुसार उसका कुल वितरण स्तर 3070 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा।

सारणी 8

भावी कार्यक्रम (1974–79)

करोड़ रुपए

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मूल कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम	वितरित पुनर्वित	
			वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	लेखा वर्ष (जुलाई-जून)
1974-75	101 (वास्तविक)	120	101	106
1975-76	140	140	155	171
1976-77	185	220	210	221
1977-78	216	260	227	234
1978-79	238	285	—	—
	880	**1025**	**693**	**732**

सारणी 9

नया भावी कार्यक्रम (1978–83)

करोड़ रुपये

वर्ष	25 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुसार भावी कार्यक्रम	व्यवहार्य समझे गये कार्यक्रम
1	2	3
1978-79	375	345
1979-80	470	485
1980-81	585	565
1981-82	730	625
1982-83	910	675
	3070	2695

6.3 अगली योजना के दौरान 5000 करोड़ रुपये के निवेश ऋण की पूर्ति करनी होगी। साथ ही, विकास कार्यक्रम में कृषि को प्राथमिकता दी गयी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त भावी कार्यक्रम व्यवहार्य प्रतीत होता है। इसके साथ ही, कोई भी भावी कार्यक्रम तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जब मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं की क्षमताओं, पहले ही से अर्जित विशेषज्ञता तथा ऋण वितरण के प्रस्तावित स्तर तक पहुंचने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के साथ पर्याप्त सहायक सेवाओं पर ध्यान दिया जाए। क्षेत्रवार लक्ष्यों के निर्धारण के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए पहली आवश्यकता विकास के लिए उपलब्ध संभाव्यता का राज्यवार विश्लेषण करना है। तीसरे ऋण के लिए मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के सम्बंध में निगम ने राज्य सरकारों तथा सदस्य बैंकों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श के पश्चात् कृषि तथा संबधित क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रवार भौतिक और वित्तीय कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जिससे उन्हें अगली योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा सके। ऐसे अनुमानित वितरणों की औसत राशि सारणी 9 के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी है। उससे यह विदित होगा कि आगामी तीन वर्षों अर्थात् 1978–79, 1979–80 और 1980–81 के लिये निर्धारित कार्यक्रम इन वर्षों के लिए परिकल्पित भावी कार्यक्रम के प्रायः अनुरूप है। परियोजनाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के निमित्त विकास कार्यक्रमों का पता लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों तथा बैंकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।

6.4 अतिरिक्त सिंचाई संभाव्यता 170 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में उत्पन्न की जाए जिसमें से 90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता लघु सिंचाई के द्वारा प्राप्त की जाए। योजना के उक्त उद्देश्य के अनुसार सिंचाई में इस प्रकार के निवेशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना निवेशों का एकमेव प्रमुख उद्देश्य बना रहेगा और उसमें 1320 करोड़ रुपये या कुल 2700 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण का 49 प्रतिशत लगया जाएगा। राज्य भूमिगत जल निदेशालय तथा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल की उपलब्ध क्षमता के संदर्भ में किये गये त्वरित अनुमान से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात तथा तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर जिनमें समस्या का गहन अध्ययन करना आवश्यक है, अन्य सभी राज्यों में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के उक्त कार्यक्रमों को बनाये रखने के लिये पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग किये जाने के कारण उत्पन्न समस्या विद्यमान है उनमें भूमिगत जल के विकास के नियंत्रण के लिए विधान सहित अन्य प्रभावी विनियमन करने की ओर भी अधिक ध्यान देना आवश्यक है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो नमूना आधार पर इस समस्या का अध्ययन करेगी और वह कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिये इस संबंध में उचित नीति का निर्धारण करेगी। संप्रति कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम उन क्षेत्रों में तब तक योजनाओं को स्वीकृत नहीं करता जब तक सम्बन्धित राज्य भूमिगत जल निदेशालय उक्त क्षेत्रों में और अधिक उपलब्ध क्षमता के संदर्भ में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। पंजाब और हरियाणा में पानी रिसने से होने वाली हानियों को दूर करने के लिये पानी के पाइपों पर लाइनिंग करने, जल छिड़काव प्रणाली को लागू करने तथा भूमिगत पाइपों को बिछाने जैसे बेहतर जल व्यवस्था कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है। लघु सिंचाई निवेशों की रूपरेखा में सुधार लाने की तात्कालिक आवश्यकता के सम्बन्ध में भी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जागरूक है। चुने हुए लघु सिंचाई निवेशों के संदर्भ में इस पहलू का अध्ययन किया जा रहा है तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड/राज्य भूमिगत जल निदेशालयों के साथ परामर्श के पश्चात् इस संदर्भ में उचित मानदंडों को निर्धारित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकृत कुछ विस्तार तथा अनुसंधान परियोजनाओं में लघु सिंचाई निवेशों के लिये उचित तथा कम पूंजी युक्त डिजाइनों को बनाने के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और उसमें सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक घटक प्रदान किया जाता है ताकि छोटे कृषक उक्त निवेशों के लिये ऋण सुविधाओं को प्राप्त कर सकें।

6.5 कृषि पंपसेटों को बिजलीचालित करने के कार्य में तेजी लाने के लिये निगम का यह प्रस्ताव है कि राज्य बिजली बोर्डों के पंपसेटों को बिजलीचालित करने के लिये सदस्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की वर्तमान योजना को जारी रखा जाए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आगामी पांच वर्षों की अवधि में 6 लाख पंपसेटों को बिजली चालित करने के विशेष कार्यक्रम में भी निगम की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा वाणिज्य बैंकों के साथ सहभागिता है।

6.6 यह आशा की जाती है कि आगामी योजना अवधि के दौरान सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गति में तेजी आयेगी और निगम खेत विकास तथा क्षेत्रीय प्रणालियों के लिये दिये जाने वाले ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करने में सक्रिय रहेगा।

6.7 वाणिज्य बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों दोनों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों में विविधता लाना यह एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य बना रहेगा। साथ ही, भावी कार्यक्रम में पशुपालन, बागान, मत्स्योद्योग (अंतर्देशीय और समुद्री), वन उद्योग, बाजार केन्द्रों आदि के अन्तर्गत भारी मात्रा में निवेशों की व्यवस्था की गयी है।

6.8 विभिन्न राज्यों में विकास के विद्यमान असंतुलन को कम करने की आवश्यकता के बारे में भी निगम उतना ही जागरूक है। इन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के भावी कार्यक्रम में निगम के कुल वितरणों के 47 प्रतिशत तक के परिव्यय की व्यवस्था है जो कम विकसित राज्यों में कार्यान्वित किये जानेवाले कार्यक्रमों के लिए व्यय किया जाएगा। यद्यपि उक्त परिव्यय में एक राज्य के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान असंतुलनों को कम करने हेतु निर्धारित निवेश को शामिल नहीं किया गया है फिर भी आगामी कुछ वर्षों के लिए इस कार्य को प्राथमिकता दी जायगी। लघु सिंचाई तथा ऋण प्रदान करने के विविध कार्यक्रमों के अधीन लघु और सीमान्त कृषकों और भूमिहीन खेतिहरों की अधिक संख्या को ले आने के प्रयास किये जाएंगे। लघु कृषक विकास एजेंसी की योजनाओं तथा अन्य विशेष योजनाओं के समान ही कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाओं के अधीन लघु कृषकों के कतिपय वर्गों को लघु सिंचाई के लिये पूंजीगत उपदान देने की व्यवस्था करने के भारत सरकार के हाल ही के निर्णय के फलस्वरूप कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बड़ी संख्या में छोटे से छोटे कृषकों को अपने कार्य क्षेत्र में ला सकेगा।

6.9 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने के कारण कृषि विकास में बहु एजेंसी दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है। वाणिज्य बैंकों के क्षेत्र में अर्धशहरी तथा ग्रामीण शाखाओं की संख्या बढ़ रही है। यह आशा की जाती है कि देश के प्रत्येक खंड में बैंक की एक शाखा होगी। जब दांतावाला समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका अधिक स्पष्ट होगी। हाल ही के वर्षों में जहां परियोजना के कार्यान्वियन में एक से अधिक बैंक शामिल होते हैं वहां कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने विस्तृत बैंकिंग योजनाओं को तैयार करने की प्रणाली अपनायी है। इस क्रियाविधि से जहां एक ओर बैंकों के बीच विद्यमान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम होती है वहां दूसरी ओर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के वित्तीय साधनों की अनुपूर्ति करने में बैंकों के अपने साधनों का सावधानीपूर्वक नियोजन भी सुनिश्चित होता है। इस प्रकार की बैंकिंग-योजना में अपेक्षित क्षेत्र विशेष में कर्मचारी वर्ग की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाता है। अधिकतम प्रभाव तथा यथासंभव सर्वोत्तम परिणामों के लिए कार्यान्वियन करने वाली एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रयत्न किये जाने की अपेक्षा है। अग्रणी (वाणिज्य) बैंकों ने पहले ही संभाव्यता का पता लगा लिया है तथा अधिकांश जिलों के लिए ऋण योजनाएं बनायी हैं। प्रत्येक राज्य के लिये तैयार किये गये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के भावी कार्यक्रम के साथ उक्त योजनाओं का तालमेल बिठाने का प्रस्ताव है ताकि विकास से सम्बन्धित विशिष्ट पहलुओं, वित्तीय संस्थाओं जिनको कार्यान्वियन सौंपा जाता है, अपेक्षित वित्तीय साधनों, सहायक सेवाओं तथा आवश्यक मूलभूत वस्तुओं को निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सके। उक्त विषय पर राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ उच्च-स्तरीय विचार विमर्श किया जाएगा। भारत सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि कृषि विकास की विशिष्ट परियोजनाओं या कार्यक्रमों का पता लगाने के लिये प्रत्येक राज्य में परियोजना का पता लगाने वाले मिशन स्थापित किये जा सकते हैं जिनमें भारत सरकार कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों।

6.10 अन्य पूंजीगत साधनों का अधिकाधिक नियोजन और कृषि विकास में संस्थागत ऋण एजेंसियों के माध्यम से सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अधिक ऋण की प्राप्ति के साथ-साथ यह भी नितान्त आवश्यक है कि न केवल अच्छे प्रकार से ऋण प्रदान किये जाएं परन्तु ऋण वसूली के कार्य में भी सुधार लाया जाए। दुर्भाग्यवश, विभिन्न कारणों से 1976–77 के दौरान अनेक प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण वसूली का कार्य ठीक तरह से नहीं हो पाया। विगत वर्षों में वाणिज्य बैंकों द्वारा भी ऋण वसूली का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया गया था। इस स्थिति में सुधार लाना होगा।

वित्त

1976–77 और 1977–78 के दो वर्षों के दौरान अपने ऋण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की निधियों के स्रोत तथा 1973–74 से 1977–78 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मदों में परिलक्षित प्रवृत्तियां निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी हैं:

सारणी 10

निधियों के स्रोत

करोड़ रुपए

	1976–77	जोड़ का प्रतिशत	1977–78	जोड़ का प्रतिशत	जून 73-जून 78	जोड़ का प्रतिशत
1. चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियां/अधिशेष	12.7	5.1	15.8	5.4	46.8	5.0
2. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमा-राशियां	0.6	0.3	0.9	0.3	2.7	0.3
3. भारत सरकार से लिये गये उधार						
(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की निधियां	90.0	36.5	99.6	34.7	314.8	33.4
(ख) अन्य	—	—	—	—	1.5	0.2
4. भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से लिये गये उधार	50.0	20.3	65.0	22.6	238.5	25.3
5. बांड	44.0	17.8	20.6	7.2	163.6	17.4
6. बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियां	48.0	19.4	82.9	28.7	168.6	17.9
7. विशेष ऋण लेखा में जमा राशि	1.5	0.6	3.1	1.1	4.6	0.5
जोड़	246.8	100.0	287.9	100.0	941.1	100.0

शेयर पूंजी

7.2 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन निगम की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की 20 गुनी राशि तक उसकी उधार लेने की क्षमता सीमित है। निगम अपने कारोबार की वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर अपनी चुकता शेयर पूंजी को बढ़ाता रहा है। इस वर्ष के दौरान निगम ने 12.5 करोड़ रुपयों के चुकता मूल्य के शेयरों की सातवीं शृंखला जारी की है। इन शेयरों पर गारंटीकृत लाभांश 6.25 प्रतिशत है। जून 1978 के अन्त में निगम की कुल चुकता पूंजी 47.5 करोड़ रुपये है। 30 जून 1978 को निगम की शेयर पूंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों का अंशदान सारणी 11 में दर्शाये गये अनुसार है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 5(5अ) के अनुसार भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत पूंजी को 50 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये (सौ करोड़ रुपये मात्र) करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

भारत सरकार से लिये गये उधार

7.3 वर्ष 1977–78 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने भारत सरकार से 100 करोड़ रुपये उधार लिये हैं। यह राशि विश्व बैंक की सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गयी राशियों की प्रतिपूर्ति के रूप में है। जून, 1978 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा भारत सरकार से लिये गये उधारों की कुल राशि 427.6 करोड़ रुपये है।

सारणी 11

शेयर पूंजी में अंशदान के स्रोत

करोड़ रुपये

	शेयर		जोड़ का प्रतिशत
	संख्या	मूल्य	
1. भारतीय रिजर्व बैंक	26054	26.1	54.9
2. मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक	7851	7.8	16.5
3. राज्य सहकारी बैंक	3524	3.5	7.4
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8878	8.9	18.8
5. भारतीय जीवन बीमा निगम	643	0.6	1.3
6. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	550	0.6	1.1
जोड़	47500	47.5	100.0

बाजार से लिए गये उधार

7.4 अपने ऋण कार्यक्रम की पूर्ति के लिये निगम द्वारा वित्तीय साधनों को जुटाने के विविध स्रोतों में से एक स्रोत खुले बाजार में बांडों को जारी करना है। वर्ष 1977–78 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कुल 20.6 करोड़ रुपयों की राशि के बांडों की तेरहवीं शृंखला जारी की। इन बांडों को 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर 10 वर्षों की पुगाई अवधि के लिये तथा 1 प्रतिशत के बट्टे पर जारी किया गया था। जून 1978 के अन्त में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा खुले बाजार से लिए गये उधार की कुल राशि 202.3 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के दौरान जारी बांडों की तेरहवीं शृंखला के लिये विभिन्न अभिदाताओं से प्राप्त राशि तथा पिछली शृंखलाओं के लिए प्राप्त अभिदान की कुल राशि सारणी 12 में दर्शायी गयी है।

सारणी 12

बांडों में अभिदान

करोड़ रुपये

अभिदाता	I से –XII	XIII	कुल
1. भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	39.1	5.6	44.7
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	69.6	6.4	76.0
3. अन्य वाणिज्य बैंक	10.9	2.1	13.0
4. भारतीय जीवन बीमा निगम	1.7	0.2	1.9
5. अन्य बीमा और निवेश कंपनियां	1.3	—	1.3
6. सहकारी बैंक	58.3	5.9	64.2
7. अन्य	0.8	0.4	1.2
जोड़	181.7	20.6	202.3

7.5 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(11) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के बांडों को जारी करने तथा उनका प्रबंध करने से संबंधित कार्य अपने हाथ में ले सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त कार्य सौंपने का एक लाभ यह है कि जिन-जिन स्थानों पर रिज़र्व बैंक के कार्यालय हैं उन सभी स्थानों में उक्त बांडों को प्रस्तुत किये जाने पर ब्याज की अदायगी की जा सकेगी जिससे कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के बांडों पर ब्याज की अदायगी के कार्य का विकेन्द्रीकरण हो जाएगा। तदनुसार, अभिदाताओं की सुविधा के लिए निगम ने अक्तूबर 1977 से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांडों को जारी करने से सम्बंधित कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंप दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गये उधार

7.6 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से 65 करोड़ रुपयों की आहरण सीमा मंजूर की और निगम ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया। पिछले ऋणों की किस्तें चुकाने के बाद जून 1978 के अन्त में भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये उधारों की बकाया राशि 217 करोड़ रुपये है।

7.7 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपयों की सीमा भी मंजूर की है; फिर भी, इस वर्ष के दौरान उक्त ऋण सीमा के अधीन कोई आहरण नहीं किये गये हैं।

चुकौतियां

7.8 वर्ष 1977–78 के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों की राशि 82.9 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष के दौरान उक्त राशि 48 करोड़ रुपये थी। जून 1978 के अन्त तक सदस्य बैंकों द्वारा 175.7 करोड़ रुपयों की राशि चुकायी गयी जिसका ब्यौरा सारणी 13 में दिया गया है।

सारणी 13

पुनर्वित्त की चुकौती

करोड़ रुपये

एजेंसी	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की योजनाएं	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त योजनाएं	कुल
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	44.7	24.0	68.7
2. राज्य भूमि विकास बैंक	31.1	67.6	98.7
3. राज्य सहकारी बैंक	8.3	—	8.3
जोड़	84.1	91.6	175.7

शेयरधारी

7.9 दि बैंक आफ कोचिन लि० और 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्ष 1977–78 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के सदस्य बन गये हैं। जून 1978 के अन्त में निगम की कुल सदस्य संख्या 149 थी जबकि पिछले वर्ष वह 129 थी।

निदेशक बोर्ड

7.10 इस वर्ष निदेशक बोर्ड की 7 बैठकें हुईं।

7.11 दिनांक 26 नवम्बर 1977 को डा० आर० के० हजारी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के पद का त्याग करने के परिणामस्वरूप कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (क) की अपेक्षा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 दिसम्बर 1977 से निगम के अध्यक्ष के रूप में डा० के० एस० कृष्णस्वामी को नामित किया। श्री मा० रामकृष्णय्या की भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्ति होने पर बैंक ने 5 जनवरी 1978 से डा० के० एस० कृष्णस्वामी के स्थान पर उन्हें निगम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया।

7.12 बोर्ड ने मार्च 1973 से नवम्बर 1977 तक की अवधि में निगम के अध्यक्ष के रूप में डा० आर० के० हजारी की बहुमूल्य सेवाओं तथा मार्गदर्शन की गहरी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। बोर्ड ने डा० के० एस० कृष्णस्वामी द्वारा निगम को दी गयी सेवाओं के लिये उनके प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट किया।

7.13 भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 10 (ग) के अधीन श्री के० एस० नारंग तथा श्री आई० जी० नायडू के स्थान पर निगम के निदेशकों के रूप में श्री जी० वी० के० राव श्री के० पी० ए० मेनन (पुनर्नामित) तथा श्री बलदेव सिह को नामित किया।

हिन्दी का प्रयोग

7.14 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के दैनिक काम काज में हिन्दी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वियन समिति में निगम का प्रतिनिधित्व है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ दिये जाते हैं। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही प्रकाशित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित भारत सरकार के हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम के अधीन निगम के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विदेश यात्रा

7.15 वर्ष 1977–78 के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रबंध निदेशक और दो उप प्रबंध निदेशकों ने भारतीय वार्ता दल के सदस्यों के रूप में विश्व बैंक के साथ ऋण सम्बंधी बातचीत करने के संदर्भ में वाशिंगटन (अमेरिका) की यात्रा की। इन यात्राओं से सम्बन्धित व्यय की कुल राशि 1,34,400 रुपये थी।

लाभ

7.16 आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन वर्तमान लाभ के 25 प्रतिशत की राशि विशेष प्रारक्षित निधि को अन्तरित की जा सकती है। तदनुसार, प्रारक्षित निधि को अन्तरित करने के लिए 300 लाख रुपयों की राशि की व्यवस्था करने के बाद निगम को वर्ष 1977–78 में 375.48 लाख रुपये का शुद्ध लाभ विनियोजन करने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः निदेशक उक्त शुद्ध लाभ की राशि को निम्नप्रकार विनियोजित करने की सिफारिश करते हैं:—

	लाख रुपये
अनुसंधान और विकास निधि को अन्तरण	100.00
प्रारक्षित निधि को अन्तरण	27.04
शयरों पर लाभांश	248.43
	375.47

निदेशकों की ओर से
मा० रामकृष्णय्या
अध्यक्ष

19 अगस्त 1978

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राशियों को निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित कर दिया गया है।
2. विवरणों में निम्नलिखित चिन्हों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

चिन्ह : @ अद्यतन उपलब्ध आंकड़े
— शून्य या नगण्य

संक्षिप्त नाम : प्रयोजन :

लसि	— लघु सिंचाई
भूवि	— भूमि विकास/उद्धार/संरक्षण/सघन क्षेत्र विकास
कृम/कृसेकें	— कृषि मशीनीकरण/कृषि उपकरण/कृषि सेवा केंद्र
बान/बानी	— बागान/बागबानी
मुपा/भेपा/सुपा	— मुर्गीपालन/भेड़ पालन/सुअर पालन

	मपा	— मत्स्य पालन
	डेवि	— डेरी विकास
	भंग्रौरबा	— भंडार और बाजार केन्द्र
	वन	— वन उद्योग
	कृवि	— कृषि विमानन
	सरूविप	— समन्वित रूई विकास परियोजना
	गोसं	— गोबर गैस संयंत्र
एजेंसी :	1. राभूवि बैंक	— राज्य भूमि विकास बैंक
	2. वा. बैंक	— अनुसूचित वाणिज्य बैंक
	3. रास बैंक	— राज्य सहकारी बैंक

3. भूमि विकास में भूमि उद्धार/भूमि संरक्षण/सधन क्षेत्र विकास शामिल हैं। कृषि मशीनीकरण में ट्रैक्टर, अन्य कृषि उपकरण और कृषि सेवा केंद्र शामिल हैं।

विवरण 1

वायदों की तुलना में पुनर्वित्त प्राप्त करने की प्रवृत्तियां

लाख रुपये

वर्ष (जुलाई-जून)	वर्ष के अंत में मंजूर योजनाओं की संख्या	कृपुवि निगम के चरणबद्ध वायदे		वितरित राशि		वायदों में वितरित राशि का प्रतिशत	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक
1963-64	3	—	—	—	—	—	—
1964-65	13	447	447	45	45	10.1	10.1
1965-66	36	828	873	445	490	53.7	56.1
1966-67	42	940	1430	208	698	22.1	48.8
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30.6	49.6
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38.8	52.0
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46.4	64.1
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46.0	71.4
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40.5	70.8
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56.5	75.1
1973-74	1457	18820	43556	9784	31667	52.0	72.7
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56.8	69.5
1975-76	2905	29652	84778	17115	59420	57.7	70.1
1976-77	4487	38062	109005	22082	81502	58.0	74.8
1977-78	6221	38716	142548	23430	104932	60.5	73.6

विवरण 2

1977-78 के दौरान मंजूरियां—प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
लघु सिंचाई	522	19973	17674	2299
भूमि विकास	98	1196	982	214
कृषि मशीनीकरण	246	4149	3170	979
बागान/बागवानी	112	3164	2629	535
मुर्गी पालन/भेड़ पालन/सुअर पालन	79	521	436	85
मत्स्य पालन	125	1440	1202	238
डेरी विकास	185	3071	2503	568
भंडार और बाजार केन्द्र	434	4463	3618	845
अन्य :				
कृषि विमानन	—	—	—	—
समन्वित रूई विकास परियोजना	15	1009	584	425
वन उद्योग	1	82	65	17
गोबर गैस संयंत्र	19	202	151	51
जोड़	1836	39270	33014	6256

विवरण 3

1977-78 के दौरान मंजूरियां—क्षेत्रवार और राज्यवार

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
I उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	1	4	3	1
दिल्ली	2	26	20	6
हरियाणा	57	2030	1522	508
हिमाचल प्रदेश	5	52	43	9
जम्मू और कश्मीर	7	73	55	18
पंजाब	96	3164	2604	560
राजस्थान	79	2385	1970	415
	247	7734	6217	1517
II उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	65	1483	1314	169
मणिपुर	24	154	136	18
मेघालय	1	1	1	—
नागालैंड	4	17	15	2
त्रिपुरा	2	8	7	1
	96	1663	1473	190

विवरण 3 (जारी)

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
III पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	166	2348	2053	295
उड़ीसा	65	1506	1357	149
पश्चिम बंगाल	89	1623	1446	177
	320	5477	4856	621
IV मध्यवर्ती क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	190	3854	3279	575
उत्तर प्रदेश	220	2939	2403	536
	410	6793	5682	1111
V पश्चिमी क्षेत्र				
गोवा	8	147	119	28
गुजरात	70	2656	2241	415
महाराष्ट्र	233	3216	2639	577
	311	6019	4999	1020
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	151	5335	4577	758
कर्नाटकज	162	3476	2881	595
केरल	50	1974	1682	292
तमिलनाडु	89	799	647	152
	452	11584	9787	1797
जोड़ (I से VI तक)	1836	39270	33014	6256

विवरण 4

1977–78 के दौरान मंजूरियाँ—एजेंसीवार

लाख रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषिवि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
राज्य भूमि विकास बैंक	330	14759	12897	1862
		(37.6)	(39.1)	
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1465	23094	19161	3933
		(58.8)	(58.0)	
राज्य सहकारी बैंक	41	1417	956	461
		(3.6)	(2.9)	
	1836	39270	33014	6256
		(100.0)	(100.0)	

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

विवरण 5

30 जून 1978 तक मंजूर योजनाओं के लिए वितरित राशि—प्रयोजनवार

लाख रुपये

प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	वितरित राशि
लघु सिंचाई	2680	132247	117936	14311	73158
भूमि विकास	395	14776	11824	2952	4472
कृषि मशीनीकरण	954	25823	19727	6096	14538
बागान/बागबानी	491	10368	8178	2190	2952
मुर्गी पालन/भेड़ पालन/सुअर पालन	199	1327	1090	237	444
मत्स्य पालन	291	3828	3027	801	1442
डेरी विकास	494	6645	5406	1239	1348
भंडार और बाजार केन्द्र	663	10373	8663	1710	6429
अन्य :					
कृषि विमानन	3	53	40	13	17
वन उद्योग	14	523	406	117	68
समन्वित रूई विकास परियोजना	17	1013	590	423	63
गोबर गैस संयंत्र	20	205	152	53	1
जोड़	6221	207181	177039	30142	104932

विवरण 6

30 जून 1978 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट संख्या	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे			वितरित राशि	
					जोड़	चरणबद्धता		1977-78 के दौरान	30 जून 1978 तक
						30 जून 1978 तक	1977-78 के दौरान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. उत्तरी क्षेत्र									
चंडीगढ़	2	बान/बानी	1	4	3	3	3	3	3
दिल्ली	2	कृम	4	133	104	67	17	16	69
		मुपा	1	20	16	16	16	—	—
		डेवि	5	30	27	23	6	3	8
	3	मुपा	1	12	12	12	—	—	6
			11	195	159	118	39	19	83

जारी.....

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	1	लसि	39	6304	5673	5614	356	380	4049
		भूवि	6	461	370	340	114	38	94
		कृम	6	1138	854	831	175	66	773
		बान/बानी	2	54	40	40	—	7	37
		डेवि	1	51	38	38	—	38	38
		गोसं	1	7	5	5	5	—	—
	2	लसि	56	4708	3822	2746	570	192	1844
		भूवि	21	266	213	163	107	6	6
		कृम	72	1985	1490	1369	374	284	1221
		मुपा	3	21	19	19	5	1	6
		भँपा	1	2	1	1	—	1	1
		डेवि	10	109	94	70	23	1	36
		भं और बा	26	291	231	227	13	81	220
		कृवि	1	30	23	23	—	—	—
		सरूविप	5	25	24	21	21	16	19
	3	डेवि	1	20	15	15	—	—	15
		भं और बा	4	267	262	262	—	—	243
		सरूविप	3	536	353	353	353	—	—
			258	16275	13527	12137	2116	1111	8602
हिमाचल प्रदेश	1	लसि	1	20	18	18	13	2	2
		बान/बानी	2	78	58	40	18	5	18
	2	लसि	1	8	7	7	7	—	—
		कृम	1	14	11	11	—	—	11
		बान/बानी	11	167	150	146	85	14	14
		मुपा	1	6	6	4	2	—	—
		डेवि	5	37	32	26	7	2	6
			22	330	282	252	132	23	51
जम्मू और कश्मीर	1	भूवि	1	8	7	7	—	—	—
		कृम	1	34	26	26	5	4	20
		बान/बानी	3	130	97	97	—	—	78
		भेपा	1	23	18	2	2	—	—
		डेवि	1	14	10	2	2	—	—
	2	कृम	2	40	31	8	8	11	11
		भेपा	1	4	4	1	1	—	—
		डेवि	3	13	9	6	6	—	—
			13	266	202	149	24	15	109
पंजाब	1	लसि	47	3727	3373	3269	466	46	2636
		भूवि	20	1256	1055	663	111	36	345
		कृम	3	1310	982	982	—	—	750
		बान/बानी	2	187	141	141	—	—	—
		डेवि	2	63	48	9	9	—	—

जारी.....

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	लसिं	30	3014	2473	1576	765	549	975
		भूवि	4	208	163	71	36	3	3
		कृम	46	3202	2402	2387	98	162	2029
		मुपा	4	37	28	21	20	13	13
		डेवि	25	255	228	185	23	14	89
		भं और बा	65	610	488	488	244	315	416
		सरूविप	5	41	32	32	32	18	20
	3	कृम	1	18	16	16	—	—	16
		भं और बा	4	747	730	730	—	—	651
		सरूविप	1	212	100	100	100	21	21
			259	14887	12259	10670	1908	1177	7964
राजस्थान	1	लसिं	88	3940	3647	3021	705	523	1869
		भूवि	4	454	340	331	10	6	25
		बान/बानी	3	119	98	45	20	—	18
	2	लसिं	38	1154	937	730	312	173	459
		भूवि	3	83	62	20	16		1
		सक्षेवि	18	3899	3098	1356	654	95	284
		कृम	28	752	569	454	178	153	427
		कृसेकें	3	78	59	44	19	2	13
		बान/बानी	1	57	45	13	13	—	—
		मुपा	3	35	26	42	35	1	1
		भेपा	7	184	166			16	16
		डेवि	27	1105	893	313	258	15	37
		भं और बा	51	966	773	722	543	327	503
			274	12826	10713	7091	2763	1312	3653
			838	44783	37145	30420	6985	3660	20465
II उत्तर पूर्वी क्षेत्र									
असम	1	लसिं	1	126	113	—	—	—	—
		बान/बानी	1	5	4	3	—	—	—
	2	लसिं	10	281	253	77	56	3	18
		भूवि	1	11	10	10	10	7	7
		कृम	3	78	71	29	20	5	8
		बान/बानी	32	1094	979	438	299	143	316
		मपा	1	15	14	4	4	1	1
		डेवि	5	32	29	22	11	4	7
		भं और बा	38	208	170	169	152	109	125
		सुपा	1	3	2	1	1	1	1
			93	1853	1645	753	553	273	483

जारी—

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	2	कृम	1	41	37	25	9	5	18
		बान/बानी	1	64	57	7	7	—	—
	3	लसि	1	4	3	1	1	—	—
		कृम	1	55	51	26	26	11	11
		मपा	21	36	31	22	22	7	7
			25	200	179	81	65	23	36
मेघालय	2	मुपा	3	6	6	—	—	—	—
		वन	1	49	44	20	20	—	—
	3	बान/बानी	2	11	10	—	—	—	—
			6	66	60	20	20	—	—
नागालैंड	2	भ और बा	3	9	7	7	7	5	7
	3	भूवि	1	30	30	30	—	—	11
		बान/बानी	2	11	10	2	2	—	—
			6	50	47	39	9	5	18
त्रिपुरा	2	लसि	4	20	18	15	11	—	2
		बान/बानी	1	5	5	3	1	3	4
		भं और बा	1	6	5	5	5	5	5
		वन	2	50	40	—	—	—	—
			8	81	68	23	17	8	11
			138	2250	1999	916	664	309	548
III. पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	1	लसि	20	5469	4922	3711	986	215	2898
		भूवि	1	112	84	84	—	—	84
		कृम	2	142	128	128	44	19	79
		बान/बानी	1	14	11	7	1	—	3
		मपा	1	46	41	10	10	—	—
	2	लसि	165	4766	4260	3447	893	743	2039
		कृम	26	847	741	509	142	182	506
		मुपा	1	1	1	—	—	—	—
		वन	3	166	116	65	—	8	23
		डवि	4	23	20	9	7	2	2
		भं और बा	112	2017	1772	1527	788	695	1158
	3	डेवि	2	70	53	53	—	—	10
			338	13673	12149	9550	2871	1864	6802

जारी—

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा	1	लसि	54	3267	2941	2721	1041	249	685
		भूवि	7	107	85	81	18	5	36
		कृम	1	80	60	60	—	—	15
		बान/बानी	13	408	339	189	72	44	119
	2	लसि	109	2886	2602	2070	603	311	690
		भूवि	4	97	81	81	11	1	16
		कृम	4	86	75	25	25	28	38
		कृसेके	1	2	2	2	2	—	—
		बान/बानी	4	32	29	14	7	—	1
		मपा	15	158	141	55	33	19	19
		डेवि	1	9	8	6	2	2	2
		भं और बा	5	38	32	30	24	18	20
		वन	1	6	5	—	—	—	—
	3	लसि	25	956	861	693	432	133	205
		मपा	1	39	35	35	14	6	6
		डेवि	1	19	18	18	—	—	—
			246	8190	7314	6080	2284	816	1852
पश्चिम बंगाल	1	लसि	60	1653	1492	1310	442	391	842
		कृम	1	28	26	18	7	—	—
		बान/बानी	13	147	132	77	37	8	15
		मपा	12	353	318	99	83	—	—
	2	लसि	63	1556	1399	1003	562	340	661
		कृम	9	187	168	103	33	26	61
		कृसेकें	1	1	1	1	1	1	1
		बान/बानी	15	376	337	108	79	54	83
		मपा	6	99	90	40	31	16	18
		डेवि	5	50	46	24	10	10	17
		भं और बा	16	307	256	232	137	150	157
			201	4757	4265	3015	1422	996	1855
			785	26620	23728	18465	6577	3676	10509
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	1	लसि	136	9059	8163	6402	1383	834	5149
		भूवि	26	228	171	171	92	2	32
		कृम	3	246	184	140	37	11	83
		बान/बानी	2	31	23	23	9	—	—
	2	लसि	166	4524	4024	3898	1555	473	2694
		भूवि	39	171	127	127	127	7	7
		कृम	29	1194	917	802	216	86	478
		कृसेके	97	83	65	65	3	5	40
		बान/बानी	1	2	2	1	1	—	—

जारी....

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मुपा	5	17	13	6	6	1	1
		डेवि	20	770	619	398	355	10	11
		भं और बा	69	506	404	393	79	199	224
		वन	6	170	136	80	20	42	45
		गोस	3	36	26	10	10	—	—
	3	भ और बा	1	27	20	20	9	—	11
			603	17064	14894	12536	3902	1670	8775
उत्तर प्रदेश	1	लसि	152	18328	16568	15429	2091	2328	10635
		भूवि	14	119	97	65	34	—	—
		संक्षेवि	96	338	300	237	138	—	—
		बान/बानी	8	135	101	90	—	23	45
		डेवि	8	61	54	21	21	—	—
	2	लसि	74	1890	1659	1623	92	365	1372
		भूवि	5	954	711	710	4	6	199
		संक्षेवि	40	58	48	33	17	—	—
		कृम	272	4839	3701	3525	718	829	2876
		भेपा	3	5	4	3	2	1	1
		डेवि	51	560	460	305	123	26	112
		भं और बा	105	1570	1236	1056	698	739	1008
		गोसं	8	22	16	5	5	—	—
	3	डेवि	2	64	48	48	—	—	—
		भं और बा	1	155	155	155	—	—	150
			839	29098	25158	23305	3943	4317	16398
			1442	46162	40052	35841	7845	5987	25173
V. पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	2	लसि	3	33	26	26	12	—	3
		बान/बानी	1	8	6	5	3	—	—
		मुपा	5	26	22	21	17	11	12
		मपा	26	253	203	139	49	49	78
		डेवि	2	21	16	7	6	—	—
	3	मपा	1	40	30	30	30	8	30
			38	381	303	228	117	68	123
गुजरात	1	लसि	77	6722	6049	5780	355	96	4621
		कृम	1	351	263	263	—	—	233
		बान/बानी	2	30	22	22	—	—	22
		डेवि	10	254	193	57	57	—	—

जारी····

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	लसिं	60	2479	2112	1985	1827	713	790
		कृम	34	1177	901	753	285	174	617
		कृसेकें	4	44	35	35	33	1	14
		मुपा	5	48	37	37	29	1	1
		मपा	5	134	107	101	94	73	81
		डेवि	26	485	402	327	120	66	239
		भं ग्रोर बा	15	309	244	243	227	195	233
	3	मपा	2	198	179	128	51	—	—
		भं ग्रोर बा	1	2	2	2	—	—	2
			242	12233	10546	9733	3078	1319	4853
महाराष्ट्र	1	लसिं	172	10149	9127	7473	764	1243	7359
		भूवि	8	411	368	368	—	—	368
		कृम	2	271	203	203	—	—	153
		बान/बानी	7	220	165	106	10	4	17
	2	लसिं	438	4340	3539	2555	543	204	1404
		भूवि	2	30	23	12	12	—	—
		कृम	150	1447	1104	719	366	182	508
		बान/बानी	9	33	29	22	11	5	6
		मुपा	29	172	135	90	31	30	84
		भेपा	1	5	4	—	—	—	—
		मपा	18	131	98	65	47	26	38
		डेवि	138	1227	991	615	284	112	477
		भं ग्रौर बा	16	543	433	388	254	164	237
		कृवि	1	7	5	5	—	—	5
		सरूविप	2	6	6	3	3	3	3
		गोसं	2	6	4	4	4	1	1
	3	मपा	5	180	84	84	—	—	82
		सरूविप	1	193	75	75	75	—	—
			1001	19371	16393	12787	2404	1974	10742
			1281	31985	27242	22748	5599	3361	17718
VI. दक्षिणी क्षेत्र									
ग्रांध्र प्रदेश	1	लसिं	128	12437	11258	9385	2229	2457	7182
		भूवि	31	2248	1827	1820	336	69	1417
		कृम	5	1932	1449	1033	388	471	1062
		बान/बानी	18	343	256	141	47	28	78
		भेपा	12	180	140	140	60	75	82
		मपा	1	188	141	141	71	53	53
		डेवि	19	363	277	210	129	29	51
		मुपा	1	20	15	15	7	—	—
	2	लसिं	79	1093	1023	901	203	131	499
		भूवि	9	147	112	106	51	—	38

जारी····

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कुम	24	471	353	324	59	56	250
		बान/बानी	9	33	27	21	21	2	6
		मुपा	56	206	163	143	47	37	92
		भेपा	23	118	98	72	33	13	34
		मपा	26	66	52	51	23	26	40
		डेवि	59	426	360	278	45	42	137
		कुसेंकें	4	159	122	122	35	6	27
		भंग्रौर बा	43	516	421	321	284	358	386
	4	लसि	1	11	9	9	—	—	—
		मपा	1	60	39	39	—	—	39
			549	21017	18142	15272	4068	3853	11473
कर्नाटक	1	लसि	195	8735	7861	4108	3996	682	4907
		भूवि	15	1147	867	3	3	29	593
		कुम	12	872	653	76	—	—	450
		बान/बानी	47	1643	1233	945	134	92	723
		डेवि	4	49	38	7	7	—	—
		गोसं	3	58	44	8	8	—	—
	2	लसि	36	577	507	114	27	5	193
		भूवि	5	89	66	66	—	—	3
		कुम	58	1289	974	915	41	32	898
		बान/बानी	122	956	760	546	195	129	320
		मुपा	20	63	52	52	12	4	37
		भेपा	1	4	4	4	—	—	—
		मपा	34	620	493	440	275	153	271
		डेवि	20	218	192	57	38	1	2
		भंग्रौर बा	50	801	632	605	128	187	325
		गोसं	3	76	57	30	30	—	—
	3	बान/बानी	2	36	36	—	—	—	25
		मपा	2	206	143	143	143	—	137
		भंग्रौर बा	2	132	113	—	—	6	111
			631	17571	14725	8119	4737	1320	8995
केरल	1	लसि	11	892	803	157	96	36	82
		भूवि	5	110	82	58	4	—	20
		कुम	2	53	40	20	20	2	2
		बान/बानी	44	1382	1048	449	122	77	335
		डेवि	2	17	13	4	4	—	—
	2	लसि	13	633	565	543	497	70	120
		भूवि	3	1019	890	565	162	97	375
		कुम	12	115	88	83	43	13	38
		बान/बानी	23	500	413	184	60	1	114
		मपा	53	238	180	155	61	48	122
		डेवि	13	68	58	45	16	—	7
		भंग्रौर बा	4	33	26	26	26	26	26
		वन	1	82	65	7	7	—	—

जारी····

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	सुपा	1	22	21	21	5	—	—
		मपा	3	162	162	162	—	—	56
			190	5326	4454	2479	1123	370	1287
पांडिचेरी	2	लसि	1	2	1	1	—	—	1
		डेवि	2	22	11	11	—	—	11
	3	मपा	2	46	34	34	—	—	15
			5	70	46	46	—	—	27
तमिलनाड	1	लसि	117	6219	5670	4901	451	397	6214
		भूवि	4	662	497	472	3	—	470
		कृम	1	780	585	585	—	9	625
		बान/बानी	39	1279	957	551	128	65	236
	2	लसि	9	193	158	154	76	43	59
		भूवि	2	53	40	40	—	—	38
		कृम	16	228	170	151	5	17	94
		कृसेकें	11	21	16	16	7	6	13
		बान/बानी	47	774	555	358	92	80	316
		मुपा	5	28	22	22	9	—	10
		भेपा	3	21	17	13	9	6	8
		मपा	53	460	343	328	47	37	295
		डेवि	20	140	106	101	22	18	34
		भं और बा	31	313	251	251	245	198	211
		कृवि	1	16	12	12	—	—	12
	3	भेपा	1	38	38	38	—	—	38
		मपा	2	100	69	69	24	18	64
			362	11397	9506	8062	1118	894	8737
			1737	55381	46873	33978	11046	6437	30519
	जोड़ (I से VI)		6221	207181	177039	142548	38716	23430	104932

विवरण-7

30 जून 1978 तक मंजूर योजनाओं का वितरण एजेंसीवार

लाख रुपये

एजेंसी	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषि निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे	वितरित राशि
राज्य भूमि विकास बैंक	1862	119969 (57.9)	105400 (59.5)	14569	68827
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4256	82497 (39.8)	67793 (38.3)	14704	34143
राज्य सहकारी बैंक	103	4715 (2.3)	3846 (2.2)	869	1962
	6221	207181 (100.0)	177039 (100.0)	30142	104932

कोष्ठकों में दिये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत है ।

विवरण 8

कम विकसित/कम बैंक सुविधावाले राज्यों में मंजूर योजनाओं और वितरित पुनर्वित्त की स्थिति

लाख रुपये

विवरण	मंजूर योजनाएं			वितरित राशि	कुल वितरित राशि का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	कृषुवि निगम के वायदे	कुल वायदों का प्रतिशत		
उत्तर प्रदेश					
30 जून 1971 तक . .	32	2566	10.3	671	7.5
1971-72 के दौरान . .	33	2784	20.6	604	17.3
1972-73 ,, . .	26	1573	9.1	1143	12.1
1973-74 ,, . .	85	4012	18.2	1498	15.3
1974-75 ,, . .	75	3714	18.2	1849	17.3
1975-76 ,, . .	108	4172	14.1	2598	15.2
1976-77 ,, . .	269	1766	5.8	3720	16.9
1977-78 ,, . .	220	2403	7.3	4317	18.4
30जून 1978 तक . .	839	25158	14.2	16398	15.6
मध्य प्रदेश					
30 जून 1971 तक . .	19	1709	6.9	170	1.9
1971-72 के दौरान . .	14	877	6.5	187	5.3
1972-73 ,, . .	18	1172	6.8	319	3.4
1973-74 ,, . .	122	5484	24.9	645	6.6
1974-75 ,, . .	38	795	3.9	1234	11.6
1975-76 ,, . .	102	1242	4.2	1932	11.3
1976-77 ,, . .	118	1940	6.3	2610	11.8
1977-78 ,, . .	190	3279	9.9	1670	7.1
30 जून 1978 तक . .	603	14894	8.4	8775	8.4
बिहार					
30 जून 1971 तक . .	8	1360	5.5	193	2.2
1971-72 के दौरान . .	1	100	0.7	67	1.9
1972-73 ,, . .	4	113	0.7	154	1.6
1973-74 ,, . .	16	2738	12.4	585	5.9
1974-75 ,, . .	29	2069	10.1	932	8.8
1975-76 ,, . .	36	2313	7.8	1318	7.7
1976-77 ,, . .	101	2863	7.7	1696	7.7
1977-78 ,, . .	166	2053	6.2	1864	8.0
30 जून 1978 तक . .	338	12149	6.9	6802	6.5
उड़ीसा					
30 जून 1971 तक . .	8	155	0.6	27	0.3
1971-72 के दौरान . .	2	80	0.6	8	0.2

विवरण 8 (जारी)

कम विकसित/कम बैंक सुविधावाले राज्यों में मंजूर योजनाओं और वितरित पुनर्वित्त की स्थिति

लाख रुपये

विवरण	मंजूर योजनाएं			वितरित राशि	कुल वितरित राशि का प्रतिशत
	योजनाओं की संख्या	कृषुवि निगम के हायवे	कुल हायवों का प्रतिशत		
1972-73 के दौरान . .	8	261	1.5	11	0.1
1973-74 ,, . .	5	792	3.6	8	0.1
1974-75 ,, . .	38	1684	8.2	82	0.8
1975-76 ,, . .	53	985	3.3	338	1.9
1976-77 ,, . .	79	2230	6.0	565	2.6
1977-78 ,, . .	65	1357	4.1	816	3.5
30 जून 1978 तक . .	246	7314	4.1	1852	1.7
पश्चिम बंगाल . . .					
30 जून 1971 तक . .	6	160	0.6	13	0.1
1971-72 के दौरान . .	4	30	0.2	5	0.1
1972-73 ,, . .	4	21	0.1	4	0.1
1973-74 ,, . .	12	247	1.1	22	0.2
1974-75 ,, . .	9	127	0.6	69	0.6
1975-76 ,, . .	31	997	3.4	159	0.9
1976-77 ,, . .	52	1389	3.8	590	2.7
1977-78 ,, . .	89	1446	4.4	996	4.3
30 जून 1978 तक . .	201	4265	2.4	1855	1.8
राजस्थान					
30 जून 1971 तक . .	11	697	2.8	161	1.8
1971-72 के दौरान .	16	977	7.2	83	2.4
1972-73 ,, . .	5	507	2.9	136	1.4
1973-74 ,, . .	20	666	3.0	283	2.9
1974-75 ,, . .	16	851	4.2	350	3.3
1975-76 ,, . .	57	3353	11.3	536	3.3
1976-77 ,, . .	69	2139	5.8	787	3.6
1977-78 ,, . .	79	1970	6.0	1312	5.6
30 जून 1978 तक . .	274	10713	6.0	3653	3.5
30 जून 1978 तक कम विकसित/कम बैंक सुविधावाले राज्यों का जोड़ (उपर्युक्त 6 राज्यों सहित)	2674	76976	43.5	40043	38.2
30 जून, 1978 तक सभी राज्यों का जोड़ . . .	6221	177039	100.0	104932	100.0

*उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्य।

विवरण 9

अंतर्राज्यीय असंतुलन में कमी—मंजूर योजनाओं की स्थिति

लाख रुपये

राज्य	30 जून 1971 तक			30 जून 1977 तक			30 जून 1978 को		
	योजनाओं की संख्या	कृपुवि निगम के वायदे	वितरित राशि	योजनाओं की संख्या	कृपुवि निगम के वायदे	वितरित राशि	योजनाओं की संख्या	कृपुवि निगम के वायदे	वितरित राशि
आन्ध्र प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र* . . .	44	1800	639	249	7259	3207	330	9734	4605
संपूर्ण राज्य	74	3416	1758	409	13479	7620	549	18142	11473
उड़ीसा									
कम विकसित क्षेत्र* . . .	3	43	—	61	1621	181	55	1775	179
संपूर्ण राज्य	8	155	27	183	5979	1036	246	7314	1852
उत्तर प्रदेश									
कम विकसित क्षेत्र* . . .	10	544	157	198	7203	4122	221	7621	5135
संपूर्ण राज्य	32	2566	671	621	21785	12081	839	25158	16398

*आन्ध्र प्रदेश : तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र

उड़ीसा : मयूरगंज, केन्जौर, फूलब नी, सुन्दरगढ़, कोरापट और कालाहांडी जिले।

उत्तर प्रदेश : फैजाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के तीन खंडों के जिले

विवरण 10

30 जून 1978 तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वाधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृपुवि निगम के वायदे			वितरित राशि	
					जोड़	चरणबद्धता		1977-78 के दौरान	30 जून 1978 तक
						30 जून 1978 तक	1977-78 के दौरान		
I उत्तरी क्षेत्र									
दिल्ली	वा० बैंक	डेवि	5	30	27	23	6	3	9
हरियाणा	वा० बैंक	मुपा	1	11	10	10	3	—	4
		डेवि	3	27	27	27	—	—	23
हिमाचल प्रदेश	वा० बैंक	लसि	1	8	7	7	7	—	—
		मुपा	1	6	6	4	2	—	—
		डेवि	5	37	32	26	7	3	7
जम्मू और काश्मीर	राभूवि बैंक	भूवि	1	6	6	6	—	—	—
	वा० बैंक	डेवि	3	13	10	6	6	—	—
पंजाब	राभूवि बैंक	लसि	4	179	179	179	—	—	138
	वा० बक	लसि	1	6	6	6	3	—	6
		मुपा	1	1	1	1	—	—	—
		डेवि	22	196	185	154	16	5	57
राजस्थान	राभूवि बैंक	लसि	16	707	680	643	124	62	452
	वा० बैंक	लसि	5	64	57	42	18	12	20
		भेपा	6	183	165	32	32	16	16
		डेवि	3	16	15	7	5	1	1
			78	1490	1413	1173	229	102	733
II उत्तर पूर्व क्षेत्र									
असम	राभूवि बैंक	लसि	1	126	113	—	—	—	—
	वा० बैंक	लसि	7	57	51	41	19	3	12
		बान/बनी	1	7	6	5	3	—	1
		मपा	1	15	14	4	4	—	—
		डेवि	3	23	21	18	9	2	4

मणिपुर	रास बैंक	लसि	1	1	1	—	—	—	—
मेघालय	रास बैंक	बान/बानी	2	11	10	10	10	—	—
		मुपा	2	5	5	—	—	—	—
नागालैण्ड	रास बैंक	बान/बानी	2	11	10	2	2	—	—
त्रिपुरा	वा० बैंक	लसि	3	19	17	15	10	—	2
			23	275	248	95	57	5	19
III पूर्वी क्षेत्र									
बिहार	वा० बैंक	लसि	2	69	64	58	13	1	23
		कृम	1	4	4	1	1	—	—
		मुपा	1	1	—	—	—	—	—
		डेवि	3	13	12	4	4	1	1
उड़ीसा	राभूवि बैंक	लसि	3	242	218	218	41	21	64
		भूवि	1	2	2	1	1	—	—
	वा० बैंक	लसि	5	442	402	389	137	1	13
		भूवि	1	16	16	16	—	1	3
		बान/बानी	3	15	13	6	3	—	—
		डेवि	1	5	5	4	1	—	—
	रास बैंक	डेवि	1	16	16	15	—	—	—
पश्चिम बंगाल	राभूवि बैंक	लसि	7	136	127	116	27	22	102
		बान/बानी	1	9	9	7	1	—	—
	वा० बैंक	लसि	6	67	62	57	13	2	68
		डेवि	2	15	15	15	3	—	7
			38	1052	965	907	245	49	281
IV मध्यवर्ती क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	राभूवि बैंक	लसि	10	430	410	323	76	—	161
	वा० बैंक	लसि	2	24	21	21	—	—	11
		डेवि	5	36	31	18	7	—	—

विवरण 10 (जारी)

30 जून 1978 तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वाधान में मंजूर योजनाएं

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	योजनाओं की संख्या	वित्तीय सहायता	कृषुवि निगम के वायदे			वितरित राशि	
					जोड़	चरणबद्धता		1977-78 के दौरान	30 जून 1978 तक
						30 जून 1978 तक	1977-78 के दौरान		
उत्तर प्रदेश	राभूवि बैंक	लसि	8	931	911	823	89	—	557
		भूवि	2	3	3	3	—	—	—
		डेवि	7	51	46	18	18	—	—
	वा० बैंक	लसि	3	26	25	24	4	9	18
		भेपा	1	1	1	—	—	—	—
		डेवि	14	96	88	59	19	1	19
			52	1598	1536	1289	213	10	766
पश्चिमी क्षेत्र									
गोवा	वा० बैंक	लसि	1	13	12	12	12	—	—
		डेवि	1	2	1	1	—	—	—
गुजरात	राभूवि बैंक	डेवि	2	10	9	2	2	—	—
	वा० बैंक	लसि	7	39	35	17	11	8	8
		डेवि	14	91	87	75	24	24	62
महाराष्ट्र	राभूवि बैंक	लसि	22	580	528	408	143	100	258
	वा० बैंक	लसि	13	126	114	57	11	—	7
		डेवि	24	156	137	76	11	17	40
			84	1017	923	648	214	149	375

VI दक्षिणी क्षेत्र									
आन्ध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लसि	16	1076	1034	994	317	156	520
		भूवि	4	124	111	111	111	—	—
		मेपा	3	38	34	34	21	6	6
		डेवि	1	9	9	9	4	2	3
	बा० बैंक	लसि	2	20	20	20	1	3	12
		बान/बानी	1	4	4	4	—	—	4
		मुपा	1	2	2	2	1	—	—
		मेपा	6	44	38	30	6	—	16
		डेवि	21	149	134	121	57	15	39
	रास बैंक	लसि	1	11	9	9	—	—	—
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लसि	3	484	484	465	—	—	429
	बा० बैंक	लसि	3	75	70	45	7	—	—
		मेपा	1	4	4	2	—	—	—
		डेवि	1	2	2	2	2	—	—
केरल	राभूवि बैंक	लसि	4	37	33	33	20	—	—
	बा० बैंक	मपा	1	2	1	1	—	—	1
		डेवि	5	23	22	19	4	—	3
	रास बैंक	मुपा	1	22	21	21	5	—	—
पांडिचेरी	बा० बैंक	डेवि	1	9	6	6	—	—	6
तमिलनाडु	राभूवि बैंक	लसि	6	48	48	48	—	—	48
			82	2183	2086	1976	556	182	1087
जोड़ (I से IV)			357	7615	7171	6088	1514	497	3261

विवरण 11

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की परियोजनाएं—प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिचाई (जैसे खोदे गये कुएं, खोदे गये व बोरिंग किये गए कुएं, उथले, मध्यम और गहरे नलकूप, उठाऊ सिंचाई की इकाइयां और कुओं में पंपसेट लगाने, पाइप लाइन बिछाने तथा उसके संबंध में भूमि को समतल बनाने के कार्य), भूमि विकास तथा आयातित और देशी ट्रैक्टरों, कटाई की मशीनों (हार्वेस्टर्स) तथा कंबाइनों की खरीद के वित्तपोषण में भारी निवेशों की परिकल्पना की गयी है। अन्य विशेष विकास योजनाओं के मामले में उनके नाम ही विकास के उद्देश्यों के द्योतक हैं। कृषुवि निगम की ऋण परियोजना I और II सामान्य स्वरूप की हैं। वे निगम की लघु सिंचाई और डेरी, मुर्गीपालन, बागान, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे अन्य अनुमोदित विविध प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करने में सहायता देती हैं।

प्रत्येक परियोजना की कुल लागत, निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता, परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों का संक्षिप्त विवरण तथा परिकल्पित विकास के स्वरूप और प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

1. क—कृषुवि निगम की पहली ऋण परियोजना (540 आई एन)।

   ख—परियोजना की लागत—1685 लाख डालर— कृषुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 750 लाख डालर।

   ग—लघु सिंचाई के कार्यों और डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, बागवानी जैसे अन्य विविध प्रयोजनों के लिए प्रदत्त ऋणों में निवेश।

   घ—राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और एक राज्य सहकारी बैंक।

   ङ—दो वर्ष—समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1977।

   च—यह परियोजना निर्धारित समाप्ति की तारीख से छः महीने पहले ही अर्थात् जून 1977 में पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गयी। कृषुवि निगम ने इसके लिए कुल 123 करोड़ रुपये (लघु सिंचाई के लिए 112.5 करोड़ रुपये तथा निवेशों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 10.5 करोड़ रुपये) वितरित किये। यह परियोजना अवि संघ द्वारा कृषुवि निगम को दिये गये प्रथम सामान्य ऋण का अंश थी। उसके अंतर्गत वे क्षेत्र आये जो विभिन्न राज्यों में उक्त संघ की सहायता-प्राप्त चालू विशिष्ट परियोजनाओं के क्षेत्रों से भिन्न हैं। साथ ही, उक्त परियोजना द्वारा विशिष्ट परियोजना की समाप्ति के बाद उनके अंतर्गत आनेवाले कार्यक्रमों का वित्तपोषण भी किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य ऋण की तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की शर्तों का मनाकी करण करने का था। अब कृषुवि निगम द्वारा उसी प्रकार के सभी ऋणों के लिए एक समान शर्तें लागू की जा रही हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लघु कृषक की परिभाषा को उदार बनाया गया। साथ ही भूमि विकास बैंक के ऋण कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अतिदेयों के संबंध में एक समान अनुशासन संहिता तैयार की गयी और उसे डिबेंचर मानदंडों के लिए स्थायी समिति के माध्यम से कृषुवि निगम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित किया गया। उक्त समिति में भारत सरकार, भूमि विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और कृषुवि निगम के प्रतिनिधि हैं। परियोजना के अनुबंध के अनुसार कृषुवि निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा० आर० के० हजारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने सहकारी ऋण विन्यास के दोनों पक्षों के विलय की व्यवहार्यता का अध्ययन किया। समिति की सिफारिशें भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं तथा कुछ राज्यों में उनको प्रयोगात्मक रूप से लागू किया जा रहा है।

   भूमि विकास बैंकों एवं सहकारी बैंकों के वरिष्ठ तथा मध्यवर्ती स्तर के प्रबंधकीय स्टाफ के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तर के स्टाफ की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का व्यापक रूप से निर्धारण किया गया।

   अंवि संघ द्वारा परियोजना समाप्ति रिपोर्ट कृषुवि निगम की सहायता से तैयार की गयी है।

2. क—कृषुवि निगम की दूसरी ऋण परियोजना (715 आई एन)।

   ख—परियोजना की लागत 5320 लाख डालर कृषुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 2000 लाख डालर।

   ग—लघु सिंचाई तथा कृषुवि निगम की पहली ऋण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में निवेश।

क : परियोजना का नाम, ख : परियोजना की लागत/अंवि संघ की स्थापना, ग : निवेश कार्यक्रम, घ : वित्तपोषक बैंक, ङ : परियोजना की अवधि और समाप्ति की तारीख, च : परियोजना की स्थिति.

*1977–78 में स्वीकृत परियोजनाएं।

**परियोजना के संबंध में हाल ही में बातचीत हुई है।

घ–राज्य भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक ।

ङ–दो वर्ष–समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1979 ।

च–यह परियोजना अभी क्रियान्वित की जा रही है । जून 1978 के अंत में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अन्तर्गत 105 करोड़ रुपयों के पुनर्वित्त सहायता के योग्य वितरण किये । यह राशि 680 लाख डालर का ऋण प्राप्त करने के लिये पर्याप्त थी । इस परियोजना के अधीन 18 राज्यों एवं 3 संघशासित क्षेत्रों ने पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की । इस परियोजना के एक भाग के रूप में दो समितियां गठित की गयीं । पहली समिति भारत में कृषि ऋण क्षेत्र में, विशेष-रूप से भूमि विकास बैंकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ब्याज दरों की मात्रा का अध्ययन करने के लिये तथा दूसरी समिति अगले पांच वर्षों के दौरान भारत में पंपसेटों को बदलने से संबंधित अनुमानित आवश्यकताओं के अध्ययन के लिये गठित की गयी । भूमिगत जल की संभावना के अधिक उपयोग की समस्या का नमूने के तौर पर एक अध्ययन किया जा रहा है ।

3. क–आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (226 आई-एन) ।

ख–परियोजना की लागत–450 लाख डालर—कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदत्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244 लाख डालर ।

ग–लघु सिंचाई के क्षेत्र में किये गये निवेशों, भूमि विकास और ट्रैक्टरों का वित्तपोषण ।

घ–आन्ध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ–6 वर्ष-परियोजना जून 1977 के अंत में पूर्ण की गयी ।

च–अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा भूमि विकास बैंक की सहायता से परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की गयी है ।

4. क–आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना (815 आई एन)* ।

ख–परियोजना की लागत–366 लाख डालर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 175 लाख डालर जिसमें से 40 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से ।

ग–आन्ध्र प्रदेश में समुद्रीय मछली के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति, कंपनी और सहकारी संस्था द्वारा स्वाधिकृत एवं चालित यांत्रिक तथा यांत्रिकेतर दोनों प्रकार के मछली-मार जहाजों को खरीदने के लिए ऋण प्रदान करने तथा विशाखापट्टनम, काकीनाड़ा और निज़ामपट्टनम के तीन महत्वपूर्ण मछलीमार बन्दरगाहों की स्थिति में सुधार लाने के लिए । इस परियोजना से पहुंचने के मार्गों का निर्माण कर छोटे मछलीमारों की उत्पादकता में भी सुधार लाया जायेगा ।

घ आन्ध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्यि बैंक ।

ङ– छः वर्ष समाप्ति की तारीख 30 सितम्बर 1984 ।

च– यह परियोजना हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा स्वीकार की गयी है ।

5. क– आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना (1251 आई एन) ।

ख– परियोजना की लागत– 2970 लाख डालर– अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता 1450 लाख डालर जिसमें से 91 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से ।

ग– इस परियोजना में नहरों और नालियों के जाल बनाने के कार्य को पूरा करने; नागार्जुन सागर परियोजना में ग्रामी सड़कों का निर्माण करने तथा नागार्जुन सागर परियोजना पोचमपाड तथा तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर सघन क्षेत्र में सघन क्षेत्र विकास का कार्य प्रारंभ करना शामिल है ।

घ– आंध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ– छः वर्ष –समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 1982 ।

च–47,000 एकड़ में सघन क्षेत्र विकास कार्य (4.3 करोड़ रुपये) का एक कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है । कृपुवि निगम और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच ऋण क्रियाविधियां तथा पुनर्वित्त व्यवस्थाएं हाल ही में तय की गयी हैं ।

6. क– बिहार कृषि ऋण परियोजना (440 आई एन) ।

ख– परियोजना की लागत–600 लाख डालर–कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 320 लाख डालर ।

ग– लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें नलकूप को गहरा बनाना और सतही जल को थोड़ा सा ऊपर उठा कर पंप करना तथा डीजल पंप सेटों को लगाना शामिल है ।

घ– बिहार राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ–चार वर्ष समाप्ति की तारीख जून 1977 से बढ़ाकर मार्च 1980 कर दी गयी है ।

च–परियोजना के लिए वित्तपोषक बैंकों ने 31 करोड़ रुपये या परियोजना को पूर्ण करने की आवश्यकताओं के 69 प्रतिशत की राशि वितरित की है । प्रारंभ में परियोजना का कार्य 11 जिलों तक ही सीमित था परंतु बाद में उसे संपूर्ण बिहार राज्य तक बढ़ा दिया गया ।

7. क–बिहार बाजार केन्द्र परियोजना (294 आई एन) ।

ख–परियोजना की लागत–233 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 148 लाख डालर जिसमें से 138 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से ।

ग–बिहार के लगभग 50 कस्बों में बाजार केन्द्रों में निवेश किये जाने के लिये । इसमें प्रवेश मार्गों का निर्माण करना, भूमि को समतल बनाना, मेड़ बनाना, गोदाम बनाना और व्यापारियों की दुकानें बनाना आदि नागरी निर्माण कार्य शामिल हैं ।

घ. भारतीय स्टेट बैंक ।

ङ–पांच वर्ष– समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 1978।

च–जून 1978 तक 47 बाजार केन्द्रों के प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं जिनके लिए कृपुवि निगम ने 15 करोड़ रुपयों के वायदे किये हैं । कुल 9 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त वितरित किया गया है ।

8. क–गुजरात कृषि ऋण परियोजना (191 आई एन) ।

ख–परियोजना की लागत– 670 लाख डालर–अंविसंघ की सहायता 350 लाख डालर जिसमें से 347 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से ।

ग–लघु सिंचाई के निवेश और ट्रेक्टरों की खरीद के लिये वित्तपोषण ।

घ–गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक ।

ङ–पांच वर्ष–परियोजना का कार्य 31 मार्च 1975 को पूरा हो गया ।

च–भारत में अंविसंघ की सहायता प्राप्त कृषि ऋण संबंधी इस पहली परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट कृपुवि निगम की सहायता से अंविसंघ द्वारा पूरी की गयी है ।

9. क–गुजरात मत्स्य पालन परियोजना (695 आई एन) ।

ख–परियोजना की लागत– 380 लाख डालर– अंवि संघ /अंपुवि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता 180 लाख डालर जिसमें से 47 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से ।

ग–गुजरात में मत्स्य पालन का समन्वित विकास-वेरावल और मांगरोल में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास, तटीय सुविधाओं में सुधार, मछली अभिसंस्करण इकाइयों, बर्फ संयंत्रों तथा पारंपरिक मछुओं को छोटी नाव (डोंगी) और बाह्य बोर्ड पर रखी जाने वाली मोटर खरीदने के लिये ऋण ।

घ–चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ–छः वर्ष– समाप्ति की तारीख–30 जून 1983 ।

च–इस परियोजना के कार्यान्वियन हेतु बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया गया तथा सभी सम्बन्धितों को उसकी सूचना दी गयी है ।

10. क–हरियाणा कृषि ऋण परियोजना (249 आई एन) ।

ख–परियोजना की लागत 622 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंविसंघ की सहायता 250 लाख डालर ।

ग–उथले नलकूप, आयातित एवं देशी ट्रैक्टरों आदि लघु सिंचाई के कार्यों में निवेश ।

घ–राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ–छः वर्ष– परियोजना 30 जून 1977 को समाप्त की गयी ।

च–परियोजना बढ़ायी गयी अवधि में पूर्णतः कार्यान्वित की गयी । परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट अंवि संघ को प्रस्तुत की गयी है ।

11. क–हरियाणा सिंचाई परियोजना ।

ख–परियोजना की लागत–2276 लाख डालर–अंविसंघ की सहायता 1170 लाख डालर जिसमें से 414 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से ।

ग–नहरों, जलमार्गों का आधुनिकीकरण और अधिक नलकूपों आदि का निर्माण ।

घ–अभी निश्चित किया जाना है ।

ङ और च–जून 1978 में परियोजना के बारे में बात-चीत की गयी ।

12. क—हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना (456 आई एन) ।

ख–परियोजना की लागत–213 लाख डालर—अंविसंघ की सहायता 130 लाख डालर जिसमें से 54 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से ।

ग—हिमाचल प्रदेश में सेब अभिसंस्करण एवं उसके विपणन में सुधार लाना ।

घ—चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ–चार वर्ष—समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1978।

च–अंवि संघ के समीक्षा मिशन की सिफारिशों पर 1975 में इस परियोजना में संशोधन किया गया ।

कृपुवि निगम ने 10 पैकिंग करने वाले तथा श्रेणी नियत करने वाले केन्द्रों और एक वाहनान्तरण केन्द्र की परियोजनाओं को अपना अनुमोदन प्रदान किया है। हिमाचल प्रदेश विपणन समिति ने भी श्रेणी नियत करने वाले तथा पैकिंग करने वाले दो केन्द्रों के लिये मशीनें आयात की हैं और उनमें से एक केन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। हिमाचल प्रदेश विपणन समिति ने सेब के गाढ़े रस का संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके शीघ्र ही स्वीकार किये जाने की सम्भावना है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 30 जून 1978 तक इस परियोजना के अन्तर्गत 14 लाख रुपये वितरित कर दिये हैं।

13. क. समन्वित रूई विकास परियोजना (610 आई एन)।

ख. परियोजना की लागत –360 लाख डालर-अंवि-संघ की सहायता 180 लाख डालर जिसमें से 129 लाख डालर कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के मध्यम से।

ग. इसमें रुई की विभिन्न उन्नत किस्मों को उगाने, रुई की ओटाई और उसका अभिसंस्करण करने के लिय मौसमी ऋण तथा रुई की ओटाई के कारखानों एवं बिनौला अभिसंस्करण करने वाली इकाइयों को मीयादी ऋण प्रदान करना। इसमें हरियाणा, पंजाब तथा महाराष्ट्र के परियोजना क्षेत्रों का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

घ. राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर 1981।

च. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने खरीफ मौसम 1977–78 के लिये रुई की उन्नत किस्मों को उगाने के लिये 4.5 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमा स्वीकृत की है। इस परियोजना में भाग लेनेवाले बैंकों ने 1.8 करोड़ रुपये वितरित किये तथा 58 लाख रुपयों की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त की। कृपुवि निगम ने परियोजना के अन्तर्गत 30 लाख रुपये का पहला दावा भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। हरियाणा में ओटाई तथा अभिसंस्करण घटकों के सम्बन्ध म कृपुवि निगम द्वारा परियोजना की व्यावहार्यता पर तैयार की गयी रिपोर्ट को सैद्धान्तिक रूप से हरियाणा सरकार एवं अंवि संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। पंजाब में ओटाई कारखानों के आधुनिकीकरण तथा महाराष्ट्र में ओटाई एवं अभिसंस्करण की नयी सुविधायें प्रदान करने के किसी निवेश के लिए अब तक कोई प्रस्ताव नहीं किये गये हैं। इन कार्यों के लिए अंवि संघ से ऋण आवंटित किये गये हैं।

14. क. जम्मू और काश्मीर बागवानी परियोजनायें।*

ख. परियोजना की लागत–285 लाख डालर-जिसमें से 96 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से।

ग. कृपुवि निगम सेवों की श्रेणी करने वाले और पैकिंग करनेवाले 25 केन्द्रों, 10 शीतगृहों, एक वाहनान्तर केन्द्र, सेब के रस के अभिसंस्करण की एक फैक्टरी का निर्माण करेगा तथा सेब अखरोट एवं कुकुरमुत्ता (मशरूम) के उत्पादकों की सहायतार्थ लगभग 2 करोड़ रुपये के मौसमी ऋण देगा।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. छः वर्ष-समाप्ति की तारीख—30 जून, 1984।

च. यह परियोजना हाल ही में अंवि संघ द्वारा स्वीकार की गयी है।

15. क. कर्नाटक कृषि ऋण परियोजना (278 आई एन)

ख. परियोजना की लागत-754 लाख डालर जिसमें से अंवि संघ की 400 लाख डालर की सहायता निगम के माध्यम से।

ग. लघु सिंचाई के लिये निवेश, भूमि सुधार कार्य, ट्रैक्टरों और भूमि उद्धार उपकरणों की खरीद।

घ. कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. पांच वर्ष–परियोजना की तारीख जून, 1977 के अंत तक बढ़ा दी गयी थी।

च. परियोजना जून 1977 तक पूर्णतः कार्यान्वित की गयी। लघु सिंचाई तथा भूमि समतल करने के कार्यों के अलावा इस परियोजना के अधीन 2900 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये।

16. क. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना (378 आई एन)।

ख. परियोजना की लागत-130 लाख डालर-अंविसंघ की सहायता 80 लाख डालर जिसमें से 79 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से।

ग. विपणन की सुविधाएं जिन में नागरी कार्य, उपयोगिता उपकरण आदि शामिल हैं।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक।

ङ. छः वर्ष–समाप्ति की तारीख-दिसम्बर 1979।

च. चुने गये 39 बाजारों में से बैंक ऋण के लिए बाजार केन्द्रों के 26 प्रस्ताव अनुमोदित किये

गये । शेष बाजार केन्द्रों के संबंध में स्वीकृति इसलिए स्थगित की गयी है कि बाजार विकास परामर्शदाता द्वारा परियोजना का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है ।

बाजार के बिचौलियों के लिए दुकाने और गोदाम के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिए कर्नाटक सरकार का यह प्रस्ताव था कि उनका निर्माण आन्ध्र प्रदेश विपणन समिति द्वारा किया जाए तथा बाद में पट्टे पर दे दिया जाए । यह प्रस्ताव अंवि संघ द्वारा स्वीकृत किया गया। राज्य विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण की पद्धति तथा संबंधित एजेंसियों के द्वारा निवेश की गयी नकदी राशि का पुनरीक्षण किया जा रहा है । जहां संशोधित प्रस्ताव सही पाये गये वहां बैंकों द्वारा दुकान और गोदाम की लागत की राशि का $\frac{1}{3}$ भाग अग्रिम के रुप में प्रदान किया गया है।

17. क. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना (482 आई-एन) ।

ख. परियोजना की लागत—435 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 300 लाख डालर जिसमें से 209 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकरण के द्वारा अच्छी नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाकर दूध के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके विपणन के लिए समन्वित कार्यक्रम ।

घ. कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ. आठ वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 सितम्बर, 1982

च. पूर्णत : तैयार योजना के ठेकों के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा किये जाने वाले व्यय के संबंध में अंवि संघ से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की क्रियाविधि के बारे में भारत सरकार तथा अंवि संघ के बीच समझौता हो गया है । अंवि संघ डेरी परियोजना के करारों (कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश) में संशोधन कर रहा है ताकि भारतीय डेरी निगम को निधि के परिचालन हेतु एक वैकल्पिक माध्यम बनाया जा सके ।

18. क. कर्नाटक सिंचाई परियोजना*

ख. परियोजना की लागत—2844 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 1260 लाख डालर जिसमें से 70 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से ।

ग. इस परियोजना के अंतर्गत अलमट्टी तथा नारायणपुर बंधों तथा नारायणपुर के बायें किनारे की नहर और साथ ही उप नहर के निर्माण तथा 4,25,000 हैक्टेयर के कृषि योग्य सघन क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा ।

घ. कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ. छः वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 मार्च, 1984

च. परियोजना हाल ही में अंवि संघ द्वारा स्वीकार की गयी है ।

19. क. केरल कृषि विकास योजना (680 आई एन)

ख. परियोजना की लागत—690 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 300 लाख डालर—कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता 208 लाख डालर ।

ग. इस परियोजना में नारियल, काली मिर्च और काजू जैसे वृक्ष फसलों का विकास करना तथा क्रम्ब रबड़ फैक्टरी स्थापित करना आदि शामिल है । कृषक लघु सिंचाई निवेशों के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

घ. केरल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक ।

ङ. आठ वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 मार्च, 1985

च. इस संबंध में बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा उसे सभी संबंधितों को सूचित कर दिया गया है । विशेष कृषि विकास इकाई ने 105 पैकेज इकाईयों का पता लगाया है जिसमें से नारियल के पेड़ लगाने और काली मिर्च के विकास करने से संबंधित 22 पैकेज इकाईयों का कार्यान्वयन पहले वर्ष के दौरान शुरु किया जाएगा । राज्य सरकार ने काजू विकास की उप परियोजना के लिए 7 उप—खण्ड काजू विकास निगम को सौंपे है ।

20. क. मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (391 आई-एन)

ख. परियोजना की लागत—603 लाख डालर—अंवि संघ की 332 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. लघु सिंचाई निवेश तथा भूमि को समतल बनाना

घ. राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. तीन वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसम्बर 1976

च. दिसंबर 1976 के अंत तक कार्यक्रम पूर्णतः कार्यान्वित किया गया। तत्संबंधी परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

21. क. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना (522 आई-एन)

ख. परियोजना की लागत—312 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता—164 लाख डालर जिसमे से 137 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. डेरी संयंत्रों, पशु पालन फार्मों, चारे की मिलों आदि का निर्माण

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. सात वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1982

च. 254 डेरी सहकारिता समितियां बनायी गयी तथा 3 दूध यूनियनें पंजीकृत की गयीं। 3 यूनियनों की तकनीकी सेवाओं के लिए निवेश के प्रस्ताव कृपुवि निगम द्वारा अनुमोदित किए गए। शीत संयंत्रों के लिए नागरी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। डेरी संयंत्र के लिए दो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

22. क. मध्य प्रदेश चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (562 आई एन)

ख. परियोजना की लागत—458 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता—240 लाख डालर जिसमें से 31 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. सघन क्षेत्र में खेतों का विकास

घ. मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. चार-वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 दिसंबर 1977

च. 2575 हैक्टेयर क्षेत्र में 28 योजनाओं के लागत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। कृपुवि निगम ने 3 वाणिज्य बैंकों के लिए 9 लाख रुपयों का पुनर्वित्तकास किया है।

23. क. महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना (292 आई-एन)

ख. परियोजना की लागत—524 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 300 लाख डालर जिसमें से 254 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. लघु सिचाई कार्यक्रम तथा भूमि को समतल बनाने के लिए निवेश

घ. महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. चार वर्ष—परियोजना की अवधि जून 1976 तक बढ़ा दी गयी थी।

च. परियोजना 1975-76 में पूर्ण हो गयी। परियोजना समाप्ति रिपोर्ट कृपुवि निगम की सहायता से अंवि संघ द्वारा तैयार की जा रही है।

24. क. महाराष्ट्र सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना

ख. परियोजना की लागत—1400 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 700 लाख डालर जिसमें से 55 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. जायकवाडी और पूर्णा सिंचाई योजना क्षेत्रों में खेतों का विकास

घ. महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. छः वर्ष-समाप्ति की तारीख-31 दिसंबर 1983

च. महाराष्ट्र सरकार ने ऋण प्राप्त करने की क्रिया-विधि तय कर ली है। ऋण औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने तक कृपुवि निगम महाराष्ट्र भूमि विकास निगम को अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। खेतों के विकास के कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए बैंकिंग योजना तैयार की जा रही है।

25. क. राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 (1273 आई एन)

ख. परियोजना की लागत—527 लाख डालर—अंपुवि बैंक की सहायता 250 लाख डालर जिसमें से 182 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. यह परियोजना 4 राज्यों में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास का पहला चरण है

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. पांच वर्ष—समाप्ति की तारीख—30 जून 1981

च. अभिसंस्करण संयंत्रों के वित्तपोषण के लिए बैंकिंग योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। कृपुवि निगम ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि परियोजना का मूल्यांकन राष्ट्रीय बीज निगम, कृपुवि निगम तथा बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए ताकि योजना को स्वीकृति शीघ्रता से मिल सके। पंजाब में लाधोवाल फार्म के विकास की परियोजना अनुमोदित की गयी है। इसके लिए 70 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र राज्य बीज निगम ने अकोला बीज अभिसंस्करण संयंत्र पर एक

परियोजना रिपोर्ट तैयार की है परंतु उसमें वित्त प्रदान करने वाले बैंक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अन्य राज्य, बैंक ऋण के स्थान पर, अपने निजी साधनों से अपने वर्तमान संयंत्रों का विस्तार कर रहे हैं जैसा कि परियोजना के अनुसार अपेक्षित है।

26. क. राष्ट्रीय बीज परियोजना-चरण-II*

ख. परियोजना की लागत—348 लाख डालर—अंवि संघ की 145 लाख डालर की सहायता निगम के माध्यम से

ग. राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत पांच राज्य अर्थात् बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसमें अनाज, मूगफली और सब्जियो के बीजो की उत्तम किस्म के उत्पादन पर मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा। बीजों के उत्पादन में लगभग 125 लाख टनों की वृद्धि होगी।

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. छः वर्ष—समाप्ति की तारीख–31 दिसंबर 1984

च. यह परियोजना हाल ही में अंवि संघ द्वारा स्वीकार की गयी है।

27. क. उड़ीसा सिंचाई परियोजना (740 आईएन)*

ख. परियोजना की लागत—1160 लाख डालर—अंवि संघ की सहायता 580 लाख डालर जिसमें से 24 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. हीराकुड, सलांदी और महानदी के डेल्टा सिंचाई पद्धति के सघन क्षेत्र के 57000 हैक्टेयर भूमि में खेतों का विकास

घ. राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. छः वर्ष—समाप्ति की तारीख—31 अक्तूबर 1983

च. जनवरी 1978 से ऋण योजना अमल में आयी है।

28. क. पंजाब कृषि ऋण परियोजना (203 आईएन)

ख. परियोजना की लागत–400 लाख डालर—कृपुवि–निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंवि संघ की सहायता 275 लाख डालर

ग. कृषि मशीनीकरण उपकरण

घ. पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. सात वर्ष–परियोजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाकर उसे जून 1977 के अंत तक बढ़ाया गया।

च. परियोजना जून 1977 के अंत तक पूरी तरह से कार्यान्वित की गयी। परियोजना के अंतर्गत 7827 ट्रैक्टरों के लिए वित्त प्रदान किया गया जिसमें से 4051 देशी और 3776 आयातित ट्रैक्टर थे।

29. क. चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना–राजस्थान (1011 आईएन)

ख. परियोजना (कृपुवि निगम कार्यक्रम) की लागत–120 लाख डालर—कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंपुवि बैंक की सहायता 65 लाख डालर

ग. चम्बल सघन क्षेत्र में खेतों का विकास

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. सात वर्ष–समाप्ति की तारीख–30 जून 1981

च. 18 जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित लागत अनुमानों का अनुमोदन कृपुवि निगम द्वारा किया गया है। 12 जल ग्रहण क्षेत्रों मे कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा भाग लेने वाले बैंकों में से एक बैंक द्वारा 16 लाख रुपए की राशि वितरित की गयी है।

30. क. राजस्थान नहर सघन क्षेत्र विकास परियोजना (502 आईएन)

ख. परियोजना की लागत—398 लाख डालर–कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंवि संघ की सहायता 225 लाख डालर

ग. राजस्थान नहर सघन क्षेत्र में खेतों का विकास

घ. चने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. सात वर्ष–समाप्ति की तारीख-30 जून 1981

च. कृपुवि निगम ने 970 चकों के संबंध में तकनीकी मंजूरी दे दी है। राजस्थान भूमि विकास निगम ने 690 चकों के संबंध में वित्तपोषण करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 580 चकों का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 146 चकों का कार्य पूर्ण हो चुका है। बैंकों ने राजस्थान भूमि विकास निगम को 2.7 करोड़ रुपये वितरित कर दिये हैं।

31. क. राजस्थान डेरी विकास परियोजना (521 आई एन)

ख. परियोजना की लागत—518 डालर—अंवि संघ की सहायता 277 लाख डालर जिसमें से 223 लाख डालर की सहायता कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. डेरी सहकारी समितियां बनाना और डेरी संयंत्र स्थापित करना

घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. सात वर्ष-सामाप्ति की तारीख-31 दिसम्बर 1982

च. 656 सहकारी समितियां बनायी गयी हैं और 4 डेरी यूनियनें स्थापित की गयीं। सांड पालन केन्द्र के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। अलवर दूध संयंत्र और जयपुर दूध संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तीन केन्द्रों पर शीत संयंत्रों का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। तकनीकी सेवाएं (3) और डेरी संयंत्र (2) के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं।

32. क. तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना (250 आई०-एन०)

ख. परियोजना की लागत—623 लाख डालर-अवि संघ की सहायता 350 लाख डालर जिसमें से 310 डालर निगम के माध्यम से

ग. लघु सिंचाई के लिए निवेश, भूमि का समतलीकरण और ट्रैक्टरों की खरीद

घ. तमिलनाडु राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. छः वर्ष—परियोजना की समाप्ति की तारीख को 31 दिसंबर 1977 तक बढ़ा दिया गया था।

च. वर्ष 1976-77 तक परियोजना पूरी तरह कार्यान्वित की गयी। लघु सिंचाई का कार्य पिछले वर्ष ही पूर्ण हो चुका था। परियोजना के अंतर्गत 1627 ट्रैक्टर प्राप्त किए गए। परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट कृपुवि निगम की सहायता से अंवि संघ द्वारा तैयार की गयी है।

33. क. तराई बीज परियोजना-उत्तर प्रदेश (614 आई-एन)

ख. परियोजना की लागत-224 लाख डालर-अंपुवि बैंक की साहयता 130 लाख डालर जिसमें से 90 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. खाद्यान्नों की अधिक उपजाऊ किस्मों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करवा कर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भूमि विकास

घ. भारतीय स्टेट बैंक

ङ. आठ वर्ष—समाप्ति की तारीख 31 दिसंबर 1977 तक बढ़ा दी गयी थी

च. इस बीच परियोजना को समाप्त कर दिया गया है।

34. क. उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना (392 आई—एन)

ख. परियोजना की लागत—725 लाख डालर—कृपुवि निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंवि संघ की सहायता 380 लाख डालर

ग. लघु सिंचाई के लिए निवेश

घ. राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. चार वर्ष—समाप्ति की तारीख जून 1977 तक बढ़ा दी गयी थी।

च. यह परियोजना दिसंबर 1977 तक पूर्ण हो गयी।

35. क. पश्चिम बंगाल कृषि ऋण परियोजना (541—आईएन)

ख. परियोजना की लागत—590 लाख डालर अंविसंघ की सहायता 340 लाख डालर जिसमें से 150 लाख डालर कृपुवि निगम के माध्यम से

ग. उथले नलकूपों का निर्माण और नदी उठाऊ सिंचाई इकाइयों और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा बाजार विकास

घ. पश्चिम बंगाल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक

ङ. पांच वर्ष समाप्ति की तारीख—31 मार्च 1980

च. बैंकों ने जून 1978 तक 10 करोड़ रुपए वितरित कर दिए हैं। उथले नलकूपों का कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है किन्तु कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्तियों से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण मंद गति से हो रहा है।

36. सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना

सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के छः जिले आते हैं। इस परियोजना द्वारा उसके अधीन आने वाले जिलों में समन्वित विकास होगा जिसमें लघु सिंचाई, भेड़ और डेरी विकास, बागबानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि शामिल हैं। कृपुवि निगम की दूसरी परियोजना के अंतर्गत निगम द्वारा बैंक ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है।

विवरण 12

30 जून 1978 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति

लाख रुपए

परियोजना	प्रभावी/समाप्त होने का दिनांक	प्रयोजन	कुल ऋण कार्यक्रम	कृपुवि निगम को अंपुवि बैंक/अंवि संघ से सहायता के रूप में प्राप्य राशि	एजेंसी	प्राभूवि बैंकों/सहभागी वाणिज्य बैंक द्वारा वितरित राशि @	कृपुवि निगम द्वारा वितरित राशि	भारत सरकार से प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. अंपुवि बैंक की परियोजनाएं								
1. तराई बीज परियोजना (उत्तर प्रदेश)	(क) 12-9-69 (ख) 30-6-74 (ग) 31-12-77	भूवि	927	690	वा० बैंक	263	193	193
2. चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान)	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81	भूवि	619	520	वा० बैंक	12	9	
3. राष्ट्रीय बीज परियोजना (आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र)	(क) अक्तूबर 76 (ख) 30-6-81		2169	1634	वा० बैंक	18	15	—
4. आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास की संयुक्त परियोजना।	(क) 8-9-76 (ख) 31-12-82		1301	864	वा० बैंक	60	45	—
जोड़ (क)			5016	3708		353	262	194
ख. अंवि संघ की परियोजनाएं								
I कृपुवि निगम ऋण परियोजना I	(क) 5-8-75 (ख) 31-12-77	लसि अन्य प्रयोजन	11100 900	5520 400	राभूवि बैंक वा० बैंक रास बैंक	13816	9490 2787 18	
			12000	5920		13816	12295	
II कृपुवि निगम ऋण परियोजना II	(ख) 31-12-79	लसि अन्य प्रयोजन	28636 3927	15750 2160	राभूवि बैंक वा० बैंक रास बैंक	12542	7425 2873 154	9650
			32563	17910		12542	10452	9650

1		2	3	4	5	6	7	8	9
III समन्वित रूई विकास परियोजना	(क)	24-8-76	रूई के लिए	889	600	वा० बैंक	45	41	24
	(ख)	31-12-81				रास बैंक	40	22	
			अल्पावधि फसल ऋण						
			रूई ओटाई और बीज अभिसंस्करण	720	432	वा० बैंक	—	—	
				1609	1032		85	63	24
IV कृषि ऋण परियोजनाएं									
1. आंध्र प्रदेश	(क)	10-5-71	लसि	2111	1393	राभूवि बैंक	2014	1776	1920
	(ख)	30-6-74				वा० बैंक	97	88	
	(ग)	30-6-77							
			भूवि	230	154	राभूवि बैंक	230	151	
			कृम	806	431	राभूवि बैंक	603	359	
						वा० बैंक	203	149	
				3147	1978		3147	2523	1920
2. बिहार	(क)	29-3-74	लसि	4473	2728	राभूवि बैंक	1950	1754	1526
	(ख)	31-12-76							
	(ग)	31-3-80				वा० बैंक	1163	947	
				4473	2728		3113	2701	1526
3. गुजरात	(क)	14-9-70	लसि	4027	2344	राभूवि बैंक	4027	3635	2608
	(ख)	30-6-74							
	(ग)	31-3-75	कृम	351	182	राभूवि बैंक	319	233	
				4378	2526		4346	3868	2608
4. हरियाणा	(क)	2-11-71	लसि	1962	903	राभूवि बैंक	2841	1894	2140
	(ख)	31-3-75				वा० बैंक	76	64	
	(ग)	30-6-77	कृम	1433	1002	राभूवि बैंक	660	468	
						वा० बैंक	1060	792	
				3395	1905		4637	3218	2140

लाख रुपए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. कर्नाटक	(क) 25-9-72	लसिं और	3070	2057	राभूवि बैंक	3122	2795	
	(ख) 31-12-75	कुओं			वा० बैंक	187	128	
	(ग) 30-6-77	की	525	315	राभूवि बैंक	256	185	3265
		खुदाई						
		भूवि	105	105	वा० बैंक	4	3	
	भूमि उद्धार	उपकरण	1575	1008	राभवि बैंक	680	450	
		कृम			वा० बैंक	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3265
6. केरल	(क) 29-6-77	वृक्ष	5060	2403		—	—	—
	(ख) 31-3-85	फसलें, रबड़ अभि-संस्करण और लसिं						
			5060	2403		—	—	—
7. मध्य प्रदेश	(क) 10-10-73	लसिं	4003	2619	राभूवि बैंक	2930	2532	2854
	(ख) 31-12-76	(भूवि सहित)			वा० बैंक	2112	1866	
			4003	2619		5042	4398	2854
8. महाराष्ट्र	(क) 31-1-73	लसिं	3690	3664	रा०भूवि बैंक	3475	3140	
	(ख) 31-12-75							
	(ग) 30-6-76				वा० बैंक	187	178	2558
		भूवि	226	226	राभूवि बैंक	226	170	
		कृम	211	148	राभूवि बैंक	190	143	
			4127	4038		4078	3631	2558
9. पंजाब	(क) 4-9-70	कृम	4000	2380	राभूवि बैंक	1000	750	
	(ख) 31-12-73							2180
	(ग) 30-6-77				वा० बैंक	2228	1684	
			4000	2380		3228	2434	2180

लाख रुपए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. तमिलनाडु	(क) 2-11-71	लसि	3001	1861	राभूवि बैंक	3001	2781	
	(ख) 31-12-74							
	(ग) 31-12-77	भूवि	88	61	राभूवि बैंक	88	66	
		कृम	780	492	राभूवि बैंक	834	625	2526
					वा० बैंक	29	22	
		मिट्टी ढोने की मशीनें	243	243	वा० बैंक	46	35	
			4112	2657		3998	3529	2526
11. उत्तर प्रदेश	(क) 31-10-73	लसि	5516	3420	राभूवि बैंक	4277	3849	
	(ख) 31-12-76							3406
	(ग) 31-12-77				वा० बैंक	1492	1152	
			5516	3420		5769	5001	3406
12. पश्चिम बंगाल	(क) 28-8-75	लसि	2197	1206	राभूवि बैंक	464	416	
	(ख) 31-3-80				वा० बैंक	593	535	436
		कृम	171	90	वा० बैंक	9	8	
		भंग्रोरक्षा	96	54	वा० बैंक	5	5	
			2464	1350		1071	964	436
जोड़ IV (1 से 12)			49950	31489		43638	36605	25419
V. अन्य परियोजनाएं								
1. बिहार बाजार केंद्र परियोजना	(क) 31-7-72		1491	1002	वा० बैंक	1010	908	421
	(ख) 30-6-78							
	(ग) 31-12-78							
2. चम्बल सघन क्षेत्र विकास परियोजना (मध्य प्रदेश)	(क) 18-9-75		246	156		—	—	—
	(ख) 31-12-79							
3. हिमाचल प्रदेश सेब अभिसंस्करण और विपणन परियोजना	(क) 26-9-74		608	488	वा० बैंक	15	14	—
	(ख) 31-12-78							
4. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना	(क) 7-9-73		891	713	वा० बैंक	180	145	92
	(ख) 11-12-79							
5. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना	(क) 23-12-74		2497	1881		—	—	—
	(ख) 30-9-82							

लाख रुपए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना	(क) 23-7-75 (ख) 30-6-82		1389	1091		—	—	—
7. राजस्थान नहर सघन क्षेत्र विकास योजना	(क) 12-12-74 (ख) 30-6-81		2395	1800		339	264	172
8. राजस्थान डेरी विकास परि-योजना	(क) 8-8-75		2175	1784		—	—	—
9. गुजरात मत्स्य पालन परि-योजना	(क) 19-7-77 (ख) 30-6-83		1620	423		—	—	—
10. महाराष्ट्र सिंचाई और सघन क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना	(ख) 31-12-83		825	495	राभूवि बैंक वा० बैंक	—	—	—
11. उड़ीसा सिंचाई परियोजना	(ख) 31-10-83		393	216		—	—	—
12. कर्नाटक सिंचाई परियोजना	(ख) 31-3-84		1082	595		—	—	—
13. जम्मू और कश्मीर बागबानी परि-योजना	(ख) 30-6-84		2422	840		—	—	—
14. राष्ट्रीय बीज परि-योजना II	(ख) 30-12-84		2003	1267		—	—	—
15. आन्ध्र प्रदेश मत्स्य पालन परियोजना	(क) 19-9-78 (ख) 30-6-84		608	335		—	—	—
16. हरियाणा सिंचाई परियोजना			6473	3560		—	—	—
जोड़ V (1 से 16)			27118	16646		1544	1331	685
जोड़ (ख)			123240	72997		71625	60746	35778
कुल जोड़ (क+ख)			128256	76705		71978	61008	35972

@उपलब्ध अद्यतन आंकड़े

टिप्पणी :—प्रभावी/समाप्ति का दिनांक (क) प्रभावी दिनांक (ख) समाप्ति का दिनांक (ग) समाप्ति का परिशोधित दिनांक

विवरण 13

1977-78 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि

लाख रुपये

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किए गए डिबेंचरों/ऋणों की कुल राशि	कृषुवि निगम द्वारा अभिदत्त डिबेंचर/वितरित ऋण	राज्य सरकारों बैंकों का अंशदान
1	2	3	4	5	6
I उत्तरी क्षेत्र					
चंडीगढ़	वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	4	3	1
दिल्ली	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	21	16	5
		डेरी विकास	4	3	1
			25	19	6
हरियाणा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	420	380	40
		भूमि विकास	51	38	13
		कृषि मशीनीकरण	88	66	22
		बागान/बागबानी	10	7	3
		डेरी विकास	50	38	
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	240	192	48
		भूमि विकास	8	6	2
		कृषि मशीनीकरण	380	284	96
		मुर्गी/भेड़ पालन	2	2	—
		डेरी विकास	1	1	—
		भंडार और बाजार केन्द्र	100	81	19
		सरूवि परियोजना	17	16	1
			1367	1111	256
हिमाचल प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	3	2	1
		बागान/बागबानी	6	5	1
	वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	15	14	1
		डेरी विकास	3	2	1
			27	23	4
जम्मू और काश्मीर	राभूवि बैंक	कृषि मशीनीकरण	5	4	1
	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	15	11	4
			20	15	5
पंजाब	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	51	46	5
		भूमि विकास	40	36	4
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	672	549	123
		भूमि विकास	5	3	2

लाख रुपए

1	2	3	4	5	6
		कृषि मशीनीकरण	217	162	55
		मुर्गी पालन	18	13	5
		डेरी विकास	19	14	5
		भंडार और बाजार केन्द्र	397	315	82
		सरूवि परियोजना	21	18	3
	रास बैंक	सरूवि परियोजना	23	21	2
			1463	1177	286
	राजस्थान	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	580	523	57
			भूमि विकास	8	6	2
		वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	213	173	40
			भूमि विकास	1	1	—
			सघन क्षेत्र विकास	120	95	25
			कृषि मशीनीकरण	205	155	50
			मुर्गी/भेड़ पालन	21	17	4
			डेरी विकास	20	15	5
			भंडार और बाजार केन्द्र	409	327	82
				1577	1312	265
II	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र					
	असम	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	3	3	—
			भूमि विकास	8	7	1
			कृषि मशीनीकरण	5	5	—
			बागान/बागबानी	157	143	14
			सुअर पालन	1	1	—
			मत्स्य पालन	1	1	—
			डेरी विकास	6	4	2
			भंडार और बाजार केन्द्र	137	109	28
				318	273	45
	मणिपुर	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	6	5	1
		रास बैंक	कृषि मशीनीकरण	12	11	1
			मत्स्यपालन	8	7	1
				26	23	3
	नागालैंड	वाणिज्य बैंक	भंडार और बाजार केन्द्र	6	5	1
	त्रिपुरा	वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	3	3	—
			भंडार और बाजार केन्द्र	6	5	1
				9	8	1

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
III पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	237	215	22
		कृषि मशीनीकरण	22	19	3
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	820	743	77
		कृषि मशीनीकरण	202	182	20
		डेरी विकास	2	2	—
		भंडार और बाजार केन्द्र	807	695	112
		वन	11	8	3
			2101	1864	237
उडीसा	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	276	249	27
		भूमि विकास	7	5	2
		बागान /बागबानी	52	44	8
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	345	311	34
		भूमि विकास	1	1	—
		कृषि मशीनीकरण	35	28	7
		मत्स्यपालन	21	19	2
		डेरी विकास	3	2	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	20	18	2
	रास बैंक	लघु सिंचाई	148	133	15
		मत्स्य पालन	7	6	1
			915	816	99
पश्चिम बंगाल	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	433	291	42
		बागान/बागबानी	9	8	1
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	377	340	37
		कृषि मशीनीकरण	30	27	3
		बागान/बागबानी	60	54	6
		मत्स्यपालन	18	16	2
		डेरी विकास	11	10	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	187	150	37
			1125	996	129
IV मध्यवर्ती क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	925	834	91
		भूमि विकास	2	2	—
		कृषि मशीनीकरण	15	11	4
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	526	473	53
		भूमि विकास	10	7	3
		कृषि मशीनीकरण	116	86	30

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
		कृषि सेवा केन्द्र	8	5	3
		डेरी विकास	14	10	4
		मुर्गी पालन	2	1	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	249	199	50
		वन	53	42	11
			1920	1670	250
उत्तर प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	2586	2328	258
		बागान/बागबानी	30	23	7
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	451	365	86
		भूमि विकास	7	6	1
		कृषि मशीनीकरण	1052	829	223
		भेड़ पालन	1	1	—
		डेरी विकास	32	26	6
		भंडार और बाजार केन्द्र	923	739	184
			5082	4317	765
V पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	वाणिज्य बैंक	मुर्गी पालन	13	11	2
		मत्स्य पालन	61	49	12
	रास बैंक	मत्स्यपालन	10	8	2
			84	68	16
गुजरात	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	105	96	9
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	912	713	199
		कृषि मशीनीकरण	231	174	57
		कृषि सेवा केन्द्र	1	1	—
		मुर्गी पालन	2	1	1
		मत्स्य पालन	94	73	21
		डेरी विकास	95	66	29
		भंडार और बाजार केन्द्र	249	195	54
			1689	1319	370

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	1377	1243	134
		बागान/बागबानी	6	4	2
	वाणिज्य बैंक	बागान/बागबानी	230	204	26
		कृषि मशीनीकरण	250	182	68
		बागान/बागबानी	6	5	1
		मुर्गी पालन	39	30	9
		मत्स्यपालन	36	26	10
		डेरी विकास	150	112	38
		भंडार और बाजार केन्द्र	205	164	41
		सरूवि परियोजना	3	3	—
		गोबर गैस	2	1	1
			2304	1974	330
VI दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	2728	2457	271
		भूमि विकास	92	69	23
		कृषि मशीनीकरण	628	471	157
		बागान/बागबानी	37	28	9
		भेड़ पालन	98	75	23
		मत्स्य पालन	70	53	17
		डेरी विकास	39	29	10
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	159	131	28
		कृषि मशीनीकरण	76	56	20
		कृषि सेवा केन्द्र	15	6	9
		बागान/बागबानी	3	2	1
		मुर्गी पालन	47	37	10
		भेड़ पालन	16	13	3
		मत्स्य पालन	39	26	13
		डेरी विकास	54	42	12
		भंडार और बाजार केन्द्र	447	358	89
			4548	3853	695
कर्नाटक	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	756	682	74
		भूमि विकास	39	29	10
		बागान/बागबानी	123	92	31

लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	8	5	3
		कृषि मशीनीकरण	38	32	6
		बागान/बागबानी	185	129	56
		मुर्गी पालन	6	4	2
		मत्स्य पालन	219	153	66
		डेरी विकास	2	1	1
		भंडार और बाजार केन्द्र	239	187	52
	रास बैंक	भंडार और बाजार केन्द्र	6	6	—
			1621	1320	301
केरल	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	40	36	4
		कृषि मशीनीकरण	2	2	—
		बागान/बागबानी	102	77	25
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	77	70	7
		भूमि विकास	97	97	—
		कृषि मशीनीकरण	16	13	3
		बागान/बागबानी	1	1	—
		मत्स्य पालन	60	48	12
		भंडार और बाजार केन्द्र	32	26	6
			427	370	57
तमिलनाडु	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	440	397	43
		कृषि मशीनीकरण	13	9	4
		बागान/बागबानी	86	65	21
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	53	43	10
		कृषि मशीनीकरण	23	17	6
		कृषि सेवा केन्द्र	9	6	3
		बागान/बागबानी	114	80	34
		भेड़ पालन	8	6	2
		मत्स्य पालन	52	37	15
		डेरी विकास	31	18	13
		भंडार और बाजार केन्द्र	249	198	51
	रास बैंक	मत्स्य पालन	18	18	—
			1096	894	202
		जोड़ (I से VI तक)	27754	23430	4324

विवरण 14

30 जून 1978 को विचाराधीन योजनायें

क्षेत्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र	विचाराधीन योजनाओं की संख्या		
	कुल	अधिकांश रूप में पूर्ण	अतिरिक्त आंकड़े अपेक्षित हैं
I. उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	28	—	28
हिमाचल प्रदेश	8	4	4
जम्मू और कश्मीर	3	1	2
पंजाब	45	29	16
राजस्थान	42	8	34
	126	42	84
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
असम	14	2	12
मणिपुर	2	1	1
मेघालय	1	—	1
	17	3	14
III. पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	63	26	37
उड़ीसा	41	4	37
पश्चिम बंगाल	57	26	31
	161	56	105
IV. मध्यवर्ती क्षेत्र			
मध्य प्रदेश	108	12	96
उत्तर प्रदेश	7	7	—
	115	19	96
V. पश्चिमी क्षेत्र			
गोवा	6	3	3
गुजरात	27	4	23
महाराष्ट्र	141	4	137
	174	11	163
VI. दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	112	32	80
कर्नाटक	140	2	138
केरल	30	6	24
तमिलनाडु	8	3	5
	290	43	247
जोड़ (I से VI)	883	174	709

विवरण 15

30 जून 1978 को शेयरधारियों की सूची

I भारतीय रिजर्व बैंक

II राज्य भूमि विकास बैंक (19)

1. आन्ध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी मध्यवर्ती भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
6. हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती सहकारी भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
7. जम्मू और काश्मीर सहकारी मध्यवर्ती भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
9. केरल सहकारी मध्यवर्ती भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
3. पांडिचेरी सहकारी मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड
4. पंजाब राज्य सहकारी भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
5. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
17. त्रिपुरा सहकारी भूमिबंधक बैंक लिमिटेड
18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
19. पश्चिम बंगाल मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड

III राज्य सहकारी बैंक (24)

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
9. जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
10. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
11. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
12. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
13. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
15. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
16. नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
21. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
22. त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
23. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड
24. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

IV. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (63)

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
9. अलाहाबाद बैंक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा
11. बैंक ऑफ इंडिया
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
13. कनारा बैंक
14. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
15. देना बैंक
16. इंडियन बैंक
17. इंडियन ओवरसीज बैंक
18. पंजाब नेशनल बैंक
19. सिंडीकेट बैंक
20. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
21. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
22. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
23. आंध्र बैंक लिमिटेड
24. बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड
25. बैंक ऑफ कराड लिमिटेड
26. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटेड
27. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
28. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लिमिटेड
29. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड

30. केथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड
31. कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड
32. फेडरल बैंक लिमिटेड
33. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड
34. जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लिमिटेड
35. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
36. करुर वैश्य बैंक लिमिटेड
37. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
38. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड
39. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
40. लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड
41. नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड
42. न्यू बैंक ग्रॉफ इंडिया लिमिटेड
43. ग्रोरियंटल बैंक ग्रॉफ कामर्स लिमिटेड
44. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड
45. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
46. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
47. सांगली बैंक लिमिटेड
48. साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
49. तमिलनाडु मर्केन्टायल बैंक लिमिटेड
50. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
51. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
52. दि बैंक ग्रॉफ तंजौर लिमिटेड
53. विजया बैंक लिमिटेड
54. वैश्य बैंक लिमिटेड
55. एल्जीमेने बैंक नेदरलैंड्स एन० वी०
56. ग्रमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन
57. बैंके ग्रॉफ ग्रमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्ज एसोसिएशन
58. बैंक ग्रॉफ टोकियो लिमिटेड
59. बैंके नैशनेल दि पैरिस
60. चार्टर्ड बैंक
61. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड
62. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
63. मित्सुई बैंक लिमिटेड

V. ग्रामीण बैंक (36)

1. भगीरथ ग्रामीण बैंक
2. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
3. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. बोलंगीर ग्रांचलिक ग्राम्य बैंक
5. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
6. कावेरी ग्रामीण बैंक
7. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
8. कटक ग्राम्य बैंक
9. गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा
10. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक
12. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. जयपुर नागौर ग्रांचलिक ग्रामीण बैंक
14. कौरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
15. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद
17. मगध ग्रामीण बैंक
18. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
19. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
20. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
21. मयुराक्षी ग्रामीण बैंक
22. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
24. पंड्यन ग्रामीण बैंक
25. पुरी ग्राम्य बैंक
26. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27. रिवां सिधी ग्रामीण बैंक
28. सम्यूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
29. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
30. शेखावटी ग्रामीण बैंक
31. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक
32. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
34. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
35. उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
36. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

VI. जीवन बीमा निगम, बीमा और निवेश कम्पनियां आदि (6)

1. जनरल इन्श्योरन्स कार्पोरेशन ग्रॉफ इंडिया
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. नेशनल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड
4. न्यू इंडिया एश्योरन्स कम्पनी लिमिटेड
5. ग्रोरियण्टल फायर ग्रंड जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड
6. यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरन्स कम्पनी लिमिटेड

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 30 जून, 1978 को विद्यमान संलग्न तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्षों के लिये लाभ-हानि लेखे की भी जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:—

(1) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जिनकी हमें अपेक्षा थी। वे सभी संतोषजनक पाये गये हैं।

(2) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और निगम की बहियों में दर्शाये गये

कृषि पुनर्वित्त और

30 जून 1978

देयतायें			30-6-1977 को
1. पूंजी	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
प्राधिकृत पूंजी			
प्रत्येक 10,000 रुपयों के 1,00,000 शेयर		100,00,00,000.00	50,00,00,000.00
जारी की गई, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी			
प्रत्येक 10,000 रुपयों के 47,500 प्रदत्त शेयर		47,50,00,000.00	35,00,00,000.00
2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष			
प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष (नोट 1)	7,11,16,000.00		4,39,51,000.00
जोड़िये:			
(i) वर्तमान लाभ का 25 प्रतिशत-अन्तरित राशि [आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अनुसार]	3,00,00,000.00		1,96,50,000.00
(ii) लाभ हानि लेखे से अन्तरित राशि	27,04,000.00		75,15,000.00
		10,38,20,000.00	7,11,16,000.00
अनुसन्धान और विकास निधि			
लाभ हानि लेखे से अन्तरित राशि		1,00,00,000.00	—
लाभ-हानि लेखा			
आगे लाया गया लाभ	190.91		830.18
इस वर्ष का लाभ	3,75,47,551.76		2,48,53,401.83
घटाइये:	3,75,47,742.67		2,48,54,232.01
(i) अनुसन्धान और विकास निधि को अन्तरित राशि	100,00,000.00		—
			2,75,47,742.67
(ii) प्रारक्षित निधि को अन्तरित राशि	27,04,000.00		75,15,000.00
	2,48,43,742.67		1,73,39,232.01
(iii) लाभांश की व्यवस्था के लिए अन्तरित राशि	2,48,43,321.92		1,73,39,041.10
		420.75	190.91
3. विशेष जमा राशि		3,86,67,606.40	2,92,09,060.85
4. गारन्टीकृत लाभांश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया भुगतान		—	—
आगे ले जाया गया जोड़		62,74,88,027.15	45,03,25,251.76

अनुसार उक्त तुलन पत्र पूर्ण और सही है। उसमें नियम के अधिनियम और उसकी सामान्य विनियमावली के अनुसार सभी आवश्यक विवरण हैं और वह उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि निगम के कार्यों की यथार्थ और सही स्थिति का पता लग सके।

31 अगस्त 1978
नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग,
दादाभाई नौरोजी रोड,
बम्बई 400 001

बाटलीबोई एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार

धिकास निगम
को तुलन पत्र

आस्तियां			30-6-77 को
1. नकदी	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
(क) हाथ में	4,360.67		4,186.64
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास	8,42,575.98		23,28,026.56
(ग) दूसरों के पास :			
(i) भारत में	1,13,887.06		1,04,202.82
(ii) विदेश मे	—		—
		9,60,823.71	24,36,416.02
2. ऋण			
(क) पुनर्वित्त के रूप में	284,21,26,650.00		196,76,07,839.00
(ख) अन्य	—		—
घटाइये: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था	—		—
		284,21,26,650.00	196,76,07,839.00
3. डिबेंचर		589,37,73,145.61	525,44,47,248.93
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) (अंकित मूल्य रु० 23,51,61,600/—)		22,69,45,554.15	2,43,82,362.00
5. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		49,39,499.65	6,16,797.50
6. अन्य आस्तियां			
(क) फर्नीचर, फिटिंग और जुड़नार, कार्यालयीन उपस्कर आदि (30-6-1977 तक की लागत)	21,79,343.91		16,58,243.00
जोड़िये: इस वर्ष के दौरान वृद्धि	8,23,410.59		5,29,441.44
	30,02,754.50		21,87,684.44
घटाइये: बेची गई/समायोजित वस्तुयें	10,580.06		8,340.53
	29,92,174.44		21,79,343.91
घटाइये: आज की तारीख तक का मूल्यह्रास	9,90,598.60		7,44,320.63
	20,01,575.84		14,35,023.28
(ख) सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशियां	2,34,146.16		1,92,971.16
आगे ले जाया गया जोड़	22,35,722.00	896,87,45,673.12	724,94,90,663.45

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून 1978

देयताये				30-6-77 को	
		रु० पै०	रु० पै०	रु०	पै०
आगे ले जाया गया जोड़			62,74,88,027.15	45,03,25,25176	
5. बांड और डिबेंचर					
5¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1982 पहली श्रृंखला	10,93,77,000.00			
5¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1982 दूसरी श्रृंखला	8,52,50,000.00			
5¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1984 तीसरी श्रृंखला	8,25,00,000.00			
5¾%	कृषि पुनर्वित और विकास निगम बाँड 1985 चौथी श्रृंखला	11,00,00,000.00			
5¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 पांचवीं श्रृंखला	16,50,00,000.00			
5¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1986 छठी श्रृंखला	11,00,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1984 सातवीं श्रृंखला	16,50,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 आठवीं श्रृंखला	16,50,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1985 नौवीं श्रृंखला	11,00,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1986 दसवीं श्रृंखला	27,50,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1987 ग्यारहवीं श्रृंखला	16,50,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1987 बारहवीं श्रृंखला	27,50,00,000.00			
6¾%	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांड 1988 तेरहवीं श्रृंखला	20,62,50,000.00		181,71,27,000.00	
			202,33,77,000.00	181,71,27,000.00	
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण					
(क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन		5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
(ख) अन्य ऋण		422,61,15,829.00		335,00,68,445.00	
			427,61,15,829.00	340,00,68,445.00	
7. अन्य उधार					
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार :					
	(i) दीर्घकालीन	216,80,00,000.00		172,60,00,000.00	
	(ii) अल्प कालीन	—		—	
			216,80,00,000.00	172,60,00,000.00	
(ख) दूसरों से लिये गये उधार:					
(i) भारत में		—	—	—	
(ii) विदेश में		—	—	—	
आगे से जाया गया जोड़			909,49,80,856.15	739,35,20,696.76	

विकास निगम
को तुलन-पत्र (जारी)

आस्तियां				30-6-77 को	
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु० पै०
आगे लाया गया जोड़	22,35,722.00		896,87,45,673.12		724,94,90,663.45
6. अन्य आस्तियां (जारी)					
(ग) फुटकर अग्रिम	1,58,62,930.45				1,71,48,632.46
(घ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	9,79,92,009.66				6,97,23,790.52
(ङ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज	24,35,72,685.97				20,57,18,034.22
(च) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बांडों पर छूट	1,05,08,361.11				98,07,111.11
			37,01,71,709.19		30,40,25,562.75
आगे ले जाया गया जोड़			933,89,71,382.31		755,35,16,226.20

कृषि पुनर्वित्त और

30 जून 1978

देयताएं				30 जून 1977 को	
	रु०	पै०	रु० पै०	रु०	पै०
आगे लाया गया जोड़ . .			909,49,80,856.15	739,35,20,696.76	
8. मीयादी जमा राशियां :					
(क) विशेष ऋण लेखों के लिए					
(i) केन्द्रीय सरकार से .	3,00,00,000.00			1,00,00,000.00	
(ii) राज्य सरकारों से .	1,62,58,000.00			52,18,000.00	
			4,62,58,000.00	1,52,18,000.00	
(ख) दूसरों से . . .		—	—		—
9. लाभांशों की व्यवस्था (लाभ-हानि लेखे से अंतरित राशि) .			2,48,43,321.92	1,73,39,041.10	
10. कराधान के लिए व्यवस्था . . (नोट 2)			4,49,67,848.00	3,03,80,887.00	
11. अन्य देयताएं					
फुटकर लेनदार . . .	1,60,29,258.43			1,07,26,319.33	
निम्नलिखित पर प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं है:					
(क) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण	8,55,72,199.34			6,47,87,347.25	
(ख) बांड और डिबेंचर . .	2,62,65,898.47			2,15,43,934.76	
			12,78,67,356.24	9,70,57,601.34	
आकस्मिक देयताएं					
(क) भारत के बाहर से पूंजीगत मांल खरीदने के लिए आस्थगित अदायगी के संबंध में दी गयी गारंटी .		—	—		—
(ख) अन्य . . .		—	—		—
जोड़ रुपये			933,89,17,382.31	755,35,16,226.20	

नोट : 1. इसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार 3,67,47,000/- रुपयों की विशेष प्रारक्षित निधि शामिल है। (पिछले वर्ष यह राशि, 1,70,97,000–/ रुपये थी)।

2. अदा किये गये अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर को समायोजित करने के बाद कराधान के लिए व्यवस्था।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एम० एस० जावडेकर
वरिष्ठ निदेशक, वित्त और प्रशासन

बम्बई 12 अगस्त 1978

बाटलीबोई एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार

बम्बई 31 अगस्त 1978

विकास वित्त
को तुलन-पत्र

आस्तियां	30 जून 1977 को					
	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
आगे लाया गया जोड़			933,89,17,382.31		755,35,16,226.20	
जोड़ रुपये			933,89,17,382.31		755,35,16,226.20	

मा० रामकृष्णय्या — अध्यक्ष
जी० वी० के० राव, वी० एस० विश्वनाथन, वीर शेट्टी कुसनूर, के० माधववास — निदेशक
एम० ए० चिदम्बरम — प्रबंध निदेशक

बंबई, 19 अगस्त 1978

कृषि पुनर्वित्त और
30 जून 1978 को समाप्त हुए

		पिछले वर्ष	
	रु० पै०	रु०	पै०
1. अदा किया गया ब्याज	40,18,50,865.02	30,62,81,124.	19
2. वेतन और भत्ते	1,58,22,215.80	1,35,50,800.	68
3. कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और अन्य निधियों में अंशदान	13,01,663.98	11,36,786.	43
4. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस	1,200.00	1,100.	00
5. निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	30,851.00	55,573.	65
6. किराया, उपकर, बीमा, बिजली आदि	18,87,826.87	12,94,640.	42
7. यात्रा व्यय	8,63,310.52	8,40,760.	75
8. मुद्रण और लेखन सामग्री	3,90,795.63	5,06,819.	17
9. डाक, तार और टेलीफोन	3,77,917.48	3,25,918.	04
10. संपत्ति की मरम्मत	33,681.39	39,716.	07
11. लेखा परीक्षकों की फीस	12,500.00	12,500.	00
12. विधि संबंधी व्यय	19,147.10	15,020.	30
13. विविध व्यय (नोट 1 और 2)	48,21,123.17	66,13,426.	63
14. मूल्यह्रास	2,52,069.18	1,77,817.	75
15. निवेशों की बिक्री पर हानि	—	1,67,826.	50
16. विशेष प्रारक्षित निधि को अंतरण। यह राशि वर्तमान लाभ का 25 प्रतिशत है (आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अनुसार)	3,00,00,000.00	1,96,50,000.	00
17. कराधान के लिए व्यवस्था	5,17,00,000.00	3,40,03,150.	00
18. तुलन-पत्र को ले जाया गया शुद्ध लाभ	3,75,47,551.76	2,48,53,401.	83
जोड़ रुपये	54,69,12,718.90	40,95,26,382.	41

नोट : 1. इनमें ये राशियां शामिल हैं :

(i) बांडों पर मुद्रांक शुल्क रु० 20,62,500.00 (पिछले वर्ष रु० 44,00,000.00)

(ii) सातवीं से तेहरवीं तक की शृंखलाओं के बांडों पर दी गयी छूट रु० 13,61,250.00 (पिछले वर्ष रु० 11,55,000.00)

2. इसमें आतिथ्य व्यय शामिल है रु० 13,247.66

3. इस राशि में अभिदत्त डिबेंचर पर प्राप्त बट्टा शामिल है रु० 60,137.68 (पिछले वर्ष रु० 33,604.20)

एम० एस० जावडेकर
वरिष्ठ निदेशक
वित्त और प्रशासन

बंबई, 12 अगस्त 1978

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
बाटलीबोई एण्ड पुरोहित
सनदी लेखाकार

बम्बई, 31 अगस्त 1978

विकास निगम

वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

	रु०	पै०	रु०	पै०	पिछल वर्ष रु०	पै०
1. प्राप्त ब्याज						
(क) ऋणों और डिबेंचरों पर	52,31,98,021.09				39,98,89,797.08	
(ख) निवेशों पर (स्रोत पर काटा गया कर 72,98,562 रुपये है)	2,33,27,337.55				95,06,583.79	
(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमाराशि पर	81,870.00				47,551.89	
(घ) अन्य जमाराशियों पर	2,37,039.48				45,535.50	
			54,68,44,268.12		40,94,89,468.26	
2. बट्टा, कमीशन आदि	—		—		—	
3. अन्य मदें						
(क) शेयर अंतरण शुल्क	2.00		—		8.00	
(ख) विविध प्राप्तियां (नोट 3)	68,448.78				36,906.15	
			68,450.78		36,914.15	
जोड़	रुपये		54,69,12,718.90		40,95,26,382.41	

मा० रामकृष्णय्या — अध्यक्ष

जी० वी० के० राव, बी० एस० विश्वनाथन, श्री शेट्टी कुसनूर, के० माधवदास — निदेशक

बंबई 19 अगस्त 1978

एम० ए० चिदम्बरम — प्रबंध निदेशक

STATE BANK OF INDIA
New Delhi-110001, the 25th September 1978
NOTICE

1. Shri Pawan Kumar, Officer Grade—I assumes complete charge of Field Officer's duties at Roop Nagar Branch as from the close of busines on the 23rd March 1978.
2. Shri K. N. Madan, Officer Grade-II assumed complete charge of Offg. Accountant's duties at Najafgarh Road, New Delhi Branch as at the close of business on the 29th March 1978.
3. Shri V. P. Kapoor, Officer Grade-I assumed complete charge of Offg. Accountant's duties at Fatehpuri Branch as from the close of business on the 31st March 1978.
4. Shri V. K. Bhatia, Officer Grade-II assumed charge of Offg. Accountant's duties at Fountain Branch as from the 5th April 78.
5. Shri R. K. Sehgal, Officer Grade-I assumed temporary but complete charge of Branch Manager's duties at Ajmal Khan Road Branch as from the close of business on the 13th April 1978.

V. GUPTA,
Regional Manager.

CENTRAL OFFICE, BOMBAY

Bombay, the 19th September 1978

The following appointments on the Bank's staff is hereby notified :—

Shri G. Subramanian has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 6th September 1978.

Shri P. S. Lawate has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 11th September 1978.

Shri S. B. Ramamurti has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 15th September 1978.

Shri V. V. Joshi has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office Staff as from the 16th September 1978.

V. S. NATARAJAN,
Manager Director.

NOTICE

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS & TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 3rd October 1978

No. 25/159/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-16791 dated 6-8-77 for Rs. 5,000/- held by 6871013 Hav/Skt. Shri Balbir Singh, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/160/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-39805 dated 1-4-76 for Rs. 10,000/- held by 7109236 Cfn Shri S. P. Singh, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/161/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-17688 dated 20-10-75 for Rs. 5,000/- held by 14209525 Hav, Shri Ramkrishnan Radha Krishnan Nair, having been lost from the Departmental custody. Notice is hereby given that the payment hereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/162/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-15301 dated 16-7-75 for Rs. 5,000/- held by 14518549 Shri Sep Clk Ashok Kumar Pardhan, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/163/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-17257 dated 1-10-75 for Rs. 8,000/- held by 6906968 Sep/Clk Shri Joginder Kumar Chanyal, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/164/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-52748 dated 28-2-76 for Rs. 10,000/- held by 2458200 Shri Sep Joginder Singh, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/165/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-11965 dated 10-6-75 for Rs. 5,000/- held by 3961819 Sep Shri Jogi Ram, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment hereof has been sopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/167/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-37091 dated 14-3-76 for Rs. 10,000/- held by 13937659, Shri Sep/NA Ramgopal Verma, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that he payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

No. 25/168/78-LI.—Postal Life Insurance policy No. L-65513 dated 6-9-75 for Rs. 3,000/- held by 14517406 Sep/clk Shri R. D. Havaldar, having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Dy. Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue a duplicate policy in favour of the insurant. The Public are hereby cautioned against dealing with the original policy.

S. B. JAIN,
Director (PLI)

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

BANK OF BARODA BUILDING

16-SANSAD MARG, NEW DELHI

New Delhi, the 30th September 1978

NOTICE

No. 5/78.—Notice is heregy given that a SPECIAL GENERAL MEETING of the shareholders (referred to in Sectior 10(1)(c) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 viz scheduled banks) of the INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA will be held on Wednesday the 29th November, 1978 at 4.00 P.M. (Standard Time) at he Head Office of the Corporation, Bank of Baroda Building (8th Floor), 16-Sansad Marg, New Delhi-1, to transact the following business :—

To elect a Director to represent shareholders i.e., the scheduled banks referred to in clause (c) of sub-sectior (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporatior Act, 1948, in the casual vacancy caused by the demise of Shri B. K. Vora. The Director so elected shall hold

office in terms of sub-section (3) of Section 11 of the Act for the unexpired portion of the term of his predecessor, i.e., till the 24th September, 1979 (close of business).

BALDEV PASRICHA
Chairman

New Delhi, the 29th September 1978

Notification No. 4/78.—In continuation of the Industrial Finance Corporation of India's Notification No. 3/78 dated the 12th September, 1978 (published on page Nos. 1500 and 1502 of Part III—Section 4 of the Gazette of India dated the 16th September, 1978/Bhadra 25, 1900) and in pursuance of Regulation 58 read with Regulations 60 and 34 of the General Regulations of the Corporation, M/s. Ray & Ray, Chartered Accountants, 6, Church Lane, Calcutta-1, were declared elected as an Auditor of the Corporation under sub-section (1) of section 34 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Act *'ibid'* at the Thirtieth Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on Monday the 25th September, 1978, consequent upon the other candidate viz. M/s. Haribhakti & Co. Chartered Accountants, Bombay Mutual Chambers, 19/20, Ambalal Doshi Marg, Fort, Bombay-23, withdrawing their candidature.

D. N. DAVAR,
Jt. General Manager

CANTONMENT BOARD

Dehradun, the 29th August 1978

SRO No. IX/19-A.—WHEREAS a draft of the bye-laws for the regulation of the collection and recovery of tax on cycles in the cantonment of Dehradun was published with Cantonment Board's Notice No. IX/19-A/16 dated the 23rd January 1978 as required by sub-section (1) of section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the notice;

AND WHEREAS no objection or suggestion was received from the public by the Cantonment Board, DEHRADUN, before the expiry of the said period.

AND WHEREAS the Central Government have duly approved and confirmed the said draft of the bye-laws as required by sub section (1) of section 284 of the said Act.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (3) of section 282 and section 283 of the said Act and in supersession of the bye-laws regulating the collection and recovery of tax on cycles in the cantonment of Dehradun published with the notification of the Government of India in the Defence Department No. 301 dated the 14th February, 1942, the said Cantonment Board hereby makes the following bye-laws, namely :—

1. *Short title and commencement*

(1) These bye-laws may be called the Dehradun Cantonment (Collection and Recovery of Cycle Tax) Bye-laws 1978

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. *Rate of tax and cost of token*

Every owner of a cycle which is kept or used within the limits of the Cantonment of Dehradun shall be liable to pay the tax at the rate specified below :—

(i) the rate of cycle tax @ 0.06 p per month per wheel.

(ii) the rate of cycle token @ 0.25 p per cycle.

Provided that the tax shall not be levied on cycles which are the property of the Government or the Cantonment Board.

3. *Application for registration of cycle*

Every person liable to pay the cycle tax shall apply in FORM "A" appended hereto to the Executive Officer within one month of his coming into possession of the cycle to be taxed for registration of the same and shall remit the tax along with the application and the tax collected shall be acknowledged by means of an official receipt in Form "B" appended hereto.

4. *Receipt for tax paid not transferable.*

The receipt shall be granted in the name of the person paying the tax and shall not be transferable except as specified in bye-law 11.

5. *Affixing of token in cycles*

(1) On payment of tax a token shall be issued by the Cantonment Board Office on payment of such cost as specified in bye-law 2.

(2) The token shall bear the same number as that in the Demand and Collection Register referred to in bye-law 8 in respect of the person liable to pay the tax and shall be affixed by him on some conspicuous part of the cycle in the possession of the token holder.

6. *Issue of duplicate tokens.*

If the token of a registered cycle is lost, a duplicate token shall be issued by the Cantonment Board Office on payment of 0.25 per cycle.

7. *Period of registration of cycle*

(1) The registration shall be made for the year commencing on the 1st April except that in respect of the new cycles purchased the registration may be made with effect from the date of purchase provided that the dealer's receipt is produced in support of his declaration.

(2) On the expiry of registration period, the owner of the cycle liable to be taxed shall apply within one month to the Executive Officer for the renewal of registration and he shall also remit the tax along with the application.

8. *Demand and Collection Register.*

From the information obtained from applicants for registration or renewal of registration or from any other source at its disposal, the Executive Officer shall cause to be prepared in Form "C" appended hereto Demand and Collection Register in which the names of all persons liable to pay the cycle tax shall be entered.

9. *Cycles for hire*

Persons who keep cycles for hire shall submit a list of such cycles giving the frame number and make of the cycle on the 1st April of every year.

10. *Entry of officials of the Board into premises to check the cycles for hire.*

The Executive Officer or any other person of the tax branch authorised by the Board in this behalf who shall not be below the rank of tax collector may enter the premises where the cycles are kept for hire in order to check the same.

11. *Information to be sent about transfer of cycle*

(1) In any case when the owner or any registered cycle transfers such cycle to another person during the currency of the registration, the transfer shall be reported to the Executive Officer and thereupon the name of the transferee shall be substituted for the name of the former owner in the Demand and Collection Register.

(2) The transferee shall not be liable to pay the tax for the current year provided the transferor has already paid the tax for that year.

12. *Liability for compliance of bye-laws*

The original owner shall until such transfer of cycle is reported as stated in bye-law 11 and such name is substituted in the Demand and Collection Register of the year be liable as owner of the cycle for the purpose of compliance of these

bye-laws, but this liability shall not exempt the transferee for compliance of these bye-laws.

13. *Seizure and fine of un-registered cycle*

Any cycle liable to be taxed but for which no tax has been paid or which is without a token, if found, in any public place shall be liable to be seized by the Executive Officer or any person of the tax branch authorised by the Board in this behalf who shall not be below the rank of Tax Collector and shall be kept in the Cantonment Board Office premises or any other place set apart for the purpose and only be released on payment of fine of rupees five per cycle and the tax due for the financial year as stated in bye-law 2, provided that that fine may be reduced or waived with the written orders of the Executive Officer as a special case.

14. *Fine for contravention of bye-laws*

Who-ever contravenes any of these bye-laws shall be punishable with fine which may not extend to fifty rupees and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to rupees ten for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

FORM "A"

(See Bye-law 3)

To :—

The Cantonment Executive Officer, Dehradun

Sir,

Please register my cycle, the particulars of which are given below :—

Name of owner and address	Cycle frame No.	Model or Brand of maker	Date when applicant came into possession of cycle	No. of token if licenced already	Period for which liconced	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

I hereby declare that the cycle will be for
PRIVAE USE/HIRE

Yours faithfully,
Signature of owner or agent

Dated :—

FORM "B"

(See Bye-law 3)

No. ..... Dehradun Cantt.

Received from ..... the sum of rupees (in words) .....on account of .....

Dated :———— Executive Officer

FORM "C"

(See Bye-law 8)

CANTONMENT BOARD, DEHRADUN

DEMAND AND COLLECTION REGISTER OF CYCLE TAX FOR THE YEAR 19—19—

Sl. No.	Name of owner with father's name	Address	Frame No. of issued	Token
1	2	3	4	5

DEMAND			RECOVERY			
			April		May	
Arrears	Current	Total	No. and date of receipt	Amount	No. and date of receipt	Amount
6			7		8	

RECOVERY					
June		July		August	
No. and date of receipt	Amount	No. and date or receipt	Amount	No. and date of receipt	Amount
9		10		11	

RECOVERY					
September		October		November	
No. and date of receipt	Amount	No. and date of receipt	Amount	No. and date of receipt	Amount
12		13		14	

RECOVERY					
December		January		February	
No. and date of receipt	Amount	No. of date of receipt	Amount	No. and date of receipt	Amount
15		16		17	

RECOVERY					
March		Total	Authority	Amount	
No. and date of receipt	Amount				
18			19	20	
Balance		Initials of Tax Collector		Remarks	
21		22		23	

Cantt. Executive Officer
Dehra Dun

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1978

No. G.S.R..... .In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section S.D. of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board with the approval of the Central Government, hereby makes he following regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditons of Service) Regulations, 1962, namely :—

1. These regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 1978.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Third Schedule to the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, in the table below paragraph 2, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

Serial No.	Post	Mode of appointment
1	2	3
"2	(*i*) Peons in Head-quarters office and Regional Offices.	(*a*) 75% by direct recruitment (*b*) 25% by transfer from Sweepers Farashes, Chowkidars etc., who have put in a minimum 5 years' Service in respective grade and who possess elementary literacy and give proof of ability to write in Hindi or Regional language to be assessed on the basis of a simple written test held for the purpose; Provided that where, due to non-availability of adequate number of Sweepers, Farashes Chowkidars, all or any of the vacancies to be filled under clause (b), remain unfilled, the same may be filled by direct recruitment.
	(*ii*) Malies and Chowkidars in the Quarters office and Regional Offices.	By direct recruitment.

S. K. NAIK
Central Provident Fund Commissioner and Secretary, Central Board of Trustees.

Employees' Provident Fund

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Bombay, the 29th September 1978

No. G.S.R.—In pursuance of Section 32(2) of the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1978 and the balance sheet and profit and loss account of the Corporation for the year ended 30 June 1978 are published hereunder,

ARDC AT A GLANCE

Rs. lakhs

Sources	Year ended 30 June			Uses	Year ended 30 June		
	1976	1977	1978		1976	1977	1978
Paid-up share capital and reserves	2940	4211	5888	Refinance provided to : (outstanding)			
Borrowings from GOI	25009	34001	42761	State Land Development Banks	42582	52544	58938
(*Of which IDA/ IBRD assistance*)	17045	26045	35972	(*Of which under IDA projects*)	(24829)	(33208)	(38374)
R B I				Scheduled Commercial Banks	11200	18568	27311
L T O Fund	13840	17260	21680	(*Of which under IDA/IBRD (projects*)	(5353)	(10217)	(13465)
Short Term	170	—	—	State Co-operative Banks	1157	1108	1110
Open Market	13771	18171	20234	(*Of which under IDA projects*)	(7)	(18)	(174)

RECORD OF GROWTH

Rs. lakhs

Particulars	As at the end of June									
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Paid-up share capital and reserves	500	509	523	1044	1082	1650	2272	2940	4211	5888
Special Deposit	61	74	87	99	117	141	179	230	292	387
Special Loan Account	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462
Subvention loans	14	14	14	14	14	—	—	—	—	—
Borrowings from :										
GOI	2575	4475	6675	7713	12485	16350	19662	25009	34001	42761
RBI	—	—	752	839	3820	6560	9270	14010	17260	21680
Short term	—	—	752	339	370	1160	450	170	—	—
Long term	—	—	—	500	3450	5400	8820	13840	17260	21680
Open market	—	1094	1946	2771	3871	6621	9921	13771	18171	20234
Refinance granted (net)	3040	5889	8893	12341	21614	30974	40686	54939	72220	87359
Debentures	2785	5460	8124	10964	19560	27151	34382	42582	52544	58938
Loans	255	429	769	1377	2054	3823	6304	12357	19676	28421
Other assets	122	159	258	360	632	929	1417	2017	3040	3702
Investment and cash reserves	52	250	1003	2	4	8	26	37	24	2279
Gross income	110	273	427	606	924	1553	2214	2991	4095	5469
Profits before tax	48	67	69	109	171	309	442	585	785	1192
Tax payable	26	37	34	58	89	160	231	309	340	517
Profits after tax	22	30	35	51	81	149	211	276	445	675
Dividend paid	21	21	21	31	44	66	89	109	173	248

Table 1

DISBURSEMENT OF REFINANCE—PURPOSEWISE

Rs. lakhs

Purpose	Upto 30 June 1969£	During							Upto 30 June 1978
		1969-72£	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Minor irrigation	1281 (42.1)	7213 (76.5)	8418 (89.4)	8530 (67.1)	8378 (78.7)	10818 (63.2)	14210 (64.4)	14327 (61.1)	78158 (69.7)
Land development*	1388 (45.5)	1006 (10.7)	230 (2.4)	178 (1.8)	201 (1.9)	492 (2.8)	587 (2.6)	408 (1.8)	4472 (4.3)
Farm mechanization*	14 (0.5)	63 (0.7)	218 (2.3)	375 (3.9)	1223 (11.5)	4575 (26.7)	5177 (23.4)	2875 (12.3)	14538 (13.8)
Plantation/Horticulture	207 (6.7)	554 (5.9)	149 (1.6)	219 (2.3)	200 (1.9)	307 (1.8)	516 (2.3)	787 (3.4)	2952 (2.8)
Poultry/Sheep breeing/Piggery	1 (0.1)	6 (0.1)	15 (0.2)	9 (0.1)	65 (0.6)	68 (0.4)	66 (0.3)	212 (0.9)	444 (0.4)
Fisheries	56 (1.8)	132 (1.4)	12 (0.1)	86 (0.9)	178 (1.7)	243 (1.4)	196 (0.9)	540 (2.3)	1442 (1.4)
Dairy development	— —	39 (0.4)	26 (0.3)	82 (0.8)	158 (1.5)	288 (1.7)	354 (1.6)	395 (1.7)	1348 (1.3)
Storage & Market yards	100 (3.3)	407 (4.3)	346 (3.7)	293 (3.0)	237 (2.2)	319 (1.9)	953 (4.3)	3777 (16.1)	6429 (6.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Others .									
Forestry		-	--		—		18 (0.1)	30 (0.2)	68 (0.1)
Agricultural aviation	—	—	—	12 (0.1)	—	5 (0.1)	-	—	17 (—)
Integrated cotton development project	—	—	—	—	-	--	5 (0.1)	58 (0.2)	63 (0.1)
Gobar gas plants	—	—	—	--	—			1 ( )	1 (—)
Total	**3047** (100.0)	**9420** (100.0)	**9414** (100.0)	**9784** (100.0)	**10640** (100.0)	**17115** (100.0)	**22082** (100.0)	**23430** (100.00)	**104932** (100.0)

Figures in parenthesised are percentages of the total.
*Please see note 3 under explanatory notes on page 47.
£Year-wise break-up given in earlier publications.

Table 2

DISBURSEMENT OF REFINANCE—AGENCYWISE

(Rs. lakhs)

Agency	Upto 30 June 1969£	During							Upto 30 June 1978
		1969-72£	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	
State Land Development Banks	2785 (91.4)	8179 (86.8)	8614 (91.5)	7776 (79.5)	7706 (72.4)	9909 (57.9)	12670 (57.4)	11194 (47.8)	68827 (65.6)
Of which under IDA projects	—	537	6358	5292	5198	9069	10053	8580	45087
Scheduled Commercial Banks	106 (3.5)	660 (7.0)	449 (4.8)	1736 (17.7)	2787 (28.2)	7075 (41.3)	9298 (42.1)	12026 (51.3)	34143 (32·5)
Of which under IBRD projects	—	119	4	1	10	31	30	67	262
IDA projects	—	—	—	342	979	4133	5526	4485	15465
State Co-operative Banks	156 (5.1)	581 (6.2)	351 (3.7)	272 (2.8)	147 (1.4)	131 (0.8)	114 (0.5)	210 (0.9)	1962 (1.9)
Of which under IDA projects	—	—	—	—	-	7	11	176	194)
Total	**3047** (100.0)	**9420** (100.0)	**9414** (100.0)	**9784** (100.0)	**10640** (100.0)	**17115** (100.0)	**22082** (100.0)	**23430** (100.0)	**104932** (100.0)

Figures in parenthesised are percentages of the total.
£Year-wise break-up given in earlier publications.

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

FIFTEENTH ANNUAL REPORT 1977-78

Highlights

The year ended 30 June 1978 has been another good year for the ARDC. Disbursement during the year reached a new level and the aggregate disbursement of refinance since inception crossed the Rs. 1000 crores mark. Other notable developments during the year are the successful completion of two IDA-assisted projects, negotiations of six more diversified projects with IDA and sanction of a credit by the Kreditanstalt Fur Wideraufbau (KFW) of West Germany for a command area project in Madhya Pradesh. Sanctions were also marginally larger both in terms of the number of schemes and commitment entered into. During the year the Corporation also prepared a comprehensive project report and submitted it to the Government of India for being forwarded to IDA/World Bank for sanction of a third general line of credit for the two-year period 1979-81.

Operations

1.2 The aggregate disburements made during the year at Rs. 234 crores are larger than Rs. 221 crores achieved during the previous year. The performance even though very much higher than the projections of Rs. 216 crores envisaged in 1974, however, fell short of the revised perspective programme of Rs. 260 crores for the year. The disbursement contemplated under the three IDA-assisted integrated dairy development projects did not materialise as the project authorities were in sight of funds from alternate sources at more favourable terms and conditions.

1.3 Of the total disbursements of Rs. 234 crores, nearly Rs. 133 crores or 57 per cent of total were disbursed under the World Bank Group assisted projects. The cumulative disbursement of refinance by the Corporation since inception and upto the end of June 1978 stood at Rs. 1049 crores inclusive of Rs. 610 crores under the various World Bank Group projects.

Table 3

RANKING OF STATES ACCORDING TO REFINANCE DRAWN FROM THE CORPORATION

State	1975-76	1976-77	1977-78
Uttar Pradesh	1	1	1
Andhra Pradesh .	8	4	2
Maharashtra	2	5	3
Bihar	6	8	4
Madhya Pradesh .	4	2	5
Karnataka . ..	3	3	6
Gujarat . .	12	13	7
Rajasthan ..	10	10	8
Punjab	7	7	9
Haryana . ..	5	6	10
West Bengal .	14	11	11
Tamil Nadu	9	9	12
Orissa	11	12	13
Kerala	13	14	14

1.4 The response from member-bank operating in various states followed a slightly different pattern during the year. With the exception of Haryana, Punjab, Karnataka, Tamil Nadu and Madhya Pradesh, all the other states/union territories availed themselves of a larger quantum of refinance during the year as compared to the previous year. The share of the developed states in the total refinance disbursed during the year remained almost constant at Rs. 121 crores while the less developed states improved their absorption from Rs. 101 crores to Rs. 113 crores. The relatively poor performance of developed states arose from inadequacies such as the inability of the SLDBs to absorb sizeable assistance because of overdues, slow progress in diversification of their lending operations and shrinking scope for minor irrigation investments in several areas on account of brisk pace of exploitation of the groundwater potential in the past. In the less developed states there is a welcome and growing awareness to use institutional credit for financing term investments.

1.5 For the fifth year in succession, the banks operating in Uttar Pradesh availed themselves of the largest amount of refinance assistance of Rs. 43 crores placing the state in the foremost position. Andhra Pradesh which had drawn refinance assistance of Rs. 39 crores came closely behind. These two states together accounted for one-third of the disbursement of refinance assistance by the Corporation for the year 1977-78. Maharashtra (Rs. 20 crores), Bihar (Rs. 19 crores) and Madhya Pradesh (Rs. 17 crores) availed themselves of refinance assistance exceeding Rs. 15 crores. A notworthy feature during the year has been the availment of larger refinance assistance by the banks operating in Rajasthan (Rs. 13 crores), West Bengal (Rs. 10 crores) and Orissa (Rs. 8 crores). The North-Eastern region states of Assam, Manipur, Nagaland and Tripura together drew refinance of nearly Rs. 3 crores during 1977-78 which exceeded the disbursement of refinance assistance of about Rs. 1 crore to these states during the previous year (Table 4).

Table 4

DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE

Rs lakhs

Region/State/Union Territory	Upto 30 June 1969	During 1969-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Upto 30 June 1978
I. NORTHERN REGION									
Chandigarh	—	—	—	—	—	—	—	3 (—)	3 (—)
Delhi	—	6 (0.1)	—	7 (0.1)	12 (0.1)	28 (0.2)	10 (0.1)	19 (0.1)	83 (0.1)
Haryana	303 (9.9)	951 (10.1)	1020 (10.8)	803 (8.2)	1075 (10.1)	1569 (9.2)	1770 (8.0)	1111 (4.7)	8602 (8.2)
Himachal Pradesh	—	—	—	4 (0.1)	4 (0.1)	16 (0.1)	2 (—)	23 (0.1)	51 (—)
Jammu & Kashmir	32 (1.0)	38 (0.4)	—	—	—	17 (0.1)	6 (—)	15 (0.1)	109 (0.1)
Punjab	653 (21.4)	1596 (16.9)	607 (6.5)	489 (5.0)	407 (3.8)	1306 (7.6)	1731 (7.8)	1177 (5.0)	7964 (7.6)
Rajasthan	6 (0.2)	237 (2.5)	136 (1.4)	283 (2.9)	350 (3.3)	536 (3.1)	787 (3.6)	1312 (5.6)	3653 (3.5)
	994 (32.5)	2828 (30.0)	1763 (18.7)	1586 (16.3)	1848 (17.4)	3472 (20 3)	4306 (19.5)	3660 (15 6)	20465 (19.5)
II. NORTH-EASTERN REGION									
Assam	70 (2.4)	36 (0.4)	—	29 (0.3)	—	5 (—)	70 (0.3)	273 (1 2)	483 (0 5)
Manipur	—	—	—	—	—	5 (—)	8 (0.1)	23 (0 1)	36 (—)
Meghalaya	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagaland	—	—	—	4 (0.1)	4 (0.1)	2 (—)	3 (—)	5 (—)	18 (—)
Tripura	—	—	—	—	—	1 (—)	2 (—)	8 (—)	11 (—)
	70 (2 4)	36 (0.4)	—	33 (0.4)	4 (0.1)	13 (0.1)	83 (0.4)	309 (1 3)	548 (0.5)
III. EASTERN REGION									
Bihar	18 (0.6)	241 (2.6)	154 (1.6)	585 (5.9)	932 (8.8)	1318 (7.6)	1996 (7.7)	1864 (8 0)	6802 (6 5)
Orissa	4 (0.1)	32 (0.3)	11 (0.1)	8 (0.1)	82 (0.8)	338 (2.0)	565 (2.6)	816 (3 5)	1852 (1 7)
West Bengal	2 (0.1)	16 (0 2)	4 (0.1)	22 (0.2)	69 (0.6)	159 (1.0)	590 (2.7)	996 (4.3)	1855 (1.8)
	24 (0 8)	289 (3 1)	169 (1.8)	615 (6 2)	1083 (10 2)	1815 (10.6)	2851 (13.0)	3676 (15 8)	10509 (10.0)

Table 4 (*Contd.*)

DISBURSEMENT OF REFINANCE—STATEWISE

(Rs lakhs)

Region/State/Union Territory	Upto 30 June 1969	During 1969-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Upto 30 June 1978
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	29	327	319	645	1234	1932	2610	1670	8775
	(1.0)	(3.5)	(3.4)	(6.6)	(11.6)	(11.3)	(11.8)	(7.1)	(8.4)
Uttar Pradesh	122	1153	1143	1498	1849	2598	3720	4317	16398
	(4.0)	(12.2)	(12.1)	(15.3)	(17.3)	(15.2)	16.9)	(18.4)	(15.6)
	151	1480	1662	2143	3083	4530	6430	5987	25173
	(5.0)	(15.7)	(15.5)	(21.9)	(28.9)	(26.5)	(28.7)	(25.5)	(24.0)
V. WESTERN REGION									
Goa	—	—	—	3	5	23	24	68	123
				(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.1)
Gujarat	207	583	2794	788	427	333	402	1319	6853
	(6.8)	(6.2)	(29.7)	(8.0)	(4.0)	(1.9)	(1.8)	(5.6)	(6.5)
Maharashtra	189	1038	732	1271	1358	2248	1928	1974	10742
	(6.2)	(11.0)	(7.8)	(13.0)	(12.7)	(13.2)	(8.7)	(8.4)	(10.3)
	396	1621	3526	2062	1790	2604	2354	3361	17718
	(13.0)	(17.2)	(37.5)	(21.1)	(16.8)	(15.2)	(10.6)	(14.3)	(16.9)
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	809	1234	847	423	892	1295	2122	3893	11473
	(26.5)	(13.1)	(9.0)	(4.3)	(8.4)	(7.6)	(9 6)	(16.4)	(10.9)
Karnataka	261	765	405	1099	1008	1946	2190	1320	8995
	(8.6)	(8·1)	(4·3)	(11·2)	(9.5)	(11·4)	(9·9)	(5.6)	(8.6)
Kerala	17	214	28	103	100	208	247	370	1287
	(0.5)	(2.3)	(0.3)	(1.0)	(0.9)	(1.2)	(1.01)	(1.6)	(1.3)
Pondicherry	—	—	—	8	15	4	—	—	27
				(0.1)	(0.1)	(0.1)			(—)
Tamil Nadu	325	952	1213	1712	817	1228	1599	894	8737
	(10.7)	(10.1)	(12.9)	(17.5)	(7.7)	(7.2)	(7.2)	(3.9)	(8.3)
	1412	3165	2493	3345	2832	4681	6158	6437	30519
	(46.3)	(33.6)	(26.5)	(34.1)	(26.6)	(27.5)	(27.8)	(27.5)	(29.1)
Total (I to CI)	**3047**	**9420**	**9414**	**9784**	**10640**	**17115**	**22082**	**23430**	**104932**
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100 0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100 0)	(100.0)

Figures in particuesised talics are percentages of the total

Year-wise break-up given in earlier publications.

1.6 Since inception, the largest beneficiaries of refinance assistance receiving more than 10 per cent of the total disbursement were Uttar Pradesh (Rs. 164 crores), Andhra Pradesh (Rs 115 crores) and Maharashtra (Rs. 107 crores). The states of Karnataka (Rs. 90 crores), Madhya Pradesh (Rs. 88 crores) Tamil Nadu (Rs. 87 crores) and Haryana (Rs. 86 crores) absorbed betwen 8 and 10 per cent each of refinance assistance.

1.7 Table 3 indicates the ranking of states according to the quantum of refinance assistance availed of from the Corporation during the last three years.

Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Gujarat and Rajasthan improved their position during the year as comapred to the previous year, while West Bengal retained its eleventh position. Orissa marginally slipped from the twelfth to the thirteenth position, despite substantially larger availment of refinance assistance as compared to the last year.

1.8 Purpose-wise, as in the past years, minor irrigation accounted for the bulk of refinance assistance by ARDC at Rs. 143 crores or 61 per cent of the total (Table 1). The level reached during the year was, however, only marginally higher than Rs. 142 crores disbursed under this category in the previous year. The SLDBs drew on account of minor irrigation Rs. 99 crores as against Rs. 106 crores, while the commercial banks availed of Rs. 43 crores as against Rs. 35 crores last year. In the developed states, the share of the SLDBs almost remained unchanged at around Rs. 54 crores while those of commercial banks was Rs. 19 crores as against only Rs. 10 crores in the previous year. In the case of the less developed states, while SLDBs', share sharply declined to Rs. 45 crores from Rs. 52 crores, the Commercial Bank's share more or less remained unchanged at Rs. 24 crores. The amount disbursed for minor irrigation programme included Rs. 18 crores disbursed towards refinancing loans given by member-banks to State Electricity Boards (SEBs) for energisation of pumpsets; the corresponding amount provided in 1976-77 was of the order of Rs. 11 crores.

1.9 The disbursement under land development was smaller at Rs. 4.1 crores as compared to Rs. 5 9 crores achieved last year, as certain legal, procedural and policy matters for execution of command area development programmes had to be evolved and finalised. The Corporation had also reviewed its own procedures and policies in this regard in close consultation with the state governments and banks. Some time was also taken by the state governments to appreciate the rationale behind the various stipulations of ARDC and member-banks for flow of institutional credit for on-farm development such as obtaining consent bonds, need for creation of charge on land and basis of classification of farmers into eligible and ineligible categories. The amounts disbursed for farm mechanisation during 1975-76 and 1976-77, as stated in the last annual report, were mostly on account of the back-log of the programme envisaged in certain agricultural credit projects sanctioned by IDA in the states of Punjab, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The projects have since been completed. The amounts disbursed now reflect the normal demand for farm

mechanisation equipment such as, tractors and power tillers in growth centres where farmers generally want to take advantage of intensive crop patterns. The disbursements of Rs. 29 crores for these were spread over as many as 18 states this year as against 17 states last year. The amount included some machinery for land development work in command areas.

1.10 Increased diversification of the business of the Corporation was in evidence during the year. Loans for diversified purposes other than minor irrigation accounted for Rs. 91 crores or 39 per cent of the total as compared to Rs. 79 crores or nearly 36 per cent during 1976-77.

1.11 While disbursement under land development and farm mechanisation declined as compared to the previous year, disbursement under storage and market yards rose sharply from Rs. 9.5 crores to Rs. 37.8 crores. Of this, the disbursement under market yards accounted for Rs. 5 crores which included the amount under the two IDA-assisted projects while disbursement of a sum of Rs. 32.8 crores was under the FCI scheme of construction of storage godowns by private parties for an estimated capacity of 4 million tonnes when completed.

1.12 Disbursements were also significant for plantation/horticulture, poultry and fishery development programmes during the year. The performance under dairy development schemes has been more or less constant and as stated earlier would have been much higher had the anticipated disbursement under the three integrated dairy development projects assisted by IDA in Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh materialised. Similarly the expected disbursement under the integrated cotton development project both for short-term and long-term purposes had lagged behind.

1.13. Disbursement as percentage of commitment upto the end of the previous year and as on 30 June 1978 is indicated in Table 5. The aggregate drawals during the year constituted nearly 60.5 per cent of the total ARDC commitment of Rs. 387 crores as against 58 per cent of the commitment during the last year (Statement I).

Table 5

DISBURSEMENT AS PERCENTAGE OF COMMITMENTS

Rs Crores

Purpose	ARDC commitments upto 1976-77	Amount drawn upto 30 June 1977	Percentage of 3 to 2	ARDC commitments upto 1977-78	Amount drawn upto 30 June 1978	Percentage 6 to 5
1	2	3	4	5	6	7
1. Minor irrigation	754.7	588.3	78.0	1043.7	731.6	70.7
2. Land development	70.3	40.6	57.8	80.9	44.7	55.3
3. Farm mechanisation	146.0	116.7	79.9	169.5	145.4	85.8
4. Plantation and horticulture	34.3	21.7	63.3	48.4	29.5	60.9
5. Poultry and sheep breeding	4.8	2.3	47.9	8.0	4.4	55.0
6. Fisheries	14.5	9.0	62.1	23.7	14.4	60.8
7. Dairy development	18.7	9.5	50.8	33.1	13.5	40.8
8. Storage facilities and market yards	44.9	26.5	59.0	78.6	64.3	81.8
Total	**1088.2**	**814.6**	**74.7**	**1475.9**	**1047.8**	**71.0**

1.14 Seventy-two member-banks availed themselves of refinance assistance from ARDC comprising 16 SLDBs, 39 scheduled commercial banks and 17 SCBs. During the year, the Manipur SCB and one Regional Rural Bank availed themselves of refinance for the first time.

1.15 During 1977-78, the commercial banks drew refinance assistance of Rs. 120 crores and the SLDBs Rs. 112 crores (Table 2), as compared to Rs. 93 crores and Rs. 127 crores respectively during the previous year. Involvement of SCBs in ARDC programmes continues to be negligible and their performance (Rs. 2.1 crores) during the year was only marginally better than the quantum of refinance (Rs. 1.1 crores) availed of during the previous year. Many SCBs have yet to develop necessary expertise in financing term investments in agricultural development. Only in Orissa, due to the active involvement of the state government the SCB is participating in the minor irrigation programme on a sizeable scale besides supporting fisheries and dairy development schemes.

1.16 The aggregate disburement of Rs. 1049 crores by ARDC since inception and upto the end of June 1978 represents ground level in investments of the order of Rs. 120 crors which included the contributions made by borrowers, member-banks and state governments. The achievement in physical terms under various schemes on the basis of the latest available data is indicated below :

Tubewells	2,54,300
Dugwells	3,90,000
Electric pumpsets/oil engines	5,76,200
	Hectares
Coffee	8,900
Tea	4,400
Rubber	2,200
Cardamom	1,400
Coconut	34,200
Arecanut	1,300
Others	19,900

1.17 During the last 15 years of its activities the Corporation has assisted in bring about 28.5 lakh hectares under multiple cropping. Lands developed under the command areas of major irrigation projects and the areas improved under soil conservation schemes aggregated 8.9 lakh hectares. The total area developed under various schemes for plantation and horticulture was of the order of 72,300 hectares.

1.18 The other activities which received refinance facilities from the Corporation are as under :

Storage	5 million tonnes
Market yards	121 units
Tractors	34,600 units
Combines/harvesters/threshers/ Power tillers	1,675 units
Trawlers/mechanised boats	2 041 units
Milch cattle	66,700 animals
Poultry birds	10,81,500 chicks
Sheep	1,19,940 animals
Agricultural aircraft	2 units

SANCTIONS

There has been an increase both in the number of schemes sanctioned and the amounts committed by the Corporation during the year. The figures of number of schemes sanctioned

have to be interpreted, however, in the changing context. In order to facilitate better appraisal and qualitative implementation, supervision and monitoring, the Corporation has been emphasising the need for preparation of schemes for smaller geographical areas which have common characteristics rather than larger areas with varied features. This emphasis has been particularly important for schemes for diversified purposes, while it would be equally valid for minor irrigation invstment schemes. The smaller average size of the schemes at present sanctioned reflects this in an effective manner and this has also resulted in better utilization of ARDC commitment.

2.2 During 1977-78, 1836 schemes involving Corporation's commitment of Rs. 330 crores were sanctioned as against 1653 schemes with Corporation's commitment of Rs. 307 crores sanctioned during the previous year (Statements 2 and 3). The commercial banks led both in the number of schemes sanctioned as well as the amounts committed thereagainst (Statement 4). These banks were sanctioned 1465 schemes with Corporation's commitment of Rs. 192 crores as compared to 1105 schemes with Corporation's commitment of Rs. 156 crores sanctioned in the previous year. In the case of land development banks, the schemes sanctioned during the year were less at 330 as against 528 during the previous year; the amount committed was also lower at Rs. 129 crores than Rs. 141 crores committed during the previous year. As in disbursement, the number of schemes sanctioned to the state co-operative banks was the lowest during the year accounting for only Rs. 9 crores under 41 schemes and the commitment was also smaller than Rs. 10 crores made in the previous year under 20 schemes. As at the end of June 1978, only 103 schemes were sanctioned to these banks involving a total ARDC commitment of Rs. 38 crores. There is no suitable machinery at the state and central co-operative banks' level to formulate viable schemes of development. The banks also enjoy medium term credit limits from the Reserve Bank, though such limits are not fully utilised.

2.3 In keeping with the trend set at pace during the past few years, the member-banks have been diversifying their activities which is adequately reflected both in the number of schemes sanctioned as well as the amounts committed by ARDC for such diversified investments. In addition to programmes such as land development and command area development, programme for farm mechanisation (mainly equipment other than tractors), plantation and horticulture, and other purposes such as fisheries, dairy development, poultry and sheep breeding which largely benefit small and marginal farmers were also sanctioned on an increasing scale. In 1977-78, 1314 schemes with Corporation's commitment of Rs. 153 crores were sanctioned for purposes other than minor irrigation. Though the number of schemes sanctioned under minor irrigation category was smaller (522) in relation to those sanctioned in the previous year (657) ARDC's commitment thereunder aggregating Rs. 177 crores was more or less the same (Rs. 178 crores) as was committed in the preceding year.

2.4 At the end of June 1978, 6621 schemes with Corporation's commitment of Rs. 1770 crores were sanctioned by the ARDC (Statement 5). Of these, 1862 schemes with Corporation's commitment of Rs. 1054 crores were sanctioned to the land development banks, 4256 schemes with commitment of Rs. 678 crores to the commercial banks and the remaining 103 schemes with Corporation's commitment of Rs. 38 crores were sanctioned to the state co-operative banks (Statement 7). Of these, 2680 schemes with commitment of Rs. 1179 crores or 67 per cent of total commitment were for minor irrigation purposes; as many as 3541 schemes involving ARDC's refinance of Rs. 591 crores were for diversified purposes (Statement 5).

Reduction in regional imbalances

2.5 The efforts of the Corporation in narrowing down the regional imbalances in development seem to be yielding positive results. There has been a substantial increase during the year in the amount of refinance disbursed in the less developed states/regions in the country and in the sanction of schemes. The aggregate disbursements in the thirteen states classified under the above category were of the order of Rs 113 crors as against Rs. 101 crores disbursed in the previous year and this accounted for 48 per cent of the total disbursement during the year. Uttar Pradesh and the states in the Eastern region viz., Bihar, Orrissa and West Bengal have fared better during the year and together availed themselves of an aggregate sum of Rs. 80 crores as compared to Rs. 66 crores last year. This encouraging development holds out promise for the future as considerable untapped potential is available for development in these states. The growing involvement of the member-banks in promoting schemes of development is corroborated by the increasing number of schemes sponsored and sanctioned in these states. As against 725 schemes involving ARDC's commitment of Rs. 128 crores sanctioned in the previous year, 917 schemes with the ARDC's share of Rs. 141 crores were sanctioned during the year in all the less developed states (Statement 8).

2.6 The Corporation continued to pay special attention towards intensifying agricltural development in these states. A favourable climate is being created with the sanction of several extension projects with IDA assistance which can motivate the farmers to take to new technology and thereby generate demand for on farm investments. The Chairman and Managing Director visited these states during the year and held discussions with the state governments and banks to identify the various constraints and steps necessary to remove them. Apart from the regional offices of the Corporation being in intimate contact with the states, the Corporation has also been participating in the periodical meetings of the Regional Consultative Committees for nationalised banks set up by GOI for these regions wherein the progress of ARDC schemes being implemented by the banks is also reviewed. During the year the Gauhati Regional Office which covers Assam and other North-Eastern states was also put in charge of a Director.

Small farmers

2.7 During the year, the Corporation sanctioned as many as 104 schemes under the aegis of Small Farmers Development Agencies. At the end of June 1978, the total number of such schemes stood at 357 involving Corporation's commitment of Rs. 72 crores (Statement 10). Of the 357 schemes sanctioned, the SFDBs accounted for 122 schemes while the commercial banks and the state co-operative banks were sanctioned 225 and 10 schemes respectively. Schemes for minor irrigation investments accounted for the bulk of the sanctions at 163. Other purposes such as dairy development (147), poultry (8), sheep breeding (17), land development (9), plantation/horticulture (10) fisheries (2) and plough bullock and bullock carts (1) accounted for the remaining 194 schemes. The total disbursement under the schemes stood at Rs. 33 crores as at the end of June 1978.

2.8 Under the First ARDC Credit Project sanctioned by IDA, the Corporation was committed to providing at least 50 per cent of the funds for financing the investment needs of small farmers. The data collected for the Project Completion Report indicated that the disbursement to small farmers constituted 54 per cent of the total or nearly Rs. 66 crores out of the aggregate disubrsement of refinance assistance of Rs. 123 crores. For minor irrigaton investments, the percentage of disbursement to small farmers was 55 while for diversified lending, the relative percentage was 38. In regard to diversified lending, since some of the investments were financed through corporate bodies such disbursements could not be strictly classified under the small farmers category. Further, the member-banks were also financing SFDA programmes from their own resources or outside ARDC programmes.

2.9 Despite the efforts made, feed back as regards the extent of small farmer coverage under ARDC schemes is not adequate in view of the large number of banks and branches concerned with the implementation of schemes. The available data indicate that the coverage of small farmers under minor irrigation schemes was 47 per cent of the total disbursement. Under the schemes for diversified purposes, excluding those for farm mechanization and storage and market yards which do not directly benefit the small farmers, the percentage of disbursement to small farmers constituted 57 per cent of the total (Table 6).

Table 6

FINANCE TO SMALL FARMERS**

Rs. Crores

Purpose	Category	Total disbursement	Disbursement to small farmers		Percentage
			Amount	No. of Accounts	
Minor irrigation	(a) IDA projects	315.9	102.7	136960	33
	(b) ARDC I	112.5	62.4	83387	55
	(c) ARDC II	58.0	31.9	42520	55
	(d) SFDA/MFAL schemes	28.7	28.7	71575	100
	(e) Other schemes	164.4	93.0	232475	57
	Total	679.5	318.7	566917	47
Diversified purposes	(a) IDA projects*	10.4	4.6	30450	44
	(b) ARDC I	10.5	4.0	5293	38
	(c) ARDC II	9.0	3.4	4547	38
	(d) SFDA/MFAL, schemes	2.9	2.9	6300	100
	(e) Other schemes@	66.7	41.4	138167	62
		99.5	56.3	184757	57
	Grand Total	**779.0**	**375.0**	**751674**	**48**

*Land development only.

@Excludes Farm Mechanization and storage.

**Provisional as on 31 March 1978.

2.10 An analysis of the schemes sanctioned by the Corporation indicates that every district in the country, except for 28 out of 387 districts, has one type or other of ARDC schemes sanctioned for implementation. The states and the number of districts without any ARDC schemes as at the end of June 1978 are :

Andaman and Nicobar Islands	1
Arunachal Pradesh	5
Assam	1
Dadra and Nagar Haveli	1
Gujarat	1
Himachal Pradesh	2
Jammu and Kashmir	1
Lakshadweep	1
Megalaya	3
Mizoram	1
Nagaland	3
Tripura	1
Sikkim	4
Uttar Pradesh	3

Schemes under consideration

2.11 At the end of June 1978, 883 schemes were under consideration. Of these, 174 schemes were complete in most respects and the remaining 709 schemes were either incomplete or were pending for want of additional data for processing. Of the pending schemes, 346 schemes related to the states in the less developed/underbanked areas. The details in respect of the schemes under consideration are given in Statement 14. The number of pending schemes does not necessarily indicate that there is delay in sanctions. On the other hand, the pace of sanction of schemes has been speeded up considerably during the last few years as will be evident from the increasing number of sanctions. Durng 1977-78, more than double the number of pending schemes involving a commitment of Rs. 330 crores were sanctioned. Some delay in sanction of schemes becomes inevitable when the schemes do not contain sufficient data on both technical and financial aspects. The Corporation's Regional Offices have been instructed to take up the matter with the banks concerned so as to ensure that member-banks operating in their jurisdiction formulate schemes according to the guidelines and give adequate data so that sanctions could be expedited.

POLICY DECISIONS DURING THE YEAR

(i) *Storage schemes*

The Corporation is committed to playing a significant role in augmenting the storage facilities for commodities like foodgrains, fertilisers, jute, etc. by paying adequate attention to the location and technical specifications of these commodities. The Corporation, as indicated in the last annual report, had agreed to provide refinance facilities for construction of godowns for foodgrains storage by the private sector for leasing the same to the Food Corporation of India (FCI). The response to the scheme was encouraging but in some cases there was delay in completing the structures due to various reasons. The Corporation, therefore, had extended the time limit for completion of the structures initially upto 31 March 1978 later upto 30 September 1978 subject to the condition that the proposals should have been received by the financing banks before 31 July 1977.

3.2 Pursuant to a decision of the Government of India to build up a minimum buffer stock of 12 million tonnes of foodgrains, the ARDC decided to extend refinance facilities under the second phase for construction of godowns, towards creating additional storage capacity of 2 million tonnes by private parties in the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra and West Bengal.

3.3 The Corporation had discussions with the Government of India and some of the state governments about providing refinance facilities for stocking commodities like fertilisers and foodgrains and for the activities of the State Warehousing Corporations. Several schemes are expected to be sanctioned in the near future.

3.4 The ARDC has also agreed to the Jute Corporation of India's (JCI) request for augmenting scientific storage facilities in the jute and mesta growing states of Assam, Bihar, Orissa, West Bengal and Tripura. The member-banks will be provided refinance facilities in respect of their loans to selected private parties for construction of godowns to be leased to JCI.

(ii) *Financial assistance for energisation of pumpsets*

3.5 A Working Group was appointed by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. B. Venkatappiah on planned participation of commercial banks in rural electrification programmes in which ARDC was also associated. The Group had in its final report recommended a programme for energisation of 20 lakh pumpsets during the next 5 year period. Of this, energisation of 6 lakh pumpsets will be jointly financed by REC, ARDC and commercial banks on an equal basis at a total estimated cost of 360 crores. The focus of the programme will be mostly in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Orissa and Assam. The Group had recommended that ARDC should provide refinance against loans disbursed under these projects by banks upto 50 per cent. Loan maturities may be of two kinds

viz., upto 8 years which will be financed by commercial banks of through consortium arrangement or in participation with REC. In regard to other loans involving longer maturities, earlier maturities will be taken up by commercial banks and later maturities upto 14 years by REC and will carry interest at 10½ per cent per annum with a moratorium of upto 2 years for repayment of principal. ARDC has accepted these obligations in view of the need for promoting the programme of energisation of irrigation pumpsets.

(iii) *Capital subsidy to small farmers under ARDC schemes*

3.6 During the year, the GOI have taken an important decision that capital subsidy ranging between 25 and 33-1/3 per cent as under SFDA and DPA programmes should also be given to the small and marginal farmers for minor irrigation works under ARDC schemes in all areas not covered by centrally assisted special programmes like SFDA, DPAP, CAD, etc. For the purpose of extending this subsidy in new areas, the state governments/union territories would adopt the same definition of small and marginal farmers as under SFDA viz., 5 acres of unirrigated land or 2.5 acres of class I irrigated land. For marginal farmers the ceiling limit is 2.5 acres of unirrigated land or 1.25 acres if it is class I irrigated. Where slightly different criteria have been approved for DPAP and Desert Area Development Programme, the relevant criteria will continue to apply for the respective project areas. This decision would help to a great extent the small and marginal farmers who are left out of the special programmes in getting the benefit of capital subsidy and consequently, motivate them to undertake investments in minor irrigation sources with institutional credit support. GOI has also decided that the capital subsidy will be routed through the credit institutions which would ensure proper end-use of the credit. This decision would also enhance coverage of small farmers under ARDC-refinanced programmes.

(iv) *Work bullocks and animal driven carts*

3.7 In the context of emphasis on rural development and providing employment to persons of small means the Corporation has decided to extend the facility of providing refinance for purchase of work bullocks by small farmers applicable in SFDA areas to all areas.

3.8 Refinance facilities would also be available for purchase of a single bullock in deserving cases in areas where arrangements for hiring or pooling of bullocks were satisfactory so that uneconomic farmers could hire or pool the second bullock for carrying on their agricultural operations.

3.9 In view of the importance of animal driven carts as an economical means of transport in rural areas, ARDC also decided to grant refinance to member-banks in respect of loans provided by them to the small farmers and landless labourers for purchase of work animal/animal driven carts, traditional with steel rims or modern carts fitted with pneumatic tyres subject to the condition, among others, that the repaying capacity of the borrowers and arrangements for recovery of loans were satisfactory. The period of loan will be based on the repaying capacity of the beneficiary and useful life of the assets subject to a maximum of 8 years.

(x) *Modernisation of slaughter houses*

3.10 It was agreed in principle, that ARDC would refinance facilities in respect of bank loans to the slaughter house corporations/companies set up|to be set up in various states subject to certain conditions. The project should support cattle development in the operational area and contain, besides the provision of service facilities, a satisfactory use of the established capacity for slaughter of animals directly purchased by the corporations/companies with the object of reducing/eliminating the number of middle men and passng on the benefits to the agriculturists.

(vi) *Relaxation in overdues discipline*

3.11. The Standing Committee on Debenture Norms set up by the Reserve Bank of India in September 1975 for evolving common norms for the issue of ordinary and special development debentures by the LDBs met 4 times during the year. Important decisions taken during the year by the Committee were as under :

(a) The recommendation of the Debenture Norms Committee was that the mid-year review of recovery performance of PLDBs/branches as on 31st December would be helpful to many banks only if the banks reviewed the position as at the end of June without taking into account the demands falling due between July and December and that it should be taken up with IDA. The latter was, however, not agreeable to this. The Committee again considered this matter and the consensus was that the matter should again be taken up with IDA.

(b) In the light of representation made by LDBs for extension of loan periods instead of rescheduling of loans, the Debenture Norms Committee decided that the proposal for extension of loan period would be considered in respect of famine affected areas subject to the following safeguards :

(i) The SLDBs should build up adequate stabilisation funds on the lines of the arrangements suggested by the Government of India in 1972 and the state governments should agree to contribute to the said funds on the lines indicated therein.

(ii) Where the owned funds were not adequate to meet the financial burden arising out of the extension of the loan period even after taking into account the stabilisation funds, the concerned state governments should defer the redemption of the debentures held by it, wherever the SLDB was not in a position to redeem the debentures on the due dates.

(iii) Where the special development debentures were to be redeemed annually, the state government need not insist on repurchase of their debentures on due dates fixed by the ARDC till the bank was in a position to fulfil its commitments.

The views of the state governments have been called for before taking a final decision.

(c) It was decided that the state governments might be requested not to withdraw their share capital contribution for notionally reducing the level of overdues atleast for one year after the overdues position improved to the level of 25 per cent of demand. However, there would be no objection to the contribution being allocated in favour of some other PLDB/branches of SLDB whose overdues position did not permit unrestricted eligibility for lending programmes.

(d) The facility of segregation of overdues of 5 years and above into a separate blocked account in respect of loans issued prior to 1969 has been extended to cover the loans issued upto 1971-72. This relaxation would be available on an "once and for all" basis and no further extension of the period would be allowed.

(e) The Debenture Norms Committee also considered issues relating to rescheduling of loans in areas affected by natural calamities like drought, floods, etc., and decided that :

(i) Borrowers who pay income tax did not require the facility of rescheduling;

(ii) In the case of tractor loanees, the facility of rescheduling could be extended provided they were not income tax payers and provided further that they were affected by drought, etc., for 2 or more years successively; and

(iii) In the case of borrowers having perennial sources of irrigation, while there was no general case for rescheduling of loans, wherever water supply was not released from canal or was not available from other perennial sources, rescheduling of loans can be allowed.

The above concessions would anply only where the state government had declared annewari of 6 annas or less.

(f) A PLDB/branch of SLDB having restricted eligibility may issue loans to fulfil commitments in res-

pect of second and subsequent instalments after examining individual loans cases. The total period allowed for disbursement of all the instalments of loans including the second and subsequent instalments should not exceed 18 months from the date of first instalment.

(c) In the case of PLDBs/branches of SLDBs the recovery performance of which had come down to 40 per cent of demand or less as against 40 per cent or more in the previous 2 years, the state government concerned might be permitted to contribute towards the share capital of such institutions upto 20 per cent of the demand to notionally reduce the overdues and to enable the banks to have a minimum eligibility of 50 per cent of the loans issued during the previous year. This eligibility should be used by the banks solely for providing loans for completion of investments for which the first/second instalments of the sanctioned loans were disbursed. Fresh lending out of the eligibility would not be permitted.

3.12. After a careful review of the problem hindering speedy implementation of the on-farm development programme in the CAD projects, ARDC has further simplified the procedure regarding obtaining consent bonds from beneficiaries and has also relaxed the norms for categorisation of farmers into eligibles and ineligibles for bank loans. Another important decision taken was that funds would be provided by way of interim finance to the executing authority in suitable instalments against government guarantee pending collection of consent bonds from farmers and identification of ineligible farmers. Such amounts will be refinanced by ARDC. The interim finance is to be adjusted within 12 months failing which the state government would be required to repay the amounts to the financing banks. Detailed guidelines have been issued in this regard. It has also been decided to permit financing banks to provide ad-hoc loans on government guarantee to the implementing authority in respect of completed works of on-farm development where categorisation of farmers into eligible and ineligible farmers has not been completed, subject to certain conditions.

OTHER DEVELOPMENTS

(a) *Evaluation*

With the growing responsibilities of the Corporation, as a result of its sizeable lending operations it was considered desirable to expand the scope of the evaluation cell to cover concurrent evaluation of some of the on-going projects so that necessary information for final evaluation of such schemes on a sector basis will be possible. It was also felt desirable that arrangements for monitoring of on-going schemes should also be placed on a more systematic basis. This objective could be achieved by enlisting the co-operation of member-banks and to this end steps were taken.

4.2. Important findings of four evaluation studies were briefly indicated in the last year's report. During the year the Corporation undertook five more evaluation studies and this time selected for the purpose schemes involving diversified investments: two of these schemes related to dairy development, one each in Punjab and Haryana, the third related to the development of citrus gardens in Andhra Pradesh, the fourth was in respect of lift irrigation in Maharashtra and the fifth pertained to development of marine fisheries in Karnataka. The study reports have been finalised in respect of the first three schemes. As regards the remaining two, the field investigation, scrutiny and tabulation of data have been completed and the reports are under preparation.

4.3. The dairy development scheme in Haryana was exclusively for the benefit of small and marginal farmers and landless labourers. The evaluation study revealed that the average daily milk yield was about 6 litres, one-fourth of which was used for home consumption by the beneficiaries. The net surplus per buffalo in one lactation cycle was about Rs. 930 as against Rs. 1050 assumed at the time of appraisal. The repayment performance of the loans was satisfactory and there were no defaulters. The investment also resulted in creating employment opportunities of about 230 man-days per household. The internal rate of return on investment was more than 50 per cent. The success of the scheme was attributable to the active help given by the SFDA and Haryana Dairy Development Corporation for collection and marketing of milk.

4.4. The dairy scheme in Punjab was meant to augment the milk supply to the dairy plant at Moga set up by a private limited company. The buffaloes purchased were of good breed and nearly half of the milk yield was retained by the farmers for home consumption. It was observed that about 100 man-days of employment was generated per buffalo. The net surplus was about Rs. 1120 against Rs. 960 assumed during appraisal. This was primarily because of higher price of milk received by the borrowers. The success of the scheme was attributable to the various extension assistance in purchase of animal, veterinary care, supply of fodder, seed, etc., extended by the dairy plant. Some of the loans were, however, outstanding for more than 3 years because of the lower price stated to have been paid by the company as compared to the market price which resulted in diversion of a part of the milk for cash sales. The internal rate of return on investment exceeded 50 per cent.

4.5. The horticulture scheme in Andhra Pradesh envisaged raising of citrus gardens and construction of irrigation wells with pumpsets. It was noticed that the loan amounts given for minor irrigation works fell short of the requirements. The yield per tree was satisfactory and conformed to the estimates at the time of appraisal. The incremental income of the borrowers with a new well, renovated well with pumpset was around Rs. 2300 per acre. The internal rate of return on investments was around 20 per cent. It was noticed that some of the gardens failed due to non-observance of precautions by the borrowers during planting and aftercare, inadequacy of water in the wells and the absence of technical guidance.

(b) *Monitoring*

4.6. In pursuance of its advice to the member-banks to set up project monitoring cells of their own for effective monitoring of the schemes implemented by them, ARDC conducted during the year short duration training programmes at Calcutta, Pune and Madras for their guidance. Besides, at the request of the Syndicate Bank, officials of their project monitoring cell were also given training by ARDC officials for carrying out monitoring studies. As a result of the initiative taken by the Corporation, separate monitoring and evaluation cells have now been set up in seven commercial banks and three LDBs; three more commercial banks are expected to set up such cells shortly. The response from other banks for creating such cells has been quite encouraging.

4.7. During the year the Corporation formulated detailed guidelines for conducting monitoring and concurrent evaluation studies in respect of minor irrigation investments and communicated them to the Regional Offices for adoption. The guidelines specified the sampling procedures to be followed, the design of the questionnaire to be canvassed and the format of the report to be prepared for these studies. Preparation of similar guidelines for other types of investments is under way.

(i) *End-of-scheme reports*

4.8. The ARDC commenced during the year, preparation of end-of-scheme reports with the main objective of summarising the experience gained in implementation of the schemes and utilising the same to improve the scope, design and content of new schemes as also to tighten the supervisory control, if found necessary. Such reports would include, *inter alia*, an analysis of the time-lag between the submission, appraisal and sanction, a discussion on the reasons for deviations from appraisal estimates, review the method of supervision and control by financing banks, pinpoint the problem if any, inhibiting the progress in the implementation of the schemes, comment on the adequacy or otherwise of supporting services, and make recommendations for improving the scope, design and content of similar schemes in future. Such reports for five schemes covering different purposes were completed during the year; reports for eight more schemes are being finalised. On the basis of reports completed so far, guidelines are being prepared for the use of Regional Offices of the Corporation.

(ii) *Project Completion Reports (PCRs)*

4.9. Mention was made in the last year's report regarding Corporation's commitment in the preparation of PCRs in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka and the First ARDC Credit Project. During the year, the ARDC provided active assistance to IDA in preparing PCRs in regard to agricultural credit projects implemented in Maharashtra and Tamil Nadu and the First ARDC Credit Project.

4.10. As part of the preparation of the Maharashtra PCR, the ARDC conducted a quick field study in the project area to assess the farm benefits under the project and also collected the necessary data for financial and economic analysis.

4.11. The emphasis in Tamil Nadu PCR was on groundwater exploitation. As part of the exercise, the Tamil Nadu SLDB conducted a farm benefits survey. In the planning and conduct of the survey as well as in the processing and tabulation of the data, the World Bank was assisted by ARDC.

4.12. The data collected by the Tamil Nadu SLDB indicated that an overwhelmingly large number of wells constructed in the state were financed by private sources. As this had serious policy implications, the Corporation conducted a quick field survey to assess the correct position in this regard. Data collected during the course of this survey revealed that the proportion of newly constructed wells financed by the PLDBs was much more than what has been indicated by the official data.

4.13. The IDA has entrusted the work relating to the preparation of PCRs in future to the Corporation. Thus, a combined PCR relating to the agricultural credit projects in Punjab and Haryana was prepared in the Corporation and forwarded to the IDA.

4.14. Field investigations in connecton with the preparation of PCRs relating to agricultural credit projects in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Karnataka have already been completed; processing and tabulation of data are on hand. While the field work in connection with the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh PCRs was carried out by the Corporation, that in respect of Karnataka PCR was conducted by the University of Agricultural Sciences, Bangalore. The reports for all the three are being prepared in the Corporation.

(c) *Training*

(i) *Senior and middle level staff*

4.15. Wth a view to improving the functional efficiency of the professional staff involved in project work at various levels, training arrangements for senior/middle level officers of financing banks, mainly LDBs, and of junior-level staff in LDB structures were strengthened considerably during the year. The programmes which are in continuation of those initiated under the first ARDC Credit Project are supported by IDA, which had allocated a credit of $1 million for the purpose under the Second ARDC Credit Project.

4.16. During the year under review, 15 more Agricultural Project Courses of four-weeks duration were conducted at the College of Agricultural Banking Pune, in which 405 senior/middle level officials (including 246 from LDBs) were trained. A few foreign participants from Nepal, Nigeria and other African countries were also trained in these courses.

4.17. Three (ten-day) Regional Agricultural Project Courses (RAPCs) with focus on regional problems and peculiarities were also arranged for senior and middle level officers of North-Eastern region at Gauhati, Southern region at Madras and Western region at Ahmedabad. In these RAPCs a total of 88 officials were trained, of which 19 were from LDBs.

4.18. Considering the vital importance of technical aspects in projects feasibility, two technical courses on hydrogeology were also held, one at Hyderabad and the other at Ahmedabad for senior and middle level technical officers in LDBs, commercial banks and concerned government departments, public sector corporations connected with project implementation. 54 officers including 29 from LDBs benefitted from these courses.

4.19. The progressive total of the senior and middle level officials trained so far was 1401 of which 702 were from LDBs, 481 from commercial banks and remaining 218 were from Reserve Bank of India, ARDC, state governments etc.

(ii) *Junior-level LDB staff*

4.20. The training programme for junior-level LDB staff being implemented by the concerned land development banks under ARDC's overall guidance gained momentum during this year, the second year of its implementation. As against 3,034 personnel in this category trained in 111 courses organised by 13 SLDBs during 1976-77, 4,525 trainees participated in 178 courses run by 14 SLDBs during the year under review, recording a 50 per cent increase in the number of participants over the previous year. This was possible due to the opening of additional channels by some SLDBs and increase in the number of courses run by most of them as compared to the previous year.

4.21. The second workshop for trainers under the trainers development programme a reference to which was made in the annual report for 1975-76, was organised at CAB, Pune, in February/March 1978. The first Workshop was held at Reserve Bank Staff College, Madras, in August 1976. ARDC circulated a volume of reading material to assist the training centres in the preparation of course material, and supplied copies thereof to the centres for translation to the extent possible, into the regional languages. A second volume of reading material was also compiled by ARDC for the use of the participants of the workshops for trainers. For effective monitoring of the traning programme ARDC had been deputing its officers periodically to inspect the centres. 21 training centres of 12 SLDBs were inspected during the year.

(iii) *Other training arrangements*

4.22. ARDC continued to offer study facilities to the visiting officers from foreign countries, state government officials connected with co-operation and agriculture and officals of LDBs. During the year, 26 officers and scholars from Afro-Asian countries were provided with such facilities.

(d) *Staff development*

4.23. During the year the Corporation appointed two Deputy Managing Directors, with the increase in volume of business of the Corporation. One DMD coordinates the work of the Project Divisions at Head Office dealing with schemes/projects submitted by member-banks, while the other DMD is attending to Planning and Development, Programming and Evaluation and also Administration and Accounts and Funds Divisions of the Corporation.

4.24. The DMDs participated as ARDC representatives in the negotiations with IDA on the Haryana Irrigation Project and National Seed Project (Phase II).

4.25. Two Directors and a Deputy Director of the Corporation were also associated as credit specialists with IDA appraisal missions in respect of Haryana Irrigation Project, Andhra Pradesh Fisheries Project and Jammu & Kashmir Horticulture Project. Another senior officer was a member of IDA inland fisheries sub-sector mission to identify an inland fisheries project.

4.26. In addition, one ten day in-service orientation training programme for Junior Analysts in ARDCs Head Office was also arranged during the year in which 20 officers were trained.

4.27. ARDC also deputed six senior officers for participating in the training programmes and seminars on management conducted by various management institutions in the country.

(e) *Conference of officers in charge of Regional Offices*

4.28. The fourth conference of the Directors and Officers-in-charge of the Regional Offices of the Corporation was held in March 1978 with the main objective of reviewing the implementation of the Second ARDC Credit Project and the approach to be adopted for preparation of the Project Report for Third ARDC Credit Project for submission to IDA. The Conference also reviewed the existing procedures and other operational matters with a view to streamlining them for speedy sanctions and disbursements.

(f) *Commercial banks' overdues workshops*—

4.29. With a view to enabling the officers of the commercial banks to gain an idea of properly computing the demand

and collection and arriving at the correct position of overdues in respect of term loans for agriculture, ARDC conducted statewise workshops covering as many as 13 states, in collaboration with the Department of Banking Operations and Development and the Credit Planning and Banking Development Cell of the Reserve Bank. Suitable guidelines on the basis of the findings of the workshops are proposed to be issued in consultation with the Reserve Bank of India to bring about uniformity in the procedures followed by the commercial banks in regard to the assessment of overdues and computation of demand corresponding to those followed by the land development banks.

PROJECTS ASSISTED BY INTERNATIONAL AID AGENCIES

I. IDA/IBRD—ASSISTED PROJECTS

During the year six more projects were negotiated with the World Bank Group for which credit will be routed through the ARDC. The projects are Orissa Irrigation Project Karnataka Irrigation Project, Andhra Pradesh Fisheries Project, Jammu and Kashmir Horticulture Project, National Seed Project Phase II and Haryana Irrigation Project.

5.2. At the end of June 1978, 35 projects have been sanctioned envisaging assistance from the World Bank Group comprising 12 agricultural credit projects, 7 command area development projects, 3 dairy development projects, 3 seed projects, 2 market yards projects, 2 horticulture and marketing projects, 2 fisheries projects, an integrated cotton development project, 2 general lines of credit to ARDC and one irrigation project. Four projects *viz.*, Tarai Seeds Project, Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project, Chambal Command Area Development Project (Rajasthan), National Seed Project I and a part of Gujarat Fisheries Project were being implemented with the assistance from the World Bank while the remaining projects were being assisted by the IDA.

5.3. The summary position indicating the purposewise lending programme, disbursements made so far and the amount reimbursed or eligible for reimbursement at the end of June 1978 is given in Table 7. The salient features of individual projects are presented in Statement 11 and the data regarding total lending programme, disbursement etc., are indicated in Statement 12 for each project.

Table 7

IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

Rs. Crores

Purpose	Disbursement necessary to utilise the credit	Amount of IDA/IBRD assistance for ARDC' programme	Refinance provided by ARDC as on 30 June 1978	Amount of disbursement from IDA/IBRD through GOI as on 30 June 1978
1. Minor irrigation	802.6	470.2	498.4	
2. Land development	14.2	11.0	5.7	341.8
3. Farm mechanisation	93.3	57.3	64.6	
4. Market yard development	23.8	17.2	10.5	5.1
5. Processing and marketing of perishable horticulture produce	30.3	13.3	0.1	—
6. Dairy development	60.6	47.6	—	—
7. Command area development	68.6	46.5	3.2	1.7
8. Seed production	51.0	35.9	2.1	1.9
9. Diversified purposes* (such as tree crops, poultry etc.)	99.8	50.1	24.9	9.9
10. Fisheries development	23.3	7.7	—	—
11. Cotton development†† and processing	16.1	10.3	0.6	0.3
Total	**1282.6**	**767.1**	**610.1**	**359.7**

*Includes development of plantation crops in Kerala.

††Includes credit of $ 7.5 million earmarked for growing improved variety of cottonn under the Integrated Cotton Development Project.

5.4. At the end of June 1978 ARDC disbursements under various on-going World Bank Group Projects agregated Rs. 610 crores. This constituted 58 per cent of total ARDC disbursement made so far. These disbursements have accounted for an inflow of foreign exchange of about $ 470 million since under the various projects reimbursements are available to the GOI at a specified percentage of the disbursements made by ARDC/financing institutions at ruling rates of exchange.

A. *ARDC Credit Projects*

5.5. ARDC disbursement under the First ARDC Credit Project which was completed by the end of June 1977 *i.e.*, 6 months ahead of schedule, aggregated Rs. 123 crores spread over 18 states/union territories. The Corporation also fulfilled its obligations to disburse atleast 50 per cent of the funds under the project for small farmers by disbursing Rs. 66 crores or nearly 54 per cent of the aggregate ARDC disbursement.

5.6. The Second ARDC Credit Project, which was sanctioned by IDA in June 1977 for a credit of $ 200 million, became effective from August 1977. The project which is a two year programme is, by and large, a continuation of the programmes initiated under the first line of credit. Out of $ 200 million, $ 175 million is earmarked for minor irrigation and on-farm development, $ 24 million for diversified lending (other than energization of pumpsets, storage and marketing and farm mechanisation) and the balance amount is available for training programmes. The terms and conditions are almost identical to those of the First ARDC Credit Project. The disbursement under the project at the end of June 1978 totalled Rs. 105 crores which would enable Government of India to draw a credit of $ 68 million. The disbursement under the project has exceeded the appraisal estimate of $ 60 million. 21 states/union territories have availed themselves of refinance assistance from ARDC under the project. The disbursements by ARDC for minor irrigation investments aggregated Rs. 90 crores while those for diversified purposes accounted for Rs. 15 crores. As part of the project two Committees have been set up : (1) to study the adequacy of interest rate spreads in the agricultural lending sector in India with particular reference to the needs of LDBs; and (2) to study the estimated pumpsets replacement requirements in India in the next five years. A Committee has also been constituted to study on a sample basis the problem of possible groundwater over exploitation in certain areas of the country to enable ARDC to formulate its policies for financing future minor irrigation investments in such areas.

B. *Agricultural Credit Projects*

5.7. Twelve agricultural credit projects sanctioned since 1970 were confined to a part of the concerned states or the whole of respective states. Generally, agricultural credit projects envisage financing of on-farm investments in minor irri-

gation sources such as construction of wells, installation of pumpsets, sinking of tubewells, etc. Some of the agricultural credit projects such as those for Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra also envisaged land development programmes on a limited scale. The Punjab Agricultural Credit Project was exclusively meant for financing farm mechanisation equipment. Some of the other agricultural credit projects *viz.*, Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Haryana also contemplated financing of tractors on a moderate scale. The West Bengal Agricultural Development Project is an integrated project envisaging besides development of minor irrigation sources, setting up of agro-service centres, development of markets and completion of river lift irrigation units. The Kerala Agricultural Development Project is designed for development of plantation crops, such as pepper, coconut, cashewnut and setting up of crumb rubber factories.

5.8. The demand for minor irrigation investments had outstripped that for other types of investments because of emphasis in national planning on accelerated groundwater development for increasing agricultural production, and use of high yielding varieties of crops and modern inputs which presuppose adequacy of irrigation facilities. With the rich experience and expertise available with the banks for processing such proposals, the disbursements for minor irrigation investments under the various agricultural credit projects proceeded rapidly. The farm mechanisation component could also be completed once the procedural and policy matters which delayed the implementation earlier were settled. The land development component did not proceed as per expectations since the required capability took time to develop. As only a part of IDA credit allocation was used for financing land development programmes the balance had to be transferred to minor irrigation investments for which considerable demand existed.

5.9. At the end of June 1978, ARDC has been able to complete nine agricultural credit projects *viz.*, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Haryana, Gujarat, Punjab and Uttar Pradesh. During the year Uttar Pradesh Agricultural Credit Project was completed. These projects involved a total disbursement of Rs. 328 crores at ARDC level to utilise a credit of $ 278 million from IDA.

5.10. Presently the Bihar, West Bengal and the Kerala Agricultural Credit/Development Projects are under implementation. Under the Bihar Agricultural Credit Project the disbursement by the financing institutions at the end of June 1978 aggregated Rs. 31 crores. The project which was scheduled to be closed by the end of June 1978 has since been extended up to the end of March 1980. The investment costs were less than what were envisaged at the time of appraisal which meant more disbursement to absorb the allocated IDA credit. Some operational problems such as, poor recovery performance and paucity of adequate staff at financing institutions' level have retarded the progress of the project earlier. Under the West Bengal Agricultural Development Project disbursement by the banks at the end of June 1978 totalled Rs. 11 crores. While the progress of shallow tubewells programme was satisfactory, the deep tubewells programme did not proceed satisfatorily. The delay in getting groundwater clearance certificate from the State Water Board was another factor holding up sanctions of schemes. The programme for setting up of agro-service centres has also lagged behind because of lack of applications from technically qualified persons. The construction of one market yard has been proceeding satisfactorily. In the Kerala Agricultural Development Project, 105 package units have been identified by the Special Agricultural Development Unit (SADU) of which 22 will be taken up for development during the first year. Against this the Corporation has cleared in principle, 3 unit plans covering 3 types of investments. Another 43 unit plans covering investments such as coconut rehabilitation, new planting and pepper rehabilitation are under consideration.

C. Command Area Development Projects

5.11. Of the 7 Command Area Development Projects, 2 are being implemented in Rajasthan and one each in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Karnataka. The Karnataka Irrigation Project was sanctioned by IDA recently and the relative agreements were executed in Washington in May 1978. Major part of the IDA credit is intended for basic infrastructure facilities such as construction of lined canals, drainage, construction of roads, etc., and ARDC is involved in financing on-farm development and construction of field drainage channels.

5.12 In the Rajasthan Canal Command Area Development Project, cost estimates relating to 970 'chaks' have been approved by ARDC and the Rajasthan Land Development Corporation has accorded financial sanctions in respect of 690 'chaks'. While the work has commenced in 580 'chaks' it has been completed in 146 'chaks'. ARDC has made disbursement under the project to the tune of Rs. 2.7 crores. The progress was earlier hampered by delay in allotment of large blocks of land to eligible farmers and legal difficulties for transfer of land. In the Chambal Command Area Development Project (Rajasthan), cost estimates relating to 18 catchment areas have been cleared by ARDC and the work has commenced in 12 catchment areas and a sum of Rs 16 lakhs has been disbursed by two participating banks. The progress was affected by delay in allotment of land to eligible farmers.

5.13 Under the Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composite Project as well as the Orissa Irrigation Project the procedural formalities such as execution of side letter/financial arrangement letter with Government of India have been completed and the projects have become effective from 13 and 16 January 1978 respectively. The progress of the Maharashtra Irrigation Project was recently reviewed and the procedural simplifications, among others, like the decision to grant interim finance for land development work to be done and making defaulters eligible to a limited extent for a regular loan are expected to speed up the progress of the project.

5.14 Under the Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project, ARDC has approved programmes covering an area of nearly 47,000 acres with financial assistance of Rs. 4.3 crores. The ARDC has disbursed Rs. 45 lakhs at the end of June 1978 under the project. The state government has prepared an ordinance for recovery of charges for land development work done on a compulsory basis and it is expected to be issued shortly. Under the Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project, cost estimates relating to 28 schemes covering an area of 2575 ha. have been approved. Proposals in respect of 18 scheme covering 1000 ha have been sanctioned with financial assistance of Rs. 12.3 lakhs and refinance assistance of Rs. 9.3 lakhs to 3 banks.

5.15 The question of speeding up command area development under various CAD projects was recently reviewed by ARDC. The farmers participating in the on-farm development programmes have now been classified into 3 categories; (*i*) farmers having valid titles to lands and who are willing to execute the consent bonds as envisaged by ARDC; (*ii*) farmers willing to execute the consent bonds but whose titles to lands are not clear and are defaulters; and (iii) farmers not willing to execute the consent bonds. While in respect of farmers coming under category (*i*) funds will be provided without insisting upon government guarantee, in the case of farmers coming under category (*ii*) funds will be provided under guarantee of the respective state governments. For farmers coming under category (*iii*) the funds will be provided from the Special Loan Account to which contributions are being made by Government of India, ARDC and the respective state governments in the ratio of 50 : 25 : 25 At the end of June 1978, seven states have contributed to the Special Loan Account with matching contribution from the GOI and the amount in the account stood as Rs. 4.6 crores. The reclassification of farmers and the decision to provide ad-hoc loans to the land development corporations are expected to speed up the progress of command area development in the various states.

5.16 The Corporation has recently formulated detailed guidelines for disbursement and adjustment of interim finance for on-farm development under CAD projects to be given to the executing authorities for speeding up the development.

D. Dairy Development Projects

5.17 Three integrated dairy development projects are under implementation in Rajasthan, Madhya Pradesh and Karnataka. Under the Madhya Pradesh Dairy Development Project 254 dairy co-operatives and 3 dairy unions have been set up. ARDC has approved technical services component in respect of 3 dairy unions. Under the Karnataka Dairy Development Project 4 dairy unions have been registered. There was some

delay in formulating technical proposals relating to artificial insemination because of GOI decision to shift from liquid semen to frozen semen technology. In Rajasthan 656 dairy co-operatives and 4 dairy unions have been set up. The proposal for one bull breeding farm has also been approved.

5.18 The documentation procedure under the projects has been considerably simplified by IDA. No disbursement has taken place under this project upto the end of June 1978. There is also a proposal to include Indian Dairy Corporation (IDC) as an alternate channel of credit under the project. As the IDC may be willing to provide credit to the Dairy Development Corporations at lower rates of interest and for a longer duration it is unlikely that these Corporations would avail of refinance from ARDC for the processing components.

E. Market Yards Projects

5.19 Of the two projects the progress has been satisfactory under the Bihar Agricultural Markets Project. Under the Project, ARDC has sanctioned refinance of Rs. 14.8 crores in respect of 47 markets and the participating bank has so far drawn Rs. 9.1 crores. Delays in the acquisition of land for market sites and obstruction by land owners in a few cases have been the main contributory factors for the slow progress of the project. An evaluation study group at the Sinha Institute is reported to have prepared reports on three markets. Technical staff required for market construction which was inadequate has now been strengthened. In some of the markets, problems are being encountered in persuading traders to shift to new market yards which would otherwise affect the profitability of the market yards.

5.20 Out of 39 markets selected 26 proposals have been approved for bank loans under the Karnataka Wholesale Agricultural Markets Project. Certain changes in the pattern of financing construction of shop-cum-godowns have also been made. As per the revision the market intermediaries can have shop-cum-godowns on lease hire-purchase/rental basis. Pending market proposals were re-appraised by the marketing consultant to confront to project requirements. Difficulty in acquiring land for market yards, shortage of cement, critical shortage of engineering staff in the engineering cell of State Marketing Department and inability of market intermediaries to construct shop-cum-godowns were the major constraints to development.

F. *Drought Prone Areas Project*

5.21. The IDA-assisted drought prone areas project covers 6 districts in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Rajasthan. There is no specific allocation of credit for ARDC under the project and the credit for on-farm development is being financed under the general line of credit. 24 schemes involving Rs. 2.6 crores as ARDC commitment have been sanctioned under the project for minor irrigation and diversified purposes and an aggregate sum of Rs. 71 lakhs has been disbursed as refinance.

G. *Seed Projects*

5.22. The earliest project *viz.*, Tarai Seed Project has been closed.

The first phase of the National Seed Project covers the states of Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and Maharashtra Under the Project-Phase I, one scheme has been sanctioned in Punjab for the Punjab State Farm Corporation. In Andhra Pradesh the Banking Plan for seed processing plants at 2 centres has been finalised and communicated to the banks.

5.23. The second phase of the National Seed Project covering the states of Bihar, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh was recently negotiated with IDA in April 1978 and sanctioned by IDA in June 1978. IDA assistance is of the order of $ 16 million, of which $ 14.5 million would be routed through ARDC. The project lays emphasis on production of quality seeds for cereal crops, groundnut and vegetable seeds. The seed output would be increased by about 125 lakh tonnes when the project is fully implemented. The Banking Plan for financing investments envisaged under the projects in the five states is being finalised.

H. *Integrated Cotton Development Project*

5.24. The Integrated Cotton Development Project envisages provision of seasonal short-term credit for growing approved varieties of cotton in identified project areas and term credit for cotton ginning and seed processing units. ARDC has sanctioned seasonal credit limits aggregating Rs. 4.4 crores for the kharif season of 1977-78. Though the targeted coverage of area for growing approved varieties of cotton has been achieved the seasonal credit disbursement and availment of refinance was not very satisfactory. The disbursement by banks has aggregated Rs. 1.8 crores as against Rs. 76 lakhs in the previous year against which refinance availed of was only Rs. 58 lakhs. Non-availment of refinance by two state cooperative banks, aerial spraying of pesticides by the State Governments of Punjab and Haryana from budgetary resources, less than optimum application of fertilisers by farmers and presence of defaulters were some of the factors responsible for poor availment of refinance under the project. For 1978-79, ARDC has sanctioned till 30 June '78 credit limits aggregating Rs. 2.4 crores in favour of 2 banks and applications from other participating banks are awaited.

5.25. As regards ginning and processing component, proposals have been received from Haryana for ginneries and cotton seed processing units. Feasibility reports prepared by ARDC have been accepted by the Government of Haryana and IDA. Earlier, the Haryana Cooperative Supply and Marketing Federation (HAFED) was thinking of availing of financial assistance from the National Cooperative Development Corporation (NCDC) and this created some uncertainty about ARDC's involvement. It has now been decided that HAFED would avail of refinance from ARDC. Steps are being taken to set up the ginneries and cotton seed processing units. There is at present no demand for modernisation of ginning and processing facilities in Punjab and ginning facilities in Maharashtra because of availability of adequate capacity. Several proposals for fuller utilisation of IDA credit are under consideration of GOI and state government and ARDC.

I. *Fisheries Projects*

5.26. GOI has been attaching the highest importance to the development of marine fisheries in view of the attractive world market for shrimps and availability of abundant shrimp resources along the coast of India, and has sought IDA assistance for exploitation of this potential. Two projects have so far been sanctioned by IDA, one in Gujarat and the other in Adhra Pradesh. The Gujarat Fisheries Project became effective in July 1977 and the Banking Plan under the project was finalised during the year. The state government has discontinued payment of subsidy for mechanised fishing vessels directly to farmers and has decided to contribute to the boat risk fund as agreed to during negotiations of the project.

5.27. The Andhra Pradesh Fisheries Project was negotiated with the IDA, in April 1978. The main objectives of the project for which an IDA credit of $ 17.5 million, of which $ 3.9 million would be routed through ARDC, are to increase marine fisheries production in Andhra Pradesh by improving three important harbours of Visakhapatnam, Kakinada and Nizampatnam in the state by providing credit for acquisition of fishing vessels, both mechanised and non-mechanised, to be owned and operated by private companies and co-operatives. The project also contemplates improvement of productivity of small fishermen by construction of access roads to a large number of fishing villages along the coasts of the 3 marine fisheries districts. The project was sanctioned by IDA in June 1978 and agreements have since been signed on 19 June 1978.

J. *Horticulture Projects*

5.28. Under the Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project, ARDC has sanctioned refinance assistance for 10 packing and grading centres and one transhipment centre. The Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation has also imported machinery for two grading and packing centres. The construction work at one of the transhipment centres has been completed while the setting up of a cold storage plant in another centre is expected to be ready by the end of February 1979. ARDC has recently sanctioned a scheme for setting up of a juice processing plant. ARDC has disbursed Rs. 14 lakhs under the project.

5.29. The Jammu and Kashmir Horticulture project was sanctioned IDA in May 1978. The credit is for $ 14 million of which about $ 12 million would be routed through ARDC. The main objective of this project is to improve the marketability of apples produced in the state. ARDC is involved in the financing of construction of about 25 apple grading and marketing centres, cold storages, construction of one

apple juice processing factory*, construction of unshelled walnut hulling drying and packaging centres of different capacities, one walnut export processing centre and provision of seasonal credit of about Rs. 2 crores to apple walnut and mushroom growers.

K. *Irrigation Project*

5.30. The Haryana Irrigation Project which was negotiated in June 1978 includes modernisation of canals and water courses, construction of augmentation tubewells, construction and lining of water courses etc. The total project cost is estimated at $ 222 million of which IDA assistance would be of the order of $ 111 million. Of this, a sum of $41.4 million would be routed through ARDC for financing modernisation of water courses, construction of markets, augmentation deep tubewells and land levelling.

L. *Projects in the pipeline*

5.31. The Second ARDC Credit Project is expected to be completed by the end of June 1979. As a continuation of the first two general lines of credit, ARDC has prepared and submitted to IDA through Government of India a comprehensive project report for a third general line of credit to ARDC. The project is likely to be appraised by an IDA Mission in September-October 1978. An irrigation project in Punjab similar to the Haryana Irrigation Project is being appraised by IDA. According to the project report prepared by the state Government, the total cost is Rs. 263 crores and the project envisages mainly lining of the canal system and water courses.

II. PROJECTS ASSISTED/TO BE ASSISTED BY OTHER INTERNATIONAL AGENCIES

(a) *Project assisted by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW)*

5.32. Mention was made in the last year's annual report to the appraisal of a project for command area development in Hoshangabad District of Madhya Pradesh by the Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) of West Germany. The KFW have since sanctioned a credit of DM 45 million for financing on-farm development through ARDC in the command area. The total financial assistance for on-farm development upto 1980-81 is of the order of Rs. 9 crores. The Banking Plan under the project was finalised by ARDC and the programme for on-farm development has been allocated to 4 banks including the SLDB, 2 commercial banks and the Regional Rural Bank operating in Hoshangabad. The Madhya Pradesh Land Development Corporation which is implementing the on-farm development programme has forwarded to ARDC 46 schemes for technical clearance and these have been cleared by the ARDC. Details of these schemes have been furnished to KFW for their approval as required in terms of the agreement with them. Financial sanction in respect of 43 schemes covering an area of 2.40 lakh acres with a total cost of Rs. 2.5 crores and involving refinance assistance of Rs. 1.9 crores have since been approved by ARDC. The Madhya Pradesh Land Development Corporation have approached the designated commercial banks for financial assistance for purchase of machinery and equipment under the project. This proposal has also been cleared by ARDC.

(b) *Projects to be assisted by US AID and Canadian IDA*

5.33. The successful involvement of ARDC in the various agricultural development programmes with assistance from the World Bank Group has generated interest in ARDC in other aid agencies such as US AID and Canadian International Development Agency (CIDA) and also the International Fund for Agricultural Development (IFAD). During the year USAID and CIDA Missions visited the ARDC on a number of occasions. The USAID is evincing keen interest in extending support, financial and technical to agricultural development programmes particularly those which benefit the small and marginal farmers and other weaker sections of the community. Their missions have already studied ARDC's policies and loan procedures and have agreed to extend financial support along with IDA to ARDC's on-going programmes.

5.34. The CIDA Mission had discussions with ARDC on its requirements for additional external financing in 1978-79 and beyond and of a possible Canadian soft loan to the Corporation either bilaterally or in conjunction with the current and future IDA credits. The one man mission sent by CIDA had also visited some of the regional offices of the Corporation to get first hand knowledge of their working.

PERSPECTIVE

The perspective lending programme of the Corporation for the five year period ending March 1979. as revised and indicated in the last year's report envisaged an aggregate disbursement of Rs. 1025 crores. As against the perspective programme of Rs. 740 crores for the four year period ended 1977-78, the disbursements of refinance for the period ended 31 March 1978 and 30 June 1978 totalled Rs. 693 crores and Rs. 732 crores (Table 8) confirming that the perspective programme was by and large realistic. The Corporation would have been able to reach the heights aimed for the year just ended but for the factors discussed elsewhere in the report.

Table 8

PERSPECTIVE PROGRAMME (1974-79)

Rs. Crores

Year (April-March)	Original programme	Revised programme	Refinance disbursed	
			Financial year (April-March)	Accounting year (July-June)
1974-75	101 (actual)	120	101	106
1975-76	140	140	155	171
1976-77	185	220	210	221
1977-78	216	260	227	234
1978-79	238	285	—	—
	880	1025	693	732

6.2. In the context of the objective of the next plan (1978-1983) to achieve a rapid step-up in agricultural credit, *i.e.*, a doubling of current levels in about 3 years, ARDC has adopted as a guideline, an annual growth rate of 25 per cent in its disbursement level during the above 5 year period which would mean an aggregate disbursement of the order of Rs. 3070 crores as under :

Table 9

NEW PERSPECTIVE PROGRAMME (1978-83)

Rs. Crores

Year	perspective programme with 25 per cent growth rate	Programme identified as feasible
1	2	3
1978-79 ..	375	345
1979-80 ..	470	485
1980-81 ..	585	565
1981-82 ..	730	625
1982-83	910	675
	3070	2695

6.3. Considering the investment credit to be met during the next plan of the order of Rs. 5000 crores and the priority accorded to agriculture in the development strategy the perspective programme is considered feasible. At the same time, any perspective programme to be meaningful should take into account the capabilities of intermediate financial institutions, expertise already gathered and adequacy of supporting services complemented by required training arrangements to achieve the proposed level of disbursement of credit. A statewise analysis of the potential available for development is also a pre-requisite for launching the programme to set up sector-wise goals. In connection with the preparation of the project report for submission to the World Bank for sanction of a third line of credit, the Corporation carried out a detailed exercise after informal consultations with the state governments and member-banks to identify sector-wise physical and financial programmes in agriculture and allied sectors which can be taken up for implementation during the next plan period. The aggregate amount of such estimated disbursements is given in coloumn 3 of Table 9. It will be observed that the programme as identified for next three years viz., 1978-79, 1979-80 and 1980-81 more or less correspond to the perspective programme envisaged for these years. De-

* After the close of the year a decision has been taken that the IDBI will finance this component in the Project.

tailed consultations would be held with state governments and banks to identify their programmes of development to build up adequate flow of projects.

6.4 Conforming to the plan objectives that additional irrigation potential should be created for 17 mha of which 9 mha should be achieved through minor irrigation, such irrigation investment will continue to be the major single purpose of investment to be financed accounting for Rs. 1520 crores or 49 per cent of total projected lendings of Rs. 2700 crores. A quick assessment of the ground-water potential in various parts of the country carried out jointly by IDA and ARDC in close association with SGDs and CGWB indicates that adequate potential is available for sustaining the above programme of ARDC in all states except in a few such as Haryana, Punjab, Gujarat and Tamil Nadu where the problem has to be studied in detail. Greater attention is required to be paid for effective regulation including legislation to control groundwater development in areas where there is a problem of over-exploitation. A Committee has been set up by ARDC headed by the Chairman of CGWB, to study the problem on a sample basis, to evolve an appropriate policy for ARDC in this regard. At present ARDC does not sanction schemes in such areas unless the concerned SGD submits a detailed investigation report about the availability of further potential. In Punjab and Haryana emphasis has been shifted to better water management programmes such as lining of water courses to avoid seepage losses, installation of sprinkler systems and laying of underground pipelines. ARDC is also conscious that there is an urgent need for bringing about improvement in designs of minor irrigation investments. A study of this aspect with reference to selected minor irrigation investments is in progress and ARDC would determine in consultation with CGWB/SGDs suitable norms in this regard. In some of the Extension and Research Projects sanctioned by IDA, a component is provided for doing research for evolving appropriate and less capital intensive designs for minor irrigation investments so that small farmers can avail of credit facilities to undertake such investments.

6.5 To speed up energisation of agricultural pumpsets, the Corporation proposes to continue the present scheme of giving loans by member-banks to SEBs for energisation of pumpsets. As stated earlier, ARDC is participating with REC and commercial banks in a special programme for energisation of 6 lakh pumpsets in the next five year period.

6.6 It is expected that the pace of implementation of the command area development programme would be expedited in the next plan period and the Corporation would be involved actively in refinancing loans for on-farm development and field channels.

6.7 Diversification of loans portfolio of both the commercial banks and LDBs will continue to be another major objective and the perspective programme provides for substantial investments under animal husbandry, plantations, fisheries (inland and marine), forestry, market yards, etc.

6.8. The Corporation is equally conscious of the need to reduce the imbalances in development in different states. Particular attention will continue to be paid to these states. ARDC's perspective programme provides for an outlay of 47 per cent of its total disbursement under programmes to be implemented in less developed states. Though this does not take into account the investment for reducing the imbalances between regions within a state itself, this is also a priority for action in the next few years. Larger coverage of small and marginal farmers and landless labourers would be attempted under minor irrigation and diversified lending. The recent decision of GOI to provide certain categories of small farmers capital subsidy for minor irrigation under ARDC schemes as under SFDA and other special schemes, would enable ARDC to bring within its ambit a larger number of the smaller of the small farmers.

6.9. The multi-agency approach in agricultural development is inevitable in view of the large programme contemplated. The commercial banking sector has a growing net work of semi urban and rural branches. All the blocks in the country are expected to be covered by a branch of a bank. The role of regional rural banks would become clearer when action on the recommendation of the Dantwala Committee is initiated. In recent years, ARDC has adopted the practice of working out detailed banking plans where more than one bank is involved in the implementation of a project. This procedure has the feature of reducing unhealthy competition between banks and at the same time ensuring a careful deployment of their resources in supplementing the ARDC resources. Such a banking plan also takes into account the upgradation of staff capabilities in the area where required. What is sought to be achieved is a coordinated effort by the implementing agencies for maximum effect and best possible results. The lead (commercial) banks have already identified the potential and drawn up credit plans for most of the districts. It is proposed to dovetail these plans to ARDC's perspective programme drawn up for each state so that specific items of development, financial institution to be entrusted with the implementation, resources needed, and supporting services and inputs required can be fixed precisely. It is proposed to hold high level discussions on this issue with the state governments and financial institutions. GOI has also suggested that project identification missions with GOI, ARDC and state government representatives could be set up for each state to identify specific projects or programmes of agricultural development.

6.10 With greater deployment of scarce capital resources and growing involvement of international aid agencies in agricultural development through institutional credit channels there is imperative need for ensuring not only good quality in lending but also improvement in recovery performance. Unfortunately, the recovery performance of many PLDBs/branches of SLDBs deteriorated during 1976-77 for different reasons and this has severely curtailed their lending operations during the year. The recovery performance of commercial banks in the past has not also been satisfactory. The situation has to be improved.

FINANCES

The sources of funds of the Agricultural Refinance and Development Corporation for carrying out its lending programme during the two years viz., 1976-77 and 1977-78 as well as the trends in the various items during the past 5 years i.e., 1973-74 to 1977-78 are presented in the following table.

Table 10

SOURCES OF FUNDS

Rs Crores

	1976-77	Per cent of total	1977-78	Per cent of total	June 73 June 78	Per cent of total
1. Paid-up share capital and reserves surplus ..	12.7	5.1	15.8	5.4	46.8	5.0
2. Special deposits by Reserve Bank of India ..	0.6	0.3	0.9	0.3	2.7	0.3
3. Borrowings from the Government of India :						
(*a*) IDA funds	90.0	36.5	99.6	34.7	314.8	33.4
(*b*) Others	—	—	—	—	1.5	0.2
4. Borrowings from the Reserve Bank of India N.A.C. (LTO) Fund	50.0	20.3	65.0	22.6	238.5	25.3
5. Bonds	44.0	17.8	20.6	7.2	163.6	17.4
6. Repayments by banks	48.0	19.4	82.9	28.7	168.6	17.9
7. Special loan account deposit	1.5	0.6	3.1	1.1	4.6	0.5
Total	**246.8**	**100.0**	**287.9**	**100.0**	**941.1**	**100.00**

Share Capital

7.2. The borrowing power of the Corporation is restricted to 20 times its paid-up capital and reserves under Section 20(2) of ARDC Act. The Corporation has been periodically raising its paid-up share capital in keeping with the expansion in its business. During the year, the Corporation issued the seventh series of shares of paid-up value of Rs. 12.5 crores. The guaranteed dividend on these shares was 6.25 per cent. At the end of June 1978 the paid-up share capital of the Corporation stood at Rs. 47.5 crores. The contributions of the various share-holders to the share capital of the Corporation as on 30 June 1978 are as follows :

Table 11

CONTRIBUTIONS TO SHARE CAPITAL—SOURCES

Rs. Crores

	Shares		
	No.	Value	Per cent of total
1. Reserve Bank of India ..	26054	26·1	54·9
2. Central land development banks	7851	7·8	16·5
3. State co-operative banks	3524	3·5	7·4
4. Scheduled commercial banks	8878	8·9	18·8
5. Life Insurance Corporation of India	643	0·6	1·3
6. Other insurance and investment companies ..	550	0·6	1·1
Total	**47500**	**47·5**	**100·0**

In terms of Section 5(5A) of the ARDC Act, 1963, the Government of India approved the proposal to increase the authorised capital of the Agricultural Refinance and Development Corporation from Rs. 50 crores to Rs. 100 crores (Rupees One hundred crores only).

Borrowings from GOI

7.3. During 1977-78, ARDC had borrowed Rs. 100 crores from the GOI by way of reimbursement of amounts disbursed under the various World Bank assisted projects. At the end of June 1978 the total borrowings of ARDC from the GOI stood at Rs. 427.6 crores.

Market Borrowings

7.4. One of the sources of raising resources by the Corporation for fulfilling its lending programme has been through issue of bonds in the open market. ARDC issued in 1977-78 the thirteenth series of bonds for an aggregate sum of Rs. 20.6 crores. The bonds were issued at an interest rate of 6 per cent, a maturity of 10 years and at a discount of one per cent. At the end of June 1978 the total amount raised by ARDC by way of open market borrowings stood at Rs. 202.3 crores. Table 12 indicates the amounts received from various subscribers for the thirteenth series of bonds issued during the year and the aggregate contribution to the previous issues.

Table 12

SUBSCRIPTIONS TO BONDS

Rs. Crores

Subscribers	I to XII	XIII	Total
1. State Bank of India and subsidiaries	39·1	5·6	44·7
2. Nationalised banks ..	69·6	6·4	76·0
3. Other commercial banks	10·9	2·1	13·0
4. Life Insurance Corporation of India	1·7	0·2	1·9
5. Other insurance and investment companies ..	1·3	—	1·3
6. Co-operative banks ..	58·3	5·9	64·2
7. Others	0·8	0·4	1·2
Total ..	**181.7**	**20·6**	**202·3**

7.5. In terms of Section 17(11) of the RBI Act, the RBI can take over the work relating to issue and management of bonds of ARDC. One of the advantages of entrusting the work to the RBI is that the payment of interest on ARDC bonds will be decentralised inasmuch as the offices of RBI will be paying interest on presentation of the bonds. Accordingly, ARDC entrusted the work relating to issue of ARDC bonds to the RBI with effect from October 1977.

Borrowings from RBI

7.6. During the year, the RBI sanctioned a credit limit of Rs. 65 crores for drawals under the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and this limit was fully utilised by the Corporation. At the end of June 1978 the outstanding borrowings under this stood at Rs. 217 crores after repayment of instalments in respect of past drawals.

7.7. ARDC was also granted a short-term limit of Rs. 10 crores by the RBI; however, no drawals were made under this limit during the year.

Repayments

7.8. Repayments by member-banks amounted to Rs. 82.9 crores during 1977-78 as against Rs. 48 crores repaid by the member-banks during the previous year. At the end of June 1978 the member-banks have repaid Rs. 175.7 crores the break-up of which is given in Table 13.

Table 13

REPAYMENT OF REFINANCE

Rs. Crores

Agency	ARDC schemes	IDA-assisted schemes	Total
1. Scheduled commercial banks	44·7	24·0	68·7
2. State land development banks	31·1	67·6	98·7
3. State co-operative banks	8·3	—	8·3
Total ..	**84.1**	**91.6**	**175·7**

Shareholders

7.9 The Bank of Cochin Ltd. and 19 Regional Rural Banks have become members of ARDC during 1977-78. The total membership of the Corporation stood at 149 at the end of June 1978 as against 129 at the end of the previous year.

Board of Directors

7.10 The Board of Directors met 7 times during the year.

7.11 Consequent on Dr. R. K. Hazari relinquishing the office of Deputy Governor of the Reserve Bank of India with effect from 26 November 1977, the RBI nominated Dr. K. S. Krishnaswamy as the Chairman of the Corporation as required under Section 10(a) of the ARDC Act, 1963 with effect from 5 December 1977. On the appointment of Shri M. Ramakrishnayya as Deputy Governor, the RBI nominated him with effect from 5 January 1978 as Chairman of the Corporation vice Dr. K. S. Krishnaswamy.

7.12 The Board placed on record its deep appreciation of the valuable services rendered and guidance given by Dr. R. K. Hazari during his tenure as Chairman of the Corporation between March 1973 and November 1977. The Board also placed on record its appreciation of the services rendered by Dr. K. S. Krishnaswamy.

7.13 The Government of India nominated Shri G. V. K. Rao, Shri K. P. A. Menon (renominated) and Shri Baldev Singh as Directors of the Corporation under Section 10(c) of the ARDC Act, 1963 vice Shri K. S. Narang and Shri I. J. Naidu.

Use of Hindi

7.15 ARDC has been represented on the Official Language Implementation Committee of the RBI to popularise the use of Hindi in the day-to-day working of ARDC. All letters received in Hindi are also replied simulaneously in English and Hindi. The ARDC Annual Report is published both in English and Hindi. ARDC staff are also imparted training under the Hindi teaching programme of the GOI conducted by the RBI.

Foreign Travel

7.16 During 1977-78, the Managing Director and the two Deputy Managing Directors of ARDC visited Washington, U.S.A. in connection with the negotiations of credits with the World Bank as members of the Indian Negotiating Team. The total bill in regard to these visits agregated Rs. 1,34,400.

Profits

7.17 The net profits of the Corporation during 1977-78 available for appropriation amounted to Rs. 375.48 lakhs after providing a sum of Rs. 300 lakhs towards special reserve being 25 per cent of the current profits as permissible under the Income-tax Act, 1961. The Directors recommend appropriation of the profits as under :—

	Rs. lakhs
Transfer to Research & Development Fund ..	100·00
Transfer to Reserve Fund	27·04
Dividend on shares	248·43
	375.47

On behalf of the Directors

M. Ramakrishnayya
Chairman

EXPLANATORY NOTES

1. The aomunts have been rounded off to the nearest lakh of rupees.
2. The following symbols/abbreviations have been used in the Statements.

Symbols

@ Latest available data

—Nil or negligible.

Abbreviations:

Purpose :	MI	=	Minor irrigation
	LD	=	Land development/Reclamation/Soil conservation/Command area development
	FM/ASC	=	Farm mechanization/Farm equipments/Agro-service centres
	P/H	×	Plantation/Horticulture
	P/SB/Pig	=	Poultry/Sheep breeding/Piggery
	F	=	Fisheries
	DD	=	Dairy development
	S & M	=	Storage & Market yards
	FR	=	Forestry
	AA	=	Agricultural aviation
	ICDP	=	Intergrated cotton development project
	GG	=	Gobar gas plants
Agency :	1. SLDB.	=	State Land Development Bank
	2. Com. Bks	=	Scheduled Commercial Banks
	3. SCB	=	State Co-operative Bank

3. Land development includes Land reclamation/Soil conservation/Command area development
Farm mechanization includes Tractors, other Farm equipments and Agro-service centres.

Statement I

TRENDS IN AVAILMENT OF REFINANCE IN RELATION TO COMMITMENTS

Rs. lakhs

Year (July-June)	No. of schemes sanctioned at the end of the year	ARDC Commitment as phased		Disbursement		Disbursement as percentage of Commitment	
		During the year	Upto the end of the year	During the year	Upto to end of the year	During the year	Upto the end of the year
1963-64	3	—	—	—	—	—	—
1964-65	13	447	447	45	45	10.1	10.1
1965-66	36	828	873	445	490	53.7	56.1
1966-67	42	940	1430	208	698	22.1	48.8
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30 6	49.6
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38.8	52.0
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46.4	64.1
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46.0	71.4
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40.5	70.8
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56.5	75.1
1973-74	1457	18820	43556	9784	31667	52.0	72.7
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56.8	69.5
1975-76	2905	29652	84778	17115	59420	57.7	70.1
1976-77	4487	38062	109005	22082	81502	58.0	74.8
1977-78	6221	48716	142548	23430	104932	60.5	73.6

Statement 2

SANCTIONS DURING 1977-78 –PURPOSEWISE

Rs lakhs

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/ Banks
Minor irrigation	522	19973	17674	2299
Land development	98	1196	982	214
Farm mechanization	246	4149	3170	979
Plantation/Horticulutre	112	3164	2629	535
Poultry/Sheep breeding/Piggery	79	521	436	85
Fisheries	125	1440	1202	238
Dairy development	185	3071	2503	568
Storage & Market yards	434	4463	3618	845
Others :				
Agricultural aviation	—	—	—	—
Integrated cotton development project	15	1009	584	425
Forestry	1	82	65	17
Gobar gas plants	19	202	151	51
Total	**1836**	**39270**	**33014**	**6256**

Statement 3

SANCTIONS DURING 1977-78—REGION WISE AND STATE WISE

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governt-ments/Banks
1	2	3	4	5
I. NORTHERN REGION				
Chandigarh	1	4	3	1
Delhi	2	26	20	6
Haryana	57	2030	1522	508
Himachal Pradesh	5	52	43	9
Jammu & Kashmir	7	73	55	18
Punjab	96	3164	2604	560
Rajasthan	79	2385	1970	415
	247	7734	6217	1517
II. NORTH-EASTERN REGION				
Assam	65	1483	1314	169
Manipur	24	154	136	18
Meghalaya	1	1	1	—
Nagaland	4	17	15	2
Tripura	2	8	7	1
	96	1663	1473	190
III. EASTERN REGION				
Bihar	166	2448	2053	295
Orissa	65	1506	1357	149
West Bengal	89	1623	1446	177
	320	5477	4856	621
IV. CENTRAL REGION				
Madhya Pradesh	190	3854	3279	575
Uttar Pradesh	220	2939	2403	536
	410	6793	5682	1111

1	2	3	4	5
V. WESTERN REGION				
Goa	8	147	119	28
Gujarat	70	2656	2241	415
Maharashtra	233	3216	2639	577
	311	6019	4999	1020
VI. SOUTHERN REGION				
Andhra Pradesh	151	5335	4577	758
Karnataka	162	3476	2881	595
Kerala	50	1974	1682	292
Tamil Nadu	89	799	647	152
	452	11584	9787	1797
Total (I to VI)	**1836**	**39270**	**33014**	**6256**

Statement 4

SANCTIONS DURING 1977-78—AGENCYWISE

Rs. lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/Banks
State Land Development Banks	330	14759 (37.6)	12897 (39.1)	1862
Scheduled Commercial Banks	1465	23094 (58.8)	19161 (58.0)	3933
State-Co-operative Banks	41	1417 (3.6)	956 (2.9)	461
Total	**1836**	**29270** (100.0)	**33014** (100.0)	**6256**

Figures in paronthesised italics are percentage of the total.

Statement 5

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1978—PURPOSEWISE

Rs. lakhs

Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/ Banks	Disbursement
Minor irrigation	2680	132247	117936	14311	73158
Land development	395	14776	11824	2952	4472
Farm mechanization	954	25823	19727	6096	14538
Plantation/Horticulture	491	10368	8178	2190	2952
Poultry/Sheep breeding/Piggery	199	1327	1090	237	444
Fisheiris	291	3828	3027	801	1442
Dairy development	494	6645	5406	1239	1348
Storgage & Market yards	663	10373	8663	1710	6429
Others:					
Agricultural aviation	3	53	40	13	17
Forestry	14	523	406	117	68
Intergrated cotton development project	17	1013	590	423	63
Gobar gas plants	20	205	152	52	1
Total	**6221**	**207181**	**177039**	**30142**	**104932**

Statement 6

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1978 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakks

Region/State/Union Territory	Agency Purpose Code	No. of schemes	Financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
				Total	Phasing		During 1977-78	Upto 30 June 1978
					Upto 30 June 1978	During 1977-78		
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
I. NORTHERN REGION								
Chandigarh	2 P/H	1	4	3	3	3	3	3
Delhi	2 FM	4	133	104	67	17	16	69
	P	1	20	16	16	16	—	—
	DD	5	30	27	23	6	3	8
	3 P	1	12	12	12	—	—	6
		11	195	159	118	39	19	83
Haryana	1 MI	39	6304	5673	5614	356	380	4049
	LD	6	461	370	340	114	38	94
	FM	6	1138	854	831	175	66	773
	P/H	2	54	40	40	—	7	37
	DD	1	51	38	38	—	38	38
	GG	1	7	5	5	5	—	—
	2 MI	56	4708	3822	2746	570	192	1844
	LD	21	266	213	163	107	6	6
	FM	72	1985	1490	1369	374	284	1221
	P	3	21	19	19	5	1	6
	SB	1	2	1	1	—	1	1
	DD	10	109	94	70	23	1	36
	S & M	26	291	231	227	13	81	220
	AA	1	30	23	23	—	—	—
	ICDP	5	25	24	21	21	16	19
	3 DD	1	20	15	15	—	—	15
	S & M	4	267	262	262	—	—	243
	ICDP	3	536	353	353	353	—	—
		258	16275	13527	12137	2116	1111	8602
Himachal Pradesh	1 MI	1	20	18	18	13	2	2
	P/H	2	78	58	40	18	5	18
	2 MI	1	8	7	7	7	—	—
	FM	1	14	11	11	—	—	11
	P/H	11	167	150	146	85	14	14
	P	1	6	6	4	2	—	—
	DD	5	37	32	26	7	2	6
		22	330	282	252	132	23	51
Jammu & Kashmir	1 LD	1	8	7	7	—	—	—
	FM	1	34	26	26	5	4	20
	P/H	3	130	97	97	—	—	78
	SB	1	23	18	2	2	—	—
	DD	1	14	10	2	2	—	—
	2 FM	2	40	31	8	8	11	11
	SB	1	4	4	1	1	—	—
	DD	3	13	9	6	6	—	—
		13	266	202	149	24	15	109
Punjab	1 MI	47	3727	3373	3269	466	46	2636
	LD	20	1256	1055	663	111	36	345
	FM	3	1310	982	982	—	—	750
	P/H	2	187	141	141	—	—	—
	DD	2	63	48	9	9	—	—
	2 MI	30	3014	2473	1576	769	549	975
	LD	4	208	163	71	36	3	3
	FM	46	3202	2402	2387	98	162	2029
	P	4	37	28	21	20	13	13
	DD	25	255	228	185	23	14	89
	S & M	65	610	488	488	244	315	416
	ICDP	5	41	32	32	32	18	20
	3 FM	1	18	16	16	—	—	16
	S & M	4	747	730	730	—	—	651
	ICDP	1	212	100	100	100	21	21
		259	14887	12259	10670	1908	1177	7964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rajasthan	1	MI	88	3940	3647	3021	705	523	1869
		LD	4	454	340	331	10	6	25
		P/H	3	119	98	45	20	—	18
	2	MI	38	1154	937	730	312	173	459
		LD	3	83	62	20	16	1	1
		CAD	18	3899	3098	1356	654	95	284
		FM	28	752	569	454	178	153	427
		ASC	3	78	59	44	19	2	13
		P/H	1	57	45	13	13	—	—
		P	3	35	26	42	35	1	1
		SB	7	184	166			16	16
		DD	27	1105	893	313	258	15	37
		S & M	51	966	773	722	543	327	503
			274	12826	10713	7091	2763	1312	3653
			838	44783	37145	30420	6985	3660	20465
II. NORTH-EASTERN REGION									
Assam	1	MI	1	126	113	—	—	—	—
		P/H	1	5	4	3	—	—	—
	2	MI	10	281	253	77	56	3	18
		LD	1	11	10	10	10	7	7
		FM	3	78	71	29	20	5	8
		P/H	32	1094	979	438	299	143	316
		Pig.	1	3	2	1	1	1	1
		F	1	15	14	4	4	1	1
		DD	5	32	29	22	11	4	7
		S & M	38	208	170	169	152	109	125
			93	1853	1645	753	553	273	483
Manipur	2	FM	1	41	37	25	9	5	18
		P/H	1	64	57	7	7	—	—
	3	MI	1	4	3	1	1	—	—
		FM	1	55	51	26	26	111	11
		F	21	36	31	22	22	7	7
			25	200	179	81	65	23	36
Meghalaya	2	P	3	6	6	—	—	—	—
		FR	1	49	44	20	20	—	—
	3	P/H	2	11	10	—	—	—	—
			6	66	60	20	20	—	—
Nagaland	2	S & M	3	9	7	7	7	5	7
	3	LD	1	30	30	30	—	—	11
		P/H	2	11	10	2	2	—	—
			6	50	47	39	9	5	18
Tripura	2	MI	4	20	18	15	11	—	2
		P/H	1	5	5	3	1	3	4
		S & M	1	6	5	5	5	5	5
		FR	2	50	40	—	—	—	—
			8	81	68	23	17	8	11
			138	2250	1999	916	664	309	548
III. EASTERN REGION									
Bihar	1	MI	20	5469	4922	3711	986	215	2898
		LD	1	112	84	84	—	—	84
		FM	2	142	128	128	44	19	79
		P/H	1	14	11	7	1	—	3
		F	1	46	41	10	10	—	—
	2	MI	165	4766	4260	3447	893	743	2039
		FM	26	847	741	509	142	182	506
		P	1	1	1	—	—	—	—
		FR	3	166	166	65	—	8	23
		DD	4	23	20	9	7	2	2
		S & M	112	2017	1772	1527	788	695	1158
	3	DD	2	70	53	53	—	—	10
			338	13673	12149	9550	2871	1864	6802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orissa	1	MI	54	3267	2941	2721	1041	249	685
		LD	7	107	85	81	18	5	36
		FM	1	80	60	60	—	—	15
		P/H	13	408	339	189	72	44	119
	2	MI	109	2886	2602	2070	603	311	690
		LD	4	97	81	81	11	1	16
		FM	4	86	75	25	25	28	38
		ASC	1	2	2	2	2	—	—
		P/H	4	32	29	14	7	—	1
		F	15	158	141	55	33	19	19
		DD	1	9	8	6	2	2	2
		S& M	5	38	32	30	24	18	20
		FR	1	6	5	—	—	—	—
	3	MI	25	956	861	693	432	133	205
		F	1	39	35	35	14	6	6
		DD	1	19	18	18	—	—	—
			246	8190	7314	6080	2284	816	1852
West Bengal	1	MI	60	1653	1492	1310	442	391	842
		FM	1	28	26	18	7	—	—
		P/H	13	147	132	77	37	8	15
		F	12	353	318	99	83	—	—
	2	MI	63	1556	1399	1003	562	340	661
		FM	9	187	168	103	33	26	61
		ASC	1	1	1	1	1	1	1
		P/H	15	376	337	108	79	54	83
		F	6	99	90	40	31	16	18
		DD	5	50	46	24	10	10	17
		S& M	16	307	256	232	137	150	157
			201	4757	4265	3015	1422	996	1855
			785	26620	23728	18645	6577	3676	10509
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	1	MI	136	9059	8163	6402	1383	834	5149
		LD	26	228	171	171	92	2	32
		FM	3	246	184	140	37	11	83
		P/H	2	31	23	23	9	—	—
	2	MI	166	4524	4024	3898	1555	473	2694
		LD	39	171	127	127	127	7	7
		FM	29	1194	917	802	216	86	478
		ASC	97	83	65	65	3	5	40
		PH	1	2	2	1	1	—	—
		P	5	17	13	6	6	1	1
		DD	20	770	619	398	355	10	11
		S& M	69	506	404	393	79	199	224
		FR	6	170	136	80	20	42	45
		GG	3	36	26	10	10	—	—
	3	S& M	1	27	20	20	9	—	11
			603	17064	14894	12536	3902	1670	8775
Uttar Pradesh	1	MI	152	18328	16568	15429	2091	2328	10635
		LD	14	119	97	65	34	—	—
		CAD	96	338	300	237	138	—	—
		P/H	8	135	101	90	—	23	45
		DD	8	61	54	21	21	—	—
	2	MI	74	1890	1659	1623	92	365	1372
		LD	5	954	711	710	4	6	199
		CAD	40	58	48	33	17	—	—
		FM	272	4839	3701	3525	718	829	2876
		SB	3	5	4	3	2	1	1
		DD	51	560	460	305	123	26	112
		S & M	105	1570	1236	1056	698	739	1008
		GG	8	22	16	5	5	—	—
	3	DD	2	64	48	48	—	—	—
		S & M	1	155	155	155	—	—	150
			839	29098	25158	23305	3943	4317	16398
			1442	46162	40052	35841	7845	5987	25173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. WESTERN REGION									
Goa	2	MI	3	33	26	26	12	--	3
		P/H	1	8	6	5	3	—	—
		P	5	26	22	21	17	11	12
		F	26	253	203	139	49	49	78
		DD	2	21	16	7	6	—	—
	3	F	1	40	30	30	30	8	30
			38	381	303	228	117	68	123
Gujarat	1	MI	77	6722	6049	5780	355	96	4621
		FM	1	351	263	263	—	—	233
		P/H	2	30	22	22	—	—	22
		DD	10	254	193	57	57	—	—
	2	MI	60	2479	2112	1985	1827	713	790
		FM	34	1177	901	753	285	174	617
		ASC	4	44	35	35	33	1	14
		P	5	48	37	37	29	1	1
		F	5	134	107	101	94	73	81
		DD	26	485	402	327	120	66	239
		S& M	15	309	244	243	227	195	233
	3	F	2	198	179	128	51	—	—
		S & M	1	2	2	2	—	—	2
			242	12233	10546	9733	3078	1319	6853
Maharashtra	1	MI	172	10149	9127	7473	764	1243	7359
		LD	8	411	368	368	—	—	368
		FM	2	271	203	203	—	—	153
		P/H	7	220	165	106	10	4	17
	2	MI	438	4340	3539	2555	543	204	1404
		LD	2	30	23	12	12	—	—
		FM	150	1447	1104	719	366	182	508
		P/H	9	33	29	22	11	5	6
		P	29	172	135	90	31	30	84
		SB	1	5	4	—	—	—	—
		F	18	131	98	65	47	26	38
		DD	138	1227	991	615	284	112	477
		S & M	16	543	433	388	254	164	237
		AA	1	7	5	5	—	—	5
		ICDP	2	6	6	3	3	3	3
		GG	2	6	4	4	4	1	1
	3	F	5	180	84	84	—	—	82
		ICDP	1	193	75	75	75	—	—
			1001	19371	16393	12787	2404	1974	10742
			1281	31985	27242	22748	5599	3361	17718
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	1	MI	128	12437	11258	9385	2229	2457	7182
		LD	31	2248	1827	1820	336	69	1417
		FM	5	1932	1449	1033	388	471	1062
		P/H	18	343	256	141	47	28	78
		SB	12	180	140	140	60	75	82
		F	1	188	141	141	71	53	53
		DD	19	363	277	210	129	29	51
		P	1	20	15	15	7	—	—
	2	MI	79	1093	1023	901	203	131	499
		LD	9	147	112	106	51	—	38
		FM	24	471	353	324	59	56	250
		ASC	4	159	122	122	35	6	27
		P/H	9	33	27	21	21	2	6
		P	56	206	163	143	47	37	92
		SB	23	118	98	72	33	13	34
		F	26	66	52	51	23	26	40
		DD	59	426	360	278	45	42	137
		S & M	43	516	421	321	284	358	386
	3	MI	1	11	9	9	—	—	—
		F	1	60	39	39	—	—	39
			549	21017	18142	15272	4068	3853	11473

Rs. lakhs

1	2		3	4	5	6	7	8	9
Karnataka	1	MI	195	735	7861	4108	3696	682	4907
		LD	15	1147	867	3	3	29	593
		FM	12	872	653	76	—	—	450
		P/H	47	1643	1233	945	134	92	723
		DD	4	49	38	7	7	—	—
		GG	3	58	44	8	8	—	—
	2	MI	36	577	507	114	27	5	193
		LD	5	89	66	66	—	—	3
		FM	58	1289	974	915	41	32	898
		P/H	122	956	760	546	195	129	320
		P	20	63	52	52	12	4	37
		SB	1	4	4	4	—	—	—
		F	34	620	493	440	275	153	771
		DD	20	218	192	57	37	1	2
		S & M	50	801	632	605	128	187	325
		GG	3	76	57	30	30	—	—
	3	P/H	2	36	36	—	—	—	25
		F	2	206	143	143	143	—	137
		S&M	2	132	113	—	—	6	111
			631	17571	14725	8119	4737	1320	8995
Kerala	1	MI	11	892	803	157	96	36	82
		LD	5	110	82	58	4	—	20
		FM	2	53	40	20	20	2	2
		P/H	44	1382	1048	449	122	77	335
		DD	2	17	13	4	4	—	—
	2	MI	13	633	565	543	497	70	120
		LD	3	1019	890	565	162	97	375
		FM	12	115	88	83	43	13	38
		P/H	23	500	413	184	60	1	114
		F	53	238	180	155	61	48	112
		DD	13	68	58	45	16	—	7
		S & M	4	33	26	26	26	26	26
		FR	1	82	65	7	7	—	—
	3	P	1	22	21	21	5	—	—
		F	3	162	162	162	—	—	56
			190	5326	4454	2479	1123	370	1287
Pondicherry	2	MI	1	2	1	1	—	—	1
		DD	2	22	11	11	—	—	11
	3	F	2	46	34	34	—	—	15
			5	70	46	46	—	—	27
Tamil Nadu	1	MI	117	6291	5670	4901	451	397	6214
		LD	4	662	497	472	3	—	470
		FM	1	780	585	585	—	9	625
		P/H	39	1279	957	551	128	65	236
	2	MI	9	193	158	154	76	43	59
		LD	2	53	40	40	—	—	38
		FM	16	228	170	151	5	17	94
		ASC	11	21	16	16	7	6	13
		P/H	47	774	555	358	92	80	316
		P	5	28	22	22	9	—	10
		SB	3	21	17	13	9	6	8
		F	53	460	343	328	47	37	295
		DD	20	140	106	101	22	18	34
		S & M	31	313	251	251	245	198	211
		AA	1	16	12	12	—	—	12
	3	SB	1	38	38	38	—	—	38
		F	2	100	69	69	24	18	64
			362	11397	9506	8062	1118	894	8737
			1737	55381	46873	33978	11046	6437	30519
Total (I to VI)			**6221**	**207181**	**177039**	**142548**	**38716**	**23430**	**104932**

Statement 7

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1978 AGENCYWISE

Rs. lakhs

Agency	No.of schemes	Financial assistance	ARDC commitment	Commitment of State Governments/ Banks	Disburse-ment
State Land Development Banks	1862	119969 (57·9)	105400 (59·5)	14569	68827
Scheduled Commercial Banks	4256	82497 (39·8)	67793 (38·3)	14704	34143
State Co-operative Banks	103	4715 (2·3)	3846 (2·2)	869	1962
Tatal	**6221**	**207181** (100·0)	**177039** (100·0)	**30142**	**104932**

Figures in parenthesised italics are peraentage of the total.

Statement 8

POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED/UNDERBANKED STATES

Rs. lakhs

Particulars	Schemes sanctioned			Disburse-ment	Percentage of total disburse-ment
	No. of schemes	ARDC commitment	Percentage of total commitment		
UTTAR PRADESH					
Upto 30 June 1971	32	2566	10·3	671	7·5
During 1971-72	33	2784	20·6	604	17·3
,, 1972-73	26	1573	9·1	1143	12·1
,, 1973-74	85	4012	18·2	1498	15·3
,, 1974-75	75	3714	18·2	1849	17·3
,, 1975-76	108	4172	14·1	2598	15.2
,, 1976-77	269	1766	5·7	3720	16·9
,, 1977-78	220	2403	7·3	4317	18·4
Upto 30 June 1978	839	25158	14·2	16398	15·6
MADHYA PRADESH					
Upto 30 June 1971	19	1709	6·9	170	1·9
During 1971-72	14	877	6·5	187	5·3
,, 1972-73	18	1172	6·8	319	3·4
,, 1973-74	122	5484	24·9	645	6·6
,, 1974-75	38	795	3·9	1234	11·6
,, 1975-76	102	1742	4·2	1932	11·3
,, 1976-77	118	1940	6·3	2610	11·8
,, 1977-78	190	3279	9·9	1670	7·1
Upto 30 June 1978	603	14894	8·4	8775	8·4
BIHAR					
Upto 30 June 1971	8	1360	5·5	193	2·2
During 1971-72	1	100	0·7	67	1·9
,, 1972-73	4	113	0·7	154	1·6
,, 1973-74	16	2738	12·4	585	5·9
,, 1974-75	28	2069	10·1	932	8·8
,, 1975-76	36	2313	7·8	1318	7·7
,, 1976-77	101	2863	7·7	1696	7·7
,, 1977-78	166	2053	6·2	1864	8·0
Upto 30 June 1978	338	12149	6·9	6802	6·2
ORISSA					
Upto 30 June 1971	8	155	0·6	27	0·3
During 1971-72	2	80	0·6	8	0·2
,, 1972-73	8	261	1·5	11	0·1
,, 1973-74	5	792	3·6	8	0·1
,, 1974-75	38	1684	8·2	82	0·8
,, 1975-76	53	985	3·3	338	1·9
,, 1976-77	79	2230	6·0	565	2·6
,, 1977-78	65	1357	4·1	816	3·5
Upto 30 June 1978	246	7314	4·1	1852	1·7

Rs. lakhs

1	2	3	4	5	6
WEST BENGAL					
Upto 30 June 1971	6	160	0·6	13	0·1
During 1971-72	4	30	0·2	5	0·1
,, 1972-73	4	21	0·1	4	0·1
,, 1973-74	12	247	1·1	22	0·2
,, 1974-75	9	127	0·6	69	0·6
,, 1975-76	31	997	3·4	159	0·9
,, 1976-77	52	1389	3·8	590	2·7
,, 1977-78	89	1446	4·4	996	4·3
Upto 30 June 1978	201	4265	2·4	1855	1·8
RAJASTHAN					
Upto 30 June 1971	11	697	2·8	161	1·8
During 1971-72	16	977	7·2	83	2·4
,, 1972-73	5	507	2·9	136	1·4
,, 1973-74	20	666	3·0	283	2·9
,, 1974-75	16	851	4·2	350	3·3
,, 1975-76	57	3353	11·3	536	3·3
,, 1976-77	69	2139	5·8	787	3·6
,, 1977-78	79	1970	6·0	1312	5·6
Upto 30 June 1978	274	10713	6·0	3653	3·5
Total of all less developed /underbanked states* (including above 6 states) upto 30 June 1978	2674	76976	43·5	40043	38·2
Total of all states Upto 30 June 1978	**6221**	**177039**	**100.0**	**104932**	**100.0**

*Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, West Bengal, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Assam and other North Eastern States.

Statement 9

REDUCTION OF INTRA-STATE IMBALANCES—POSITION OF SCHEMES SANCTIONED

Rs. lakhs

State	Upto 30 June 1971			Upto 30 June 1977			As on 30 June 1978		
	No. of schemes	ARDC commit-ment	Dis-burse-ment	No. of Schemes	ARDC com-mit-ment	Dis-burse-ment	No. of schemes	ARDC com-mit-ment	Dis-burse-ment
ANDHRA PRADESH									
Less developed areas*	44	1800	639	249	7259	3207	330	9734	4605
Entire state	74	3416	1758	409	13479	7620	549	18142	11473
ORISSA									
Less developed areas*	3	43	—	61	1621	181	55	1775	179
Entire state	8	155	27	183	5979	1036	246	7314	1852
UTTAR PRADESH									
Less developed areas*	10	544	157	198	7203	4122	221	7621	5135
Entire state	32	2566	671	621	21785	12081	839	25158	16398

**Andhra Pradesh* : Telangana and Rayaleseema areas.
Orissa : Mayurbhanj, Koonjhar, Phulbani, Sundergarh, Koraput and Kalahandi districts.
Uttar Pradesh : District in the three Divisions of Faizabad, Gorakhpur and Varanasi.

Statement 10

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES UPTO 30 JUNE 1978

Rs. lakhs

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	ARDC Commitment			Disbursement	
					Total	Phasing		During 1977-78	Upto 30 June 1978
						Upto 30 June 1978	During 1977-78		
I. *NORTHERN REGION*									
Delhi	Com. Bks.	DD	5	30	27	23	6	3	9
Haryana	Com. Bks.	P	1	11	10	10	3	—	4
		DD	3	27	27	27	—	—	23
Himachal Pradesh	Com. Bks.	MI	1	8	7	7	7	—	—
		P	1	6	6	4	2	—	—
		DD	5	37	32	26	7	3	7
Jammu & Kashmir	SLDB	LD	1	6	6	6	—	—	—
	Com. Bks.	DD	3	13	10	6	6	—	—
Punjab	SLDB	MI	4	179	179	179	—	—	138
	Com. Bks.	MI	1	6	6	6	3	—	6
		P	1	1	1	1	—	—	—
		DD	22	196	185	154	16	5	57
Rajasthan	SLDB	MI	16	707	680	643	124	62	452
	Com. Bks.	MI	5	64	57	42	18	12	20
		SB	6	183	165	32	32	16	16
		DD	3	16	15	7	5	1	1
			78	1490	1413	1173	229	102	733
II. *NORTH-EASTERN REGION*									
Assam	SLDB	MI	1	126	113	—	—	—	—
	Com. Bks.	MI	7	57	51	41	19	3	12
		P/H	1	7	6	5	3	—	1
		F	1	15	14	4	4	—	—
		DD	3	23	21	18	9	2	4
Manipur	SCB	MI	1	1	1	—	—	—	—
Meghalaya	SCB	P/H	2	11	10	10	10	—	—
		P	2	5	5	—	—	—	—
Nagaland	SCB	P/H	2	11	10	2	2	—	—
Tripura	Com. Bks.	MI	3	19	17	15	10	—	2
			23	275	248	95	57	5	19
III. *EASTERN REGION*									
Bihar	Com. Bks.	MI	2	69	64	58	13	1	23
		FM	1	4	4	1	1	—	—
		P	1	1	—	—	—	—	—
		DD	3	13	12	4	4	1	1
Orissa	SLDB	MI	3	242	218	218	41	21	64
		LD	1	2	2	1	1	—	—
	Com. Bks.	MI	5	442	402	389	137	1	13
		LD	1	16	16	16	—	1	3
		P/H	3	15	13	6	3	—	—
		DD	1	5	5	4	1	—	—
	SCB	DD	1	16	16	15	—	—	—
West Bengal	SLDB	MI	7	136	127	116	27	22	102
		P/H	1	9	9	7	1	—	—
	Cm. Bks.	MI	6	67	62	57	13	2	68
		DD	2	15	15	15	3	—	7
			38	1052	965	907	245	49	281
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh	SLDB	MI	10	430	410	323	76	—	161
	Com. Bks.	MI	24	31	21	21	—	—	11
		DD	5	36	31	18	7	—	—
Uttar Pradesh	SLDB	MI	8	931	911	823	89	—	557
		LD	2	3	3	3	—	—	—
		DD	7	51	46	18	18	—	—
	Com. Bks.	MI	3	26	25	24	4	9	18
		SB	1	1	1	—	—	—	—
		DD	14	96	88	59	19	1	19
			52	1598	1536	1289	213	10	766

Rs. lakh

Concluded

V. WESTERN REGION									
Goa	Com. Bks.	MI	1	13	12	12	12	—	—
		DD	1	2	1	1	—	—	—
Gujarat	SLDB	DD	2	10	9	2	2	—	—
	Com. Bks.	MI	7	39	35	17	11	8	8
		DD	14	91	87	75	24	24	62
Maharashtra	SLDB	MI	22	580	528	408	143	100	258
	Com. Bks.	MI	13	126	114	57	11	—	7
		DD	24	156	137	76	11	17	40
			84	1017	923	648	214	149	375
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	SLDB	MI	16	1076	1034	994	317	156	520
		LD	4	124	111	111	111	—	—
		SB	3	38	34	34	21	6	6
		DD	1	9	9	9	4	2	3
	Com. Bks.	MI	2	20	20	20	1	3	12
		P/H	1	4	4	4	—	—	4
		P	1	2	2	2	1	—	—
		SB	6	44	38	30	6	—	16
		DD	21	149	134	121	57	15	39
	SCB	MI	1	11	9	9	—	—	—
Karnataka	SLDB	MI	3	484	484	465	—	—	429
	Com. Bks.	MI	3	75	70	45	7	—	—
		SB	1	4	4	2	—	—	—
		DD	1	2	2	2	2	—	—
Kerala	SLDB	MI	4	37	33	33	20	—	—
	Com. Bks.	P	1	2	1	1	—	—	1
		DD	5	23	22	19	4	—	3
	SCB	P	1	22	21	21	5	—	—
Pondicherry	Com. Bks.	DD	1	9	6	6	—	—	6
Tamil Nadu	SLDB	MI	6	48	48	48	—	—	48
			82	2183	2086	1976	556	182	1087
Total (I to 1)			**357**	**7615**	**7171**	**6088**	**1514**	**497**	**3261**

Statement II

IDA/IRD PROJECTS—BRIEF DESCRIPTION OF EACH PROJECT

The agricultural credit projects by the World Bank envisage large investments in minor irrigation (such as dugwells, dug-cum-borewells, shallow, medium and deep tubewells, lift irrigation units and installation of pumpsets, laying of pipelines and incidental land levelling), land development and financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and combines. In the case of other special development projects, the names would indicate the items of development proposed to be undertaken under each of them. ARDC Credit Projects I and II are of general nature supporting the lending activities of the Corporation in minor irrigation and other approved diversified purposes such as dairy poultry, plantations, horticulture, fisheries, etc.

Brief particulars of each project showing the total cost, IDA/IBRD assistance to be routed through the Corporation, agencies impdementing the project, outline description of nature of development envisaged and the progress of the projects are given below :

1. A. First ARDC Credit Project (540 IN).

B. Cost of the Project—$168.5 million—IDA assistance of $75 million routed through ARDC.

C. Investments in minor irrigation and other diversified form of lending such as dairy, poultry, fisheries, plantations, etc.

D. SLDB, scheduled commercial banks and a state co-operative bank.

E. 2 years—closing date—31 December 1977.

F. The Project was fully implemented 6 months ahead of the scheduled closing date in June 1977. ARDC disbursements aggregated Rs. 123 crores (Rs. 112.5 crores under minor irrigation and Rs. 10.5 crores under diversified categories of investments). The Project, the first general line of credit to ARDC, covered areas outside the on-going specific IDA-assisted project in different states and also financed programmes commenced under specific projects after their completion. The Project aimed to standardise the lending terms and conditions, both technical and financial which are now being uniformly applied by ARDC to all similar lending activities. Small farmer difinition was liberalised under this Project. Also, common overdues discipline to regulate LDB lending programme were evolved and enforced by ARDC and RBI, through a Standing Committee on Debenture Norms, consisting of GOI, LDB, RBI and ARDC representatives. According to the Project covenant, a Committee constituted under the Chairmanship of Dr. R. K. Hazari, former Chairman, ARDC and Deputy Governor of RBI, studied the fesibility of merger of the two wings of co-operative credit structure. The Committee's recommendations are under consideration of GOI./RBI and being implemented on a pilot basis, in some states.

A training programme for senior and middle level management staff of LDBs and CBs was initiated and a comprehensive assessment was made of the training requirements of junior level staff of LDBs.

A Project Completion Report has been prepared by IDA with ARDC assistance.

2. A. Second ARDC Credit Project (715 IN).

B. Cost of the project—$532 million—IDA assistance—$200 million being routed through ARDC.

C. Investments in minor irrigation and diversified categories as under the First ARDC Credit Project.

D. SLDBs, scheduled commercial banks and state co-operative banks.

E. 2 years—closing date—31 December 1979.

F. project is under implementation. At the end of June 1978, ARDC disbursement of refinance assistance under the Project at Rs. 105 crores is sufficient to draw a credit of $68 million. Eighteen states and 3 union territories availed themselves of refinance assistance under the project. As part of the project two committees one to study the interest rate spreads in the agricultural lending sector in India with particular reference to the needs of LDBs and other to study the estimated pumpset replacement requirements in India in th next five yars have been constituted. A study on a sample basis of the problem of over-exploitation of groundwater potential is in progress.

3. A. Andhra Pradesh Agricultural Credit Project (226 IN).

B. Cost of the project—$45 million-IDA assistance $24.4 million routed through ARDC.

C. Financing of minor irrigation investments, land development and tractors.

D. Andhra Pradesh Cooperative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.

E. 6 years—The project was completed by the end of June 1977.

F. Project Completion Report has been prepared by IDA with ARDC and LDB assistance.

4. A. Andhra Pradesh Fisheries Project (815 IN)*

B. Cost of the project—$36.6 million—IDA assistance—$17.5 milion oll which $ 4 million would be routed through ARDC.

C. To increase marine fisheries production in Andhra Pradesh by improving 3 important fishing harbours at Visakhapatnam, Kakinada, and Nizampatnam by providing credit for acquisition of fishing vessels, both mechanised and non-mechanised, to be owned and operated by individuals, companies and co-operatives. The project will also improve the productivity of small fishermen by construction of access roads.

D. Andhra Pradesh Cooperative Central Agricultural Development Bank and selected Commercial Banks.

E. Six years—closing date—30 September 1984.

F. The Project was recently sanctioned by IDA.

5. A. Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Development Composite Project (1251 IN).

B. Cost of the project—$297 million—IBRD assistance—$145 million $901 million to be routed through routed through ARDC.

C. The project includes completion of canal and drainage net work and construction of village roads in Nagarjunasagar Project (NSP) and initiates command area development in NSP Pochampad and Tungabhadra High Level Canal Command Areas.

D. Andhra Pradesh Cooperative Central Agricultural Development Bank and selected commercial banks.

E. Six years—closing date—31 December 1982.

F. A programme for CAD works on 47,000 acres (Rs. 4.3 crores) has been approved. The loaning procedures and refinancing arrangements have been recently settled between ARDC and GOAP.

6. A. Bihar Agricultural Credit Project (440 IN).

B. Cost of the Project $60 million—IDA assistance—$32 million to be routed through ARDC.

C. Minor irrigation programme including sinking of tubewells, installation of diesel pumpsets and low lift pumping of surface water.

D. Bihar SLDB and selected commercial banks.

E. 4 years—closing date extended from June 1977 to March 1980.

F. The financing banks had disbursed Rs. 31 crores or about 69% of the disbursements needed to complete the Project. The project area, initially confined to 11 districts, was extended to the entire state of Bihar.

7. A. Bihar Market Yards Project (294 IN).

B. Cost of the project—$23.3 million—IDA assistance—$14.8 million—$13.8 million to be routed through the ARDC.

C. Investments in market yards in about 50 towns in Bihar, including civil works such as construction of entrance roads, surfacing, fencing and godowns, traders' shops, etc.

D. State Bank of India.

E. 5 years—closing date—31 December 1978.

F. 47 market yard proposals involving ARDC commitment of Rs. 15 crores had been approved till June 1978. The refinance disbursed aggregated Rs. 9 crores.

8. A. Gujarat Agricultural Credit Project (191 IN).

B. Cost of the project—$67 millon—IDA assistance—$35 million of which $34.7 million routed through the ARDC.

C. Financing of minor irigation investment and purchase of tractors.

D. Gujarat SLDB.

E. 5 years—The project was completed by 31 March 1975.

F. The project the first IDA assisted agricultural credit project in the country, has been fully implemented. Project Completion Report was completed by IDA with ARDC assistance.

9. A. Gujarat Fisheries Project (695 IN).

B. Cost of the project—$38 million—IDA/IBRD assistance of—$18 million, of which $4.7 million to be routed through ARDC.

C. Financing of minor irrigation investment and purchase ment of fishing harbours in Veraval and Mongrol, improvement of shore facilities, provision of credit towards fishing, processing unit, ice plant and to traditional fishermen for purchase of canoes and outboard motors.

D. Selected commercial banks.

E. 6 years—closing date—30 June 1983.

F. The Banking Plan for implementation has been finalised and communicated to all concerned.

10. A. Haryana Agricultural Credit Project (249 IN).

B. Cost of the project—$62.2 million—IDA assistance of $25 million routed through ARDC.

C. Minor irrigation investments such as shallow tubewells, imported and indigenous tractors, etc.

D. SLDB and selected commercial banks.

E. 6 years—The project was completed by 30 June 1977.

F. The project was completed within the extended period. A Project Completion Report has been submitted to IDA.

11. A. Haryana Irrigation Project.

B. Cost of the project—$227.6 million—IDA assistance-$117 milion—$41.4 mililon to be routed through ARDC.

C. Modernization of canals, water courses, Construction of augmentation tubewells, etc.

D. Yet to be decided.

E.&F. The project was, negotiated in June 1978.

12. A. Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project (456 IN).

B. Cost of the project— $21.3 million—IDA assistance — $ 13 million — $ 5.4 million to be routed through ARDC.

C. Improvements in apple processing and marketing in Himachal Pradesh.

D. Selected commercial banks.

E. 4 years—closing date—31 December 1978.

F. The project was revised in 1975 on the recommendations of an IDA Review Mission ARDC has approved schemes for 10 packing and grading centres and one transhipment centre. HPMC has also imported machinery for 2 grading and packing centres and construction work at one of the centres would be completed shortly. HPMC has also submitted a project report for setting up an apple juice concentrate plant which is expected to be sanctioned shortly. ARDC has disbursed Rs. 14 lakhs under the project upto 30 June 1978.

13. A. Integrated Cotton Development Project (610 IN).

B. Cost of the project—$36 million—IDA assistance $18 million—$1209 million to be routed through ARDC.

C. Provision of seasonal credit for growing improved varieties of cotton ginning and processing of cotton and term credit for ginneries and cotton seed processing units including modernization in the project areas in Haryana, Punjab and Maharashtra.

D. State Co-operative Banks and selected commercial banks.

E. 5 years—closing date—31 December 1981.

F. ARDC sanctioned short-term credit limits of Rs. 4.5 crores for growing improved varieties of cotton for Kharif season 1977-78. The participating banks disbursed Rs. 1.8 crores and availed themselves of refinance assistance of Rs. 58 lakhs. ARDC has filed first claims with GOI under the project for Rs. 30 lakhs. The project feasibility reports prepared by ARDC for ginning and processing component in Haryana have been accepted in principle by GOH and IDA. No investments in modernization of ginneries in Punjab and establishment of new ginning and processing facilities in Maharashtra for which IDA credit allocation has been made, have yet been proposed.

14. A. Jammu & Kashmir Horticulture Project*

B. Cost of the Project—$28.5 million—$9.6 milion to be routed through ARDC.

C. ARDC is involved in the construction of 25 apple grading and packaging centres, 10 cold storages, one transhipment centre, and seasonal credit of about Rs. 2 crores to help the apple, walnut and mushroom growers.

D. Selected commercial banks.

E. Six years—closing date—30 June 1984.

F. The project was recently sanctioned by IDA.

15. A. Karnataka Agricultural Credit Project (278 IN).

B. Cost of the Project—$75.4 milion—IDA assistanlce of $ 40 million to be routed through ARDC.

C. Minor irrigation investments, land reclamation work, purchase of tractors and land reclamation equipments.

D. Karnataka SLDB and selected commercial banks.

E. 5 years—Project was completed by the end of June 1977.

F. The project was fully implemented by June 1977. Besides minor irrigation and land shaping works, 2900 tractors were procured under the project.

16. A. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project (378 IN).

B. Cost of the Project—$13 million—IDA assistance—$ 8 million—$7.9 million to be routed through ARDC.

C. Marketing facilities including civil works, utility equipments etc.

D. Selected commercial banks.

E. 6 years—closing date—December 1979.

F. Out of 39 markets selected, 26 proposals have been approved for bank loans. Sanction of remaining market yards have been kept in abeyance as the projects were reappraised by a market development consultant. To speed up the construction of shop-cum-godowns for market intermediaries GOK proposal that they should be constructed by APMCs and leased out has been accepted by IDA. The State Marketing Board is reviewing the pattern of construction and cash flow projections of the concerned agencies. Advance amount equal to 1/3 amounts of cost of shop-cum-godowns is released by banks where revised proposals are in order.

17. A. Karnataka Dairy Development Project (482 IN).

B. Cost of the project—$43.5 million—IDA assistance—$ 30 million—$20.9 million to be routed through ARDC.

C. Integrated programme for increasing milk production in the rural areas of Karnataka by providing technical services for quality cross breeding and animal health and marketing.

D. Karnataka SLDB, SCB and selected commercial banks.

E. 8 years—closing date—30 September 1982.

F. GOI and IDA have resolved the procedure for obtaining reimbursement from IDA against expenditure incurred by NDDB under turn key contracts. IDA is amending the dairy projects agreements (Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh) enabling India Dairy Corporation as an alternate source for routing funds.

18. A. Karnataka Irrigation Project.*

B. Cost of the Project—$284.4 million—IDA assistance—$ 126 million—$7 million to be routed through ARDC.

C. The project envisages financing of completion of Almatti and Narayanpur dams and Narayanpur left bank Canal as well as construction of branch canal and covering cultivabe command area of 4,25,000 hectares.

D. Karnataka SLDB and selected commercial banks.

E. Six years—closing date—31 March 1984.

F. The project was recently sanctioned by IDA.

19. A. Kerala Agricultural Development Project (680 IN).

B. Cost of the project—$69 million—IDA assistance—$30 million—$20.8 million to be routed through ARDC.

D. Development of tree crops such as coconut, pepper and cashew plantation, setting up of crumb rubber factories, etc. Farmers would be eligible for loans for minor irrigation investments.

D. Kerala SLDB and selected commercial banks.

E. 8 years—closing date—30 March 1985 .

F. The Banking plan has been finalised and communicated to concerned banks. The Special Agricultural Development Unit has identified 105 package units of which 22 package units in respect of coconut planting, rehabilitation of pepper development will be taken up for implementation during the first year. For the cashew development sub-project, 7 sub-blocks have been handed over by the state government to the Cashew Development Corporation.

20. A. Madhya Pradesh Agricultural Credit Project (391 IN).

B. Cost of the project—$60.3 million—IDA assistance of $33.2 million to be routed through ARDC.

C. Minor irrigation investments and land levelling.

D. SLDB and selected commercial banks.

E. 3 years—closing date—31 December 1976.

F. The programme was fully implemented by the end of December 1976. A Project Completion Report is under prepartion.

21. A. Madhya Pradesh Dairy Development Project (522 IN).

B. Cost of the project—$31.2 million—IDA assistance—$16.4 million—$13.7 million to be routed through ARDC.

C. Construction of dairy plants, cattle breeding farm, feed mills etc.

D. Selected commercial banks.

E. 7 years—closing date—30 June 1982.

F. 254 dairy co-operatives have been formed and 3 milk unions have been registered. Investment proposals for technical services of 3 unions have been approved by ARDC. Civil works for the chilling plants are under construction. Two proposals for dairy plants have been sanctioned.

22. A. Madhya Pradesh Chambal Command Area Development Project (562 IN).

B. Cost of the project — $ 45.8 million — IDA assistance — $ 24 million — $ 3.1 million to be routed through ARDC.

C. On-farm development in the command area.

D. Madhya Pradesh SLDB and selected commercial banks.

E. 4 years — closing date — 31 December 1979.

F. Cost estimates relating to 28 schemes covering an area of 2575 hectares have been approved. ARDC has sanctioned refinance of Rs. 9 lakhs for 3 commercial banks.

23. A. Maharashtra Agricultural Credit Project (292 IN).

B. Cost of the project—$ 52.4 million—IDA assistance—$ 30 million—$ 25.4 million to be routed through ARDC.

C. Minor irrigation programme and land levelling investment.

D. Maharashtra SLDB and selected commercial banks.

E. 4 years — The project was extended upto June 1976.

F. The project was completed in 1975-76. A Project Completion Report has been prepared by IDA with assistance from ARDC.

24. A. Maharashtra Irrigation and Command Area Development Composition Project.

B. Cost of the project — $ 140 million — IDA assistance —$ 70 million — $ 5.5 million to be routed through ARDC.

C. On-farm development in Jayakwadi and Purna irrigation scheme areas.

D. Maharashtra SLDB and selected commercial banks.

E. 6 years—closing date—31 December 1983.

F. GOM has settled the procedure for drawal of loans. ARDC would provide interim finance to MLDC pending completion of loan formalities. Banking. Plan for financing the on-farm development programme is being evolved.

25. A. National Seed Project Phase I (1273 IN).

B. Cost of the project — $ 52.7 million — IBRD assistance — $25 million — $ 18.2 million to be routed through ARDC.

C. The project is the first phase for development of national seed programme covering 4 states.

D. Selected commercial banks.

E. 5 years — closing date — 30 June 1981.

F. The banking plan for financing processing plants has been finalised. ARDC has also proposed joint appraisal of the project by the NSC, ARDC and the bank to expedite clearance of the scheme. The project for development of Ladhowal Farm in Punjab involving financial assistance of Rs. 70 lakhs has been approved. The Maharashtra SSC has prepared a project report on Akola seed processing plant but it has not indicated the financing bank. The other states are undertaking expansion of existing plants, as an interim arrangement, from their own resources instead of bank credit, as contemplated under the project.

26. A. National Seed Project—Phase II*

B. Cost of the Project — $ 34.8 million — IDA assistance — $ 14.5 million to be routed through the Corporation.

C. Second phase of the national seed programme would cover 5 states viz., Bihar, Karnataka, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh. The major thrust would be on production of quality seeds for cereal crops, groundnut and vegetable seeds. Seed output would be increased by about 125 lakh tonnes.

D. Selected commercial banks.

E. Six years—closing date—31 December 1984.

F. The project was sanctioned by IDA recently.

27. A. Orissa Irrigation Project (740 IN)*

B. Cost of the project — $ 116 million — IDA assistance — $ 58 million $ 2.4 million to be routed through ARDC.

C. On-farm development of 57,000 ha, in command areas of Hiracud, Salandi and Mahanadi delta irrigation systems.

D. SLDB and selected commercial banks.

E. 6 years — closing date — 31 October 1983.

F. The credit has become effective in January 1978.

28. A. Punjab Agricultural Credit Project (203 IN).

B. Cost of the project—$ 40 million—IDA assistance—$ 27.5 million to be routed through ARDC.

C. Farm mechanization equipments.

D. Punjab SLDB and selected commercial banks.

E. 7 years—The project was extended from time to time till the end of June 1977.

F. The project was fully implemented by end of June 1977. 7827 tractors were financed under project comprising 4051 indigenous and 3776 imported tractors.

29. A. Chambal Command Area Development Project—Rajasthan (1001 IN).

B. Cost (ARDC programme) of the project—$ 12 million—IBRD assistance—$6.5 million to be routed through ARDC.

C. On-farm development in the Chambal command area.

D. Selected commercial banks.

E. 7 years—closing date—30 June 1981.

F. The cost estimates relating to 18 catchment areas have been approved by ARDC. The work has commenced in 12 catchment areas and a sum of Rs. 16 lakhs has been disbursed by one of the participating banks.

30. A. Rajasthan Canal Command Area Development Project (502 IN).

B. Cost of the project—$ 39.8 million—IDA assistance—of $ 22.5 million to be routed through ARDC.

C. On-farm development in the Rajasthan canal command area.

D. Selected commercial banks.

E. 7 years—closing date—30 June 1981.

F. Technical clearance has been given by ARDC in respect of 970 chaks. RLDC has accorded financial sanction in respect of 690 chaks and the work has commenced in 580 chaks and completed in 146 chaks. The banks have disbursed Rs. 2.7 crores to RLDC.

31. A. Rajasthan Dairy Development Project (521 IN).

B. Cost of the project—$ 51.8 million—IDA assistance—$ 27.7 million—$ 22.3 million to be routed through ARDC.

C. Setting up of dairy co-operatives and dairy plants.

D. Selected commercial banks.

E. 7 years—closing date—31 December 1982.

F. 656 societies and 4 dairy unions have been set up. The proposal for a bull breeding farm has been approved. Civil work on Alwar milk plant and Jaipur milk plant is in progress. Chilling plants at 3 centres are nearing completion. Proposals for 3 technical services and 2 dairy plants have been sanctioned.

32. A. Tamil Nadu Agricultural Credit Project (250 IN).

B. Cost of the project—$ 62.3 million—IDA assistance—$ 31 million—$ 31 million to be routed through ARDC.

C. Minor irrigation investments, land levelling and purchase of tractors.

D. Tamil Nadu SLDB and selected commercial banks.

E. 6 years—closing date of the project was extended upto 31 December 1977.

F. The project was fully implemented by 1976-77 while the minor irrigation component was completed in the previous year. 1627 tractors were procured under the project. A Project Completion Report has been prepared by IDA with ARDC assistance.

33. A. Tarai Seed Project—U.P. (614 IN).

B. Cost of the project—$ 22.4 million—IBRD assistance—$ 13 million—$ 9 million to be routed through ARDC.

C. Land development in Tarai area of UP by increasing availability of high yielding varieties of foodgrains.

D. State Bank of India.

E. 8 years—closing date was extended upto 31 December 1977.

F. The project has since been closed.

34. A. Uttar Pradesh Agricultural Credit Project (392 IN).

B. Cost of the project—$ 72.5 million—IDA assistance of $ 38 million routed through ARDC.

C. Minor irrigation investments.

D. SLDB and selected commercial banks.

E. 4 years—closing date was extended upto June 1977.

F. The project was completed by December 1977.

35. A. West Bengal Agricultural Development Project (541 IN).

B. Cost of the Project—$ 59 million—IDA assistance—$ 34 million—$ 15 million to be routed through ARDC.

C. Construction of shallow tubewells and setting up of river lift irrigation units, agro-service centres and market development.

D. West Bengal SLDB and selected commercial banks.

E. 5 years—closing date—31 March 1980.

F. The banks had disbursed Rs. 10 crores by June 1978. The shallow tubewell programme is proceeding satisfactorily. However, the programme of setting up of agro service centres is slow because of lack of applications from technically qualified persons.

36. *Drought Prone Areas Project*: The Drought Prone Areas Project covering six districts in Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Rajasthan provides for integrated development of the drought-prone areas in project districts, including minor irrigation, sheep and dairy development, horticulture, fisheries, sericulture, etc. The bank loans are being refinanced by the ARDC under the Second ARDC Project.

Statement 12

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1978

(Rs. lakhs)

Project	Effective/ closing dates	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/ IDA assistance admissible to ARDC	Agency	Disbursement by PLDBs/ PCBs@	Disbursement by ARDC	Amount received from Government of India
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. IBRD PROJECTS								
1. Tarai Seeds Project (U.P.)	(*a*) 12-9-69 (*b*) 30-6-74 (*c*) 31-12-77	LD	927	690	Com. Bks.	263	193	193

Rs. in lakhs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Chambal Command Area Development Project (Rajasthan)	(*a*) 12-12-74 (*b*) 30-6-81	LD	619	520	Com. Bks.	12	9	1
3. National Seed Project (A.P., Haryana, Punjab & Maharashtra)	(*a*) Oct. 76 (*b*) 30-6-81		2169	1634	Com. Bks.	18	15	—
4. A. P. Irrigation and Command Area Composite Project	(*a*) 8-9-76 (*b*) 31-12-82		1301	864	Com. Bks.	60	45	—
	Total (A)		5016	3708		353	262	194
B. IDA PROJECTS								
I ARDC Credit Project I	(*a*) 5-8-75 (*b*) 31-12-77	MI	11100	5520	SLDBs	13816	9490	
		Other Purposes	900	400	Com. Bks.		2787	
					SCBs		18	
			12000	4920		13816	12295	
II ARDC Credit Project II	(*a*) 31-12-79	MI	28636	15750	SLDBs	12542	7425	9650
		Other Purposes	3927	2160	Com. Bks.		2873	
					SCBs		154	
			32563	17910		12542	10452	
III Integrated Cotton Development Project	(*a*) 24-8-76 (*b*) 31-12-81				Com. Bks.	45	41	
		S. T. crop loan for cotton	889	600	SCBs	40	22	24
		Cotton Ginning and Seed processing	720	432	Com. Bks.	—	—	
			1609	1032		85	63	24
IV Agricultural Credit Projects								
1. Andhra Pradesh	(*a*) 10-5-71 (*b*) 30-6-74 (*c*) 30-6-77	MI	2111	1393	SLDB	2014	1776	
					Com. Bks.	97	88	
		LD	230	154	SLDB	230	151	1920
		FM	806	431	SLDB	603	359	
					Com. Bks.	203	149	
			3147	1978		3147	2523	1920
2. Bihar	(*a*) 29-3-74 (*b*) 31-12-76 (*c*) 31-3-80	MI	4473	2728	SLDB	1950	1754	1526
					Com. Bks.	1163	947	
			4473	2728		3113	2701	1526
3. Gujarat	(*a*) 14-9-70 (*b*) 30-6-74	MI	4027	2344	SLDB	4027	3635	2608
	(*c*) 31-3-75	FM	351	182	SLDB	319	233	
			4378	2526		4346	3868	2608
4. Haryana	(*a*) 2-11-71 (*b*) 31-3-75	MI	1962	903	SLDB	2841	1894	
					Com. Bks.	76	64	
	(*c*) 30-6-77	FM	1433	1002	SLDB	660	468	2140
					Com. Bks.	1060	792	
			3395	1905		4637	3218	21 0

(Rs. lakhs)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Karnataka	(a) 25-9-72 (b) 31-12-75 (c) 30-6-77	MI and Well rigs	3070	2057	SLDB	3122	2795	3265
					Com. Bks.	187	128	
		LD	525	315	SLDB	256	185	
		LR Equip.	105	105	Com. Bks.	4	3	
		FM	1575	1008	SLDB	680	450	
					Com. Bks.	960	777	
			5275	3485		5209	4338	3265
6. Kerala	(a) 29-6-77 (b) 31-3-85	Tree crops. Rubber processing and MI	5060	2403		—	—	—
			5060	2403		—	—	—
7. Madhya Pradesh	(a) 10-10-73 (b) 31-12-76	MI (including LD)	4003	2619	SLDB	2930	2532	2854
					Com. Bks.	2112	1866	
			4003	2619		5042	4398	2854
8. Maharashtra	(a) 31-1-73 (b) 31-12-75 (c) 30-6-76	MI	3690	3664	SLDB	3475	3140	2558
					Com. Bks.	187	178	
		LD	226	226	SLDB	226	170	
		FM	211	148	SLDB	190	143	
			4127	4038		4078	3631	2558
9. Punjab	(a) 4-9-70 (b) 31-12-73 (c) 30-6-77	FM	4000	2380	SLDB	1000	750	2180
					Com. Bks.	2228	1684	
			4000	2380		3228	2434	2180
10. Tamil Nadu	(a) 2-11-71 (b) 31-12-74 (c) 31-21-77	MI	3001	1861	SLDB	3001	2781	2526
		LD	88	61	SLDB	88	66	
		FM	780	492	SLDB	834	625	
					Com. Bks.	29	22	
		Earth moving machinery	243	243	Com. Bks.	46	35	
			4112	2657		3998	3529	2526
11. Uttar Pradesh	(a) 31-10-73 (b) 31-12-76 (c) 31-12-77	MI	5516	3420	SLDB	4277	3849	3406
					Com. Bks.	1492	1152	
			5516	3420		5769	5001	3406
12. West Bengal	(a) 28-8-75 (b) 31-3-80	MI	2197	1206	SLDB	464	416	436
					Com. Bks.	593	535	
		FM	171	90	Com. Bks.	9	8	
		S & M	96	54	Com. Bks.	5	5	
			2464	1350		1071	964	436
TOTAL IV (1 to 12)			**49950**	**31489**		**43638**	**36605**	**25419**

(Rs. lakhs)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Other Projects								
1.	Bihar Market Yards Project	(a) 31-7-72 (b) 30-6-78 (c) 31-12-78	1491	1002	Com. Bks.	1010	908	421
2.	Chambal Command Area Development Project (M.P.)	(a) 18-9-75 (b) 31-12-79	246	156		—	—	—
3.	Himachal Pradesh Apple Processing & Marketing Project	(a) 26-9-74 (b) 31-12-78	608	488	Com. Bks	15	14	—
4.	Karnataka Agricultural Whole-sale Markets Project	(a) 7-9-73 (b) 31-12-79	891	713	Com. Bks	180	145	92
5.	Karnataka Dairy Development Project	(a) 23-12-74 (b) 30-9-82	2497	1881		—	—	—
6.	Madhya Pradesh Dairy Development Project	(a) 23-7-75 (b) 30-6-82	1389	1091		—	—	—
7.	Rajasthan Canal Command Area Development Project	(a) 12-12-74 (b) 30-6-81	2395	1800		339	264	172
8.	Rajasthan Dairy Development Project	(a) 8-8-75	2175	1784		—	—	—
9.	Gujarat Fisheries Project	(a) 19-7-77 (b) 30-6-83	1620	423		—	—	—
10.	Maharashtra Irrigation CAD Composite Project	(a) 31-12-83	825	495	SLDB & Com. Bks.	—	—	—
11.	Orissa Irrigation Project	(b) 31-10-83	393	216		—	—	—
12.	Karnataka Irrigation Project	(b) 31-3-84	1082	595		—	—	—
13.	Jammu & Kashmir Horticulture Project	(b) 30-6-84	2422	840		—	—	—
14.	National Seed Project II	(b) 30-12-84	2003	1267		—	—	—
15.	Andhra Pradesh Fisheries Projects	(a) 19-9-78 (b) 30-6-84	608	335		—	—	—
16.	Haryana Irrigation Project		6473	3560		—	—	—
	Total V (1 to 16)		27118	16646		1544	1331	685
	Total (B)		123240	72997		71625	60746	35778
	Grand Total (A+B)		**128256**	**76705**		**71978**	**61008**	**35972**

@Latest available data

N.B. Effective/closing dates:

(a) Effective date

(b) Closing date

(c) Revised closing date

Statement 13

DISBURSEMENT DURING 1977-78 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

(Rs. lakhs)

Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	Total amount of debentures floated/loans issued	Debentures subscribed to/ loans disbursed by ARDC	Contribution of State Governments/ Banks
1	2	3	4	5	6
1. *NORTHERN REGION*					
Chandigarh	Com. Bks.	Plantation/Horticulture	4	3	1
Delhi	Com. Bks.	Farm mechanization	21	16	5
		Dairy development	4	3	1
			25	19	

(Rs. lakhs)

1	2	3	4	5	6
Haryana	SLDB	Minor Irrigation	420	380	40
		Land development	51	38	13
		Farm mechanization	88	66	22
		Plantation/Horticulture	10	7	3
		Dairy development	50	38	12
	Com. Bks.	Minor irrigation	240	192	48
		Land development	8	6	2
		Farm mechanization	380	284	96
		Poultry/Sheep breeding	2	2	—
		Dairy development	1	1	—
		Storage & Market yards	100	81	16
		Integrated cotton development project	17	16	1
			1367	1111	256
Himachal Pradesh	SLDB	Minor irrigation	3	2	1
		Plantation/Horticulture	6	5	1
	Com. Bks.	Plantation/Horticulture	15	14	1
		Dairy development	3	2	1
			27	23	4
Jammu & Kashmir	SLDB	Farm mechanization	5	4	1
	Com. Bks.	Farm mechanization	15	11	4
			20	15	5
Punjab	SLDB	Minor irrigation	51	46	5
		Land development	40	36	4
	Com. Bks	Minor irrigation	672	549	123
		Land development	5	3	2
		Farm mechanization	217	162	5
		Poultry	18	13	5
		Dairy development	19	14	5
		Storage & Market yards	397	315	82
		Integrated cotton development project	21	18	3
	SCB	Integrated cotton development project	23	21	2
			1463	1177	286
Rajasthan	SLDB	Minor irrigation	580	523	75
		Land development	8	6	2
	Com. Bks.	Minor irrigation	213	173	40
		Land development	1	1	—
		Command area development	120	95	25
		Farm mechanization	205	155	50
		Poultry/Sheep breeding	21	17	4
		Dairy development	20	15	5
		Storage & Market yards	409	327	82
			1577	1312	265
II. *NORTH EASTERN REGION*					
Assam	Com. Bks.	Minor irrigation	3	3	—
		Land development	8	7	1
		Farm mechanization	5	5	—
		Plantation /Horiticulture	157	143	14
		Piggery	1	1	—
		Fisheries	1	1	—
		Dairy development	6	4	2
		Storage & Market yeards	137	109	28
			318	273	45

Rs. lakhs

1	2	3	4	5	6
Manipur	Com. Bks.	Farm mechanization	6	5	
	SCB	Farm mechanization	12	11	1
		Fisheries	8	7	1
			26	23	3
Nagaland	Com. Bks.	Storage & Market yards	6	5	1
Tripura	Com. Bks.	Plantation Horticulture	3	3	
		Storage & Market yards	6	5	1
			9	8	1
III. *EASTERN REGION*					
Bihar	SLDB	Minor irrigation	237	215	22
		Farm mechanization	22	19	3
	Com. Bks.	Minor irrigation	820	743	77
		Farm mechanization	202	182	20
		Dairy development	2	2	—
		Storage & Market yards	807	695	112
		Forestry	11	8	3
			2101	1864	237
Orissa	SLDB	Minor irrigation	276	249	27
		Land development	7	5	2
		Plantation/Horticulture	52	44	8
	Com. Bks.	Minor irrigation	345	311	34
		Land development	1	1	—
		Farm mechanization	35	28	7
		Fisheries	21	19	2
		Dairy development	3	2	1
		Storage & Market yards	20	18	2
	SCB	Minor irrigation	148	133	15
		Fisheries	7	6	1
			915	816	99
West Bengal	SLDB	Minor irrigation	433	391	42
		Plantation/Horticulture	9	8	1
	Com. Bks.	Minor irrigation	377	340	37
		Farm mechanization	30	27	3
		Plantation/Horticulture	60	54	6
		Fisheries	18	16	2
		Dairy development	11	10	1
		Storage & Market yards	187	150	37
			1125	996	129
IV. *CENTRAL REGION*					
Madhya Pradesh	SLDB	Minor irrigation	925	834	91
		Land development	2	2	—
		Farm mechanization	15	11	4

Rs. lakhs

1	2	3	4	5	6
	Com. Bks.	Minor irrigation	526	473	53
		Land development	10	7	3
		Farm mechanization	116	86	30
		Agro-service centres	8	5	3
		Dairy development	14	10	4
		Poultry	2	1	1
		Storage & Market yards	249	199	50
		Forestry	53	42	11
			1920	1670	250
Uttar Pradesh . .	SLDB	Minor irrigation	2586	2328	258
		Plantation Horticulture	30	23	7
	Com. Bks.	Minor irrigation	451	365	86
		Land development	7	6	1
		Farm mechanization	1052	829	223
		Sheep breeding	1	1	—
		Dairy development	32	26	6
		Storage & Market yards	923	739	184
			5082	4317	765
V. *WESTERN REGION*					
Goa	Com. Bks.	Poultry	13	11	2
		Fisheries	61	49	12
	SCB	Fisheries	10	8	2
			84	68	16
Gujarat . . .	SLDB	Minor irrigation	105	96	9
	Com. Bks.	Minor irrigation	912	713	199
		Farm mechanization	231	174	57
		Agro-service centres	1	1	—
		Poultry	2	1	1
		Fisheries	94	73	21
		Dairy development	95	66	29
		Storage & Market yards	249	195	54
			1689	1319	370
Maharashtra . .	SLDB	Minor irrigation	1377	1243	134
		Plantation/Horticulture	6	4	2
	Com. Bks.	Minor irrigation	230	204	26
		Farm mechanization	250	182	68
		Plantation/Horticulture	6	5	1
		Poultry	39	30	9
		Fisheries	36	26	10
		Dairy development	150	112	38
		Storage & Market yards	205	164	41
		Integrated cotton development project	3	3	1
		Gobar gas plants	2	1	1
			2304	1974	230

Rs. Lakhs

1	2	3	4	5	6
VI. *SOUTHERN REGION*					
Andhra Pradesh . .	SLDB	Minor irrigation	2728	2457	271
		Land development	92	69	23
		Farm mechanization	628	471	157
		Plantation/Horticulture	37	28	9
		Sheep breeding	98	75	23
		Fisheries	70	53	17
		Dairy development	39	29	10
	Com. Bks.	Minor irrigation	159	131	28
		Farm mechanization	76	56	20
		Agro-service centres	15	6	9
		Plantation/Horticulture	3	2	1
		Poultry	47	37	10
		Sheep breeding	16	13	3
		Fisheries	39	26	13
		Dairy development	54	42	12
		Storage & Market yards	447	358	89
			4548	3853	695
Karnataka . .	SLDB	Minor irrigation	756	682	74
		Land development	39	29	10
		Plantation/Horticulture	123	92	31
	Com. Bks.	Minor irrigation	8	5	3
		Farm mechanization	38	32	6
		Plantation/Horticulture	185	129	56
		Poultry	6	4	2
		Fisheries	219	153	66
		Dairy development	2	1	1
		Storage & Market yards	239	187	52
	SCB	Storage & Market yeards	6	6	—
			1621	1320	301
Kerala	SLDB	Minor irrigation	40	36	4
		Farm mechanization	2	2	—
		Plantation/Horticulture	102	77	25
	Com. Bks.	Minor irrigation	77	70	7
		Land development	97	97	—
		Farm mechanization	16	13	3
		Plantation/Horticulture	1	1	—
		Fisheries	60	48	12
		Storage & Market yards	32	26	6
			427	370	57
Tamil Nadu . .	SLDB	Minor irrigation	440	397	43
		Farm mechanization	13	9	4
		Plantation /Horticulture	86	65	21
	Com. Bks.	Minor irrigation	53	43	10
		Farm mechanization	23	17	6
		Agro-service centres	9	6	3
		Plantation/Horticulture	114	80	34
		Sheep breeding	8	6	2
		Fisheries	52	37	15
		Dairy development	31	18	13
		Storage & Market yards	249	198	51
	SCB	Fisheries	18	18	—
			1096	894	202
Total (1 to VI)			**27754**	**23430**	**4324**

Statement 14

SCHEMES UNDER CONSIDERATION AS ON 30 JUNE 1978

Region/State/Union Territory	No. of schemes under consideration		
	Total	Complete in most respects	Additional data required
I. *NORTHERN REGION*			
Haryana	28	—	28
Himachal Pradesh	8	14	4
Jammu & Kashmir	3	1	2
Punjab	45	29	16
Rajasthan	42	8	34
	126	42	84
II. *NORTH-EASTERN REGION*			
Assam	14	2	12
Manipur	2	1	1
Meghalaya	1	—	1
	17	3	14
III. *EASTERN REGION*			
Bihar	63	26	37
Orissa	41	4	37
West Bengal	57	26	31
	161	56	105
IV. *CENTRAL REGION*			
Madhya Pradesh	108	12	96
Uttar Pradesh	7	7	—
	115	19	96
V. *WESTERN REGION*			
Goa	6	3	3
Gujarat	27	4	23
Maharashtra	141	4	137
	174	11	163
VI. *SOUTHERN REGION*			
Andhra Pradesh	112	32	80
Karnataka	140	2	138
Kerala	30	6	24
Tamil Nadu	8	3	5
	290	43	247
Total (I to VI)	**883**	**174**	**709**

STATEMENT 15

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1978

I RESERVE BANK OF INDIA

II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

1. Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural Development Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
3. Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit.
4. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
5. Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd.
6. Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
7. Jammu & Kashmir Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
8. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd.
9. Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
10. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
11. Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd.
12. Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd.
13. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.
14. Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
15. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
16. Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Ltd.
17. Tripura Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
18. Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19. West Bengal Central Co-operative Land Development Bank Ltd.

III. STATE CO-OPERATIVE BANKS (24)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
2. Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
3. Bihar State Co-operative Bank Ltd.
4. Delhi State Co-operative Bank Ltd.
5. Goa State Co-operative Bank Ltd.
6. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
7. Haryana State Co-operative Bank Ltd.
8. Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
9. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.
10. Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd.
11. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
12. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit.
13. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
14. Manipur State Co-operative Bank Ltd.
15. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.
16. Nagaland State Co-operative Bank Ltd.
17. Orissa State Co-operative Bank Ltd.
18. Pondicherry State Co-operative Bank Ltd.
19. Punjab State Co-operative Bank Ltd.
20. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
21. Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd.
22. Tripura State Co-operative Bank Ltd.
23. Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd.
24. West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV. SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (63)

1. State Bank of India.
2. State Bank of Bikaner & Jaipur.
3. State Bank of Hyderabad.
4. State Bank of Indore.
5. State Bank of Mysore.
6. State Bank of Patiala.
7. State Bank of Saurashtra.
8. State Bank of Travancore.
9. Allahabad Bank.
10. Bank of Baroda.
11. Bank of India.
12. Bank of Maharashtra.
13. Canara Bank.
14. Central Bank of India.
15. Dena Bank.
16. Indian Bank.
17. Indian Overseas Bank.
18. Punjab National Bank.
19. Syndicate Bank.
20. Union Bank of India.
21. United Bank of India.
22. United Commercial Bank.
23. Andhra Bank Ltd.
24. Bank of Cochin Ltd.
25. Bank of Karad Ltd.
26. Bank of Madura Ltd.
27. Bank of Rajasthan Ltd.
28. Barcilly Corporation (Bank) Ltd.
29. Benares State Bank Ltd.
30. Catholic Syrian Bank Ltd.
31. Corporation Bank Ltd.
32. Federal Bank Ltd.
33. Hindustan Commercial Bank Ltd.
34. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
35. Karnataka Bank Ltd.

36. Karur Vysya Bank Ltd.
37. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
38. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
39. Laxmi Vilas Bank Ltd.
40. Lord Krishna Bank Ltd.
41. Nedungadi Bank Ltd.
42. New Bank of India Ltd.
43. Oriental Bank of Commerce Ltd.
44. Punjab & Sind Bank Ltd.
45. Purbanchal Bank Ltd.
46. Ratnakar Bank Ltd.
47. Sangli Bank Ltd.
48. South Indian Bank Ltd.
49. Tamilnadu Mercantile Bank Ltd.
50. United Industrial Bank Ltd.
51. United Western Bank Ltd.
52. The Bank of Thanjavur Ltd.
53. Vijaya Bank Ltd.
54. Vysya Bank Ltd.
55. Algemene Bank Netherlands NV.
56. American Express International Banking Corporation.
57. Bank of America National Trust and Savings Association.
58. Bank of Tokyo Ltd.
59. Banque National De Paris.
60. Chartered Bank.
61. Grindlays Bank Ltd.
62. Mercantile Bank Ltd.
63. Mitsui Bank Ltd.

V. RURAL BANKS (36)

1. Bhagirath Gramin Bank.
2. Bhojpur Rohtas Gramin Bank.
3. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank.
4. Bolangir Anchalic Gramya Bank.
5. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank.
6. Cauvery Grameen Bank.
7. Champaran Kshetriya Gramin Bank.
8. Cuttack Gramya Bank.
9. Gaur Gramin Bank, Malda.
10. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank.
11. Hardoi Unnao Gramin Bank.
12. Haryana Kshetriya Gramin Bank.
13. Jaipur Nagaur Anchalic Gramin Bank.
14. Koraput Panchabati Gramya Bank.
15. Kosi Kshetriya Gramin Bank.
16. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad.
17. Magadh Gramin Bank.
18. Malaprabha Grameena Bank.
19. Mallabhum Gramin Bank.
20. Marathwada Grameena Bank.
21. Mayurakshi Gramin Bank.
22. Monghyr Kshetriya Gramin Bank.
23. Nagarjuna Grameen Bank.
24. Pandyan Gramin Bank.
25. Puri Gramya Bank.
26. Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank.
27. Reva Sidhi Gramin Bank.
28. Samyut Kshetriya Gramin Bank.
29. Santal Pargana Gramin Bank.
30. Shekhawati Gramin Bank.
31. South Malabar Gramin Bank.
32. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank.
33. Tripura Gramin Bank.
34. Tungabhadra Gramin Bank.
35. Uttar Bengal Kshetriya Gramin Bank.
36. Vaishali Kshetriya Gramin Bank.

VI. LIFE INSURANCE CORPORATION, INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES ETC. (6)

1. General Insurance Corporation of India.
2. Life Insurance Corporation of India.
3. National Insurance Company Ltd.
4. New India Assurance Company Ltd.
5. Oriental Fire and General Insurance Company Ltd.
6. United India Fire & General Insurance Company Ltd.

REPORT OF

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance and Development Corporation as at 30th June, 1978 and also the annexed Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date, and report that :

1. We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory.
2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Corporation the Balance

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIABILITIES			*As at* 30-6-1977
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. CAPITAL			
Authorised 100,000 shares of Rs. 10,000 each		100,00,00,000.00	50,00,00,000.00
Issued, Subscribed and Paid-up 47,500 shares of Rs. 10,000 each paid-up		47,50,00,000.00	35,00,00,000.00
2. RESERVES AND SURPLUS			
Reserve Fund			
Balance as per last Balance Sheet (Note 1)	7,11,16,000.00		4,39,51,000.0
Add: (*i*) 25% of current profit transferred (In terms of Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961)	3,00,00,000.00		1,96,50,000.00
(*ii*) Transfer from Profit and Loss Account	27,04,000.00		75,15,000.00
		10,38,20,000.00	7,11,16,000.00
Research and Development Fund Transferred from Profit and Loss Account		1,00,00,000.00	
Profit and Loss Account			
Profit brought forward	190.91		830.18
Profit for the year	3,75,47,551.76		2,48,53,401.83
	3,75,47,742.67		2,48,54,232.01
Less : (*i*) Transferred to Research and Development Fund	1,00,00,000.00		—
	2,75,47,742.67		
(*ii*) Transferred to Reserve Fund	27,04,000.00		75,15,000.00
	2,48,43,742.67		1,73,39,232.01
(*iii*) Transferred to Provision for Dividends	2,48,43,321.92		1,73,39,041.10
		420.75	190.91
3. SPECIAL DEPOSIT		3,86,67,606.40	2,92,09,060.85
4. PAYMENT BY CENTRAL GOVERNMENT IN RESPECT OF GAURANTEED DIVIDEND			
Carried Forward		62'74,88,027.15	45,03,25,251.76

THE AUDITORS

Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants

31 August 1978
National Insurance Building
Dadabhoy Naoroji Road
Bombay-400 001

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE, 1978

ASSETS				*As at* 30-6-1977
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
1. CASH				
(*a*) In hand	4,360.67			4,186.64
(*b*) With Reserve Bank of India	8,42,575.98			23,28,026.56
(*c*) With others :				
(*i*) In India	1,13,887.06			1,04,202.82
(*ii*) Outside India	—			—
		9,60,823.71		
				24,36,416.02
2. LOANS				
(*a*) By way of refinance	284,21,26,650.00			196,76,07,839.00
(*b*) Others	—			—
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts	—	284,21,26,650.00		—
				196,76,07,839.00
3. DEBENTURES		589,37,73,145.61		525,44,47,248.93
4. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (At cost) (Face Value Rs. 23,51,61,600/-)		22,69,45,554.15		2,43,82,362.00
5. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		49,39,499.65		6,16,797.50
6. OTHER ASSETS				
6. (*a*) Furniture, Fixture and Fittings, Office Equipment, etc. (Cost upto 30-6-1977)	21,79,343.91			16,58,243.00
Add : Additions during the year	8,23,410.59			5,29,441.44
	30,02,754.50			21,87,684.44
Less : Items sold/adjusted	10,580.06			8,340.53
	29,92,174.44			21,79,343.91
Less : Depreciation to date	9,90,598.60			7,44,320.63
	20,01,575.84			14,35,023.28
(*b*) Deposits with Government Departments and other institutions	2,34,146.16			1,92,971.16
Carried Forward	22,35,722.00	896,87,45,673.12		724,94,90,663.45

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIABILITIES

As at 30-6-1977

	Rs. P	Rs. P	Rs. P.
Brought Forward		62,74,88,027.15	45,03,25,251.76
5. BONDS AND DEBENTURES			
5¼% ARDC Bonds 1982 I Series	10,93,77,000.00		
5¼% ARDC Bonds 1982 II Series	8,52,50,000.00		
5¼% ARDC Bonds 1984 III Series	8,25,00,000.00		
5¼% ARDC Bonds 1985 IV Series	11,00,00,000.00		
5¼% ARDC Bonds 1985 V Series	16,50,00,000.00		
5¼% ARDC Bonds 1986 VI Series	11,00,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1984 VII Series	16,50,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1985 VIII Series	16,50,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1985 IX Series	11,00,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1986 X Series	27,50,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1987 XI Series	16,50,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1987 XII Series	27,50,00,000.00		
6% ARDC Bonds 1988 XIII Series	20,00,50,000.00		181,71,27,000.00
		202,33,77,000.00	
			181,71,27,000.00
6. LOANS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT			
(*a*) Under Section 19 of the Act	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00
(*b*) Other Loans	422,61,15,829.00		335,00,68,445.00
		427,61,15,829.00	
			340,00,68,445.00
7. OTHER BORROWINGS			
(*a*) From the Reserve Bank of India			
(*i*) Long term	216,80,00,000.00		172,60,00,000.00
(*ii*) Short-term	—		—
		216,80,00,000.00	
			172,60,00,000.00
(*b*) From others—			
(*i*) In India	—	—	—
(*ii*) Outside India	—	—	—
8. FIXED DEPOSITS			
(*a*) For Special Loan Account from—			
(*i*) Central Government	3,00,00,000.00		1,00,00,000.00
(*ii*) State Governments	1,62,58,000.00		52,18,000.00
		4,62,58,000.00	
			1,52,18,000.00
(*b*) Others	—	—	
Carried Forward		914,12,38,856.15	740,87,36,696.76

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE 1978

ASSETS				As at 30-6-1977
	Rs. P	Rs. P		Rs. P
Brought Forward	2,35,722.00	896,87,45,673.12		724,94,90,663 45
6. OTHER ASSETS—*Contd.*				
(*c*) Sundry Advances	1,58,62,930.45			1,71,48,632 46
(*d*) Interests accrued on loans by way of reference	9,79,92,009.66			6,97,23,790.52
(*e*) Interest accrued on debentures	24,35,72,685.97			20,57,18,034.22
(*f*) Discount on ARDC Bonds	1,05,08,361.11			98,07,111.11
		37'01,71,709.19		30'40,25,562 75
Carried Forward		933,89,17,382.31		755,35,16,226.20

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

LIABILITIES			As at 30-6-1977
	Rs. P	Rs. P	Rs. P
Brought Forward		914,12,38,856.15	740,87,38,696.76
9. PROVISION FOR DIVIDENDS (Amount transferred from Profit and Loss Account)		2,48,43,321.92	1,73,39,041.10
10. PROVISION FOR TAXATION (Note 2)		4,49,67,848.00	3,03,80,887.00
11. OTHER LIABILITIES			
Sundry Creditors	1,60,29,258.43		1,07,26,319.33
Interest accrued but not due on :			
(a) Loans from Central Government	8,55,72,199.34		6,47,87,347.25
(b) Bonds and Debentures	2,62,65,898.47		2,15,43,934.76
		12,78,67,356.24	9,70,57,601.34
Contingent Liabilities :			
(a) On account of guarantees given against deferred payments in connection with purchase of capital goods from outside India	—	—	—
(b) Others	—	—	—
TOTAL RUPEES		933,89,17,382.31	755,35,16,226.20

Notes :

1. Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961— Rs. 3,67,47,000/- (Previous year Rs. 1,70,97,000/-).
2. Provision for Taxation is after adjustment of advance tax paid and tax deducted at source.

As per our Report of even date attached

M. S. JAVADEKAR
Senior Director
Finance & Administration

BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants

Bombay, 12 *August* 1978

Bombay, 31*st August* 1978

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1978

ASSETS		As at 30-6-1977
	Rs. P	Rs. P
Brought Forward	933,89,17,382.31	755,35,16,226.20
TOTAL RUPEES . . .	933,89,17,382.31	755,35,16,226.20

M. RAMAKRISHNAYYA *Chairman*

G. V. K. RAO
B. S. VISHWANATHA
VEERSHETTY KUSHNOOR
K. MADHAVA DAS
Directors

M. A. CHIDAMBARAM *Managing Director*

Bombay, 19th August 1978

AGRICULTURAL REFINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

				Previous year
		Rs. P	Rs. P	Rs. P
1.	Interest Paid		40,18,50,865.02	30,62,81,124.19
2.	Salaries and Allowances		1,58,22,715 80	1,35,50,800.68
3.	Contribution to Staff Provident, Pension and other Funds		13,01,663.98	11,36,786.43
4.	Directors' and Committee Members' Fees		1,200.00	1,100.00
5.	Travelling and Other Allowances In connection with Director's and Committee Members' Meetings	30,851.00	30,851.00	55,573.65
6.	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.		18,87,826.87	12,94,640.42
7.	Travelling Expenses		8,63,310.52	8,40,760.75
8.	Printing and Stationery		3,90,795 63	5,06,819.17
9.	Postage, Telegrams and Telephones		3,77,917.48	3,25,918.04
10.	Repairs to Property		33,681.39	39,716.07
11.	Auditors' Fees		12,500.00	12,500.00
12.	Legal Charges		19,147.10	15,020.30
13.	Miscellaneous Expenses (Notes 1 & 2)		48,21,123.17	66,13,426.63
14.	Depreciation		2,52,069.18	1,77,817.75
15.	Loss on Sale of Investments		—	1,67,826.50
16.	Transfer to Special Reserve being 25% of the current profit (In terms Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961)		3,00,00,000 00	1,96,50,000.00
17.	Provision for Taxation		5,17,00,000.00	3,40,03,150.00
18.	Net Profit carried to Balance Sheet		3,75,47,551.76	2,48,53,401.83
	TOTAL RUPEES		54,69,12,718.90	40,95,26,382.41

Notes :

1. Includes : (*i*) Stamp duty on Bonds R. 20,62,500.00
   (*ii*) Bond Discount VII to XIII Series Rs. 13,61,250.00
2. Includes Entertainment Expenses Rs. 13,247.66
3. Includes Discount received on debentures subscribed to Rs. 60,137.68

As per our Report of even date attached.

M. S. JAVADEKAR
Senior Director
Finance & Administration

Bombay, 12th August 1978

BATLIBOI & PUROHIT
Chartered Accountants

Bombay, 31st August 1978

FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1978

			Previous year
	Rs. P	Rs. P	Rs. P
1. INTEREST RECEIVED			
(a) On Loans and Debentures	52,31,98,021.09		39,98,89,797.08
(b) On Investments (Tax deducted at source Rs. 72,98,562) .	2,33,27,337.55		95,06,583.79
(c) On Deposit with IDBI	81,870.00		47,551.89
(d) On other Deposits	2,37,039.48		45,535.50
		54,68,44,268.12	40,94,89,468.26
2. DISCOUNT, COMMISSION ETC.	—	—	—
3. OTHER ITEMS :			
(a) Share Transfer Fees	2.00	—	8.00
(b) Miscellaneous Receipts (Note 3)	68,448.78		36,906.15
		68,450.78	36,914.15
TOTAL RUPEES . . .		54,69,12,718.90	40,95,26,382.41

(Previous Year Rs. 44,00,000.00)
(Previous Year Rs. 11,55,000.00)

(Previous Year Rs. 33,604.20)

M. RAMAKRISHNAYYA	*Chairman*
G. V. K. RAO B. S. VISHWANATHAN VEERSHETTY KUSHNOOR K. MADHAVA DAS	*Directors*
M. A. CHIDAMBARAM	*Managing Director*

Bombay, 19th August, 1978

UNIT TRUST OF INDIA

BOMBAY

Bombay, the 29th September 1978

Ref. No. UT 3564/DPD(PRT)-9/78-79.—The following amendment made to the Unit Scheme 1964 (formulated Under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963) by the Board of Trustees of Unit Trust of India at its meeting held on June 9, 1978 is published for general information.

"In the Unit Scheme 1964, the following proviso shall be added to clause 13 :

'Provided further that should the Unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The unit certificate so issued shall also be valid.' "

B. L. BAHL,
Secretary.

AUDITORS'

UNIT SCHEME

Bombay-400001, the

We have audited the attached Balance Sheet of the Unit Scheme 1964 of the Unit date annexed thereto.

Subject to Note No. 3 regarding arrears in reconcliliation of Unit Capital and Un-

1. the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary Act, 1963 and the Regulations framed thereunder so as to exhibit, to the best to us, a true and fair view of the state of affairs of the Trust;
2. We have received all the information and explanations we have required and

N. M. RAIJI & CO.

Chartered Accountants

UNIT TRUST

UNIT SCHEME

(Established under the Unit Trust of India Act,

BALANCE SHEET AS

As at 30th June 1977 Rupees	LIABILITIES	Rupees	Amount Rupees	Rupees
	CAPITAL :			
	Initial Capital:			
5,00,00,000	1,000 certificates of Rs. 50,000 each		5,00,00,000	
	Unit Capital :			
183,34,79,884	24,33,56,906.798 Units of Rs. 10/- each.		243,35,69,068	
188,34,79,884				248,35,69,068
	RESERVES & SURPLUS :			
	Unit Premium Reserve :			
2,47,38,514	Balance as per last Balance Sheet	1,11,27,483		
15,88,879	Amount allocated out of premium recommend on sale as adjusted by premium paid on-repurchases	4,54,66,586		
2,63,27,393		5,65,94,069		
1,51,99,910	Less : Cost of investments written down	3,15,54,540		
—	Less : Amount Trasferred to	*25,00,000		
1,11,27,488			2,25,39,529	
	OTHER RESERVES :			
	General Reserve :			
	Initial Capital :			
4,86,625	Balance as per last Balance Sheet	4,86,625		
—	Transfer from Initial Capital Appropriation Account	—		
4,86,625			4,86,625	
1,16,14,108			2,30,26,154	
	*Investment Contingency Reserve			
188,34,79,884	Carried forward			248,35,69,068

REPORT

1964

24th August 1976

Trust of India as at 30th June, 1978 and the Revenue Account for the year ended on that

claimed Income Distribution we report that :

particulars and is properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India of our knowledge and according to the information and explanations given

found them to be satisfactory.

C. P. KAPADIA & CO.
Chartered Accountants

OF INDIA

1964

1963 Regulation 39A Form I, Schedule B)

AT 30TH JUNE 1978

(Figures are shown to the nearest rupee)

As at 30th June, 1977 Rupees	ASSETS	Amount Rupees	Rupees	Rupees
	INVESTMENTS : (at cost)			
	(See Notes 1 & 6)			
	Securities of the Central and State Governments			
—	(i) Cantral Government Treasury Bills	Nil		
7,48,647	(ii) Other Trustee Securities	7,43,313	7,43,313	
7,48,647		—		
60,04,49,027	Debentures and Bonds		63,63,23,313	
	[Including contracts awaiting completion—Rs. Nil (Previous year-Rs. Nil)			
15,71,69,462	Preference Shares		14,26,84,337	
	[Including contracts awaiting completion—Rs. Nil (Previous year—Rs. NIL)]			
92,59,56,607	Equity Shares		1,04,77,91,388	
	[Including contracts awaiting completion Rs.—39,82,802.76 (Previous year—Rs. 22,68,148/-)]			
7,59,840	Others (Calls paid in advance)		7,59,840	
1,68,50,83,583				1,81,83,02,191
	DEPOSITS :			
17,12,00,000	With Scheduled Banks		64,46,00,000	
17,71,10,000	With Other Institutions		27,08,60,000	
34,83,10,000				91,54,60,000
	OTHER CURRENT ASSETS:			
37,52,754	Balance with Banks and on hand		41,58,892	
15,17,376	Sundry Debtors (See Note 5)		24,60,753	
13,37,019	Contracts for sale of Investments		3,08,974	
5,40,29,935	Accrued Income		5,46,76,099	
55,22,771	Others (advances and deposits)		92,05,461*	
6,61,59,855				7,08,10,179
2,09,95,53,438	Carried forward			2,80,45,72,370

Includes Rs. 21,66,163/- advance payment on unallotted shaees (Previous year Rs. 14,74,280/-) and Rs. 65,00,000/- on Bridging Finance (Prrevious year Rs. 35,00,000/-).

(Figures are shown to the nearest rupee)

	LIABILITIES		Amount	
As at 30th June, 1977				
Rupees		Rupees	Rupees	Rupees
1,88,34,79,884	Brought forward			2,48,35,69,068
1,16,14,108	B/F		2,30,26,154	
	Unit Capital:			
6,60,74,252	Balance as per last Balance Sheet	60,74,252		
—	Transfer from Unit Capital Appropriation Account	—		
			60,74,252	
60,74,252				
—	Investment Contingency Reserve		25,00,000	
18,56,047	Initial Capital Appropriation-Account		33,76,052	
2,45,33,367	Unit Capital Appropriation-Account		4,54,39,203	
4,40,77,774				8,04,15,661
	LOANS :			
	From Reserve Bank of India			
—	(i) Secured against Trustee Securities		—	
—	(ii) Secured against Bonds issued by the Trust and guaranteed by the Central Government		—	
—	From Govt. of India		50,00,000	
—	From Others		—	
—				50,00,000
1,92,75,57,658	Carried forward			2,56,89,84,729
1,92,75,57,658	Brought forward			2,56,89,84,729
	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :			
25,00,000	Provision for liabilities on account of gratuity & leave and retirement fare concession.		40,00,000	
—	Provision for Doubtful Debts		20,00,000	
38,05,379	Sundry Creditors (See Note-8)		89,71,292	
—	Interest on Loans		—	
22,68,148	Contracts for purchase of investments		39,82,803	
61,98,742	Unclaimed Distributed income		71,02,283	
28,75,000	Income Distribution on initial Capital		28,75,000	
16,50,13,189	Income Distribution on Unit Capital		21,90,21,216	
18,26,60,458				24,79,52,594
2,11,02,18,116	TOTAL :			2,81,69,37,323
Rupees				Rupees
	CONTINGENT LIABILITIES			
17,48,970	(i) Uncalled liability in respect of partly paid shares held as investment			4,40,565
95,20,000	(ii) Liability in respect of unexpired underwriting contracts			22,50,000

As per our report attached

N. M. Raiji & Co.

G. P. Kapadia & Co.

Chartered Accountant

(W.V. JOG)
Chief Accountant

(B.L. BAHL)
Secretary

Bombay,
24th August 1978. Seal

As at 30th June, 1977 Rupees	ASSETS	Ruppes	Amount Rupees	Rupees
2,09,95,53,438	Brought forward			2,80,45,72,370
	Fixed Assets			
	Land (Leasehold) & Building (At cost)			
90,44,958	Balance as per last Balance Sheet	99,94,446		
9,49,488	Additions during the year	9,52,488		
99,94,446		1,09,46,934		
—	Deductions during the year	—		
99,94,446		1,09,46,934		
—	Less : Depreciation todate	4,97,587		
99,94,446			1,04,49,347	
	Furniture and Fixtures : (At cost)			
7,61,358	Balance as per last Balance Sheet	7,98,130		
37,445	Additions during the year	8,22,475		
7,98,803		16,20,605		
673	Deductions during the year	28,042		
7,98,130		15,92,563		
4,13,750	Less : Depreciation to date	5,16,000		
3,84,380			10,76,563	
	Office Equipment : (At cost)			
12,63,065	Balance as per last Balance Sheet	11,96,244		
15,747	Additions during the year	6,89,234		
12,78,812		18,85,478		
82,568	Deductions during the year	78,204		
11,96,244		18,07,274		
9,18,039	Less : Depreciation to date	9,98,227		
2,78,205			8,09,047	
1,06,57,031	C/F.		1,23,34,957	
2,09,25,53,438	Carried forward			2,80,45,72,370
2,09,95,53,438	Brought forward			2,80,45,72,370
1,06,57,031	B/F		1,23,34,957	
	Motor Vehicles : (At cost)			
57,945	Balance as per last Balance Sheet	57,945		
—	Additions during the year	32,026		
57,945		89,971		
—	Deductions during the year	20,282		
57,945		69,689		
50,298	Less : Depereciation to date	39,693	29,996	
7,647	Others			
1,06,64,678				1,23,64,953
2,11,02,18,116	TOTAL :			2,81,69,37,323

See Notes Annexed.

G.S. PATEL
Chairman
C.P. MUKHERJEE
R.D. PUSALKAR
BALDEV PASRICHA
J. P. MUKHERJEE
Trustees

A. K. BANERJI

J. MATTHAN
V. S. NATARAJAN

K.J.S. BANAJI
Trustees

UNIT TRUST

UNIT

(Regulation 39 A

REVENUE ACCOUNT FOR

Previous Year	EXPENDITURE	AMOUNT
Rupees		Rupees
1,05,66,994	Salaries, Allowances, Contributions to Provident Fund and Gratuity (See Note below)	98,48,541
1,300	Sitting Fees of Trustees	1,600
24,276	Travalling and other allowances of Trustees (for attending Board and Committee Meetings)	45,628
39,78,112	Office Expenses (Including Publicity Expenses)	44,76,392
—	Interest on Borrowings	—
38 38,321	Commission, Brokerage and Bank Charges	88,80,955
30,000	Auditors' Fees	30,000
82,880	Depreciation	7,67478
1,85,21,883		2,40,50,594
77,07.542	Less : Management Expenses recovered from sale of units	1,06,28.881
1,08,14.341	Total Expenditure	1,34,21,713
18,62,86,469	Income for the year	24,43,22,057
19,71,00,810	TOTAL :	25,77,43,770
63,460@	Note : Remuneration and allowarnces of Chairman included in the above.	45.516
Seal		

@Also includes remuneration & allowances of Executive Trustee

Allocation of Income and Expenditure between Initial Capital and Unit

	Previous Year			
	Unit Capital Rupees		Initial Capital Rupees	Total Rupees
	19,71,00,810		52,32,357	19,18,68,453
	—		—	—
	19,71,00,810		52,32,357	19,18,68,453
	1,08,14,341		12,20,918	95,93,423
Transferred to Unit Capital Appropriation Account	18,62,86,469	Transferred to Initial Capital Appropriation Account	40,11,439	18,22,75,030

OF INDIA

SCHEME 1964

Form 2—Schedule B)

THE YEAR ENDED 30TH, JUNE 1978

(Figures are shown to the nearest rupee)

Previous Year	INCOME	AMOUNT	
Rupees		Rupees	Rupees
18,46,25,722	Dividened and interest	23,04,26,053	
88,12,682	Add: Profit on sale and redemption of Investments (net)	67,02,723	
19,34,38,404	(See Note)	23,71,28,776	
30,00,000	Less : Return of the balance@	—	
—	Less : Provision for Doubtful Debts	20,00,000	23,51,28,776
19,04,38,404			
1,64,020	Commission and Brokerage* (net)		4,02,000
3,07,358	Other income [including commitment charges of Rs. 4,78,873/- (previous year Rs. 2,65,947/-)		5,04,042
61,91,028	Amount recovered on sale/less amount paid on repurchase of units on account of income Equaliser		2,17,08,952
	@amount of Grant-in-Aid received from Government of India in 1974-75		
19,71,00,810	TOTAL :		25,77,43,770

Represents underwriting commission in respect of shares and debentures subscribed for by the Trust.

Capital under Sections 24 and 25 of the Unit Trust of India Act, 1963

	Total Rupees	Initial Capital Rupees	Unit Capital Rupees
Gross income as above	25,77,43,770	51,88,979	25,25,54,791
Less : Interest on Borrowings	—	—	—
	25,77,43,770	51,88,979	25,25,54,791
Less : Total Expenditure as above	1,34,21,713	7,93,947	1,26,27,739
	24,43,22,057	Transferred to Initial Capital Appropriation Account 43,95,005	Transferred to Unit Copital Appropriation Account 23,99,27,052

UNIT TRUST

UNIT SCHEME—

Regulation 39A Form 2,

REVENUE ACCOUNT FOR THE

Previous Year	Expenditure	Amount
	INITIAL CAPITAL	
Rupees		Rupees
28,75,000	Income Distribution @ 5·75% (1976-77 @5·75%)	28,75,000
18,56,047	Balance Carried to Balance Sheet	33,76,052
47,31,047	Total	62,51,052
	UNIT CAPITAL	
16,50,13,189	Income Distribution @ 9% (1967-77 @ 9%)	21,90,21,216
2,45,33,367	Balance Carried to Balance Sheet	4,54,39,203
18,95,46,556	Total	26,44,60,419

As per our report attached

N. M. Faiji & Co.

G. P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants.

(W. V. JOG)
Chief Accountant

(B. L. BAHL)
Secretary.

Bombay
24th August 1978

OF INDIA

1964

Schedule B)

YEAR ENDED 30TH JUNE, 1978

(Figures are shown to the nearest rupee)

Perevious year	Income	Amount
	APPROPRIATION ACCOUNT	
Rupees		Rueepes
7,19,608	Balance brought forward from previous year	18,56,047
40,11,439	Net Income allocated as above	43,95,005
47,31,047	Total	62,51,052
	APPROPRIATIONS ACCOUNT	
72,71,526	Balance brought forward from previous year	2,45,33,367
18,22,75,030	Net Income allocated as above	23,99,27,052
18,95,46,556	Total	26,44,60,419

G.S. PATEL
Chairman
C.P. MUKHERJEE
R. D. PUSALKAR
BALDEV PASRICHA
J.P. MUKHERJEE
Trustees

A.K. BANERJI

J. MATTHAN
V. S. NATARAJAN
K. J. S. BANAJI
Trustees.

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963 Regulation 39-A Form I Schedule B)

Notes annexed to and forming part of the accounts of the Unit Scheme 1964 as on 30th June 1978.

(Figures are shown to be nearest rupee)

30th June 1977 Rupees		30th June 1978 Rupees
	NOTES :	
	1. (*a*) Quoted Investments Including Treasury Bills :	
133,37,14,267	Cost	143,51,27,436
145,16,37,915	Aggregate market value	175,04,46,309
	(*b*) Unquoted investments :	
35,06,09,476	Cost	38,24,14,915

2. After taking the market value of quoted investments the net value of the assets of the Unit Scheme 1964 as on 30th June 1978 amounted to Rs. 287,93,03,602 (as on 30th June 1977 Rs. 204,54,81,306).
3. Reconciliation upto 30th June 1978 in respect of Unit Capital and Unclaimed Income Distribution is still in progress.
4. Full provision has been made in accounts in respect of total future liability of the Trust for Gratuity payable to the Reserve Bank of India for the staff placed on duty with the Trust in accordance with the Bank's Rules.
5. Sundry Debtors include Rs. 4,81,044 due from Unit Scheme 1971 and Rs. 7,02,121 from Unit Scheme 1976.
6. The cost of Trust's investments amounting to Rs. 1.36 crores has been written down to Re. 1 - for each scrip and that amounting to Rs. 3.18 crores has been brought down to the present Market value. The total adjustment thus made is Rs. 3.16 crores which is written off to Unit Premium Reserve A/c.
7. Construction of Trust's Building on Leasehold land was completed during the year. Depreciation on the total cost of Land and Building is provided on straight line method taking unexpired period of lease to be 22 years.
8. The item of Sundry Creditors includes Rs. 15,04,499 being unspent balance of Grant-in-Aid received from the Government of India for tapping semi-urban and rural resources and the interest earned thereon.
9. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

AUDITOR'S

Unit Scheme

We have audited the attached Balance Sheet of the Unit Scheme 1971 of the Unit Trust of India as at 30th June 1978 and the Revenue

(1) the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accor- knowledge and according to the information and explanations given to us, a true and fair view of the state of affair of the

(2) we have received all the information and explanations we have required and found them to be satisfactory.

N. M. RAIJI & CO.
Chartered Accountants
Bombay, the 24th August, 1978.

UNIT TRUST
UNIT SCHEME
(Established under the unit Trust of India
BALANCE SHEET

As on 30th June, 1977	LIABILITIES	Amount	
Rupees		Rupees	Rupees
	CAPITAL :		
	Unit Capital :		
	Unit Linked Insurance Plan :		
2,72,59,311	50,88,472 834 Unit of Rs. 10/- each		5,08,84,728
	RESERVE AND SURPLUS		
	Unit Premium Reserve :		
26,984	Balance as per last Balance Sheet	61,009	
34,025	Amount allocated out of premium recovered on sales	7,22,963	
61,009		7,83,972	
12,24,322	Unit Capital Appropriation Account	17,15,639	
12,85,331			25,19,611
2,85,44,642			5,34,04,339
	CURRENT LIABILITIES : PROVISIONS :		
4,78,405	Sundry Creditors	15,22,599*	
1,79,416	Contracts for purchases of investments	19,978	
21,80,745	Income-Distribution on Unit Capital	40,70,778	
28,38,566			56,13,355
3,13,83,208	TOTAL		5,90,17,694

*Includes Rs. 4,81,044/- payable to Unit Scheme 1964 (Previous Year Rs. 90,897/-).
As per out report attached

N. M. RAIJI & CO.
Chartered Accountants
(W. V. JOG)
Chief Accountant

G. P. KAPADIA & CO.
Chartered Accountants
(B. L. BAHL)
Seceretary

Bombay, 24th August, 1978

REPORT

1971

Account for the year ended on that date annexed thereto and report that:

dance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder so as to exhibit, to the best of our Trust ;

G. P. KAPADIA & CO.
Chartered Accountants.

OF INDIA

1971

Act 1963—Regulation 39-AForm I—Section B)

AS AT 30TH JUNE 1978

(Figures are shown to the nearest rupee)

As on 30th June, 1977	ASSETS		Amount	
Rupees			Rupees	Rupees
	INVESTMENTS : (At Cost) (*See note I*)			
7,52,614	Preference Shares (Including contracts awaiting completion—Rs. 2,325/- (Previous year—Rs. 1,950/-)		13,41,183	
61,13,307	Equity Shares (Including contracts awaiting completion—Rs. 16,793/- Previous year—Rs. Nil.)		74,61,441	
1,30,89,892	Debentures and Bonds (Including contracts awaiting completion—Rs. 860/- (Previous year—Rs. 1,77,466/-)		3,59,74,479	
				4,47,77,103
1,99,55,813				
	DEPOSITS :			
75,00,000	Deposits with Scheduled Banks		68,00,000	
25,00,000	Deposits with other institutions		50,00,000	
				1,18,00,000
1,00,00,000				
2,99,55,813				5,65,77,103
	OTHER CURRENT ASSETS :			
2,39,524	Balance with Bank and on hand (Including cheques on hand Rs. Nil (Previous year—Rs. 74,203/-)		64,037	
73,063	Sundry Debtors		1,53,575	
7,48,791	Accrued Income		12,20,798	
	Deferred Revenue Expenditure : (*See* Note 4)	Rupees		
2,74,276	Balance as per last Balance Sheet	3,58,935		
	Add :			
1,25,710	Amount transferred during the year	6,91,000		
3,99,986		10,49,935		
	Less :			
41,051	Amount written off during the year	57,598		
3,58,935			9,92,337	
7,082	Others (Stock of stationery)		9,844	
14,27,395				24,40,591
3,13,83,208	TOTAL			5,90,17,694

See Notes Annexed

G. S. PATEL
Chairnan
C. P. MUKHERJEE
R. D. PUSALKAR
BALDEV PASRICHA
J. P. MUKHERJEE
Trustees

A. K. BANERJI

J. MATTHAN
V. S. NATARAJAN

N. I. S. BANAJI
Trustees

UNIT TRUST

UNIT SCHEME

(Regulation 39A

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR

Previous Year	EXPENDITURE	Amount	
Rupees		Rupees	Rupees
50,368	Salaries and Allowance etc.		1,41,518
2,64,425	Office Expenses (Net)		4,48,153
1,72,431	Commission Brokerage and Bank Charges	11,14,937	
1,25,710	*Less* : Transferred to Deferred Revenue Expenditure (*See* Note 4)	6,91,000	
46,721			4,23,937
41,051	Deferred Revenue Expenditure Written off		57,598
4,02,615			10,71,206
1,49,456	*Less* : Management expenses recovered from sale of units		4,06,142
2,53,159			6,65,064
27,95,176	Amount transferred to Appropiration Account		45,82,095
30,48,335	Total :		52,47,159
21,80,745	Income Distribution @8% (1976-77 @8%)	40,70,778	
12,24,322	Balance carried to Balance Sheet	17,35,639	
34,05,057	Total :	58,06,417	

As per our report attached

M.M. RAIJI & CO. G.P. KAPADIA & CO.

Chartered Accountants

(W.V. JOG) (B.L. BAHL)

Chief Accountant Secretary

Bombay,

24th August 1978.

OF INDIA

1971

Form2-Schedule B)

ENDED 30TH, JUNE 1978

(Figures are shown to the nearest rupee)

Previous Year	INCOME	Amount	
Rupees		Rupees	Rupees
30,42,945	Dividend and Interest	47,01,350	
3,237	*Add* : Profit on sale of shares	591	
30,46,182		47,01,941	
2,10,520	*Less* : cost of Investments written down	—	
28, 5,662			47,01,941
2,12,673	Amount recovered on sale/less amount paid on repurchases of units on account of income Equaliser.		5,45,218
30,48,335	Total		52,47,159

APPROPRIATION ACCOUNT

6,09,891	Balance brought forward from previous year	12,24,322	
27,95,176	Net Income transferred from Revenue Account	45,82,095	
34,05,067	Total :	58,06,417	

See Notes Annexed.

G.S. PATEL
Chairman

C.P. MUKHERJEE
R.D. PUSALKAR
BALDEV PASRICHA
J.P. MUKHERJEE
Trustees

A.K. BANERJI

J. MATTHAN
V.S. NATARAJAN

K.J.S. BANAJI
Trustees

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963 Regulation 39A Form I Schedule B)

Notes annexed to and forming part of the accounts of the Unit Scheme 1971 as on 30th June 1978.

(Figures are shown to the nearest rupee)

30th June 1977		30th June 1978
Rupees		Rupees
	Notes :	
	1. (a) Quoted Investments :	
1,32,57,731	Cost	2,42,41,190
1,38,73,040	Aggregate market value	2,57,81,024
	(b) Unquoted Investments :	
66,98,082	Cost	2,05,35,912
2,88,01,016	2. After taking the market value of quoted Invsetments, the net value of the assets of the Unit Scheme 1971 as on 30th June, 1978 amounted to	5,39,51,836
	3. Some of the expenses incurred by the Trust in common for Unit Scheme 1964 and Unit Scheme 1971 except Gratuity etc. have been apportioned between the two Schemes in terms of the Section 25(4) of the Unit Trust of India Act, 1963.	
	4. The amount transferred to Deferred Revenue Expenditure is in terms of Section 25(3) of the Unit Trust of India Act, 1963.	
23,592	5. Contingent liability on account of partly paid shares	Nil

AUDITORS'

Unit Scheme

We have audited the attached Balance Sheet of the Unit Scheme 1976 of the Unit Trust of India as at 30th June 1978 and the Re-

(1) the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder so as to exhibit, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, a true and fair view of the state of affairs of the Trust;

UNIT TRUST OF INDIA

UNIT SCHEME 1976

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963—Regulation 39A Form I-Schedule B)

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1978

LIABILITIES		Amount	
As at 30th June, 1977			
Rupees		Rupees	Rupees
	CAPITAL :		
	Unit Capital :		
7,26,54,500	6,94,870 Units of Rs. 100/- each		6,94,87,000
	RESERVES & SURPLUS :		
67,43,750	Unit Capital Appropriation Account		94,12,668
	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS :		
1,19,756	Sundry Creditors	8,99,473*	
5,61,803	Contracts for purchase of investments	28,45,801	
20,810	Unclaimed Distributed Income	52,625	
21,79,635	Income Distribution on Unit Capital	20,84,610	
28,82,004			58,82,509
8,22,80,254	Total :		8, 47,82,177

*Includes Rs. 7,02,121/- payable to Unit Scheme 1964 (Previous Year Rs. 1,18,045)As per our report attached

N.M. RAUT & Co. G.P. KAPADIA & Co.
Chartered Accountants

G.S. PATEL
Chairman
C.P. MUKHERJEE
R.D. PUSALKAR
BALDEV PASRICHA
Trustees

(W.V. JOG)
Chief Accountant

(B.L. BAHL)
Secretary

REPORT

1976

venue Account for the year ended on that date annexed thereto and report that

(2) we have received all the information and explanations we have required and found them to be satisfactory.

M.M. RAIJI & CO.
Chartered Accountants
Bombay, 24th August, 1978.

G.P. KAPADIA & CO.
ountants

As at 30th June, 1977 Rupees		Amount Rupees	Rupees
	(Figures are shown to the nearest rupee)		
	ASSETS	**Amounts**	
As at 30th June, 1977 Rupees		Rupees	Rupees
	INVESTMENTS : (At Cost)		
6,69,80,268	[Including **Preference Shares** contracts awaiting comletion—Rs. (Previous year—Rs.)] Equity Shares Including contracts awaiting completion—Rs. 28,45,801/- (Previous year—Rs. 3,01,403/-) Market Value Rs. 8,39,99,243/-	6,78,37,126	
	Debentures and Bonds [Including contracts awaiting completion—Rs. Nil (Previous year—Rs. Nil)]*	1,46,120	
22,96,071	Securities of the Central Govt.	22,98,071	
6,92,78,339	**DEPOSITS :**		7,02,81,317
64,00,000	With Scheduled Banks		1,25,00,000
	OTHER CURRENT ASSETS :		
2,49,334	Balance with Banks and on hand [Including cheques on hand Rs. 1,77,815/- (Previous year—Rs. 1,71,878/-)]	3,88,388	
5,51,570	Sundry Debtors	11,02,621	
54,67,927	Contracts for sale of investments	—	
3,13,584	Accrued income	4,91,073	
19,500	Others (Stock of Stationery)	18,778	20,00,860
66,01,915			
8,22,80,254	Total :		8,47,82,177

See Notes Annexed. *Market Value Rs. 1,68,038/-.
@[Including contracts awaiting completion Rs. Nil
(Previous Year Rs. 2,60,400/-]
Market Value Rs. 30,37,020/-.

J.P. MUKHERJEE
A.K. BANERJI
J. MATTHAN
Trustees

V.S. NATARAJAN

K.J.S. BANAJI
Trustees

UNIT TRUST
UNIT SCHEME
(Regulation 39A
REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR

Previous Year	EXPENDITURE		Amount
Rupees		Rupees	Rupees
87,150	Salaries and Allowances etc.		1,93,254
38,524	Office Expenses (Including Publicity Expenses)		28,859
91,606	Commission, Brokerage and Bank Charges		42,318
3,07,246	Premium paid on repurchase of Units		6,62,194
5,24,526			9,26,625
68,72,321	Amount transferred to Appropriation Account		47,53,528
73,96,847	Total :		56,80,153
21,79,635	Income Distribution @3% (1976-77 @3 %)	20,84,610	
67,43,750	Balance carried to Balance Sheet	94,12,668	
89,23,385	Total :	1,14,97,278	

As per our report attached.

N.M. RAIJI & Co.
Chartered Accountants

G.P. KAPADIA & Co.

(W.V. JOG)
Chief Accountant
Bombay,
24th August, 1978.

(B.L. BAHL)
Secretary

OF INDIA
1976
Form 2—Schedule B)
ENDED 30TH JUNE, 1978

(Figures are shown to the nearest rupee)

Previous Year	INCOME	Amount	
Rupees		Rupees	Rupees
54,17,523	Dividend and interest	55,15,354	
19,54,324	Add : Profit on sale of shares	1,64,799	
73,71,847			56,80,153
25,000	Other Income (Underwriting Commission)		
73,96,847	Total :		56,80,153

APPROPRIATION ACCOUNT

20,51,064	Balance brought forward from previous year	67,43,750	
68,72,321	Net Income transferred from Revenue Account	47,53,528	
89,23,385	Total :	1,14,97,278	

See Notes Annexed.

G.S. PATEL	J.P. MUKHERJEE	V.S. NATARAJAN
Chairman		
C.P. MUKHERJEE	A.K. BANERJI	
R.D. PUSALKAR	J. ATTHAN	K.J.S. BANAJI
BALDEV HASRICHA		
Trustees	Trustees	Trustees

UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963 Regulation 39A Form 1 Schedule B)

Notes annexed to and forming part of the accounts of the Unit Scheme 1976 as on 30th June 1978.

(Figures are shown to the nearest rupee)

30th June 1977		30th June, 1978
Rupees		Rupees
8,62,87,582	1. After taking the market value of the investments, the net value of the assets of the Unit Scheme 1976, as on 30th June 1978 amounted to	9,58,22,652
	2. Some of the expenses incurred by the Trust in common for Unit Scheme 1964 and Unit Scheme 1976 except Gratuity etc. have been apportioned between the two Schemes in terms of Section 25(4) of the Unit Trust of India Act, 1963.	
	3. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.	

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978